राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ४ विधान सभा के चतुर्थ सत्र का चौबीसवाँ दिवस संख्या १७

बुधवार,

दिनांक १६ मार्च, १९६६.

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, खनिज, गृह, स्वायत्त शासन, शिक्षा, राजकीय उपक्रम, समाज कल्याण, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, विधि, न्याय विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री पी० के० चौधरी।

ओलावृष्टि से जयपुर जिले में फसलों को नुकसान

३७५. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) माह फरवरी, १९६६ के मध्य में ओलावृष्टि से जयपुर जिले के किन गाँवों में फसलों का कितना नुकसान हुआ है ?

(२) क्या यह सच है कि जिन गांवों में ओलावृष्टि से फसल सम्पूर्ण नष्ट हो गयी है उन गाँवों में भी सरकार द्वारा राहत पहुँचाने की किसी प्रकार की व्यवस्था आज तक नहीं की गयी ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) राहत कार्य खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री पी० के० चौधरी : इस जिले के सांभर सब-डिविज़न में से एक भी गांव का नाम आपने नहीं दिया है।

श्री गंगाराम चौधरी : जी हाँ, सूची में जो सूचना दी गयी है वह सही है।

श्री पी० के० चौधरी : सांभर सब-डिविज़न का एक भी गाँव का नाम नहीं है।

Page No 2

श्री गंगाराम चौधरी : उसमें एक भी गाँव ग्रोलावृष्टि से प्रभावित नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : मैंने खुद ने देखा है ग्रोला।

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्व ग्रधिकारी द्वारा जांच करवा ली गयी है ग्रौर जो उन्होंने रिपोर्ट दी है उसके ग्राधार पर मैंने उसकी सूचना दी है।

श्री पी० के० चौधरी : यह रिपोर्ट ग्रापको गलत दी हुई है।

श्री ग्रध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री पी० के० चौधरी: ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी सप्लीमेंट्री पूछना है।

ग्रापने जो नुकसान दिया है उसमें किसी में ४ ग्राना, किसी में ६ ग्राना ग्रौर किसी में १४ ग्राना बताया है लेकिन जिन खेतों में ग्रोले गिरे हैं वहां तो फसल बिलकुल ही नष्ट हो गयी है।

श्री गंगाराम चौधरी : फिर से रिपोर्ट मांग ली गयी है।

श्री पी० के० चौधरी : वह रिपोर्ट कैसे सही मानते हैं? जहाँ ग्रोलावृष्टि हुई है उन खेतों में तो कुछ भी नहीं हुग्रा है फिर ४ ग्राना, ८ ग्राना कैसे नुकसान लगाया गया है?

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी जांच करवा ली जायेगी।

श्री पी० के० चौधरी : ग्रापने कहा कि उनको रिलीफ देने के लिए एक्शन लिया जा रहा है तो क्या एक्शन लिया जा रहा है?

श्री गंगाराम चौधरी : राहत कार्यों के सम्बन्ध में लिख दिया गया है ग्रौर वह जल्दी ही कार्य शुरु कर दिये जायेंगे। एक कार्य जो कि खरीफ में गांव घोषित कर दिए गये हैं उस सिलसिले में शुरु कर दिया गया है ग्रौर दूसरे कार्यों के सम्बन्ध में वह विचार कर रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : किस किस गाँव में राहत कार्य शुरु कर दिए हैं?

श्री गंगाराम चौधरी : एक कार्य जो ग्रारम्भ किया गया है वह ग्रासलपुर से जोबनेर सड़क का कार्य सेंक्शन कर दिया गया है।

श्री सुवालाल चौधरी : क्या यह सही है कि ग्रासलपुर से जोबनेर तक की रोड डामर की है। मैं सही सूचना देता हूँ कि यह डामर की सड़क बनी हुई है इस पर काम की ग्रावश्यकता नहीं है तथा इससे रिलीफ का १० हजार रुपया खर्च करने से न तो सरकार को लाभ है—सरकार को तो खैर हो सकता है लेकिन जिस उद्देश्य से मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। यह गलत स्वीकृत हुई है।

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्व विभाग से इस सम्बन्ध में निवेदन कर दिया जायेगा ग्रौर जो भी ग्रावश्यक कार्यवाही होगी कर दी जायेगी।

Page No 3

श्री पी० के० चौधरी : आसलपुर से जोबनेर रोड पर इन गांवों में से एक भी गाँव नहीं पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरजीराम बुरड़क।

कस्बा लाडनूं की इमारती पत्थर की खानें

३७६. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) **:** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं में इमारती पत्थर की खानें हैं और कस्बा लाडनूं में ही पत्थर लाने वालों से भी रोयल्टी वसूल की जाती है? यदि हाँ, तो क्यों जबकि केवल बाहर पत्थर ले जाने वालों से ही रोयल्टी वसूल की जानी चाहिये?

(२) क्या यह भी सत्य है कि जोधपुर आदि बड़ी खानों पर यह व्यवस्था है कि स्थानीय लोगों से स्थानीय जगह पर पत्थर लाने की रोयल्टी वसूल नहीं की जाती और पत्थर बाहर ले जाने पर ही रोयल्टी वसूल की जाती है? यदि हाँ, तो दूसरी जगहों पर यह व्यवस्था क्यों नहीं की जाती?

(३) क्या यह भी सत्य है कि लाडनूं के नागरिकों ने इस प्रकार की शिकायतें राज्य सरकार के पास की थीं? यदि हाँ, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की।

उपमंत्री, खनिज (श्री भीमसेन) **:** (१) जी हाँ, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम १९५९ के तहत रोयल्टी ली जाती है। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि स्थानीय कार्य में लेने पर अधि-शुल्क नहीं लगेगा।

(२) जी नहीं।

(३) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि जिस गाँव में खान है उस गाँव में काम में लेने के लिए पत्थरों पर रायल्टी नहीं ली जाये?

श्री भीमसेन : ऐसा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि काश्तकारों के लिए काश्तकार अपनी खेती के लिए या घरों के उपयोग के लिये पत्थर लेता है तो उसके लिये छूट है।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या नियमों में प्रावधान किया जायेगा इस प्रकार का?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न सं० ३७७

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल (अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री केशरीसिंह हाडा।

बूंदी में हवाई अड्डे की भूमि का बेचान

३७८. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) **:** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री केशरी सिंह हाड़ा)

(१) क्या यह सत्य है कि बूंदी के हवाई अड्डा वाली भूमि का बेचान कर दिया गया है ?

(२) यह कब और कितने में बेची गई और किसको ?

(३) क्या यह सत्य है कि ग्राम रामगंज के भूमिहीन काश्तकारों की उपेक्षा करके भारत के बाहर के नागरिक को यह बेचा गया है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री देवीदत्त गाड़िया।

बाराँ में नगरपालिका की भूमि का बेचान

३७६ श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बारां नगरपालिका के प्रशासक महोदय ने नगरपालिका एवं उप जिलाधीश कार्यालय के कर्मचारियों को गृह कालोनी के लिये नगरपालिका क्षेत्र में जमीन बेची है ? यदि हां, तो किन किन तारीखों में किस किस कर्मचारी को कितनी कितनी भूमि किस दर से बेची और किस आदेश व आधार पर बेची ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि जो भूमि गृह कॉलोनी के लिये दी है वह भूमि मण्डी कमेटी व कोलोनाइज़ेशन विभाग के अधीन है ?

(३) क्या यह सही है कि नगरपालिका के प्रशासक को उक्त मण्डी कमेटी व कोलोनाइज़ेशन क्षेत्र की भूमि को बेचने का अधिकार नहीं है ?

(४) क्या यह सही है कि बारां के किराये के मकानों में रहने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति आदि के व निर्धन व्यक्तियों द्वारा गृह निर्माण के निमित्त जमीन देने के लिए कई वर्ष से नगरपालिका कार्यालय में प्रार्थनापत्र दिये हैं ? यदि हाँ, तो किस किस तारीख से किस किस व्यक्ति के प्रार्थनापत्र दिये गए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) जिन कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए प्लाट्स दिये गए हैं उन्होंने प्रार्थना पत्र कब दिये और उनको तामीर की इजाजत कब दी गई ?

(६) क्या यह सही है कि जिन कर्मचारियों को जो ये प्लाट्स दिए गए हैं वह पूर्व के बोर्ड द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर दिए गए हैं ? यदि हाँ, तो बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति मय तारीख के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(७) क्या यह सही है कि उस समय के

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

बोर्ड द्वारा साइकिल टैक्स माफ करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था ? यदि हाँ, तो उस प्रस्ताव की प्रति भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(८) क्या यह सही है कि तामीर की कार्यवाही को रोकने के लिए मण्डी कमेटी व तहसील बारां आदि विभागों से कोई कार्यवाही हुई है ? यदि हाँ, तो क्या क्या आदेश जारी हुए हैं? उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री स्वायत्त शासन(श्रीमती सुमित्रा): (१) जी हाँ, बारां नगरपालिका के प्रस्ताव दिनाँक ८-१२-६६ के क्रियान्वन में प्रशासक ने नगरपालिका एवं उप-जिलाधीश के कार्यालय के कर्मचारियों की गृह निर्माणार्थ दिनांक ३०-८-६८ को ६९ भूखण्ड अलॉट किये। विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह भूमि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है। नगरपालिका के समस्त क्षेत्र में स्थित खुली जमीन को नगरपालिका द्वारा बेचे जाने के संबंध में सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है।

(३) मामला जिलाधीश के पास विचाराधीन है।

(४) सूची सदन कि मेज पर रख दी गई है।

(५) जिन कर्मचारियों को प्लाट्स दिये गए हैं उनमें से अधिकांश ने माह नवम्बर, दिसम्बर, ६८ में प्रार्थनापत्र निर्माण हेतु प्रस्तुत किये एवं शेष प्रस्तुत करते जा रहे थे। जिलाधीश द्वारा निषेधाज्ञा देने के कारण तामीर की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। किसी भी कर्मचारी को तामीर की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(६) बोर्ड के पूर्व प्रस्तावों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(७) प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(८) मण्डी कमेटी व तहसीलदार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया। जिलाधीश द्वारा दिये गये आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखीगई)

श्री देवीदत्त गाड़िया: अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न नम्बर २ में पूछा गया था कि क्या यह सही है कि यह भूमि मण्डी कमेटी क्षेत्र में है जिसका उत्तर इन्होंने दिया है कि यह म्युनिसिपल एरिया के अन्दर है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि यह जो जमीन प्लाट्स के द्वारा आवंटित की गयी है यह मण्डी कमेटी कोलोनाइज़ेशन क्षेत्र में है? इसका उत्तर चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा: नगरपालिका क्षेत्र में मन्डी कमेटी लागू तो है लेकिन हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ था इसलिए मैंने उसका जवाब 'जी नहीं' में दिया है।

श्री अध्यक्षः हाईकोर्ट से या कलेक्टर से ।

श्री देवीदत्त गाड़ियाः हाईकोर्ट से किसने स्टे लिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढाः अध्यक्ष महोदय, मण्डी कमेटी के खिलाफ भी जो कोटा में है यह बारां को भी यही एडमिनिस्टर करती है, कोटा को भी यही एडमिनिस्टर करती है और दूसरी मण्डियों को भी यही एडमिनिस्टर करती है तो इसके खिलाफ कोटा नगरपरिषद ने हाईकोर्ट में रिट पेश किया जूरिस्डिक्शन के बारे में और सेज आफ लैंड के अधिकारों के बारे में, सीमा के बारे में । उस विवाद में हाईकोर्ट ने जनरल एक स्टे आर्डर मण्डी कमेटी बारां को भी एडमिनिस्टर करती है, कोटा को भी करती है, स्टे आर्डर दे रखा है उससे माननीय सदस्य का शायद मतलब है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोटा नगरपरिषद का दूसरा प्रश्न है लेकिन बारां का क्षेत्र जो कि मण्डी कमेटी ने अपने क्षेत्र में ले रखा है और यह भूमि उसमें है और मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह जमीन मण्डी कमेटी क्षेत्र की है । यह स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ इसका जवाब दीजिये ।

श्रीमती सुमित्राः जमीन तो मण्डी कमेटी क्षेत्र की है । लेकिन वह मामला विचाराधीन है जिलाधीश के पास और उनकी रिपोर्ट और उनके संबंध में फैसला नहीं हुआ है ।

श्री देवीदत्त गाड़ियाः अध्यक्ष महोदय, यह तो ८ साल से मण्डी कमेटी के क्षेत्र में जमीन है और उसके नक्शे में है, रैकर्ड में है । तीसरा प्रश्न यह है कि मैंने पूछा है कोलोनाइजेशन मन्डी कमेटी और कालोनाइजेशन की जमीन को एस० डी० एम को बेचने का अधिकार नहीं है । मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि जिलाधीश के विचाराधीन है यह तो नियम है कि कोलोनाइजेशन और मण्डी कमेटी की जमीन को एस०डी० एम को बेचने का अधिकार नहीं है । मैं पूछना चाहता हूँ क्या उसको अधिकार है?

श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मन्त्री) माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा वह कर दिया गया है वह यह चाहते थे कि जो आवंटन किया गया है भूखण्डों का उनको रोक दिया जाये वह यह चाहते थे कि रजिस्ट्री जो की गयी हैं मकानों के लिए जो प्रार्थनापत्र देकर तामीर का काम था उसको भी स्टे कर दिया गया है । स्थिति यह है कि उस क्षेत्र में बारां की बात है वहाँ पर एक नोटीफिकेशन के जरिये से कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट ने उसको यह घोषित क्षेत्र किया था कि यह कोलोनाइजेशन का क्षेत्र है । जैसा कि हमारे सिंचाई मन्त्री महोदय ने बताया उसी प्रकार की स्थिति है लेकिन उसके पश्चात् क्या हो रहा है वहाँ पर जैसा कि आपने अभी निवेदन किया कि हाईकोर्ट में स्टे के कारण से मण्डी कमेटी फंक्शन नहीं कर रही है ।

प्रश्न यह उठता है कि नगरपालिका क्षेत्र में अन्दर नगरपालिका एलाट करेगी अथवा कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट या मंडी कमेटी एलाट करेगी, उस प्रश्न पर विवाद

(श्री भीखाभाई)

चल रहा है, और उस विवाद को रेस्पेक्ट करते हुए हमने कलेक्टर से कहा है कि इसकी जांच करें। जहां तक रोकने का सवाल है तो जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्होंने नगरपालिका के कर्मचारियों को और एस० डी० ओ० के कर्मचारियों को भू-आवंटन कर दिया है तो उसको रोक दिया गया है...।

श्री अध्यक्ष : हाईकोर्ट में क्या प्रश्न अन्डर कन्सीडरेशन है किस प्रश्न पर ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : हाईकोर्ट में, माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न इसलिए विचाराधीन है कि नगरपालिका का कहना है कि मंडी कमेटी को जुरिस्डिक्शन में म्युनिसिपैलिटीज की जमीन बेचने का हक नहीं है कुछ ड्युअल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। इस प्रकार की रिट याचिका वहां पर पेश की गई है इसलिए उनके यहां विचाराधीन है और हाईकोर्ट ने स्टे आर्डर दिया है कि जब तक इस मामले का निर्णय न हो जाय तब तक मंडी कमेटी उस जमीन की बिक्री, आवंटन नहीं करे और यह जिलाधीश को कहा गया है क्योंकि ऐसी मंडी कमेटीज के चेयरमैन जिलाधीश होते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि नगरपालिका अधिनियम के तहत नगरपालिकाओं को भूमि का एलॉटमेंट करने का अधिकार नहीं है ?

श्री भीखाभाई : I could not follow your question.

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि नगरपालिका अधिनियम के तहत नगरपालिका को स्वयं की भूमि का आवंटन करने का अधिकार नहीं है ?

श्री भीखाभाई : नगरपालिका के क्षेत्र में नगरपालिका को हमेशा अधिकार होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह एक्ट की कौनसी धारा में दिया हुआ है कि नगरपालिका को भूमि के आवंटन का एब्सोल्यूट अधिकार है बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के ?

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न अलग से है। यह प्रश्न इसका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑफ ला।

श्री भीखाभाई : भूमि का आवंटन होना चाहिए....।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि भूमि के एलॉटमेंट के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है जो कि नगरपालिका बारां ने प्राप्त नहीं की ?

श्री भीखाभाई : कोई आवश्यक नहीं है। सब जगह कुछ मिकदार लिखी हुई है अलग अलग हिसाब से।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जरा जोर से बोलें।

श्री भीखाभाई : लेकिन यह जरूरी है एस० डी० ओ० ऐसोशियेट होना चाहिए।

Page No 8

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या कहा सुनाई नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने बात कही है वह सुनाई नहीं दी है। पुनः कहें।

श्री अध्यक्ष : पुनः कहें और संक्षेप में कहें ताकि समझ में आ जाय।

श्री नत्थीसिंह : कोई नोट पढ़ रहे हैं।

श्री भीखाभाई : मैंने, अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया है कि नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर जो भूमि सरकार के द्वारा सस्ते रूप में दी जाती है उसका अधिकार होने के बाद नगरपालिका उस भूमि को दे सकती है, लेकिन प्रस्तुत मामले में जैसा कि मैंने निवेदन किया हैं यह विवादास्पद मामला है और माननीय सदस्य के कहने के अनुसार !

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि नगरपालिका आक्शन के द्वारा अपनी भूमि का सेल कर सकती है, लेकिन वह भूमि का आवंटन कन्सेशनल रेट पर नहीं कर सकती है जब तक कि राज्य सरकार की स्वीकृति न मिल जाय ? मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ।

श्री भीखाभाई : ऐसा नहीं है। जो रूल्स बने हुए हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या रूल्स बने हुए हैं ? बताइये क्या रूल्स हैं ?

श्री भीखाभाई : जो सरकार के नाटिफिकेशन्स निकले हैं उनमें कुछ लोगों को, जैसे शेड्यूल्डकास्ट्स के हैं उन लोगों को और इनकम टैक्स जिन पर नहीं लगता है उनको आवंटन करने का अधिकार उसमें है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि एस० डी० एम० जो कि नगरपालिका का प्रशासक है उसने भूतपूर्व बोर्ड के प्रस्ताव के अन्तर्गत इस भूमि का आवंटन किया है ?

श्री भीखाभाई : मैंने जैसा कि निवेदन किया है कि पहले प्रश्न के अन्दर, फर्स्ट पार्ट है उसमें यह साफ बताया गया है कि नगरपालिका ने जो प्रस्ताव पास किया था उसके क्रियान्वयन में एलॉटमेंट किया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि नगरपालिका के बोर्ड ने जो प्रस्ताव पास किया है उस प्रस्ताव में नगरपालिका के कर्मचारियों को एलॉट करने का निर्णय लिया गया था और जब ऐसा निर्णय लिया गया था तो किस आधार पर प्रशासक महोदय ने वहाँ के एस० डी० एम० ऑफिस के कर्मचारियों को प्लाट दिये ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि नगरपालिका के कर्मचारियों को देने का प्रस्ताव था लेकिन दूसरे जो एस० डी० ओ० के कार्यालय के कर्मचारी थे उनका नहीं था तो उसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। उसको देखने के बाद ही मैं बता सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नेक्स्ट नहीं अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि जिस एस० डी० एम० ने मंडी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कमेटी और कालोनाइजेशन के रूल्स के विरुद्ध और नगरपालिका के भूतपूर्व बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध गलत कार्यवाही की है उस एस० डी० एम० के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात और है कि आठ पैसे फुट के हिसाब से जमीन दी गई है। एक तो यह अनियमितता है कि नियमों के विरुद्ध दी गई है, अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर दी गई है और आपने आगे से आवंटन को रोक दिया है, रजिस्ट्रेशन को रोक दिया है जिनको एलाटमेंट कर दिया है उनको पजेशन नहीं दिया है, जिनको पजेशन दिया गया है उनके नक्शे पास नहीं किये जायेंगे और कन्स्ट्रक्शन हो रहा हो उसको म्युनिसिपल एक्ट के तहत रोकेंगे, तो इस सम्बन्ध में इसकी जांच करायें कि ८ पैसे फुट में एलाट की गई है जो कि मैं समझता हूँ कि शायद कहीं पर भी यह रेट नहीं हो, तो यह जो इर्रेग्युलेरिटीज बारां के एस० डी० एम. ने की हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी है तो माननीय सदस्य को क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार जांच करवाने का आश्वासन देती है ?

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन कर दूं कि इस प्रकार का आश्वासन दे चुका हूँ। जांच के जरिये अगर यह मालूम हुआ कि एस० डी० एम० ने गलती की है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका के भूतपूर्व बोर्ड ने नगरपालिका क्षेत्र में साइकिल टैक्स हटाने का रिजोल्यूशन पास किया था उस रिज्योल्यूशन का आज तक क्रियान्वयन नहीं किया गया, इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, यह जो उन्होंने कहा है कि साइकिल टैक्स को माफ करने के बारे में रिज्योल्यूशन था, लेकिन सरकार ने देखा कि आमदनी नगरपालिका को कुछ है नहीं तो सरकार ने उसकी स्वीकृति नहीं दी इसलिए नहीं हुआ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्थान हाईकोर्ट का यह रूलिंग है कि बोर्ड कोई रिजोल्यूशन पास करे तो उस बोर्ड के रिजोल्यूशन को लोकल बोडीज डिपार्टमेंट को रोकने का अधिकार नहीं है और वह क्रियान्वित हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका की तीन लाख का आमदनी है और साईकिल टैक्स....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। No Supplementary. आर्डर प्लीज।

जायल सैकन्ड्री स्कूल में वेटरनरी की कक्षाएं

३८०. **श्री रामसिंह कुंड़ी** (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 10

(श्री रामसिंह कुड़ी)

(१) क्या सरकार नागौर जिले में जायल सेकन्ड्री स्कूल में वेटरनरी कक्षा हाई स्कूल सेक्शन में चालू करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो किन किन शर्तों पर ?

(२) पंचायत समिति जायल ने इस संबंध में जो जो प्रस्ताव पास किये हैं। उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

राज्य मंत्री पशु-पालन (श्री मनफूल-सिंह) : (१) हाई स्कूल सेक्शन (कक्षा ९ व १०) का पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) द्वारा निर्धारित किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकन्ड्री स्कूल परीक्षा १६७० की विवर्णिका में वेटरनेरी कक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ कृषि वर्ग (ग्रुप) का प्रावधान है। अतः सेकन्ड्री स्कूल, जायल में वेटरनेरी कक्षा खोलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दिग्विजय-सिंह, श्री मूलचन्द डागा।

नगरपालिका पाली की अनियमितताओं की जांच

३८१. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१ क्या यह सही है कि वर्तमान नगरपालिका पाली की अनियमितताओं व गैर-कानूनी कार्यवाहियों की शिकायत पर श्री बख्शी साहब को वास्ते जांच के स्वायत्त शासन विभाग ने पाली भेजा था ? यदि हाँ, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि जब श्री बख्शी साहब पाली पहुँचे तो वहाँ सैंकड़ों शिकायतें लिखित रूप में श्री बख्शी साहब को पाली शहर के नागरिकों ने पेश कीं ?

(३) क्या यह सत्य है कि श्री बख्शी पाली नगरपालिका की शिकायतों की जांच के लिए दस दिन रहे ?

(४) क्या सरकार के सामने श्री बख्शी ने रिपोर्ट पेश की ? यदि हां, तो कब ? उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखवाने का कष्ट करें।

(५) क्या सरकार ने श्री बख्शी की रिपोर्ट पर कोई कदम उठाया है यदि हाँ, तो क्या और कब ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती सुमित्रा) : (१) जी हां। दिनांक १५–२–६८ को।

(२) ६० प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे।

(३) दिनांक १६–२–६८ से २४–२–६८ तक वहां रहे।

(४) जी हां। माह फरवरी १६६६ में। मामला विचाराधीन है। इसलिए प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

(५) प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दिग्विजय-सिंह।

Page No 11

टोंक में चमड़े का कारखाना

३८२. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या यह सत्य है कि जिला टोंक के टोंक शहर में चमड़े का कारखाना स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या यह सही है कि इस योजना की सर्वे रिपोर्ट तैयार करवा दी गई है ? यदि हां, तो एक प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(३) क्या यह सत्य है कि रिपोर्ट के अनुसार इस उद्योग को लाभकारी नहीं बतलाया गया है ?

(४) क्या यह सत्य है कि सरकार का इसकी स्थापना अब नहीं करने का विचार है ? यदि नहीं, तो कब तक यह उद्योग टोंक में स्थापित हो जावेगा ?

उपमंत्री, राजकीय उपक्रम (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (१) जी हां, भारत सरकार को प्रार्थनापत्र १९६६ में दिया गया था ।

(२) जी हां युगोस्लाविया के एक व्यापारिक संस्थान द्वारा एक तकनीकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई गई थी जो कि में अभी सदन की मेज पर रखने में असमर्थ हूँ क्योंकि उसकी एक ही कापी मेरे पास है । इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए आर्थिक रूपरेखा अभी तैयार नहीं की गई है ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं । योजना के सभी पहलुओं पर विचार कर भारत सरकार एवं योजना विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् इस योजना पर कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि गत सत्र में यह कहा गया था कि वहां पर जमीन अवाप्त कर ली गई है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां, यह बात सही है कि एक्वीजिशन की प्रोसीडिंग्स चालू हैं, शायद वह पूरी हो गई है यहां तक की सूचना मुझे प्राप्त है ।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि जो जमीन अवाप्त कर ली गई है उन लोगों को मुआवजा दे दिया गया है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह अलग से प्रश्न है । अगर जमीन एक्वायर की गई है तो कानून के अनुसार और उसके मुताबिक जो मुआवजा देना आवश्यक है वह दिया जायगा ।

श्री दिग्विजयसिंह : अलग प्रश्न नहीं है । अगर जमीन एक्वायर कर ली गई है तो एक्वायर करने के नियम हैं कि उनको पहले नोटिस देंगे और उसके बाद में अवाप्त करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है । दूसरा प्रश्न ।

Page No 12

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगर नोटिस दिया गया है जैसी कि मुझे ...

श्री अध्यक्ष : अगर-मगर नहीं चलता है डेफिनेट होइये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने अपने उत्तर में कहा है कि प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ! ३८३ ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मन्त्री महोदय, इस सम्बन्ध में आश्वासन देंगे कि कारखाने की स्थापना टोंक उप-चुनाव के होने के १५ दिन पहले तो नहीं की जाएगी ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अगर सम्भव हुआ तो पहले ही कर दी जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री हीराभाई : ३८३ ।

श्री अध्यक्ष : आप पहले से लिखकर देने का थोड़ा सा कष्ट कर लिया करें ।

श्री नत्थीसिंह : आगे से ऐसा ही होगा ।

जयपुर जिले में गो-पालन तथा कुक्कुटशाला के लिए भूमि का आवंटन

श्री रामकिशन (वैर) की अनुपस्थिति में ।

३८३. [श्री हीराभाई (कुशलगढ़) द्वारा पूछा गया] क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर जिले में गो पालन (डेयरी) तथा कुक्कुट शाला (पोल्टरी) के लिए सन् १९४७ से सन् १९६८ तक कितनी भूमि किस किस व्यक्ति को, कितनी बीघा, किस तिथि को आवंटित की गई है ? नाम, पिता अथवा पति का नाम, पूरा पता सहित विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) जो भूमि गो पालन अथवा कुक्कुटशाला के लिए आवंटित की गई थी क्या उस भूमि पर जिस कार्य के लिए भूमि दी गई थी वह कार्य हो रहा है ? यदि नहीं, तो अब वह भूमि किस काम में आ रही है ? किस व्यक्ति के अधिकार में है ? जयपुर जिले का पूर्ण व्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या भूमि का आवंटन जिस कार्य के लिये किया गया था और वह उस काम में नहीं ली जा रही है तो भूमि को वापस लेने की विधिवत् कार्यवाही की गई ? यदि हाँ, तो किन किन पर और उसके क्या परिणाम निकले ? यदि नहीं तो क्यों ?

उपमन्त्री (श्री गंगाराम चौधरी) **:** (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । जिसके कालम १ से ६ में यह सूचना उप-लब्ध है ।

(२) प्रश्न भाग-१ के जवाब में उल्लिखित सूची के कालम ७-८ और ९ में विवरण उपलब्ध है ।

(३) सूची के कालम ९ में सूचना उप-लब्ध है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : प्रश्न संख्या-३८४।

मांडलगढ़ जिले पर आबादी मेहतर परिवार

३८४ मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ किले से करीब करीब सारी आबादी नीचे आ गई है और जो थोड़े बहुत घर बचे हैं वे भी नीचे आने वाले हैं लेकिन मेहतरों के घर अभी ऊपर हैं क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं मिला है ? यदि हां, तो मेहतरों की आबादी भी नीचे लाने के लिए कौन कौन से कदम उठाये जा रहें हैं ?

(२) क्या उन्हें जल्दी ही किसी प्रकार का अनुदान देने का सरकार का विचार है ?

(३) किले पर मेहतरों के घर कितने हैं ?

राज्यमन्त्री, समाज कल्याण (श्री बी० एन० जोशी) : (१) जी हां, वित्तीय प्रावधान के अभाव के कारण मांडलगढ़ किले में रहने वाले मेहतरों के परिवारों को नीचे मैदान में आबादी के क्षेत्र में बसाने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई अनुदान देना सम्भव नहीं हो सका है।

(२) इस वर्ष वित्तीय प्रावधान के अभाव के कारण उनको मकान सहायता के लिए अनुदान देने के प्रस्तावों को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

(३) किले पर मेहतरों के लगभग ३० घर हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यहां पर अभी बजट में १ हजार मकान बनाने के लिए रखा गया है। तो क्या १ हजार में से १५ मेहतर परिवार हैं, उनको बसा दें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अगले वित्तीय वर्ष के लिए १ हजार का है। अगले वर्ष जरूर सहानुभूति से विचार कर लिया जाएगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रश्न संख्या ३८५।

अलवर में सामान की खरीद के बारे में शिकायतें

३८५-**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या शिक्षा विभाग अलवर के पिछली साल के सामान की खरीद में भ्रष्टाचार की बाबत कोई शिकायत सरकार को की गई है ? यदि हां, तो इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उपमन्त्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : जी हां। शिकायत पर संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है वह सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल बुरासिया।

Page No 14

केकड़ी-खादेड़ा सड़क

३८६. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) केकड़ी से खादेड़ा जाने वाली रोड डामर की बनाने हेतु राज्य सरकार के कब से विचाराधीन है ?

(२) यह सड़क कहां तक कौन से सन् में डामर की बन चुकी है ?

(३) क्या यह सही है कि इसके बाद आगे डामर की बनाने हेतु भी राज्य सरकार से मंजूरी हो चुकी है परन्तु अभी तक नहीं बनी है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(४) इसको डामर की पक्की सड़क बनाने हेतु किन किन ठेकेदारों से टेंडर मांगे हैं ?

(५) क्या इस सड़क के लिये पचास हजार रुपये काफी अर्से से पड़े हुए हैं पर सार्वजनिक निर्माण विभाग अभी तक कुछ नहीं कर रहा है ? इसका क्या कारण है ?

(६) क्या इस बचे हुए टुकड़े को शीघ्रातिशीघ्र बनवाने के लिये राज्य सरकार का विचार है ? यदि हाँ, तो कब तक बन जावेगी ?

श्री उपमन्त्री निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : (१) यह मैटल्ड रोड स्वीकृत की गई है। ४ मीलों में डामर कार्य की स्वीकृति वर्ष १९६३ में दी गई थी।

(२) केकड़ी की ओर से प्रथम ४ मील डामर रोड १९६६ तक बनी है।

(३) जी हाँ। अर्थाभाव के कारण।

(४) खुले टेंडर सभी ठेकेदारों से आमंत्रित किये गये थे।

(५) यह सही नहीं है।

(६) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री देवीलाल बुरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने धनाभाव का कारण बताया था।

श्री अध्यक्ष : क्या पहले ऐसा प्रश्न उठा था ? धनाभाव का प्रश्न नहीं उठाया गया।

श्री उपमन्त्री (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : कौन सा पूछ रहे हैं ?

श्री देवीलाल बुरासिया : क्या यह धनाभाव केकड़ी क्षेत्र के लिए ही है ?

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत !

प्रश्न सं० ३८७

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न संख्या ३८८

जयपुर शहर में स्टोव आदि से जलने की घटनाएं

३८८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१)गत दो वर्षों से जयपुर शहर में स्टोव आदि से जलने के कारण कितनी महिलाओं की और कितने पुरुषों की मृत्यु हुई ? इनमें से कितने मामले आत्महत्या के और कितने मामले हत्या के पाये गये ? इन सभी मामलों की एक सूची मय नाम पतों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि इस प्रकार की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि ऐसे मामलों में जांच पड़ताल ठीक ढंग से किये जाने की व्यवस्था की जाये ?

(३) भाग (१) में अंकित मामलों में से कितनों का चालान अदालत में किया गया ? शेष का क्यों नहीं किया गया ?

(४) इस प्रकार के मामलों में हत्या की कोई रिपोर्ट तो दर्ज कराता नहीं, तो फिर यह केस कब और किस आधार पर रजिस्टर किया जाता है ?

राज्य मन्त्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (१) गत दो वर्षों में अर्थात् १९६७ में स्टोव आदि से जलने के कारण १६ महिलाओं व ७ पुरुषों की मृत्यु हुई । सन् १९६८ में २२ महिलाओं व २ पुरुषों की मृत्यु हुई । इनमें से ही तीन मामले दो सन् १९६७ व एक सन् ६८ में, आत्महत्या के घटे वाकी आकस्मिक दुर्घटना के कारण होना पाये गये । सूची संलग्न है ।

(२) इस प्रकार की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि नहीं हो रही है । १९६७ व १९६८ के आंकड़े करीब एक से ही है । ऐसे सभी मामलों में जांच पड़ताल ठीक ढंग से ही होती है ।

(३) कोई अभियोग न बनने के कारण केवल हस्ब दफा १७४ जा० फौ० कार्यवाहियाँ की गईं ।

(४) इस प्रकार के मामलों में प्रायः पड़ोसियों द्वारा या अस्पताल से सूचना प्राप्त हो जाती है । सूचना मिलने पर जांच हस्ब दफा १७४ जा० फौ० शुरु की जाती है और यदि जाँच से कत्ल होना पाया जाय तब अपराध कायम किया जाता है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् १९६७ में आग से जल मरने से १६ महिलाओं और ७ पुरुषों की मृत्यु हुई । मगर सन् ६७ की सूची में आप दो पुरुषों के नाम बता सकते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सन् ६७ में ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ६७ में आप कहते हैं । मैं पूछना चाहता हूँ, बालू पुत्र गंगूराम उसका नाम बता दें, तो मालूम

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पड़ जाएगा कि सरकार का उत्तर कितना सही आया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है, जो जानकारी आयी है उसके आधार पर २१ महिलाओं और एक पुरुष।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इम्पार्टेण्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष महोदय। सन् ६७ में २३ केसेज आग से जलकर मरने के हैं। स्टोव से जलकर मरने के। मैंने पूछा है तो आप उत्तर दे रहे हैं कि वृद्धि नहीं हो रही है। मैं कहता हूं कि वृद्धि हुई या नहीं इसके आंकड़े दे सकते हैं जिससे पता चले।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने दो वर्षों के आंकड़े मांगे हैं, वह मैं दे सकता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जो पूछा है दो वर्षों का तो ६६–६७ का उत्तर देंगे या ६७-६८ का ? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या यह नहीं समझती कि एक साल में ६४-२४ घटनाएं हों। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई है ? आपसी कलह के कारण महिलाओं पर तेल छिड़क कर जलाने की घटनाएं हों। क्या राज्य सरकार ने जांच करवायी है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि जो घटनाएं आत्महत्या की हैं, उनकी जांच की गयी है, उनमें आपसी कलह होना पाया गया है। अगर किसी केस के बारे में माननीय सदस्य की जानकारी है तो वह बता दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं भी यह बता सकता हूँ। आपसी कलह के कारण निर्दयता पूर्वक ढंग से तेल छिड़क कर मारा गया है और बाद को दो हजार रुपये खाकर पुलिस किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले। गृहमन्त्री जी को जानकारी होगी। लिखा गया है कि स्टोव से खाना बनाते समय यह हुआ। क्या चार बजे सुबह खाना बनता है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य: चाय बना रही होंगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : जैसा कि मैंने निवेदन किया स्पेसिफिक केस के बारे में आप बता सकते हैं। स्टोव आदि से जलने के कारण किसी न किसी प्रकार मृत्यु हुई।

श्री अध्यक्ष : वह तो आपने बता दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कारण क्या लिखे हैं ? आपने तो एक महिला की सोते समय सिगरेट पीने से और एक का बीड़ी पीने से बिस्तर जलने से लिखा है। जो मारने वाले हैं वह पुलिस को पैसा देते हैं। क्या राजस्थान सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि जितनी रिपोर्टें होती हैं,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सरकार किसी बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर से जाँच करायेगी कि आया वह प्रोसीजर के केस बनते हैं या नहीं ?

गृह मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, जितने भी एक्सीडेंटल बर्न के मामले होते हैं, जिनके बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, १७४ जाब्ता फौजदारी में दर्ज होते हैं। ऐसे केसेज में बॉडी का पोस्ट मार्टम होता है, जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट होती है उसको एक्जामिन किया जाता है, जो एवीडेंस अवेलेबल होती हैं उन एवीडेंसेज से नतीजे पर पहुँचते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ ? मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि उनको जानकारी है कि यह ऐसा मामला है जिसमें तेल छिड़क कर जलाया गया है, तो वह इसकी सूचना देते, पब्लिक इन्ट्रेस्ट में उनको सूचना देनी चाहिये थी। १७४ में जो केस एक्सीडेंटल बर्न का दर्ज होता है उसमें आप जानते हैं कि पूरी जांच होती है कि किस प्रकार डेथ हुई, खास तौर पर जो एक्सीडेंटल बर्न का केस होता है उसमें पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट आती है उसको एक्जामिन करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई आदमी यह न कहे, सूचना न दे कि तेल छिड़क कर जला कर मारा है तो जिस तरह के यह मुकदमे बना रखे हैं इनमें यह ट्रेस आउट हो सकता है कि तेल छिड़क कर जला कर मारा है या एक्सीडेंटल हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप १७४ को मुलाहिजा फर्मा लीजिये। ऐसे मामलों में सारी जांच होती है।- पंचायतनामा होता है, उसके बाद जाँच होती है कि कैसे जला, कैसे एक्सीडेंट हुआ, और जो अवेलेबल एवीडेंसेज होती हैं, उनके आधार पर नतीजे पर पहुँचते हैं कि एक्सीडेंट हुआ या नहीं और अगर एक्सीडेंट प्रूव होता है तो केस खत्म हो जाता है और मर्डर पाया जाय तो ७०२ में कार्यवाही होती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन ४७ केसेज में से एक भी केस में यह नहीं किया है, जिन केसेज के विषय में, अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मिली हो, यह आपको सूचना मिल गई हो, मैं सोचता था कि आप उसमें कार्यवाही करेंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि पच्चीस हजार खर्च हो गये हैं इसलिए केस खत्म होगया है। इसका मतलब यह है कि पच्चीस हजार दे दीजिये और औरत को मार दीजिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने यह नहीं कहा कि पच्चीस हजार आपके पास पहुँचे, लेकिन आपके पास जानकारी है...

श्री दामोदरलाल व्यास : किसकी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इस सम्बन्ध में बाद में आपसे बात करूँगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : किसके लिए ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने नहीं कहा कि पच्चीस हजार आपके पास पहुँचे,

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने कहा कि मेरे पास सूचना है कि पच्चीस हजार दिये गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे केस बतायें, मैं उस पर कार्यवाही करूंगा। आपको चाहिए कि जिस तरह से डेथ हुई, जिसका केस १७४ में दर्ज हुआ और इन्वेस्टीगेशन हुई, उसके सम्बन्ध में यदि आपके पास जानकारी थी तो आप जानकारी देते। जिस केस में एक्सीडेंटल बर्न बताया गया, बर्न बताया और मर्डर के केस का सस्पेक्ट हुआ, जैसे कि डॉक्टर दवे का केस है जिसमें स्टोव से जलने की बात थी, उसका मर्डर के केस का चालान हुआ है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके लिए तो आप पत्रकार बन्धुओं को धन्यवाद दें कि उन्होंने इसकी सूचना दी।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई सूचना नहीं दी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप पड़ोस में रहते हैं लेकिन फिर भी आपको तीन घण्टे तक मालूम नहीं हुआ था....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तीन घण्टे तक आपको मालूम नहीं था !

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री दामोदरलाल व्यास : आप नाम बतायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं नाम भी बता दूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप यहाँ नहीं बताना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने जो सदन में यह कहा कि एक आदमी ने चार बजे सुबह तेल छिड़ककर औरत को जला दिया, उसका नाम आप मुझे सदन के बाहर बता दें, तो मैं आभारी होऊँगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन के बाहर बता दूंगा तो उस पर आप कार्यवाही करेंगे....

श्री विजयसिंह : नाम बताने की कल मनाही की थी।

श्री अध्यक्ष : वह अलग तरीके का नाम था। यह अलग तरीके का है।

प्रौढ़ शिक्षा पाठशालाएँ

३८६. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राज्य में कुल कितनी प्रौढ़ शिक्षा पाठशालायें चलाई जा रही हैं और उन पर कितनी धनराशि प्रतिवर्ष खर्च होती है और कितने प्रौढ़ों को आज तक साक्षर किया गया है ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि प्रौढ़ शिक्षा के आँकड़े झूठे दिये जाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है ?

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) ६३४१ प्रौढ़ शालाएं चलाई जा रही हैं। पिछले सत्र में दो लाख निन्या-

Page No 19

(राव श्री धीरसिंह)

नवे हजार तीन सौ रुपये की राशि खर्च हुई है। ६, ३६, ४११ प्रौढ़ों को साक्षर किया जा चुका है।

(२) जी नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि कहीं भी प्रौढ़ पाठशालाएं देखने को नहीं मिल रही हैं और यह खाली कागज में ही प्रौढ़ पाठशालाएं चल रही हैं ? क्या यह सही है ?

राव श्री धीर सिंह : यह सही नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या आप इसकी इन्क्वायरी कराने के लिए वचन देंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह सही नहीं है–यह कह रहे हैं।

राव श्री धीरसिंह : आप कोई बतायेंगे तो इन्क्वायरी करा ली जायगी।

श्री लाभचन्द वैद : रतनगढ़ में प्रौढ़ पाठशाला नहीं चल रही है।

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रौढ़ पाठशाला में जितनी धनराशि खर्च करना बताया है उससे कोई प्रौढ़ पाठशाला नहीं चलती है। गंगानगर में कोई नहीं चलती है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बाड़मेर में पाठशाला नहीं चलती है।

राव श्री धीरसिंह : अभी तक इसके बारे में कोई शिकायत नहीं की गई है। आपने जो बताया गंगानगर के बारे में, उसके बारे में मैं पता लगा लूंगा।

श्री श्रवणलाल : माननीय मंत्री को इसका जवाब सही देना नहीं है। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि जिला सवाई माधोपुर के अन्दर एक भी प्रौढ़ पाठशाला नहीं चल रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ज्यादातर नहीं चलती हैं। एक दो जगह के लिए कह नहीं सकते। ज्यादातर जगह नहीं चलती हैं।

श्री नत्थी सिंह : यह बात सही है। जो माननीय सदस्य गांवों में जाते हैं वह देखते हैं कि कहीं नहीं चलती हैं और गवर्नमेंट का पैसा खा जाते हैं। लेकिन सदन में कहा जा रहा है कि यह सही नहीं है। आपको जो इत्तला दी है, यह गलत दी है। आपको मिस-लीड किया है कि प्रौढ़ पाठशालाएं चलती हैं।

श्री लाभचन्द वैद : रतनगढ़ में नहीं चलती है और बराबर पैसा ड़ा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री डूंगाराम राजोरिया : दौसा में प्रौढ़ पाठशाला नहीं चलती है।

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रौढ़ पाठशाला के प्रश्न पर पूरी जाँच करके जो भी निर्णय होगा उसको सदन के सामने रख दूंगा।

श्री श्रवणलाल : यह बात भी हुई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बारां में भी नहीं चलती है।

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण !

सरदार शहर कस्बे में भूमि का एलॉटमेंट

३९०. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरदार शहर कस्बे के सैंकड़ों भूमिहीन अथवा अल्प जोत वाले साधन हीन किसानों को संवत् २०१५ में काश्त हेतु शहर से २ मील के क्षेत्र में आवंटित की गई सरकारी भूमि जिनकी खातेदारी के काश्तकार हकदार होगये हैं, को नगर कांग्रेस सरदार शहर के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रेडियो की शिकायत पर बेदखली का आदेश दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि किसानों को बिना सुनवाई का अवसर दिये यह आदेश दिया गया है ? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखी जाये ?

(३) क्या यह भी सही है कि संवत् २०१५ में शहर से २ मील के क्षेत्र में आराजी एलॉट करने में कोई निषेध नियमानुसार नहीं था ? निषेध का संशोधन नियमों में सन् १९६१ में किया गया है जिसका निषेध के संशोधन से पूर्व एलॉटमेन्ट पर असर नहीं हो सकता ?

(४) क्या यह सही है कि निर्धारित अवधि में इस एलॉटमेन्ट के विरुद्ध कोई शिकायत तहसील में और कोई अपील अधिकृत अधिकारी के समक्ष नहीं की थी ?

(५) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार, सरदार शहर ने भी किसी काश्तकार के विरुद्ध नियमानुसार काश्त न करने की कोई शिकायत या सिफारिश एलॉटमेंट खारिज करने बाबत नहीं की थी ?

(६) क्या यह सही है कि एलॉटीज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़ी जातियों के हैं ?

(७) क्या यह भी सही है कि श्री मोहनलाल नाई, नगर कांग्रेस, सरदार शहर के एक पदाधिकारी को शहर से दो मील के क्षेत्र के अन्दर दस वर्ष के एलॉटी होने के कारण उपरोक्त एलॉटीज की भूमि खारिज करने के बाद एस. डी. ओ., चूरू द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गए हैं ? यदि हाँ, तो इस व्यक्ति के साथ रियायत करने और अन्य गरीब काश्तकारों को बेदखल करने के क्या कारण हैं ?

(८) क्या यह सही है कि रेत के बड़े बड़े टीलों को उड़ने से रोक कर उपरोक्त किसानों ने अपने खेतों को ठीक किया है, बाड़ बनाई हुई हैं और पेड़ लगाए हैं तथा भूमि को उपजाऊ बनाई है और शहर के विकास में इनसे कोई रुकावट नहीं है।

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इसको स्थगित किया जाय।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को स्थगित किया जाता है, यह क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।
प्रश्न संख्या ३६१

श्री भैरोंसिंह !
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरिबल्लभ शर्मा !

सवाई माधोपुर में गृह निर्माण योजना के लिए धनराशि

३६२. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या गृह निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सवाई माधोपुर के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी राशि अल्प आय भोगी व्यक्तियों को भवन-निर्माण योजना के आधीन एलॉट की गई ?

(२) जिलाधीश कार्यालय में कितने आवेदन पत्र गए वर्ष के इस ऋण-वितरण हेतु विचाराधीन थे और कितने आवेदन पत्र इस वर्ष नये प्रस्तुत किये गए, और प्रत्येक में मांगी गई ऋण की क्या राशि थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इस ऋण-वितरण हेतु इन आवेदन पत्रों पर इस वर्ष विचार हेतु जिलाधीश महोदय ने किस-किस तारीख को बैठक बुलवाई और ये बैठकें किसकी अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ?

(४) क्या यह सही है कि जिलाधीश इनमें से किसी भी बैठक में सम्मिलित नहीं हुए ?

(५) ऋण-वितरण समिति ने इन बैठकों में किस आवेदन पत्र पर कितना-कितना ऋण स्वीकार किया और कौन-कौन से आवेदन पत्र अस्वीकार किये ? आवेदकों के व्यवसाय की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(६) क्या यह सही है कि जिलाधीश ने समिति द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों में से कुछ को छोड़कर ऋण स्वीकार नहीं किया और अस्वीकार आवेदन पत्रों पर ऋण स्वीकार कर दिया ? यदि ऐसा हुआ है तो इसकी सूची इस विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें कि समिति का निर्णय क्या था और जिलाधीश ने इन पर क्या निर्णय लिया और जिलाधीश को यह भिन्न निर्णय क्यों लेने पड़े ?

(७) क्या ऋण-वितरण नियमों के अधीन जिलाधीश को ऐसे अधिकार हैं ?

गृह निर्माण मन्त्री (श्री भीखा भाई): अध्यक्ष महोदय, इसके पोस्टपोनमेंट के लिए मैं निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री हरिवल्लभ शर्मा: अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है……

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री श्रवण लाल।

महुआ पुलिस थाने में दर्ज हत्या का मामला

३६३. **श्री श्रवण लाल** (हिण्डौन) :

Page No 22

(श्री श्रवण लाल)

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि महुआ पुलिस थाने में २६ मार्च, १९६७ की रात्रि में श्री किरोड़ीलाल की, जो श्री बाबूलाल बनवारी के पार्टनर थे, हत्या किये जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि श्री किरोड़ी लाल के पार्टनर के पिता श्री धूड़मल के पास एक धमकी भरा पत्र आया था जिसमें कहा गया था कि यदि उक्त हत्या के संबंध में पुलिस में कार्यवाही की गई तो उनकी भी हत्या कर दी जायेगी।

(३) क्या यह सही है कि यह पत्र भी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था ?

(४) क्या पुलिस ने इस सम्बन्ध में किसी को गिरफ्तार किया है ? यदि हाँ, तो किसे और नहीं तो क्यों ?

(५) इस कत्ल के मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) जी हाँ। यह बात सही है कि महुआ पुलिस थाने में २६ मार्च, १९६७ की रात्रि में श्री किरोड़ीलाल को जो श्री बाबूलाल बनवारी के पार्टनर थे हत्या कर दी गई थी जिसका मुकदमा नं० २८ दिनांक ३०-३-६७ धारा ३०२ ता. हिं. थाना महुआ में दर्ज हुआ।

(२) जी हाँ।

(३) जी हाँ।

(४) पुलिस ने इस सम्बन्ध में किसी को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि तफतीश से किसी मुलजिम का पता नहीं चला।

(५) पुलिस ने काफी तत्परता से इस मामले की तफतीश की मगर मुलजिमान का कोई पता नहीं चलने के कारण तारीख ३१-१२-६७ को फाइनल रिपोर्ट अदम पता दे दी गई है।

श्री श्रवणलाल : जैसा प्रश्न संख्या २ में स्वीकार किया है कि उसको मारने के बाद में एक धमकी भरा पत्र उसके पास आया, जो पत्र पुलिस थाने में, जो पुलिस इन्चार्ज थे, उनको दिया गया। मैं जानकारी चाहूँगा कि उस पत्र के अनुसार आपने उस सम्बन्ध में क्या-क्या जानकारी की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : वह जानकारी जो मिली थी, अध्यक्ष महोदय, दूसरे को कत्ल कर देने के लिए और कुछ रुपये और देने के लिए था जिससे इस कत्ल का सम्बन्ध नहीं है। उसके बारे में जानकारी की लेकिन कोई पता नहीं पाया गया कि किसने लिखा। १९६७ में यह पत्र आया है, उसके बाद अभी तक कोई घटना नहीं हुई है जिससे कह सकते हैं कि उस पत्र के प्राप्त होने के पहले भी पुलिस विजिलेंट थी और अब भी विजिलेंट है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल करोल !

ग्राम गेटोर के जागीरदारों को जागीरी बॉण्ड्स

३६४. **श्री नाथूलाल करोल** (जमुवा-

(श्री नाथूराम करोल)

रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम गेटोर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के ऐसे छोटे जागीरदार हैं जिनको जागीरदारी बॉण्ड्स अभी तक नहीं मिले ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इनको बॉण्ड्स न देने का क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ छोटे जागीरदारों के बॉण्ड्स सांगानेर में भेज दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या वे बाण्ड्स तहसील द्वारा दे दिये गये हैं ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) ३५ छोटे जागीरदार। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है बॉण्ड्स न देने के कारण निम्न प्रकार हैं :

१. सात व्यक्तियों के उत्तराधिकारी-प्रमाण पत्र पेश नहीं हुये हैं।

२. २० व्यक्तियों के बॉण्ड्स इन्डेन्ट कर लिये गये हैं लेकिन रिजर्व बैंक से प्राप्त नहीं हुए हैं।

३. ८ व्यक्तियों के बॉण्ड्स तहसील में विवरण हेतु भेज दिये गये हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना दे दी गई है।

(२) जी हाँ, १०० जागीरदारों के बॉण्डस भेजे गए थे जिनमें से केवल १५ व्यक्तियों के शेष रहे हैं जो प्रश्न एक के उत्तर में बता दिये गए हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री नाथूलाल करोल : आपने रिजर्व बेंक में बॉण्ड्स के इन्डेंट किये हैं २० के मह कब भेजे और वहाँ से कितने दिन में प्राप्त होंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : तिथियों के बारे में जानकारी नहीं है। इस वक्त २० बॉण्ड्स रिजर्व बैंक में हैं। आशा की जाती है कि जल्दी प्राप्त हो जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

जयपुर नगर के न्यायालयों में स्थान का अभाव

३९५. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जयपुर नगर में वर्तमान में व्यवहार न्यायालयों के लिए उपयुक्त है ?

(२) क्या सरकार को यह विदित है कि स्थानाभाव के कारण अदालतों में भारी भीड़ रहती हैं और पेशकारों तथा अभिभावकों को स्थान नहीं मिलता है ?

(३) क्या राज्य सरकार न्यायालयों की इस स्थिति में कोई योजना रखती है ? और यदि हाँ, तो क्या ? और वह कब तक पूरी होगी ?

Page No 24

उपमंत्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) नया भवन बनाने का प्रश्न विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में सक्रिय कदम उठाया जा रहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह कब तक हो जायगा, इतना आश्वासन दे दीजिये।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आरम्भ हो गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं कई बार कह चुका हूं कि पोस्तीरे पोस्ती, दो दिन चले अढ़ाई कोस। यह सरकार की गति इतनी कम है....

श्री अध्यक्ष : कब होगा ?

विधि मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, चीफ टाउन प्लानर, चीफ इन्जीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस सब के सब प्रयत्नशील हैं कि यह काम जल्दी से जल्दी किया जाय। लेकिन टाउन प्लानिंग के आब्जेक्टिव को सामने रखते हुए सब प्लान किया जाय, इसको हेपहेजर्ड वे में नहीं करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने ऑफिसर्स की कांफ्रेंस बुलाकर बात की है और मै भी कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री कृष्ण कुमार गोयल !

स्ट्रा बोर्ड फैक्टरी कोटा पर बकाया एवं उसकी वसूली

३९६ **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा नगर में स्थित स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री पर सरकार एवं वित्त निगम का कितना रुपया ऋण, लीजमनी, रॉयल्टी, सेल्स टैक्स आदि का बकाया है वह कब से ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री बन्द है ? अगर हां, तो कब से ?

(३) क्या यह सही है कि सम्बन्धित अधिकारियों की लापरवाही के कारण उक्त फर्म से समय पर रकम वसूली नहीं की गई ? अगर हाँ तो, इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(४) सरकार रुपया वसूली के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उपमंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (१) बकाया निम्न प्रकार है :

विभाग	रकम	कब से
(ए) उद्योग		
लीजमनी	३२५६.६८	११-९-६४
(बी) राजस्थान वित्त निगम के		
पेटे मूलधन	६,८०,०००	१८-१-६६
(सी) वन विभाग		
रॉयल्टी	३०,०००	२३-१-६६ तक
ब्याज	४,१५२	

(श्री भीमसिंह)

(डी) कर विभाग ७,४४२.९९ १९-१-६६ से बिक्री कर वर्ष १९६५-६६ तक के

(२) जी हां। दिनांक १६–१–६६ से।

(३) जी नहीं।

(४) उद्योग विभाग एवं वित्त निगम की बकाया रकम की वसूली हेतु अदालती कार्यवाही की जा रही है। कर विभाग की वसूली भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत रिकवरी सर्टिफिकेट जिलाधीश, कोटा को प्रस्तुत किये गये हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह जो आपने खण्ड (१) के जवाब में लीज मनी का बताया है ३२५६ रुपये की बकाया का, यह किस समय से किस समय तक की लीज मनी बकाया है ?

श्री भीमसेन : लीज मनी १७–९–६४ से अब तक की है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि नियमानुसार लीजमनी प्रति वर्ष जमा हो जानी चाहिये ?

श्री भीमसेन : इस पार्टी को ११-९-६३ को तीन साल के लिए प्लाट्स अलोट किये थे। १७–९–६४ से बकाया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो बकाया जिस साल की थी, उसको उसी साल में वसूल क्यों नहीं किया गया ? ६६ में ही वसूल क्यों नहीं किया गया, लीज को क्यों डिफाल्ट में रहने दिया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : साधारण डिफाल्ट्स तो रहते हैं, किसी एक वर्ष में पैसा जमा नहीं हो तो एक्स्ट्रीम पैनल्टी को इम्पोज नहीं किया जाता। इस कम्पनी ने पैसा जमा नहीं कराया तो इसको शो काज नोटिस दिया गया। इस बीच में फिर कम्पनी बन्द हो गई।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि वित्त निगम का जो आपने इस कम्पनी में बकाया बताया है ६८० हजार रु० वह केवल मूल धन है, उसका ब्याज इसमें नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : मूल धन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ब्याज कितना है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह केल्कुलेट करके बताया जा सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह मैंने प्रश्न में पूछा है कि मूलधन कितना बकाया है और उसका ब्याज कितना बकाया है ? आपने केवल ६८० हजार मूलधन ही बकाया बताया है।

श्री हरिदेव जोशी : ब्याज जो इस पर हो सकता है वह ब्याज की दर के अनुसार होगा। जहां तक इसकी वसूली का सवाल है मैं स्पष्ट कर दूं कि फाइनेन्स कारपोरेशन ने शायद ऐसे इफर्ट्स किये हैं कम्पनी की सलाह से कि इसको लीज आउट किया जा सके और ऐसी स्थिति में रिकवरी में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या जो इस कम्पनी की प्रोपर्टी को असेस किया है, उसके आधार पर राज्य सरकार इस स्थिति में है कि फाइनेन्स कारपोरेशन का, उद्योग विभाग का, वन विभाग का कर विभाग का जो पैसा बकाया है वह वसूल हो जायगा ?

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक राजकीय बकाया का सवाल है वह कुछ हजार का नैग्लिजिवल अमाउन्ट है, वह वसूल हो जायगा। और जहां तक राजस्थान फाइनेन्स कारपोरेशन का सवाल है, उसका एक स्टेन्डर्ड है, उसी के अनुसार पैसा देती है, इसलिए जहां तक पैसे की रिकवरी होने का सवाल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकरलाल !

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या राज्य सरकार बतायेगी कि राज्य सरकार ने इस ऋण के लिये फैक्ट्री की तरफ से गारन्टी दी थी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, राजस्व मन्त्री।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय ६६ से फैक्ट्री बन्द है, इतनी उस फैक्ट्री में बकाया है, उसकी वसूली के लिये राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मैंने इस पर काफी प्रश्न पूछने दिये हैं। राजस्व मन्त्री।

ग्राम सांपा तहसील पाली में गिरदावरी का कार्य

३६७. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गांव सांपा, तहसील पाली का सेटलमेंट संवत् १६६८ के पश्चात् संवत् २०१० में फिर हुआ परन्तु २०१२ से २०१६ तक गिरदावरी पुराने सेटलमेंट संवत् १६६८ के आधार पर ही की गई ?

(२) क्या यह सही है कि चकबन्दी संवत् २०१६ में हुई तब चकबन्दी विभाग ने संवत् २०१२ से २०१६ की गिरदावरी व संवत् १६६८ को मान्यता नहीं देकर संवत् २०१० की गिरदावरी को मान्यता दी, जो गलत थी क्योंकि उस समय गांव इजारे (ठेके) पर था ?

(३) क्या यह सही है कि संवत् २०१२ से २०१६ की गिरदावरी को मान्यता न देने से चकबन्दी गल्त हुई और उससे काश्तकारों में बहुत विवाद पैदा हो गये हैं ?

(४) क्या सरकार इसका दुबारा सेटलमेंट व जांच कराकर काश्तकारों को राहत पहुँचायेगी ?

उप मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या ३६८

श्री प्रेमसिंह सिंघवी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह !

मकराना से डीडवाना, खाटू व डेगाना तक पक्की सड़क

३९९ **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि मकराना की उन्नति के लिये मकराना से डीडवाना मकराना से खाटू मकराना से डेगाना, तक पक्की सड़क का होना अनिवार्य है ?

(२) यदि हाँ, तो यह सड़कें क्यों नहीं बनाई गईं ?

(३) क्या सरकार जल्दी से जल्दी उक्त सड़कें बनाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह भेंसवाड़ा) : (१)मकराना से डीडवाना वाया कुचामन डामर रोड है, शेष सड़कें योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(२) अर्थाभाव के कारण सड़क निर्माण नहीं हो सका ।

( ) जी नहीं, अर्थाभाव के कारण ।

श्री विजयसिंह : वैसे तो मकराना से डीडवाना होते हुए जयपुर तक डामर रोड है । मकराना से डीडवाना वाया कुचा-मन कितने माइल है और सीधा कितने माइल है, कितने माइल का चक्कर बचता है ?

श्री माधोसिंह : मकराना से डीड-वाना वाया कुचामन ५० माइल है, सीधा पहुँचा जाय तो ३० मील है, पर अर्थाभाव के कारण अभी यह डामर सड़क बनाना संभव नहीं हैं ।

श्री विजयसिंह : सीधे २६ माइल पड़ता है, इस तरह चक्कर खाने से २४ माइल का फरक पड़ेगा ।

श्री माधोसिंह : पड़ता होगा ।

श्री विजयसिंह : मकराना क्षेत्र में कितनी माइन्स है, वह एक औद्योगिक नगर है पर २० साल के अर्से में केवल ५ मील के सड़क के टुकड़े पर डामर किया है....

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह क्या उत्तर दिया, पड़ता होगा...

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य ।

श्री माधोसिंह : जो प्लान्स बनती हैं जिलेवार आवश्यकताओं को देखकर धन की उपलब्धि को नजर में रखते हुए बनती हैं....

श्री डूंगाराम राजोरिया : बनती होंगी...

श्री अध्यक्ष : आर्डर मा नीय सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं ।

श्री माधोसिंह भेंसवाड़ा : जो प्लान बनते हैं वे जिलों की परिस्थिति को देखकर पूरे राजस्थान के प्लान बनते हैं, कोई एक

Page No 28

(श्री माधोसिंह)

शहर के लिये प्लान बनता नहीं है। अर्था-भाव की स्थिति में जैसा किया जा सकता था वह कर दिया। आगे जैसे जैसे धन उपलब्ध होगा वैसे वैसे कार्य किये जायेंगे।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही नहीं है राज्य सरकार को १०लाख रुपये का फायदा राज्य सरकार को होता है, सीधा डामर रोड कर दिया जाय तो राज्य सरकार को बहुत अधिक लाभ मिल सकता है और इससे जनता को भी सुविधा होगी ?

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि जो प्लान बनते हैं जिलेवार बनते हैं, आपने कैसे कहा कि राजस्थान के आधार पर बनते हैं जिले के आधार पर नहीं बनते हैं ?

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : मैंने यह कहा है कि हर जिले की जरुरतों को ध्यान में रख कर धन की उपलब्धि के अनुसार बनते हैं ?

श्री नत्थीसिंह : जिले में नगरों की जरुरत शामिल नहीं है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि कुचामन हो कर भेजने वाले धनचक्कर होते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या आपकी योजना में यह प्रावधान है कि २० साल में ५ मील के टुकड़े पर डामर किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा कहीं है क्या ?

श्री माधोसिंह : ऐसा कहीं नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ऐसा स्पेसिफिक इन्स्टान्स दिया है, आपने कहा कि....

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : जैसा आपने कहा वैसी कोई योजना नहीं है।

श्री विजयसिंह : मकराना एक औद्योगिक नगर है, प्रगतिशील नगर है, इस सीधी डामर रोड के निर्माण से राज्य सर-कार को खुद को फायदा होता है तो क्या राजस्थान सरकार अगले वर्ष में इसके लिये योजना में प्रावधान रखने को तैयार है कि मकराना से डीडवाना, मकराना से खाटू, मकराना से डेगाना तक पक्की रोड बना दी जायगी ?

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : राजस्थान में मकराना की तरह और बहुत से महत्व-पूर्ण स्थान हैं, सबके लिये जैसे जैसे पैसा उपलब्ध होगा वैसे वैसे कार्य किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह : इस तरह अध्यक्ष महोदय, मकराना के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, अगर ऐसा हुआ तो हम भी मकराना से आन्दोलन चालू करेंगे....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर...

श्री विजयसिंह : मकराना में २० साल से कोई विकास नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है ?

Page No 29

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह : हमारे कहने से ट्रान्सफर नहीं करते, विकास नहीं करते, फिर क्या करते हैं मन्त्री महोदय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

प्रश्न संख्या ४००।

राजवी श्री रूपसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नत्थीसिंह !

न्यायपालिका के आफिसर्स के लिए आवास की व्यवस्था

४०१. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर)· क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि न्यायपालिका के आफिसर्स के लिए जिलों में आवास की व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि उन जिलों में जहां न्याय पालिका कार्यपालिका से पृथक् कर दी गई है वहां भी जुडिशियल आफीसर्स को अपने मकान के अलोटमेंट के लिये कार्यपालिका पर निर्भर रहना पड़ता है ?

(३) क्या राज्य सरकार इस प्रकार का कोई निर्णय लेने का विचार रखती है कि जिलों में न्यायपालिका के अधिकारियों के आवास के लिये भवनों की ऐसी व्यवस्था की जावे कि उन्हें जिला जज स्वयं ही अलोट करने में सक्षम हो सकें ?

(४) कितने न्यायपालिका के सदस्य राजस्थान में अभी ऐसे हैं जिनके रहने के लिए सरकारी भवनों की व्यवस्था नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमंत्री विधि विभाग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (१) प्रत्येक जिले में न्यायपालिका के सभी अधिकारियों को देने के लिये पर्याप्त संख्या में सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हैं।

(२) कुछ मकान जो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित हैं, वह तो न्यायपालिका के अधिकारियों के लिये ही सुरक्षित हैं। शेष मकानों का आवंटन कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है।

(३) जी नहीं। अभी इतने सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हैं कि विभिन्न विभागों के लिये सुरक्षित किये जा सकें।

(४) यह सूचना उपलब्ध नहीं है। विभिन्न जिलों से मंगा कर सूची सदन को मेज पर रख दी जायेगी।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि जो भवन जिलों में उपलब्ध होते हैं, वे जिला के न्यायपालिका के अधिकारियों की बजाय कार्यपालिका के छोटे छोटे अधिकारियों को दे दिये जाते हैं और न्यायपालिका के अधिकारियों को बिना मकान के परेशान होकर किराये के मकानों में और सर्किट हाउस में रहने को मजबूर होना पड़ता है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बात गलत है।

श्री नत्थीसिंह : यह किस आधार पर कहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : या तो स्पेसिफिक केस बताइये।

श्री नत्थीसिंह : फिर इन्कार कैसे कर दिया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : हर जिले में जिला जज और एडिशनल जज होता है, उनके लिए मकान वह देते हैं। अगर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को मकान चाहिए तो वह कलेक्टर को प्रार्थना पत्र दे सकता है। मकान प्रायरिटी के आधार पर भी एलाट होते हैं। जब नम्बर आता है तब उसको मकान मिलता है। आउट-आफ टर्न एलाटमेंट होने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री नत्थीसिंह : स्थिति यह है कि उपमन्त्री महोदय जो बात कह रहे हैं, वह सही नहीं है। आपके ही जिले में साल साल भर तक मकान एलाट नहीं होते और जूनियर आफीसर्स को मिल जाते हैं। जिन मकानों में पहले न्यायपालिका के अधिकारी रहते थे वे भी दूसरों को एलाट हो जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि न्यायपालिका के अधिकारियों का एलाटमेंट जिला जज के हाथ में दे दिया जाय और उनको कलक्टर से बिल्कुल अलग किया जाना चाहिए। यह न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के लिए भी जरूरी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्त्री महोदय को न्यायपालिका अधिकारियों में कोई दिलचस्पी नहीं। उनको मिलने वाला मकान न्यायपालिका अधिकारियों को दिया गया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आउट-आफ-टर्न एलाटमेंट करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, जो वेटिंग लिस्ट बनी हुई होती है उसी के आधार पर एलाट होते हैं, जूनियर और सीनियर आफीसर का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने पहले ही कह दिया।

श्री बालसिंह सोढा।

मोकल-बुईली सडक निर्माण का ठेका

४०२. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर) **व श्री गंगा सहाय** (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मोकल-बुईली सड़क, जिला जैसलमेर कितनी लंबी सड़क है और इसका ठेका कब हुआ था ? क्या निर्माण कार्य ठेके की अवधि में पूरा हो गया है ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(२) कुल ठेका कितने रुपये में दिया गया था और आजतक कितनी धन राशि का भुगतान हो चुका है ? आखिरी भुगतान की तिथि क्या है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री माधोसिंह भेंसवाड़ा) :

(१) मोकल-बुईली सड़क की कुल लम्बाई ४३ मील : ठेके निम्न प्रकार दिए थे।

(क) ० से १२ मील १२-१-६७ को।
(ख) १२ से २५ मील २८-१-६७ को।
(ग) २३ से ३१ मील १४-१२-६६ को

Page No 31

(श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा)

(घ) ३१ से ३७ मील १४ १२-६६ को।

१. ठेकेदारों के ट्रक्स को चुनाव कार्य के लिये जिलाधीश द्वारा रिकुइजीशन किया जाना।

२. सडक को भारत सरकार द्वारा निम्न प्राथमिकता दिया जाना।

(२) वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री बालसिंह सोढा : इन जो ४ टुकड़ों का ठेका दिया गया, इसकी प्रति मील की दर में विषमता क्यों बरती गई ?

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ाः सुना नहीं।

श्री बालसिंह सोढा : क्या यह सही है कि जीरो से ३७ मील के जो ४ टुकड़ों का ठेका दिया गया है, उन ४ ठेकेदारों के प्रतिमील की दर में विषमता क्यों बरती गई है ?

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : जो सड़क के लिए माल आता है उसमें लीड के अनुसार फर्क रहता है, कोई माल दूर से आता है कोई नजदीक से आता है।

श्री बालसिंह : सोढा क्या यह सही है कि जीरो से ३७ मील पूरी लीड एक जैसी है ?

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : अलग अलग है।

श्री बालसिंह सोढा: जीरो से ३७ मील तक आमदनी एक जैसी है और लीड एक जैसी है. आपने अलग अलग व्यवस्था क्यों की है ?

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : जमीन एक जैसी हो सकती है लेकिन कहीं पर ४ मील से माल लाना पड़ा, कहीं दूरी से सामान आयेगा, तो उसके अनुसार..........

श्री बालसिंह सोढा : जीरो से ३७ मील जो सड़क है वहाँ सब जगह लीड एक जैसी है, ग्रैविल है।

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री बालसिंह सोढा : मैं आश्वासन चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने जांच का आश्वासन दे दिया है।

श्री विजयसिंह : सतीशचन्द्र जी एक बार दिल्ली गए थे, वापस आ रहे थे तो वहाँ सड़क पर क्रैक्स पड़े हुए थे, लोगों से पूछा कि क्रैक्स कैसे हैं। तो उन्होंने जबाब दिया कि यहाँ डिप्टी मिनिस्टर भैंसवाडा आकर गया है। तो रामकिशनजी ने पूछा कि जगह जगह ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

स्थगित प्रश्न

(१२.३.६६)

सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाने हेतु अवाप्त भूमि और उसका मुआवजा।

२८४. **श्री रामचंद्र आर्य (नोहर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 32

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(१) क्या यह सही है कि रावतसर से हनुमानगढ़ तक सड़क के दोनों तरफ वृक्ष लगाए जा रहे हैं ? यदि हाँ तो सड़क के दोनों तरफ कितने फुट का क्षेत्र निश्चित किया गया है और क्या सड़क के एरिया से बाहर भी वृक्ष लगाए गए हैं ? यदि हां तो वह भूमि किसकी है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के दोनों तरफ काश्तकारों के खेत हैं ? यदि हां तो उन काश्तकारों की कितनी भूमि दोनों तरफ से बगैर एक्वायर किए ही वृक्ष लगाए जा रहे हैं और क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि जिन काश्तकारों की भूमि जबरन कब्जा करके वृक्ष लगाए जा रहे हैं उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : (१) जी हां। सड़क के दोनों तरफ मध्य रेखा से ४० फुट की सीमा निर्धारित की है। इस सीमा में लगने वाले लोगों की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही संपूर्ण सड़क पर पूर्ण नहीं हुई है।

(२) जी हां। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है।

(३) काश्तकारों की भूमि जबरन से नहीं ली जा रही है। भूमि के मुआवजा भुगतान की कार्यवाही चल रही है। नोटिस प्रकाशित हो चुके हैं। रावतसर से हनुमानगढ़ की दूरी २३ मील है। काश्तकार की भूमि जबरन नहीं ली जा रही है। भूमि का मुआवजा अभी नहीं आंका है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि उन काश्तकारों को आज तक कोई नोटिस नहीं दिया गया और एक साल पहले उस जमीन पर वृक्ष लगाए जा चुके हैं ?

श्री माधोसिंह : गजट में नोटिस छप गया है। गजट में नोटिस आ जाता है, तो वह काफी हो जाता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : कुल कितनी जमीन आई है सड़क के नीचे ?

श्री माधोसिंह : ८ मील जो सड़क बनी है उसमें १०० बीघा भाखरा क्षेत्र की है। राजस्थान नहर के नीचे २३३ बीघा।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या उसके लिए मुआवजा कितने दिनों में मिल जायगा ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : सब लोगों को मिल गया। सिवा एक के जिसमें आब्जेक्शन है ८ मील का। एक मामला सिर्फ रहता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह: मेरा प्रश्न है उस बारे में सूचना मिली थी कि इसकी जानकारी नहीं आई है। तो आप स्थगित कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्न संख्या ३६१ को स्थगित करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष)

बाकी प्रश्न। इन पर पूरक प्रश्न नहीं होंगे।

श्री निवास शारदा।

चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायतों को फार्मों के लिए दी गई भूमि।

४०३ **श्री निवास शारदा :** (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चित्तौड़गढ़ जिले में कितनी पंचायतों को उनके निजी फार्म के लिए भूमियाँ दी जा चुकी हैं तथा कितनी पंचायतों के प्रस्ताव इस प्रकार भूमि प्राप्त करने के लिए राजस्व अधिकारियों के विचाराधीन हैं ?

(२) क्या उपरोक्त प्रस्ताव ६ माह से भी ज्यादा समय से विचाराधीन हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ? और उन पर कब तक निर्णय लिया जावेगा ?

(३) चित्तौड़गढ़ जिले में ऐसी कितनी कितनी पंचायतों के प्रस्ताव राजस्व अधिकारियों के पास विचाराधीन हैं, जिनमें पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्र के गाँवों में आबादी भूमि के विस्तार की मांग की है तथा जिन्हें ६ माह से भी अधिक समय होगया है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) ग्रामीण आवास की समस्या को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रस्तावों के निपटारे हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व उपमन्त्री (गंगाराम चौधरी):

(१) जिला चित्तौड़गढ़ में २४५ पंचायतों को उनके निजी फार्म के लिए भूमि आवंटन की जा चुकी है और १४ पंचायतों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(२) जी हाँ। क्योंकि उपरोक्त जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तहसीलदारों को हिदायत जारी की जा रही है कि वे नियमानुसार एक माह में भूमि आवंटन को कार्यवाही कर दें।

(३) कुल प्रस्ताव ७१ हैं। ३८ प्रस्ताव ६ माह से अधिक के हैं जो विचाराधीन हैं। सूची प्राप्त की जा रही है।

(४) इस सम्बन्ध में वर्तमान जिलाधीश, चित्तौड़गढ़, द्वारा अधीनस्थ आफीसर्स के नाम परिपत्र जारी किया जा चुका है और ऐसी आशा की जाती है कि तहसील व उप-जिला स्तर पर जितने मामले विचाराधीन हैं उनका निपटारा अति शीघ्र कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचौर तहसील में पेय जल की समस्या

४०४. **श्री रघुनाथ विश्नोई:**(सांचौर) क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में विशेष कर तहसील सांचौर में पेय जल की गम्भीर समस्या है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि जिले में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बहुत से गाँवों में पीने का मीठा पानी बिल्कुल उपलब्ध नहीं है और भूमि के नीचे का पानी भी खारा है जिससे कुआ भी नहीं बन सकता ? अगर हाँ, तो ऐसे गाँवों में पेय जल समस्या का निवारण सरकार किस प्रकार करना चाहती है ? ऐसे गाँवों में पेय जल समस्या का समाधान कब तक कर दिया जावेगा ? ऐसी समस्या वाले गाँवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचौर के "नैयड क्षेत्र" में भूमि के नीचे का पानी खारा है जहाँ पक्का कुआ बनना संभव नहीं है ? अगर हाँ, तो इस क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का समाधान सरकार किस प्रकार करना चाहती है ? इस क्षेत्र में पेय जल की समस्या का समाधान कब तक कर दिया जावेगा ?

राज्यमन्त्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रासिंह) :

(१) जी हाँ।

(२) जी हाँ। क्षेत्रीय योजनायें बना कर जो मास्टर प्लान में प्रस्तावित है, यह मास्टर प्लान की स्वीकृति एवं धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हाँ, क्षेत्रीय योजनायें बनाकर जो मास्टर प्लान में प्रस्तावित है। यह मास्टर प्लान की स्वीकृति एवं धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मास्टर प्लान कितने करोड़ों का है ?

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न नहीं। प्रश्न ४०५ स्थगित किया गया।

श्री रघुनाथ विशनोई : एक सप्लीमेंट्री। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। पानी की समस्या का सवाल है।

एक सवाल पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिये।

श्री रघुनाथ विशनोई : मास्टर प्लान में कितनी धनराशि है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : ७० करोड़।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नीम-का-थाना के खजाने में चोरी के मामले

३७७. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नीम-काथाना के खजाने में बार बार चोरी होती रहती है ? गत ५ वर्षों में इस खजाने में कब कब चोरी हुई प्रत्येक चोरी में क्या क्या माल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चोरी गया ? पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि सन् ६७ में भी इस खजाने में चोरी हुई बतलाई गई है जिसमें शम्भूसिंह डाकू की पिस्तौल चोरी होना बतलाया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि शम्भूसिंह डाकू पर कई मुकदमें चल रहे हैं जिनमें यह पिस्तौल एक महत्वपूर्ण सबूत है ?

(४) क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है कि यह शम्भूसिंह की पिस्तौल वास्तव में चोरी हुई है या किसी ने मिलजुल कर गायब कराई है ?

(५) क्या सरकार ने यह जांच कराई है कि इस खजाने में बार बार चोरियां होने का क्या कारण है ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

१-जी नहीं। अलबता गत ५ वर्षों में नीमका थाना कोर्ट मालखाना में केवल एक चोरी दिनांक ७।८।६७ की रात्रि को हुई थी। अपराधियों ने एक पिस्तौल व कुछ चांदी के जेवरात चुराये थे। चोरी गये जेवरात की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

२-जी हां। खजाने से नहीं मालखाने से।

३-जी हां। श्री शम्भूसिंह के विरुद्ध कई मुक़दमें चल रहे हैं। उक्त पिस्तौल मुकदमा नं० ३९ तारीख २९।४।६४ धारा २५ भारतीय शस्त्र अधिनियम थाना पाटन जिला सीकर में सबूत हैं।

४-इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या ७५।६७ धारा ४५७।३८० ता० हि० पुलिस थाना नीमका थाना पर दर्ज होकर तफतीश की गई। तफतीश के दौरान मुलजिमान का पता न लगने के कारण दि. ३०।११।६७ को एफ. आर. अदम पता दे दी गई।

५-पिछले ५ वर्षों में इस मालखाने में केवल यही एक घटना चोरी की हुई है। बार बार कोई चोरियां नहीं हुई हैं। सम्बन्धित घटना की जांच की जा चुकी है। अलग से और किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हस्तकला उद्योग के लिये आयातित वस्तुएं

३८७. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत** (भोम) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि हस्तकला उद्योग के लिये कुछ चीजें जैसे कच्चा हाथी दांत, रंग एवं रसायन गोल्ड ब्रान्ज, पाउडर जैसी वस्तुएं बाहर से आयातित होती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इनकी कमी के कारण ये बहुत ऊंची कीमतें देकर बाजार

Page No 36

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

से खरीदी जाती हैं जिससे हस्त उद्योग की चीजें मंहगी हो जाती हैं और प्रतियोगिता में पिछड़ जाती हैं ?

(३) यदि हाँ, तो इस प्रकार की सामग्री वास्तुकारों को ठीक भाव पर देने का राज्य सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

(४) क्या यह सही है कि एच. सी. एच. ई. कोरपोरेशन को निर्यात की हुई वस्तुओं के बदले में आयात लाइसेन्स मिलता है ?

(५) राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा भेजी हुई चीजों के बदले में एच. सी. एच. ई. कारपोरेशन को आयात लाइसेन्स मिलता है, उसके हिसाब से हस्तकला उद्योग के लिये ऊपर वर्णित रंग रसायन आदि आवश्यक सामग्री राजस्थान लघु उद्योग निगम को हासिल हो सके उसके लिये राज्य सरकार ने कोई प्रयत्न किया ?

(६) यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब प्राप्त करने का प्रयास किया जयेगा ताकि हस्त उ ोग पनप सके ?

उत्तर

(१) जी, हाँ।

(२) जी, हां।

(३) आयात नीति के अनुसार हाथी दांत निर्यात के बदले की आयात किया जाता है। राज्य को इसका कोई कोटा निर्धारित नहीं है जब कभी हस्तशिल्प मण्डल द्वारा हाथी दांत का कोटा मिल जाता है तो राज्य सरकार कारीगरों को उचित मूल्य पर इसका वितरण करती है। रंग रसायन इत्यादि उत्पादन कर्ताओं को एस. टी. सी. द्वारा सीधा दिया जाता है।

(४) जी, हाँ।

(५) जी, हाँ।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा सड़कों के निर्माण हेतु ठेकेदारों को दी गई मशीनरी

३६१. **श्री भैंरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६६-६७ में सीमा सड़कों के निर्माण में विभाग द्वारा ठेकेदारों को जो ट्रक, ट्राली, जीपें व अन्य प्रकार की जो मशीनरी दी है उसका एग्रीमेन्ट या कान्ट्रेक्ट किस किस ठेकेदार से कब कब किया गया और किस किस अधिकारी द्वारा ? कृपया तालिका प्रस्तुत करें और यह बताएं कि सरकार के प्रतिनिधियों तथा ठेकेदारों के इस ठेके पर कब कब हस्ताक्षर हुए हैं ?

(२) क्या इन एग्रीमेन्ट या कान्ट्रैक्ट्स का ड्राफ्ट राज्य सरकार द्वारा एप्रूव कराया गया था ? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रारूप तथा राज्य सरकार द्वारा संशोधित तथा अंतिम रूप से मान्य प्रारूप की प्रतियाँ सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या यह सही है कि एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् भी एग्रीमेन्टस में संशोधन किए हैं ? यदि हां तो किस किस एग्रीमेन्ट में कब कब और क्यों ?

उत्तर—

(१) सुची संलग्न है।

(२) जी, हां।

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत और अंतिम रूप से मान्य प्रारूप की प्रतियां संलग्न हैं।

(३) जी, नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

दौसा के पास कुए में मिली लड़के की लाश

४९८. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

क्या यह सही है कि परसराम हरियाना ब्राह्मण के ६ वर्षीय लड़के की लाश दौसा से दो मील दूर कुए से पुलिस द्वारा बरामद की गई थी ? यदि हाँ, तो इस मामले का केस कब थाना दौसा में दर्ज किया गया और इस पर पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

जी हां, यह सत्य है। श्री परसराम हरियाना ब्राह्मण के ६ वर्षीय लड़के की लाश दौसा से दो मील दूर कुए से ता० २०-६-६८ को पुलिस द्वारा बरामद की गई थी। दुर्घटना के २ माह बाद मृतक के पिता के द्वारा शक जाहिर करने पर मुकदमा नं० ९८ ता० ६-९-६८ जुर्म जेर दफा ३०२ ता०हि० थाना दौसा पर उसकी रिपोर्ट पर दर्ज हुआ जिसका प्रारम्भिक अनुसंधान तारीख ६–९–६८ से लगाकर ८–९–६८ तक एस. एच. ओ. दौसा ने किया व बाद में १७–९–६८ से २९–१२-६८ तक राज्य अपराध शाखा द्वारा किया जाकर एफ० आर० पेश की गई।

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों में वकीलों की नियुक्ति

४०० राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट राजस्थान में कहाँ कहाँ है और इन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के मुकदमात की पैरवी करने के लिए वकीलों की नियुक्ति कौन करता है ?

(२) इनकी नियुक्ति व उन्हें हटाने के बाबत कोई नियम बने हुए हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक बना दिये जावेंगे ?

(३) इस वक्त इनकी नियुक्ति व हटाना स्वायत्त शासन मंत्री की इच्छा के अनुसार होता है या किसी दीगर कारण से ?

उत्तर

(१) जहाँ २ ट्रस्ट है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। वकीलों की नियुक्ति न्यास द्वारा की जाती है।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

Page No 38

भ्रष्टाचार के मामले

२४९. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) राज्य में १९६२ से मार्च, १९६८ तक कितने मामले भ्रष्टाचार के पकड़े गए तथा कुल मामलों में कितने व्यक्तियों को सजा मिली व कितनों को जमानत पर रिहा किया गया था तथा कितनों पर जुरमाना करके छोड़ा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(१) भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या विशेष कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(१) राज्य में—सन् १९६२ से मार्च, १९६८ तक ६२५ मुकदमें अनुसन्धान हेतु इस विभाग में पंजिबद्ध किये गये थे।

न्यायालयों में इस अवधि में २५९ केसेज का निर्णय हुआ जिनमें से १२ मामलों में जुर्माने की सजा व १२९ में जुर्माने व जेल की सजायें साथ साथ थों। जिन व्यक्तियों को इन मामलों में गिरफ्तार किया गया था वे सभी जमानत पर छोड़ दिये गये थे।

(२) राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, सन् १९५७ में स्थापित किया गया था। इसके बाद सन् १९६४ में सतर्कता आयोग का भी गठन किया गया जो भ्रष्ट अधिकारियों को दण्डित करवा कर भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई।)

पाली जिले के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में झगड़े

२५०. **श्री शंकरलाल :** (जेतारण) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) पाली जिले में अकालग्रस्त क्षेत्र के कितने मवेशियान ने प्रवेश कर उनके साथ रहने वाले व्यक्तियों ने कहां कहां झगड़े फिसाद किये और विभिन्न पुलिस थानों में किन किन तारीखों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन शिकायतों पर पुलिस द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या नतीजा रहा ?

उत्तर

(१) माह सितम्बर व अक्टूबर १९६८ में करीबन २१/२ लाख मवेशियान पश्चिमी राजस्थान के अकालग्रस्त जिलों से आकर पाली जिले के विभिन्न स्थानों से गुजर कर राज्य के दूसरे इलाकों में गई। इन मवेशियान के साथ रहने वाले व्यक्तियों ने पाली जिले के गांव बाधून्दा, सोनेलखा—मिमालिवा, निम्बाड़ा देवली आवा, बियूरा, देतन और सोजत में झगड़े फिसाद किये जिनके ८ अभियोग पंजिबद्ध हुए हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(२) इन शिकायतों पर ८ अभियोग पंजिबद्ध किये जाकर अन्वेषण किया

Page No 39

(गृह मंत्री)
गया। जिनमें से ४ अभियोगों का अन्वेषण समाप्त कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जा चुके हैं। बाकी ४ अभियोगों का अन्वेषण अभी चालू है। जिनके अभियुक्तगण अपने मवेशियों के साथ दूसरे स्थानों को चले गये हैं। जिनकी तलाश कराई जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

बीकानेर शहर में मैन सड़क की मरम्मत

२५१. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर शहर में जो बाईलेन फोर्ट डिस्पेन्सरी के पास से सूरसागर तालाब के ऊपर से होती हुई धोबी धोरा बास, हनुमानहत्ता बास में होती हुई कोठी नं० ३ से आगे मैन सड़क जो स्टेडियम व लालगढ़ पैलेस की ग्राउन्ड से मिलती है उसका निर्माण कब हुआ था व उसकी मरम्मत किस किस साल में हुई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस वक्त वहां सड़क नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और जमीन ऊबड़ खाबड़ है व खड्डे पड़े हुये हैं जिन पर मोटरों का तो क्या आदमियों का भी चलना दुस्वार है ?

(३) क्या इस बाईलेन की मरम्मत इसलिए नहीं की जा रही है कि बीकानेर के विधायक इसकी मरम्मत होने के खिलाफ हैं ?

(४) अब इस सड़क की मरम्मत कब तक कर दी जायेगी ?

(स्थगित किया गया।)

नगरपालिका कार्यालय, लाडनूं

२५२. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)— क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका लाडनूं, जिला नागौर के प्रशासक द्वारा नगरपालिका कार्यालय को जो कई वर्षों से जिस मकान में था उससे बदल कर किसी दूसरे मकान में ले जाया गया ? यदि हां, तो कब और किस मकान में ले जाया गया तथा पहिले वाले मकान का क्या किराया था और जहां ले जाया गया वहाँ क्या किराया लगा तथा बदलने का कारण क्या था ?

(२) क्या यह भी सही है कि मौजूदा प्रशासक ने नगरपालिका के कार्यालय को पुनः बदल कर पहले वाले मकान में ही ले जाया गया है ? यदि हां, तो कब, और अब इस मकान का किराया क्या दिया जाता है ?

(३) क्या यह भी सही है कि नगर-पालिका प्रशासक और मकान मालिक दोनों ने मिलकर उपरोक्त कार्यवाही इसलिए की कि मकान का किराया नगरपालिका से ज्यादा वसूल किया जा सके ? यदि हां, तो पहिले तीन वर्षों में कितना किराया दिया गया और अब आगे तीन वर्षों में कितना किराया देना पड़ेगा ?

Page No 40

(श्री हरजीराम बुरडक)

(५) क्या यह भी सत्य है कि अदला बदली अभी बन्द नहीं हुई है और सरकार ने कोई फिर कार्यालय बदलने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो कब और किस आधार पर और शुरू के कार्यालय से लेकर अब तक सरकार ने कितनी बार कार्यालय बदलने के आदेश दिये हैं ? सूची मय आदेशों की प्रतियों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

१. नगरपालिका, लाडनू का कार्यालय पालिका के स्टेडियम भवन में, जो उसकी निजि सम्पत्ति होने से व कमरों आदि की व्यवस्था अच्छी होने से, दिनांक १-९-६७ को ले जाया गया था । पहिले मकान का किराया ४१/– प्रति माह था ।

२. राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक १-१-६८ को पुराने कार्यालय में ले जाया गया है । किराया सम्बन्धी प्रश्न विचाराधीन है ।

३. जी नहीं । पहिले ४१/- रु० प्रति माह से किराया दिया जाता था और अब यह प्रश्न विचाराधीन है ।

४. जी नहीं । नगरपालिका का कार्यालय स्थानान्तरण के बाद जनता ने प्रार्थना पत्र दिनांक २३-९-६७ को दिया फिर उस पर कार्यवाही की गई थी ।

५. जी नहीं ।

नगर सुधार न्यास

२५३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर):- क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में इस समय नगर सुधार न्यास कहां कहां पर है ? उनके कौन कौन अध्यक्ष और सदस्य है ? अध्यक्षों की शैक्षणिक योग्यता क्या है ? उनको प्रति माह कितना भत्ता मिलता है ? और इन सदस्यों में गैर कांग्रेसी सदस्य कौन कौन हैं ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) ३१ मार्च, ६८ को आर्थिक दृष्टि से कौनसा न्यास घाटे में था और कौनसा लाभ में ? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, जिसमें १ अप्रेल. ६८ की जमा पूंजी का विवरण भी हो ।

(३) क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है कि इन नगर सुधार न्यासों ने भूमि खंड बेच बेच कर अपनी आमदनी तो बढ़ा ली है परन्तु उसके मुकाबले नगर सुधार की योजनाओं पर खर्चा नही किया गया है ?

(४) क्या सरकार की जानकारी में है कि नगरों और कस्बों के कुछ भाग को छोड़ कर शेष के सुधार और विकास पर इन न्यासों द्वारा कोई खर्चा नहीं किया जाता और परिणाम स्वरूप शहर का बाहरी भाग विकसित हो जाता है और भीतरी भाग अविकसित रह जाता है ? यदि हां, तो इस दृष्टि से राज्य सरकार ने क्या विचार किया है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में जयपुर, जोधपुर,अलवर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर । भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, गंगापुरसिटी, हिण्डौन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

... नगर सुधार न्यास की स्थापना की ... अध्यक्षों व सदस्यों की मय उनकी ...णिक योग्यता, मिलने वाले भत्ते आदि ...ी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी ...ई है।

(३) आमदनी में से ८० प्रतिशत नगर ...र की योजनाओं पर खर्च किया जाता है ... २० प्रतिशत एस्टेब्लिशमेंट पर।

(४) नगर सुधार न्यास की सीमा स्तर ... दिवारी से बाहर निर्धारित की हुई है। ... न्यास द्वारा शहर के भीतर ... सुधार करने का प्रश्न ही ...

(सूची विस्तृत होने के ... विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा नगर परिषद् को आर्थिक सहायता

२५४. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा नगर परिषद् को गत ४–५ वर्षों से जो नियमानुसार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये वह नहीं दी है? यदि हाँ, तो क्यों?

(२) क्या सरकार कोटा नगर परिषद को आर्थिक सहायता देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(१) जी हां। नगर परिषद, कोटा को वर्ष ६५–६६ से सामान्य अनुदान नहीं दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयान्तर्गत अनुदान उन्हीं पालिकाओं को स्वीकार किया जाता है जो गृहकर लगा कर वसूली कर रही है। नगर परिषद, कोटा ने गृहकर नहीं लगा रखा है इसलिए अनुदान प्राप्ति से वंचित रहती है।

(२) इस प्रकार का कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर द्वारा प्लाटों की नीलामी

२५५. **श्री गंगा सहाय**-(कठूमर) क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर ने कुछ प्लाट नीलाम किये हैं? कुल कितने प्लाट नीलाम किये गये हैं? प्रत्येक की कीमत नीलाम कितनी कितनी मिली है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सही है कि कुछ प्लाट बिना नीलाम किये केवल नाम मात्र की कीमत लेकर कुछ लोगों को दे दिये गये हैं? यदि हाँ, तो इन प्लाटों की संख्या कितनी हैं तथा प्रत्येक की कीमत कितनी ली गई है?

(श्री गंगासहाय)

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त नगर विकास न्यास के कार्यालय के लिये एक मकान १३० रु० प्रति माह किराये पर लिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या इस मकान के किराये का एसेसमेन्ट पी. डब्लू. डी. से करवाया गया है ?

उत्तर

(१) जी हाँ। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(३) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर जिप्सम लि. को लीज

२५६. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) क्या खजिन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर जिप्सम लि. को अब तक कहाँ कहाँ पर पुनः लीज हो गई है और वे किन शर्तों पर दी गई हैं ? शर्तों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीकानेर जिप्सम लिमिटेड को जामसर लूणकरणसर क्षेत्र में जिप्सम खनन करने का पट्टा २० वर्ष की अवधि के लिये दिया गया था जिसकी अवधि दिनांक ३ को समाप्त होने के पूर्व ही नवीनकरण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत चूंकि जिप्सम सिड्यूल्ड "अ" खनिज नवीनकरण के पूर्व भारत सरकार से अ प्राप्त करनी होती है जिसके लिये लिखा चुका है। नवीनकरण स्वीकार होने बीकानेर जिप्सम को काम करते रहने सम्बन्धी तार द्वारा आदेश भेजे गये उस प्रतिलिपि संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

मांडलगढ़ में पत्थर की खानें

२५७. **श्री मनोहर सिंह मे** (मांडलगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह की कृपा करेंगे :—

मांडलगढ़ क्षेत्र में कुल पत्थर की कितनी खानें चल रही हैं और रोयल्टी, ठेके, फीस आदि कुल मिला कर प्रति वर्ष खनिज विभाग को पत्थर की खानों से कितनी आय होती है ?

क्या इन खानों पर जाने के लिये पक्की सड़कें हैं ? यदि नहीं हैं तो इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ?

उत्तर

इस क्षेत्र में लगभग १५०० पत्थर की खानें चल रही हैं।

(१) १९६७–६८ के वर्ष में ३,३८४३६.५८ की आय हुई।

(२) १९६८–६९ के वर्ष में जनवरी ६९ तक रु० ४,७१,९७१.६६ पै० की आय हुई।

Page No 43

(खनिज मंत्री)

...ाही पत्थर की अधिकांश खानें टार रोड ...क भीलवाड़ा से बूंदी को मिलाने वा... ...र ही स्थित है जो खानें सड़क से दूर ... सुखपुरा, बनिया का तालाब, जा... उनमें से प्रमुख बनिया का तक ... से कि लगभग ढाई लाख रुपये ...ताल आय होती है को पक्की रोड से ...मीटर ...ए निर्माण विभाग (भवन व ...बोर्ड द्वारा कार्य चालू है व अब ...सलावटिया के पास से बानियां का ...ाब तक की कुल दूरी साढ़ा चौदह किलो-...र में से साढ़ा बारह किलो मीटर तक ...रोड बन भी चुकी है जिस पर ...दिसम्बर ६८ तक रु० २,१२,९४१/- व्यय हो चुका है।

सरप्लस कर्मचारियों के वेतन के मामले

२५८. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उद्योग विभाग में सरप्लस हुए कर्मचारियों को दूसरे विभागों में एब्जोर्व करते समय यह आश्वासन दिया गया था कि उनको जो वेतन मिल रहा है वही वेतन दूसरे विभाग में जहां उन्हें लगाया जायगा, मिलता रहेगा ?

(२) क्या यह भी सही है कि उनको यह आश्वासन भी दिया गया था कि उनके केसेज शीघ्र ही तय कर दिये जावेंगे-परन्तु उनके वेतन घटा दिये गये हैं तथा जो वेतन उन्हें दिया गया था उसकी रिकवरी की जा रही है ?

उत्तर

(१) सरप्लस कर्मचारियों को एबजोर्व करने के लिए जो आम नियम हैं वे इन पर भी लागू होते हैं। विशेष आश्वासन का प्रश्न नहीं उठता।

(२) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

हस्तकला उद्योग का विकास

२५९. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत-(भीम) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि हस्तकला उद्योग का दिनों दिन विकास होता जा रहा है तथा दिल्ली स्थित एम्पोरियम की बिक्री तेजी से बढ़ रही है ?

(२) यदि हां, तो कलकत्ता और बम्बई की मांग को देखते हुए सरकार वहां एम्पोरियम क्यों नहीं खोल रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में राजस्थानी हस्तकला एम्पोरियम, कलकत्ता में खोले जाने का प्रावधान कर दिया गया है व इस सम्बन्ध में स्कीम तैयार की जा रही है। बम्बई में भी एम्पोरियम खोले जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

गंगानगर शुगर मिल

२६०. श्री रामचन्द्र आर्य(नोहर)—क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा

(श्री रामचन्द्र आर्य)

करेंगे:—

(१) श्री गंगानगर शुगर मिल में कितनी चीनी का प्रतिवर्ष उत्पादन होता है ?

(२) क्या यह मिल सहकारी आधार पर चलाई जा रही है ? यदि हां, तो इसमें कुल कितनी हिस्सेदारी है ? हिस्सेदारों की कुल कितनी रकम इस मिल में जमा है और सरकार की कितनी पूंजी इस मिल में लगी हुई है ?

(३) क्या यह सही है कि यह मिल ६ माह तक चलाई जाकर बाद में बन्द कर दी जाती है ? यदि हां, तो इस मिल में कितने मजदूर व सरकारी कर्मचारी मुस्तक़िल हैं व कितने प्रतिदिन को मजदूरी पर कार्य करते हैं ?

(४) क्या यह सही है कि मिल बन्द होने पर प्रतिदिन की मजदूरी पर कार्य करने वाले मजदूर बेकार हो जाते हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार के कुल कितने मजदूर इस मिल में काम करते हैं और मिल बन्द होने पर उनका गुजारा कैसे चलता है ?

(५) क्या यह सही है कि मिल घाटे में चल रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो सालाना क्या प्रोफिट रहता है ?

उत्तर

(१) पिछले पांच वर्षों में चीनी का उत्पादन इस प्रकार रहा :-

१९६३–६४	३६०३७ क्विन्टल
१९६४–६५	३२१६७ ,,
१९६५–६६	८८०२१ ,,
१९६६–६७	६३८०१ ,,
१९६७–६८	३९८९० ,,

(२) जी नहीं, यह मिल सहकारी आधार पर नहीं चलाई जाती है बल्कि एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी इसे चलाती है जिसको अधिकृत पूंजी १,००,००,००० रुप है तथा निर्गमन पूंजी ४०,००,००० रु है। वर्तमान में परिदत्त (सबस्कराईब्ड) पू की राशि २५,३७,८०० रुपये है, जि राज्य सरकार की हिस्सेदारी ७१·८% अर्थात् १८,२२,१४०.४० रुपये है।

(३) जी हां, शुगर मिल एक सीजन फैक्ट्री है इसका चलना गन्ने की ऋतु और उपलब्धि पर निर्भर करता है। अन्य शुगर मिलों की तरह यह मिल भी गन्ना समाप्त हो जाने पर बन्द हो जाती है।

कर्मचारियों की संख्या गत वर्ष निम्नलिखित थी :—

	आफ सीजन	गन्ने का सीजन
स्थाई	२२९	२२९
सीजनल	११६	७३५
अस्थाई	५८	२५९
दैनिक	—	७६ कैजुअल

चीफ एक्जीक्युटीव के आफिसर अलावा फैक्ट्री में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है।

(४) जी हां, गन्ने का सीजन समाप्त हो जाने पर सीजनल व अस्थाई तथा दैनिक कर्मचारियों को जिनकी संख्या ८९६ के लगभग होती है, सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती है। वैज बोर्ड के अनुसार स्किल्ड तथा सेमी स्किल्ड कर्मचारियों को चन्द सीजन में

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

रिटेनिंग अलाउन्स के रूप में कुछ भत्ता दिया जाता है। यह कर्मचारी साधारणतया खेती और मजदूरी करते हैं। सीजन में ही काम करने के लिये फैक्टरी में आते हैं।

मिल सन् १९६५–६६ से नफे में जा रही हैं, पिछले तीन वर्षों का लाभ निम्नलिखित हैं :—

१९६५–६६ शुगरमिल८७,४९९.०० रु. डिस्टलरीज ५,६७,३१०,०० रु.।

१९६६-६७ शुगरमिल ७०,१५३,०० रु., डिस्टलरीज ५,८५,५७१,०० रु.।

१९६७–६८ शुगर मिल ७१,९६०,०० रु, डिस्टलरीज ५,२१,७०४,०० रु.।

(५) यह लाभ इन्कम टैक्स, बोनस तथा अन्य खर्चे निकाल कर हुआ है।

राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या

२६१. श्री दुर्गालाल बाढदार--(हवा महल,जयपुर)—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान हाई कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं ? कृपया सूची सदन को मेज पर रखें तथा प्रत्येक की नियुक्ति की तारीख भी बतावें।

(२) क्या वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या राज्य में उत्पन्न होने वाले मुकदमों के निर्णय करने के लिए पर्याप्त है ?

(३) क्या राज्य सरकार वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कराने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर—

(१) राजस्थान उच्च न्यायालय में इस समय मुख्य न्यायाधीश सहित ११ न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२ पर्याप्त है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

किशनगढ़ में गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज की नई इमारत

२६२. श्री सुमेरसिंह-(किशनगढ़) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ में गवर्नमेंट डिग्री कालेज की नई इमारत बनाने के बारे में स्वीकृति दी गई है ?

(२) यदि हां, तो कितने रुपयों का निर्माण कार्य कराया जावेगा व इस वर्ष में भवन निर्माण हेतु कितने रुपये स्वीकार किये गये हैं और यह भवन कब तक सम्पूर्ण करा दिये जाने की योजना है।

उत्तर—

१-जी हां।

२-राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ के नये भवन निर्माण हेतु मुख्य अभियन्ता (भवन एवं पथ) राजस्थान, जयपुर द्वारा नौ लाख पन्द्रह हजार का अनुमानित व्यय प्रेषित किया गया था। उसके आधार पर सरकार ने सन् १९६७-६८ में पन्द्रह हजार व सन्

(श्री शिक्षा मंत्री)

१९६८–६९ में पचास हजार की राशि इस कार्य हेतु खर्च करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। सन् १९६९-७० के लिये राज्य सरकार ने दो लाख का प्रावधान रखा है। जहां तक भवन के पूर्ण होने का सम्बन्ध है जैसे जैसे राज्य सरकार के पास धनराशि उपलब्ध होती रहेगी इस कार्य हेतु राशि का प्रावधान रखा जाता रहेगा।

पुरातत्व विभाग द्वारा एक्ट में संशोधन की घोषणा

२६३. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पुरातत्व विभाग ने सुरक्षित स्थान घोषित करने के इरादे और अन्तिम घोषणा के बीच स्मारक को हानि पहुंचाने पर कानूनी कार्यवाही की जाने के लिए एक्ट में संशोधन करने के लिए तीन वर्ष पहले राज्य सरकार को निवेदन किया था?

(२) क्या यह सही है कि संशोधन अभी तक नहीं किया गया?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त संशोधन न करने के कारण कई स्मारकों को हानि पहुंची है जैसे फतहपुर शेखावाटी के किले की दीवारों को तोड़ा गया?

(४) एक्ट में संशोधन किये जाने में विलम्ब का क्या कारण है?

उत्तर

(१) जी, हाँ।

(२) जी, हाँ।

(३) जी, नहीं।

(४) मामला सरकार के विचाराधीन है। विधि विभाग के परामर्श से आगे कार्यवाही की जा रही है।

ड्राइंग तथा चित्रकला का कोर्स

२६४. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** (भीम) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि स्कूलों में ड्राइंग तथा चित्रकला सिखाने का कोर्स अंग्रेजों के समय का एक शताब्दी पहले का है?

(२) क्या यह भी सही है कि देश को आजादी के बाद आज के जमाने में वह मौजू नहीं रहा?

(३) क्या आज के युग के अनुकूल बनाने के लिये विशेषज्ञों की राय लेकर उक्त कोर्स में संशोधन कराने पर सरकार विचार करेगी।

उत्तर

(१) यह सही नहीं है।

(२) जी, हाँ।

(३) मंडल ने कक्षा ६,७ व ८ की चित्रकला विषय की नई पुस्तकें निर्धारण करने हेतु पाण्डुलिपियां सन् १९६४ में आमंत्रित की थीं व इनमें से जो चुनी गई हैं उनके लेखक श्री पी. एन. गोयल व श्री ओ. पी. जोशी हैं

(शिक्षा मंत्री)

जिन्होंने पाण्डुलिपि तैयार करते समय आधुनिक कला को भी ध्यान में रखा है । इन लेखकों में श्री पी. एन. गोयल राजस्थान के निवासी हैं और उच्चकोटि के ख्याति प्राप्त भारतीय चित्रकार हैं ।

राज्य सरकार ने पहले ही पाठ्यक्रम समिति बनादी है जो सम्पूर्ण विषयों पर नया पाठ्यक्रम तैयार कर रही है ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सैकण्डरी स्कूल तथा हायर सैकण्डरी परीक्षाओं के लिये प्रस्तावित परीक्षा योजना के अन्तर्गत निर्धारित विषय चित्रकला के पाठ्यक्रम में समय समय पर परिशोधन करता रहा है । सत्र १६६६ में ही इस विषय के पाठ्यक्रम में परिशोधन किया गया था । अब चित्रकला विषय के पाठन को अधिक प्रभावशाली, उत्तम तथा आधुनिक शिक्षण प्रणाली के अनुरूप रखने के लिये इस विषयके पाठन उद्देश्य बना लिये गये हैं पाठन उद्देश्यों पर आधारित नया पाठ्यक्रम १६७० से प्रारम्भ होने वाले सत्र से लागू किया जावेगा ।

भूतपूर्व जागीरदारों के विरुद्ध निजी सम्पत्ति की जांच

२६५. **श्री हरि वल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जागीरदार सिवाड़ तहसील सवाई माधोपुर के विरुद्ध निजी सम्पत्ति के बारे में एस. डी. ओ. सवाई माधोपुर ने जांच की थी ? यह जाँच किसके आदेश से किन कारणों से कब आरम्भ की गई और कब समाप्त की गई ?

(२) क्या यह सही है कि अब जिलाधीश सवाई माधोपुर के यहाँ यह मामला पेन्डिंग है ?

(३) क्या यह सही है कि इस जागीरदार का निजी सम्पत्ति का मामला जागीर कमिश्नर के यहां से फाइनल हो चुका था ? यदि हाँ, तो कब ?

(४) क्या यह सही है कि निजी सम्पत्ति के बारे में किसी राजस्व अधिकारी को यह मामला सक्षम पदाधिकारी द्वारा फाइनल करने पर री-ओपन करने के अधिकार नहीं है ? यदि ऐसा है तो फिर जिलाधीश के यहाँ यह कार्यवाही क्यों चल रही है ?

उत्तर

(१) जी हाँ ।

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण नियमावली के नियम ५२ के प्रावधान के अनुसार १६५६ में प्रारम्भ होकर सितम्बर सन् १६५८ में समाप्त की गई ।

(२) जी हां, जिलाधीश कार्यालय में केवल पहाड़ का मामला पेन्डिंग है ।

(३)जो हां, जागीर सिवाड़ को निजी सम्पत्ति का निर्णय सर्व प्रथम दिनांक २७-११-५८ में होकर राजस्व मण्डल में अपील में चलता रहा । बाद अपील द्वारा निर्णय दिनांक २८-२-६२ एवं १२-११-६४ को दिये गए थे । जिन पर राज्य सरकार की अपील होने से मामला राजस्व मण्डल में चल रहा है ।

Page No 48

(श्री राजस्व मंत्री)

४. जी हां, जिलाधीश उस आइटम के लिए जांच कर रहे हैं जो कि बाद में रिकार्ड में बताई गई।

करौली डाकखाने की सरकारी इमारत

२६६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) :—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा करौली डाकखाने वाली सरकारी इमारत के दो कमरे और एक बरामदा फर्म गोविन्दराम जमनालाल को मार्च-अप्रेल, १९६८ में केवल ७० पैसे माहवार पर किराये पर दिया गया है ?

(२) क्या उक्त मकान को किराए पर देने से पूर्व कोई सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था पब्लिक ओक्शन किया गया था अथवा जनसाधारण से किराये के आफर मांगे थे ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त मकानात का किराया २०) २५) रु. माहवार तक भी देने के लिए लोगों ने सरकार को आफर दिया है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त फर्म गोविन्दराम जमनालाल ने बिना किसी प्रकार की पूर्व सरकारी इजाजत के लिए मकानात को तोड़फोड़ करके शक्ल में तब्दीली कर ली है ?

(५) क्या यह सही है कि इस पूरी इमारत को डाकतार विभाग ने खरीदने के लिए राज्य सरकार से लिखा पढ़ी की हुई है ?

(६) क्या यह सही है कि इस मकान को इस प्रकार किराये देने के विरुद्ध जिलाधीश सवाई माधोपुर के पास शिकायत की गई है और उसमें एस. डी. ओ. करौली पर इस कार्यवाही का आरोप लगाया गया है ?

(७) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है ? यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

१. जी हां।

२. जी नहीं।

३. जिलाधीश, सवाई माधोपुर के समक्ष एक नारायण लाल की दरख्वास्त (१०) रु. माहवार पर देने की प्राप्त हुई है। जिस पर वहां कार्यवाही जैरकार है।

४. उक्त फर्म ने किराये की शर्तों के अनुसार बिल्डिंग में कुछ मरम्मत कराई है, जिसमें दो आलमारी बनाना भी शामिल है।

५. जी हां।

६. जी हां।

७. जी हां, तहसीलदार के द्वारा नोटिस जारी नहीं किए जाने की भूल पाई गई है।

राजस्थान राज्य समाज कल्याण मण्डल

२६७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**-(जौहरी बाजार, जयपुर) क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(१) राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार मण्डल को अब तक कुल कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा किस किस रूप में किस वर्ष में दी गई है, और किस-किस काम के लिए दी गई है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिसमें यह भी उल्लेख हो कि उक्त धनराशि उस काम में ली गई या नहीं ? और ली गई तो कितनी और नहीं ली गई तो उसका क्या हुआ ?

(२) केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल द्वारा दी गई धनराशि का विवरण खण्ड १ के अनुसार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इस राज्य मण्डल के हिसाब किताब का अंकेक्षण कितनी सालों का नहीं हुआ है और क्यों नहीं हुआ है ? जिन वर्षों का हो चुका है उसकी अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) इस मण्डल के पदाधिकारियों की सूची जो अब तक रहे हैं सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, जिसमें यह भी उल्लेख हो कि कौन कौन कितने दिन तक रहा ?

(स्थगित किया गया)

अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

२६८. **श्री रावतराम** (छापर) क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि अनुसूचित जाति के उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायगी जिन्होंने मैट्रिक में प्रथम या द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है ? यदि हां, तो उक्त निर्णय किस आधार पर किया गया ?

(२) उक्त निर्णय से राजस्थान में कितने कालेज छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह गये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय से अनुसूचित जाति के उन सभी छात्रों को भारी नुकसान हुआ है जो एम. ए. या बी.ए. क्लासों में अध्ययन कर रहे हैं परन्तु जिन्होंने मैट्रिक तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण की ?

(४) क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास विभिन्न स्थानों से छात्रों द्वारा यह मांग की गई है कि उक्त निर्णय को वापिस लिया जाय अन्यथा अनुसूचित जाति के छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जायेंगे ? यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

उत्तर—

(१) जी हां, योग्यता के प्रतिवेदन देने के आधार पर लिया गया है।

(२) यह जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है चूंकि इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

(३) यह सही नहीं है।

(४) जी हाँ, अतिरिक्त छात्रवृत्ति भी समस्त छात्रों को देने के प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। विभागीय प्रावधान और पिछड़े वर्गों की माँग को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्गों के

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

उन समस्त छात्रों को अतिरिक्त छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया गया है। जो सामान्य छात्रावासों में रहते हैं।

पुरानी छावनी से सरानी खेड़ा तक सड़क

२६९. **श्री बनवारीलाल** : (धौलपुर) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पुरानी छावनी से सरानी खेड़ा तक करीब ३ मील एक कच्ची सड़क वहाँ की जनता ने अपने श्रमदान द्वारा बनाई है जिसे करीब १५ वर्ष हो गये हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर जितनी भी पुलियां बनी हैं उन सब पुलियों को जनता द्वारा बनवा दिया गया है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर कुछ रुपया पहले कभी सरकार द्वारा भी खर्च किया गया था ? यदि हाँ, तो कब और कितना रुपया ?

(४) क्या सरकार जनता के श्रमदान द्वारा बनाई गई इस सड़क को पक्का कराने का इरादा रखती है ? यदि हाँ, तो वह कब तक करा दी जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हाँ, एक मील में मिट्टी का कार्य सन् १९६२ में किया गया था।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) यह सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है।

मनियां से कोलारी तक सड़क का निर्माण

२७०. **श्री बनवारी लाल** : (धौलपुर) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार मनियां से कोलारी वाया सखवारा एक नई सड़क बनवाने का इरादा रखती है ? यदि हाँ, तो क्या इसकी सर्वे कराली गई है ?

(२) यदि नहीं, तो क्या सरकार वहाँ की जनता के आवागमन की असुविधा को दूर करने के लिए इस सड़क को बनाना आवश्यक नहीं समझती है ?

उत्तर

(१) योजना में स्वीकृति नहीं है। इस लिए सर्वे कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) अर्थाभाव के कारण सड़क निर्माण संभव नहीं है।

जाखी से बसई नवाब तक सड़क का निर्माण

२७१. **श्री बनवारीलाल** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम जाखी से बसई नवाब तक द्वारा मालौनी कौलारी

(श्री बनवारीलाल)

एक नई सड़क बनाने की राज्य सरकार की योजना है ?

(२) यदि हां, तो क्या उक्त सड़क के लिए सर्वे भी हो चुकी है ?

(३) यदि नहीं, तो क्या सरकार उसकी सर्वे करा कर उस सड़क को वित्तीय वर्ष, १६६६–७० में बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

नागौर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

२७२ **श्री रामसिंह कुडी** (जायल) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

नागौर सब-डिवीजन की कौन कौन सी सड़कें इस वर्ष बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं ? उन सड़कों की मरम्मत करवाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या एस्टीमेट बन गए हैं ? क्या खर्च होगा एवं कब तक यह मरम्मत पूरी करवा दी जावेगी ?

उत्तर

सूची (ब) प्रस्तुत है १०, ०००,००,रु० की धनराशि अधिशासी अभियंता भवन व पथ को आवंटित कर दी गई है कार्य प्रगति पर है । एस्टीमेट बन चुके हैं । खर्च का अनुमान १०,००,००० रु० का है । अतः वर्षाभाव के कारण अवधि निश्चित करना संभव नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

पुलिया का निर्माण, ग्राम पीपल्दा

२७३. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले के अन्तर्गत पीपल्दा ग्राम में जो नदी है उस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? यदि हाँ, तो उसकी अब तक की क्या प्रगति है ?

(२) इस पुलिया के निर्माण हेतु कितना रुपया स्वीकृत है और अब तक कितनी रकम इस कार्य में खर्च हो चुकी है और इस पुलिया के सम्पूर्ण होने तक कुल कितना रुपया व्यय होगा ?

उत्तर

(१) जी हाँ, खम्भे लगा दिये गये हैं। पट्टियां उठाने हेतु पुल पर पट्टियाँ एकत्रित की जा रही हैं।

(२) १०,००० रु० का वर्ष ६८–६६ में प्रावधान है। ८७५६ रु० व्यय हो चुका है ।१८,००० रु० खर्च होने का अनुमान है।

बाड़मेर–बाराड़ सड़क

२७४. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः —

Page No 52

(श्री बृद्धिचन्द्र जैन)

(१) बाड़मेर नगर से बाटाडू ग्राम होते हुए जो कानोड ग्रेवल सड़क जाती है उसमें कितने मील में ग्रेवल नहीं है ?

(२) उक्त सम्पूर्ण रोड पर कब तक ग्रेवल करा दिया जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

१२-३-६९

सूरतगढ़—हनुमानगढ़ सड़क की मरम्मत

१७३. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ की बीच सड़क पर सालाना मरम्मत पर सन् १९६० से १९६८ तक कुल कितने रुपये खर्च किए गए ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या उक्त सड़क के नीचे नाली के पुल बनाकर स्थायी मरम्मत की तजवीज करने पर विचार किया गया है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जावेगा ? नहीं तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क की मरम्मत बहुत देरी से शुरू की जाती है और हर साल मरम्मत पूरी होने से पहले ही नाली आ जाने से मरम्मत पर लगा हुआ धन पानी में बह जाता है ?

उत्तर

(१) वार्षिक मरम्मत की सूची " अ " प्रस्तुत है।

(२) विचाराधीन है।

(३) नाली सूखने पर उपलब्ध धन राशि अनुसार मरम्मत करदी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

स्थगित प्रश्न

१२-३-६९

नोहर—रावतसर सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

१७५. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) :— क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नोहर-रावतसर सड़क निर्माण के समय काश्तकारों की जो भूमि सड़क के नीचे आई थी उसका मुआवजा काश्तकारों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? नहीं तो कितने काश्तकारों की भूमि का मुआवजा दिया गया है नाम व तादाद रुपया जो मुआवजे के रूप में दिये गये हैं ग्रामवाईज ग्राम तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि गांव भगवान, देईदास, टोपरिया, थालडका, चाईया रावतसर के काश्तकारों को भूमि का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां मुआवजा भुगतान अवार्ड प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया है।

Page No 53

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(२) जी हां भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है।

शोक-प्रकट

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रथम राजस्थान विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री धर्मचंद के दिनांक १० मार्च १९६९ को देहावसान का समाचार प्राप्त हुआ है। श्री धर्मचंद सवाई माधोपुर जिले के सपोटरा निर्वाचनक्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(सभी माननीय सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन रखा)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री चुन्नीलाल इंदलिया, श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री लाभचन्द वैद, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री हरजीराम बुरड़क व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। जिसमें उन्होंने यह बतलाया है कि १० मार्च, १९६९ को उमेशकुमार नामक एक ८ वर्षीय लड़के को गुण्डों द्वारा उड़ाए जाने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई गयी थी किन्तु उस पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप उस लड़के को मार डाला जाकर उसके टुकड़े १७ मार्च को जंगल में बरामद हुए। १८ मार्च को गंगानगर में इस सम्बन्ध में हड़ताल को जाना भी बतलाया गया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे स्थिति को स्पष्ट करते हुए आज सुविधानुसार शाम तक वक्तव्य देने की कृपा करें।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी जिसमें बारां डिग्री कालेज के फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. साइन्स के विद्यार्थी का फार्म उक्त कालेज द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय को न भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

इनके अतिरिक्त चार और स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :

(१) श्री आईदानसिंह, श्री बालसिंह सोढा व श्री पृथ्वीसिंह चौहान, सदस्य विधान सभा ने भीनमाल में बिजली की व्यवस्था सुचारु रूप से न होने के कारण विद्यार्थियों की चल रही परीक्षाओं में असुविधा उत्पन्न होने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(२) श्री बृजवल्लभ बोहरा, सदस्य विधानसभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें यह उल्लेख किया गया है कि कोटा जिले के चम्बल सिंचित क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग द्वारा किसानों को उनके खाते की भूमि से लगी हुई मामूली सी भूमि पर जो वर्षों से भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं, बेदखल किया जा रहा है। उपनिवेशन विभाग द्वारा किसानों को ट्रेसपासर घोषित किया जाकर किसानों पर जुर्माना

Page No 54

(श्री अध्यक्ष)

कर देना बतलाया है।

(३) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें उन्होंने यह कहा है कि कस्बा लाडनूं जिला नागौर में एक जी. बी. हायर सैकेन्ड्री स्कूल है जो राज्य से सहायता प्राप्त है। इस स्कूल के संचालक मण्डल द्वारा कुछ अध्यापकों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करने के कारण स्कूल के छात्रों में असन्तोष फैला हुआ है।

(४) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधानसभा ने चौधरी रामचन्द्र अध्यक्ष पब्लिक सर्विस कमीशन के जमीन संबंधी सरकारी कागजात में हेरफेर के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी ६ स्थगन प्रस्तावों के मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज इन पर विचार किया जाय। इसके अतिरिक्त दो मामले शिक्षा विभाग से सम्बन्धित हैं तथा एक मामला उपनिवेशन विभाग का है, जिनको संबंधित मांगों पर वादविवाद के दौरान कटौती प्रस्तावों के जरिये भी उठाया जा सकता है।

जहाँ तक श्री रामानन्द अग्रवाल के स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इस मामले में आज ही माननीय राजस्व मंत्रीजी कटौती प्रस्तावों का उत्तर देते समय स्थिति को स्पष्ट कर देंगे। उन्हें यह भी निवेदन किया जा चुका है कि इस मामले से सम्बन्धित पत्रों आदि को सुरक्षित रखवाने की कृपा करें।

ऐसी स्थिति में मैं उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(विराम)

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य।

चिकित्सा मंत्री।

श्री रामचंद्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, गङ्गानगर के बारे में मैं कई बार सूचना कर चुका हूँ कि वहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि रोजाना गुण्डागर्दी बढ रही हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। माननीय सदस्य।

आज ही वक्तव्य देने के लिए मैंने कह दिया है।

श्री रामचंद्र आर्य : लड़के को जबरदस्ती कत्ल किया गया। कत्ल होते हैं रोजाना।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

अंकित न किया जाय।

(अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र आर्य का भाषण अंकित नहीं किया गया। + + +)

(श्री रामचन्द्र आर्य बराबर बोलते रहने पर + + +)

+ + + अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

माननीय सदस्य को मैं नाम से पुकारता हूं। श्री रामचन्द्र आर्य स्थान ग्रहण करें।

(श्री रामचन्द्र आर्य के बोलते रहने पर पुनः + + +)

मैं आपको नाम से पुकारता हूँ।

(श्री रामचन्द्र आर्य के फिर भी बोलते रहने पर : + + +)

मैं फिर तीसरी बार आपको नाम से पुकारता हूँ। श्री रामचन्द्र आर्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

इस उद्विग्नता को देखते हुए ही मैंने आज ही वक्तव्य देने का सङ्केत दिया है चाहे उसके लिए आज गृह मन्त्रीजी तैयार हों या नहीं।

(श्री रामचंद्र आर्य के पुनः बोलने पर + + +)

ऑर्डर माननीय सदस्य। अंकित न किया जाय।

(श्री रामचन्द्र आर्य के स्थान ग्रहण न करने एवं बोलते रहने पर पुनः)

श्री रामचंद्र आर्य मैं पुनः आपको नाम से पुकारता हूँ। अगर आपने स्थान ग्रहण नहीं किया तो मुझे दूसरा कदम लेना पड़ेगा। मैं स्वयं इस प्रश्न पर उद्विग्न हूँ। आप भी उद्विग्न हें। कहीं न कहीं नियन्त्रण में आना पड़ेगा।

(श्री रामचन्द्र आर्य के बोलते रहने पर)

माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। सदन को छोड़दें।

(श्री रामचंद्र आर्य के स्थान ग्रहण करने पर)

अब बैठ जाइये। स्थान ग्रहण करिये।

शासकीय वक्तव्य नोखा तहसील (जि० बीकानेर) के तीन गाँवों में आंत्र-शोध सम्बन्धी वक्तव्य

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय, बिजली की गड़बड़ी के कारण से पानी की समस्या खड़ी हो गयी है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य।

जो प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया है उस पर वादविवाद न करें।

श्री पृथ्वीसिंह : लोगों के जीवन मरण का सवाल है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : वह रिजेक्ट हो गया है।

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में गांवों में बीमारी से हजारों आदमियों की मृत्यु के बारे में विधान सभा सदस्य श्री चुन्नीलाल इन्दलिया का स्थगन प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं।

बीकानेर जिले की नोखा तहसील के तीन गांवों से आन्त्र शोध के रोगियों एवं मृत्यु का समाचार सहायक निदेशक, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त हुआ। इन गांवों में कुल मिला कर २१ व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हुए एवं ११ की मृत्यु हो गई। सर्व प्रथम ग्राम सिनियाला में रोगियों के ग्रस्त होने की एवं मृत्यु की सूचना

+ + + अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार श्री रामचन्द्र आर्य का भाषण अंकित नहीं किया गया।

(चिकित्सा मंत्री)

चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नोखा को दिनांक ८. १२. ६८ को प्राप्त हुई। दिनांक १०.१२.६८ से रोग की रोक थाम एवं रोगियों के उपचार का पूर्ण प्रबंध अब कर दिया गया। इस गांव में दिनांक १.१२.६८ से १२.१२.६८ तक इस रोग से १३ व्यक्ति ग्रस्त हुए एवं ८ की मृत्यु हो गई। दिनांक १२ १२.६८ के बाद किसीभी रोगी की मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम लूनियावास में दिनांक २.१.६९ को ३ रोगी और १ मृत्यु एवं ग्राम डींग–सरी में दिनांक २२.२.६९ से २८.२.६९ तक ५ रोगी और २ मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। प्रस्ताव में वर्णित ग्रामों में सितम्बर, १९६८ से १० मार्च, १९६९ तक १७५७ अन्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की सूचना प्राप्त हुई है। इनमें से मुख्यतः रोगी दस्त एवं बुखार से पीड़ित बताये गये हैं। इस अवधि में इन रोगों से मरने वालों की संख्या १३ है।

अकाल क्षेत्रों में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी प्राकृतिक कारणों से भी मृत्यु होती है। पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के अतिरिक्त विशेष कार्यवाही केवल उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहाँ से किसी रोग विशेष का नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। नोटिफाई करने की प्रणाली पूरे देश में कुछ संक्रामक रोगों के लिए ही लागू की हुई है। इन संक्रामक रोगों से ग्रसित होने एवं मृत्यु होने का नोटिफिकेशन देने की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों की होती है। इस प्रकार सूचना प्राप्त होते ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोगियों के उपचार व बीमारी की रोकथाम के लिये हर सम्भव उपाय तुरन्त किये जाते हैं।

उक्त व्यक्तियों में से किन्हीं की भी मृत्यु अकाल सहायता कैम्पों में नहीं हुई है। इन सभी गांवों में डाक्टर और सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के दल रोग की रोकथाम के उपाय करने में सक्रिय है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा स्थगन प्रस्ताव जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह जी ने प्रस्तुत किया उसके बारे में निम्न सूचना सदन के सन्मुख प्रस्तुत करता हूँ।

चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर ने टेलीफोन पर सूचित किया है कि उनके क्षेत्र में आन्त्रशोथ की बीमारी से निम्नलिखित मृत्यु हुई है। १२-३–६९–८, १३-३–६९-७, १४-३-६९-३, १५-३–६९-३, १६–३–६९–५, और १७–३-६९ –१। इस बीमारी की सूचना तहसीलदार द्वारा १४–३–६९ को चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को मिली। उसने तत्काल डाक्टर शुक्ला, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गूंगा को भेजा जिसने ग्राम काश्मीर कार्णासर व आस पास की ढाणियों का दौरा करने पर बताया कि ये मौतें उपरोक्त ग्रामों की आसपास की ढाणियों में हुई है न कि किसी अकाल राहत कैम्प में।

इस आन्त्र शोथ की बीमारी का कारण जैसा कि चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर ने बताया है कि ग्रामीणों द्वारा बाजरी व जवार के साथ ज्यादा मिर्ची खाने से है। चिकित्सा अधिकारी ने उस क्षेत्र की तीन पीने के काम में लेने वाले कुओं के पानी का नमूना जांच हेतु लिया है। चिकित्सा अधिकारी को आदेश दे दिये गये हैं कि जो

(चिकित्सा मंत्री)

ज्वार व बाजरी राशन की दुकानों पर बिक रही है उसका नमूना लेकर जांच करावे तथा मरीजों की उल्टी व टट्टी की भी जांच करावें। दूसरा बीमारी का कारण यह बताया गया है कि जो व्यक्ति इन गांवों में रहते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन व विटामीन्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वहां के भोजन में पौष्टिक पदार्थ की कमी है। ग्राम काश्मीर व काणासर में अकाल राहत कैम्पों की स्थापना की जा चुकी है जिनकी देखभाल एक एक सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता करता रहा है एवं कर रहा है डा. बंसल के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि इस बीमारी से अकाल राहत कैम्प में कोई बीमार इस समय नहीं है। आन्त्रशोथ की बीमारी की रोकथाम की उपचार के लिए ग्राम काश्मीर में एक प्रथम उपचार केन्द्र स्थापित किया गया है जिसकी देख रेख एक कम्पाउन्डर करता है व काणासर में जो कैम्प स्थापित किया गया है उसकी देख रेख चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वयं कर रहा है तथा स्थिति पूर्ण नियन्त्रण में है बाड़मेर जिले में चेचक के रोग से ग्रसित कोई बीमार नहीं है। सारे बाड़मेर जिले में उदयपुर से विशेष स्टाफ भिजवाकर चेचक के टीके लगवा दिये गये हैं।

ग्राम सम व लुषाद जिला जैसलमेर की स्थिति के बारे में डा. बी. एम. राय जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर एवं सहायक निदेशक, मलेरिया, जोधपुर जो जैसलमेर जिले की देखभाल कर रहे हैं ने सूचित किया है। कि उन्होंने अकाल राहत कैम्पों का निरीक्षण २५–२–६६ को किया व डा. राठौर ने १०-३-६६ को किया। उनके नोटिस में आन्त्र शोथ को बीमारी से उपरोक्त ग्रामों में २०० व्यक्तियों के मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आन्त्रशोथ की बीमारी से २०० व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना निराधार प्रतीत होती है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अभी अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि २०० व्यक्तियों की मृत्यु नहीं हुई है तो वे कृपया इसका स्पष्टीकरण कर दें कि कितने आदमियों की मृत्यु हुई है और किस कारण से हुई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आन्त्रशोथ से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं हुई है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : आपने आन्त्र शोथ के बारे में पूछा है।

श्री भैरोंसिंह : किसी और दूसरी बीमारी से नहीं मरे ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जांच की गई तो आन्त्रशोथ से मरे यह नहीं पाया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने क्या जांच की है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : कोई भी मृत्यु आन्त्रशोथ से नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : यह जवाब का तरीका नहीं है। मेरे को जो सूचना मिली उसके आधार पर आप से पूछा है। मैं स्वयं कोई

(श्री भैरोंसिह)

डाइगनोसीस करने वाला नही हूँ और न गांव में कोई डाक्टर है । ऐसी हालत को देखते हुए अध्यक्ष महोदय विधान सभा से डाक्टर को भेजा जाये और वह डाक्टर कहे कि यह मृत्यु इस कारण से हुई है । हमने जैसे ही यह सुना उसके आधार पर हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार से यह जानकारी करना चाहते हैं कि वे कौन सी बीमारी से मरे और कितने मरे ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जो जांच की गई है और स्वास्थ्य अधिकारी वहां होकर आया है और वे वहां लगातार दौरा करते हैं, उनकी यह रिपोर्ट है कि किसी प्रकार से इस बीमारी से, आन्त्रशोथ से किसी की मृत्यु जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं, नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष : मृत्यु नहीं हुई है ।

श्री भैरोंसिह : यह अजीब बात है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब यह कहा जा सकता है कि मरने वालों की जांच की गई और वे ज्वार बाजरी के साथ मिर्च खाने से मर गये तो इस बात की भी जांच की जा सकती है और उनकी संख्या बताई जा सकती है ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : राहत कार्यों के बारे में, फैमिन के बारे में, कोई मृत्यु नहीं हुई है । यह कहा है ।

श्री भैरोंसिह : यहाँ तक कहा गया है कि काश्मीर में जहाँ कि कैम्प लगाया है, लोग मर गए, उसके आस पास की ढाणियों में लोग मर गये । मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि कैम्प में कोई नहीं रहता है । सब अपने अपने घर को चले जाते हैं और घर में रहते हैं । तीन, चार, पाँच मील की दूरी से लोग मजदूरी के लिए आते हैं और वे वापिस चले जाते हैं । सरकार जो कह रही है, टैक्नीकली कह रही है कि वहाँ पर कोई आदमी नहीं मरा है । यह मेरा मतलब नहीं हो सकता है । जो काम कर रहे थे, जब वे घर चले गये तो उन लोगों में से कितने आदमी मरे । इसकी मन्त्री महोदय जानकारी नहीं देना चाहते हैं । जो लोग मरे हैं वे किस बीमारी से मरे है । यह भी नहीं बताया है । मैंने स्वास्थ्य अधिकारी से पूछा, जिला चिकित्सा अधिकारी से पूछा, वह पूछा यह पूछा लेकिन यह नहीं पूछा कि कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और किस कारण से मृत्यु हुई है । आप यह जानकारी लेकर बतावें, यह कहें कि चूंकि हमने एडजोरनमेंट में आन्त्रशोथ के बारे में ही पूछा है, इसलिये उसका ही स्पष्टीकरण देंगे यह उचित नहीं है । जानकारी आपको मृत्यु के बारे में है या नहीं, यह बतावें ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : एक स्पष्टीकरण चल रहा है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं आपका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । आपने अपने एडजोरनमेंट मोशन में, जो दिया है, लिखा है कि जैसलमेर जिले में भी सीमालूणा सड़क राहत कार्य पर पिछले दिनों २०० व्यक्तियों की मृत्यु हुई । मेरी राय में किन्हीं भी राहत कार्यों पर कोई मृत्यु नहीं हुई है ।

Page No 59

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या एडजोरनमेंट में डिटेल्स दी जांय, नाम दिये जांय, तारीख दी जाय, किस बीमारी से मरे, विधान सभा से डाक्टर भेजा जाय, और वह सर्टीफिकेट दें कि अमुक बीमारी से अमुक मरा, यह सम्भव नहीं हैं। सरकार अपनी इन्फोर्मेशन को छिपाना चाहती हैं। मन्त्री महोदय, जिस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं, खासतौर से मृतकों के साथ कर रहे हैं, पीड़ितों के साथ कर रहें हैं, और आपके कथनानुसार १३ मार्च को मरने की रिपोर्ट आपको मिली है, १५ को मरने की सूचना आपके पास है, इसी प्रकार १७ तारीख तक मरे हैं, यह आपके विभाग को १३ मार्च को सूचना मिली है। अमुक बीमारी से मर रहे है और खासतौर से जो कैम्प है, ढाणियों के पास मर रहे हैं। उसके लिए क्या व्यवस्था आपने की है। आपने डिस्ट्रक्ट आफीसर को किस प्रकार के आदेश दिये हैं। बाड़मेर, जैसलमेर जहां कहीं अकाल राहत कार्य चल रहे हैं, जहाँ उनको पौष्टिक पदार्थ खाने को नही मिल रहे हैं, उनमें से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, यह जानकारी डिस्ट्रक्ट आफीसर केपास होनी चाहिये और जो तुरन्त जाकर इस बीमारी की रोकथाम की व्यवस्था करे। उसकी गिनती, मरने वालों के नाम, जिलाधीश के पास आने चाहिये। इस सम्बन्ध में आपने व्यवस्था की है ?

श्री पृथ्वीसिंह :(बाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी सिलसिले में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। एक प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। उसी के साथ में नहीं बोलेंगे।

श्री पृथ्वीसिंह : जो मौतें हुई हैं, उसी के सम्बन्ध में मैं सदन को सूचना देना चाहता हू। सरपंच लाणा ने सूचना दी है जिलाधीश और चिकित्सा अधिकारी को कि हमारे गांव में लगातार चार रोज से लोग मर रहे हैं। कलक्टर ने पांच रोज बाद में एक डाक्टर को वहां भेजा। वहां पांच आदमी मर गये और तीन आदमियों को जीप में ले गये और उसमें से एक अस्पताल में मर गया है। अगर किसी को शंका है, और मंत्री जी इसको देखना चाहते हैं तो वे मेरे साथ चल सकते हैं। गांव वालों से पूछ सकते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो सूचना मुझे मिली है, वह मैंने सदन के सामने रखी हैं। १२ तारीख को इत्तला मिली और १३ तारीख को डाक्टर पहुचता है वहां, काश्मीर में कैम्प है और जो दूसरा गांव है लूणा, उसके पास ही नजदीक ही; डाक्टर रहता है। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर का इन्चार्ज वहां बैठता है। १४ तारीख की जो रिपोर्ट है, उसके मुतबिक ३ डेथस् हुई है। १६ तारीख को ५ और १७ तारीख को एक डेथ हुई है। इसके बाद की कोई सूचना नही है। इस प्रकार से ज्यादा संक्रामक रोगों की इत्तला मिलते ही स्वास्थ्य आफिसर वहाँ पहुँचता है और रोक थाम का इन्तजाम करता है। एक वर्कर, कम्पाउंडर वहां कैम्प पर रहता है और ऐसी बीमारियों के बारे में नजदीक के डाक्टर को इत्तला कर देता है। जैसा माननीय सदस्य ने यहां बताया है, सीवालूणा रोड पर डेथस् हुई हैं। मेरे पास जो निश्चित सूचना है, जो सूचना आपने चाही है, उसके बारे में मैंने टेलीफोन पर पूछा है और वह

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

यह है कि संक्रामक रोगों से ग्रान्त्रशोथ से वहां पर २०० व्यक्तियों की कोई मृत्यु नहीं हुई है। ग्रान्त्रशोथ की बीमारी से कोई नहीं मरा है। बाद में सूचना प्राप्त कर ग्रौर जानकारी दे सकता हूं यदि माननीय सदस्य ग्राग्रह करते हैं। सीमा लूणा रोड पर किसी की मृत्यु नहीं हुई है। किस रोग से हुई है, वह भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। मैंने सदन को सूचना दी है, वह जो टेलीफोन से जितनी प्राप्त की जा सकती थी, प्राप्त की है। उसी के ग्राधार पर उत्तर दिया है कि कोई भी किसी संक्रामक रोग से मृत्यु वहां नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : ग्रापको क्या मालूम है। ग्राप तो यहां बंगले पर बैठे हैं। कलक्टर की इन्फोरेमेशन के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट हैल्थ ग्राफिसर की सूचना के ऊपर ग्राप कहते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : लोग इतनी संख्या में मर गये, यदि यह सही निकले तो मन्त्री जी त्यागपत्र दें ग्रौर यदि सही नहीं निकले तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने को तैयार हूँ। यह क्या ग्रापने तमाशा लगा रखा है। लोग मर रहे हैं ग्रौर मंत्री ग्रपने बंगलों में बैठे हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : इस प्रकार उत्तेरजित न हों, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : यह क्या स्पष्टीकरण है, मन्त्री महोदय का। इस सदन को गुमराह करने की ग्रापने चेष्टा की है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का चेलेन्ज स्वीकार करता हूँ २०० व्यक्तियों को यदि डेथ्स को वे प्रमाणित कर दें तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ।

श्री भैरोंसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय सीमा लूणा सड़क पर जितने गांवों में राहत कार्यों पर ग्रादमी लगे हुए हैं जो लगातार ग्रकाल से पीड़ित है वहां २०० मृत्यु हुई हैं, ग्रगर मेरी बात गलत निकलती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं सदन के सामने निवेदन करता हूं...ग्रापने जो ग्रपना पूरा स्टेटमेन्ट के लिए नोटिस दिया है उसमें एक में भी यह बात नहीं है...

श्री लादूराम सुलाणियाँ : पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर सर, सदन में इस्तीफा देने के बारे में जो बात कही गई है....

श्री ग्रध्यक्ष : यह पोइन्ट ग्रार्डर नहीं बनता। ग्राप स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलाणियां : इस सदन में इस बात का निर्णय किया जाय...

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। ग्रभी स्पष्टीकरण चल रहा है, स्पष्टीकरण हो जाने के बाद प्रश्न पूछें।

श्री लादूराम सुलाणियां : जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा क्या वे यह बात गलत साबित हो जाय तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। पहले उनसे लिखाकर इस्तीफा ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। आर्डर। मैंने आपके पोइन्ट को स्वीकार नहीं किया है आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बृजसुन्दर : जैसे कि अभी सदन के सामने बात है जो सवाल पूछा गया था कि पिछले दिनों सीमा लूणा सड़क राहत कार्यों पर २०० व्यक्तियों की मृत्यु हुई। यह पिछले दो साल में हो सकती है, एक साल में हो सक्ती है, चार महिनों में हो सकती है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं पिछले दिनों में सीमा लूणा सड़क राहत कार्य पर २०० व्यक्तियों की मृत्यु नहीं हुई है। किस किस व्यक्ति की किस किस कारण से राहत कार्यों पर रहते हुए मृत्यु हुई है वे कारण में सदन के सामने रख दूंगा या माननीय सदस्य रख दें, कौन से २०० व्यक्ति है।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न नहीं है।

श्री चुन्नीलास इन्दलिया : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया उसमें मैंने हरेक ग्राम में मरने वालों की सूची दी है जैसा कि मन्त्री महोदय न जवाब दिया...

श्री गिरधारी लाल व्यास : पाइन्ट आफ आर्डर सर। माननीय सदस्य जो प्रश्न रख रहे हैं उस संबंध में मन्त्री महोदय ने स्टेटमेन्ट दे दिया है। इस प्रश्न के संबन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न फेमिन के सम्बंध में डिसकस हो चुका है। जब एक प्रश्न डिसकस हो चुका है जिस पर माननीय सदस्यों ने कई बार विचार व्यक्त कर दिये। फिर बार बार इसी प्रश्न को यहां डिसकस करना उचित नहीं है। एक ही एक प्रश्न जो बार बार डिसकस हो गया है उसको वापिस नहीं उठाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये। मैं व्यवस्था देता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो अव्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं कोई भी प्रश्न उठाता हूँ सोच समझ कर उठाता हूँ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले के बारे में जो जवाब दिया है उससे मुझे खेद है भारी दुख है लेकिन माननीय मन्त्री महोदय को उन मृत्युओं पर कोई खेद और चिन्ता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिनको पता ही नहीं उनसे पूछने से क्या फायदा ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैंने ३६३ आदमियों की मृत्यु की सूची दी है। बीकानेर जिले में एक हजार से ऊपर आदमी मरे हैं। अगर मन्त्री महोदय मेरे चेलेन्ज को स्वोकार करते हैं। ५०० लाशें बीकानेर जिले में मरी हुई पड़ी है उनको बरामद करवा सकता हूँ वे मेरे साथ चलने को तैयार हैं। मेरे चेलेन्ज को स्वीकार करें।

एक माननीय सदस्य : ५०० लाशें बरामद करा दी जाय।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया: मैं जो बात कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ पांचू ग्राम में २५० मौतें हुई। सिवायतु म १३ मौते आपने स्वीकार की जब कि मैंने २७ की सूची दी है वहां आपको ३० मिलेंगी।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

२६ मिल जाय तो मैं त्याग पत्र देने के लिये तैयार हूँ । जिम्मेवार सदस्य के नाते मैं कह रहा हूँ उस इलाके में भयंकर बीमारी फैली हुई है लोग दिन रात मर रहे हैं । आपका विभाग निकम्मा विभाग है । फेमीन का जो काम चल रहा है बीकानेर जिले में वह बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन आपके विभाग की लापरवाही के कारण हजारों की तादाद में आदमी मर रहे हैं । मेरा चेलेन्ज स्वीकार करें ।

एक माननीय सदस्य : त्याग पत्र के चेलेन्ज को स्वीकार नहीं करेंगे ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ५०० आदमियों की लाशें बरामद करवा सकता हूं ।

महारावल श्री लच्छमणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा । विरोधी पक्ष इस मामले में बड़ा उद्विग्न है । मैं सरकार को आपत्ति में नहीं पटकना चाहता, एम्बरेसिंग पोजीशन में भी नहीं डालना चाहता । इस समस्या को लेकर मेरा दल कोई अनुचित राजनैतिक लाभ भी उठाना नहीं चाहता । लेकिन मंत्री महोदय मुझे यह सन्देह है शायद आप इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर चल रहे है अगर आप इसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हैं तो यह आपकी फाल्स सेंन्स आफ प्रेस्टिज है । एक तरफ माननीय सदस्य कहते हैं कि आदमी मरे है वे बीमारी से मरे हैं । इस सम्बन्ध में इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप इस सम्बन्ध में दरियाफत कराइये सीधा सादा प्रश्न है माननीय मन्त्री महोदय को चाहिये इस सम्बन्ध में मालूम करें और फाल्स सेन्स आफ प्रेस्टिज का अडंगा खड़ाकर बार बार खड़े होकर यह कहना कि यह गलत है उचित नहीं है । मैं भी यह मानता हूं यह बात तथ्यहीन नहीं हो सकती इतने विरोधी पक्ष के सदस्य कह रहे हैं माननीय जनसघ के नेता जैसे जिम्मेदार व्यक्ति कह रहे हैं । आप मेरे ख्याल में मैं निराशाजनक उत्तर देने के बजाय जिस में सदन की प्रतिष्ठा रहे इसके लिये मैं आपसे निवेदन करू कि जब इस प्रकार की बातें सदन में आती है तो उन बातों को आपको मानना चाहिये, आपको उस बारे में कहना चाहिये । सदन के जिम्मेदार व्यक्ति के नाते आप दरियाफत करें । आदमी मर रहे हैं और आप बंगले के अन्दर बैठे हुए हैं बंगले तंगले छोडिये और दरियाफत करिये ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, पहले सुनलें हमारी बात तो । माननीय सदस्य चुन्नीलाल इंन्दलिया ने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उसमें दस गांव के मृतकों की सूची दी है ।

ग्रामपांचू में	१७६
कासरदेसर जाटान व सौवा में	३०
ग्राम सूंजासर में	२५
ग्राम नाथूसर में	३०
ग्राम ढिंगसरी में	१३
ग्राम जांगालू में	४४
ग्राम सनिवाला में	२७
ग्राम भादला में	१७
ग्राम रूनियाबास में	३५
ग्राम भुरू में	२६

इतने आदमी मरे हैं रोग से । यह उन्होंने प्रस्ताव में बताया है और साफ कहा है कि

(श्री दौलतराम सारण)

पौष्टिक भोजन के ग्रभाव में, दुर्बलता के कारण बीमारियां फैली हैं उनके कारण ये मरे हैं ग्रौर स्पष्ट गाँवों के नाम देते हुए प्रस्ताव दिया है। इसके बाद भी सरकार की तरफ से मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं जिसके लिए माननीय सदस्य चैलेन्ज देकर कह रहे हैं कि यह जानकारी पर्याप्त नहीं है तो इस मामले में न तो विवाद का सवाल है न कोई किसी प्रकार का लाभ उठाने का सवाल है। सवाल तो सिर्फ इन्सानों की जिन्दगी की रक्षा का है। एक तरफ लोग भूख से बेचैन हैं, बीमारी से परेशान हैं, मर रहे हैं चिकित्सा की व्यवस्था चाहते हैं जो करना ग्रापका फर्ज है। रोजगारी की समय पर चुकारे की व्यवस्था चाहते हैं। मरने वालों की चिकित्सा की व्यवस्था करिये इसमें छिपाने की या बढ़ाकर कहने की ग्रौर गलत बयानी की कोई जरुरत नहीं है। शुद्ध मानवीय दृष्टिकोण से इस प्रश्न को लेना चाहिये। ग्रापके ग्रधिकारियों ने सही उत्तर नहीं दिये हैं तो उसके ग्राधार पर सदन में यह नहीं कहना चाहिये कि यह सही नहीं है। ग्रापको इसकी विस्तृत रूप से जांच करानी चाहिये ग्रौर मुकम्मिल व्यवस्था करनी चाहिये। यह भावनाग्रों के साथ इन्सान की जिन्दगी की रक्षा का सवाल जुडा हुग्रा है इस तरह से इसको लाइटली लेकर इन्कार करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी ग्रभी गिरधारीलालजी व्यास का सवाल डिसकस हुग्रा मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि ग्रान्त्रशोथ से नहीं मरे यह चर्चा बार बार उठी है। यह स्थगन प्रस्ताव में भी साफ तौर से दिया है कि पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण ग्रपौष्टिक भोजन के कारण उल्टी दस्तोंकी बीमारों के कारण ये मौतें हुई हैं। जब ग्रकाल मन्त्रीजी जवाब देते हैं तो वे कह देते हैं कि वे भोजन के ग्रभाव में नहीं मरे, ग्रपौष्टिक भोजन के ग्रभाव में नहीं मरे, बीमारी के कारण मरे होंगे। ग्रौर जब चिकित्सा मन्त्री से पूछते हैं तो कह देते हैं कि चिकित्सा के ग्रभाव में नहीं मरे। मर गये होंगे ग्रौर किसी कारण से। ग्रौर इस तरह से इस सदन को दुविधा में डाल देते हैं। ग्रापने व्यवस्था दी थी कि ग्रकाल के सम्बन्ध में रोज सवाल सदन के सामने ग्रावेंगे ग्रौर इसलिए इस पर समय समय पर विचार विमर्श सदन के सभी पक्षों में होना चाहिये। यहां पर भी होना चाहिये। इस सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने इस्तीफे की बात भी की है, जिस किसी की बात हो, मन्त्री महोदय की तरफ से वह चुनौती स्वीकार की गई है। ग्रागे ग्रब क्या होगा यह देखेंगे। पर मैं इस पर मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि वे चुनौती का फंसला तो ग्रागे होने दें, यह सरकार इन मामलों की पूरी पूरी छानबीन करने ग्रौर तथ्य मालूम करने के लिये सदन के कुछ सदस्यों की एक समिति बनावे जो इन ग्रारोपों को देखे। स्थान स्थान पर जाकर सही वाकयात मालूम करें ग्रौर सही स्थिति को सदन के सामने प्रस्तुत करे ग्रौर जिन्होंने भी सही स्थिति प्रकट करने में ग्रपने कर्त्तव्य का ग्रवहेलना की है उनके साथ क्या सुलूक किया जावे यह तै करे। यह किसी मन्त्री का मामला किसी चपरासी का मामला या किसी छोटे मोटे गबन का मामला नहीं है, यह मामूली मामला नहीं हैं, यह मानव के जीवन का मामला है। इसे सरकार स्वीकार

(श्री नत्थीसिंह)

करे। सदन को पूरी तरह से इस मामले में तसल्ली दिलाई जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं भी थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ। जब मन्त्री जी के पास सूचना पहुँच गई कि इतने मरे हैं तो मन्त्रीजी को स्वयं को वहाँ जाकर सारी स्थिति को देखना चाहिए था। क्या उनका वहां खुद का जाना जरूरी नहीं था। सब काम छोडकर वहाँ जाते। ऐसे प्रसंग पर भी अगर वे वहाँ स्वयं नहीं जा सकते और बंगले में बैठे हुकम चलाते रहते हों तो यह बहुत निन्दनीय बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्रीजी ने जो उत्तर दिया है वह विभागीय सूचनाओं पर आधारित है। आज अकाल जिस स्थिति में पहुँच रहा है उस में आज समाचार अलग अलग सूत्रों से निरन्तर आ रहे हैं और सरकार की ओर से लगातार इस प्रकार के उत्तर मिल रहे हैं कि ये मौतें अकाल में भूखों मरने से या चिकित्सा के अभाव में नहीं हुई। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मामला कोई मामूली नहीं है, आपने जैसे सड़कों का मामला मान रखा है या किसी ईरिगेशन का या ऐसा ही चोरी डकैती का मामला मान रखा है जिसको किसी तरह का उत्तर देकर टाल दिया जाए। इसको ऐसा मानकर आप न चलें। माननीय नत्थीसिंह ने जो प्रोपोजल रक्खा है इस हाउस में कि इस हाउस के सदस्यों की एक कमेटी मुकर्रर की जावे जो इमीजिएटली जाकर इस सारी स्थिति का स्वयं अध्ययन करे कि किसकी बात सही है और वास्तविकता क्या है ताकि मुकम्मिल प्रबन्ध किया जा सके और जो लोग या अधिकारी गलत या सही सूचना देने या न देने के दोषी हों और जिन्होंने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है उनको समुचित दण्ड दिया जा सके यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिये। और हाउस की कमेटी निश्चित तौर से इसके लिये नियुक्त की जानी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह जो सुझाव दिया गया है कि सदन की कमेटी बना दी जाय, इसका मैं भी समर्थन करता हूँ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : यह आज की बात नहीं है। चार महीने पहले से पत्रकारों ने भी इन सब बातों को छापा है। पंच, सरपंच के कहने पर कि आदमी मरते जा रहे हैं। इन सबके जवाब में सरकार स्टेटमेन्ट दे देती है कि नहीं मरे। सरकार के पास ऐसी कौनसी शक्ति थी कि एकदम पता लगा लेती थी कि नहीं मरे और यहाँ बैठे बैठे ही अखबारों के स्टेटमेन्ट का खण्डन कर देती थी। सरकार का यह सोचना चाहिए था उसकी पूरी छानबीन करनी चाहिए थी कि वास्तव में क्या हो रहा है। उसकी जानकारी लेनी चाहिए थी। अफसरों को तुरन्त वहाँ भेजना चाहिए था, खुद को जाना चाहिये था और फिर पूरा पता लगाना चाहिये था। आदमी और पशु उधर मर रहे हैं आपको इसकी चिन्ता नहीं। पर अखबारों में खण्डन जरूर पहुँच जाना चाहिये इसकी बड़ी चिन्ता है। तुरन्त आप खन्डन करते हैं। तो यह तो सारा पहले से चलता आ रहा है। मनुष्य मरते जा रहे हैं उनकी रक्षा करना उनके उपचार का प्रबन्ध करना,

(श्री विजयसिंह)

यह तो किया नहीं जा रहा है उल्टे सीधे जवाब जरूर दिये जाते रहे हैं।

तो इस पर से मेरा भी यही निवेदन है कि इन सब की जांच करने के लिये सदन के सदस्यों की एक समिति अवश्य बनाई जानी चाहिये और अगर उसकी जांच से साबित हो जाय कि वास्तव में मौते हुई हैं इस तरह से तो मन्त्री को अवश्य त्यागपत्र देना चाहिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय.... ...

श्री अध्यक्ष : अब इस पर भाषण नही होंगे। सब हो चुके हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, अकाल पीड़ित लोग वही होते हैं जो गरीब होते हैं, साधनहीन होते हैं। इसीलिए इनको अकाल की चपेट में आना पड़ता है। वह सरकार के पास पहुँचने में असमर्थ है। बड़े सरकारी कर्मचारियों में छोटी कौमों के लोग आफिसर नहीं जो छोटे लोगों की बात सुनी जावे ना ही मन्त्रि-मण्डल में उनके प्रतिनिधियों को किसी प्रकार का पावर है क्योंकि उनको पावर दिया हुआ है ही नहीं। खाली नाम के मन्त्री बना रखे हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में पिछड़ी जाति के लोग अकालग्रस्त होते हैं उनके लिये किसी प्रकार का दर्द न सरकारी अधिकारियों को होता है न किसी मिनिस्टर को होता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उनके प्रति किसी के दिल में दर्द नहीं है। हमारे राजस्थान में पिछड़े लोगों को पनपाया नहीं जाता।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : किसी प्रकार का....

श्री अध्यक्ष : क्या नाम है आपका ? स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। मन्त्रीजी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब से अकाल की परिस्थिति आई है तब से जहां तक चिकित्सा व्यवस्था का सम्बन्ध है मैं हर समय इस बात का प्रबन्ध करता रहा हूँ कि चिकित्सा की पूरी व्यवस्था हर जगह हो। शुरुआत में जब फ्लू का दौर आया और यहां व्यवस्था में कमी देखी तो डाक्टर और कम्पाउन्डरों को ओग्जिलरों को और वेक्सीनेटरों को सबको दूसरे दूसरे जिलों से बुलाकर लगाया गया। आज मैं कह सकता हूँ कि जहां तक डाक्टरों का, कम्पाउन्डरों का, आग्जिलरी हैल्थ वर्करों का और समय का सवाल है वहां तक उस समय में व्यवस्था में कभी नहीं आने दी गई है। चेचक आया। इसके लिये जहां कमी देखी तो वेक्सीनेटरों को उसी समय उदयपुर तक से बुलाकर भेजा गया। तो हरेक चीज जैसे ही ध्यान में आती है जिम्मेदारी के साथ उसकी व्य-वस्था करने में पीछे नहीं रहते। जो सूचना मेरे पास आज इकट्ठी हुई है वह वास्तव में जो आई वही मैंने निवेदन की है। यह बात

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ठीक है कि उनको मैं स्वयं वहाँ जाकर इकट्ठी करता पर उससे कोई सूचना प्राप्त होने में विशेष बात नहीं थी। मैं सदन जब शुरु हुआ तो उसके पहले सारे डिविजन में सूचना प्राप्त करके और दौरा करके आया था। फिर जो माननीय सदस्य ने जानकारी चाही उसकी सूचना का आधार जो कुछ भी है वह वहां के अधिकारी वर्ग की सूचनाएं हैं जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं जिला के मलेरिया अधिकारी हैं और दूसरे हैल्थ अधिकारी हैं उनकी सूचनाओं के आधार पर ही मैं कह सकता हूँ।

जहां तक इतनी मृत्यु का ताल्लुक है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं खुद सन्तोष करूँगा जाकर और देखकर कि वास्तव में क्या स्थिति है तो अपनी डिमाण्ड जो सदन में चल रही हैं उनके पूरा हो जाने के बाद २१, २२, २३, २४ के बाद मैं खुद भ्रमण करके सदन को सूचित करूँगा।

श्री नाथीसिंह : आप कमेटी की बात नहीं करते हैं क्या ?

श्री विजयसिंह : (मकराना) : इसका मतलब आदमी मरते रहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रश्न का एक पहलू हुआ। आपके पास इस समय वह आंकड़े नहीं हैं जिनके सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव में श्री चुन्नीलाल इंदलिया ने उल्लेख किया है और भैरोंसिह जी ने उल्लेख किया है या अन्य सदस्यों ने उल्लेख किया है। जो अन्य सदस्यों ने बात कही है आज सरकार इस स्थिति में नहीं है कि जब से राहत कार्य प्रारम्भ हुए हैं या राजस्थान अकाल की चपेट में आया है तब से लेकर आज तक राहत कार्यों पर लगे हुए मजदूर चाहे वह कैम्पों में रहते हैं या गाँवों में रहते हैं या ढाणियों में रहते हैं वे भूख से, प्यास से, बीमारी से, उल्टी से, दस्त से अपोष्टिक भोजन से क्या चिकित्सा मन्त्री बता सकते हैं कि सारी अवधि में कुल कितनी डैथ्स हुई हैं। यहाँ पर जो प्रश्न रखा गया है और माननीय सदस्य ने कहा है। आप कहते हैं कि मौतें नहीं हुई भूख से तो मौतें नहीं हुई तो फिर बीमारी से हुई होंगी, उल्टियों से हुई होंगी, दस्त से हुई होंगी, अपोष्टिक भोजन से हुई होंगी—बहरहाल डैथ्स तो हुई हैं और ५०० स्कैल्टन रेत में दबे पड़े हैं। आप चलें वहां उस जगह का निरीक्षण करें, आप वहाँ का दौरा करें राज्य सरकार को एतराज क्या है? इस सदन के तीन सदस्यों की समिति बन जाये वह रवाना हो, आखिर जिन्दगी और मौत का सवाल है, लोग मर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया कि आप जायेंगे और भ्रमण करेंगे। आखिर भ्रमण तो आप वर्षों से करते आरहे हैं। आप तो रेस्ट हाउस में ठहरेंगे, स्वागत करायेंगे, भाषण करेंगे, दावत लेंगे और इसलिए सदन की कमेटी अध्यक्ष महोदय एक गठित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में भी कमेटी बनती है। पार्लियामेंट की टीम्स आती हैं, अकालग्रस्त क्षेत्रों में जाती हैं, पब्लिक अण्डरटैकिंग्स की जाँच करने के लिए जाती हैं, आज पब्लिक इन्टरेस्ट के मामले पार्लियामेंट में खड़े किए

Page No 67

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जाते हैं उसके लिये अध्यक्ष महोदय कमेटीज अपाइन्ट होती हैं। सदन के माननीय सदस्यों की उद्विग्नता को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय, मै आपसे कहूँगा कि या तो आप सरकार के ऊपर दबाव डालें या फिर हाउस की कमेटी बनायें जिससे सही स्थिति की जानकारी करके कम से कम इस हाउस को, जो कि सावरिन हाउस है यहाँ पर जानकारी दे कि क्या स्थिति है वहाँ पर।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उसकी कमेटी होनी ही चाहिए।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय कोई कमेटी आप बना दें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने इसको स्वीकार किया है कि कोई समिति का गठन कर दिया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस सदन के प्रांगण पर तो ऐसी समिति का गठन नहीं किया जा सकता। यह एक सुझाव है और स्वीकार करने योग्य है। मैं विभिन्न दलों के नेताओं से मिलकर एक समिति का—लेकिन प्रश्न यह है कि २१ तारीख को डिमाण्ड्स हैं और यह प्रश्न फिर उठेगा ऐसा ही हो तो क्या यह सम्भव हो सकता है।

श्री नत्थीसिंह : डिमाण्ड २१ की तो २६ को ले लें और २६ की २१ को लेलें।

श्री अध्यक्ष : अभी मेरी डिमाण्ड तो पूरी होजाने दीजिए।

डिमाण्ड के समय यह प्रश्न नहीं उठे और प्रश्न उठता है तो क्या समिति इस क्षेत्र का दौरा करके, और निरीक्षण करके अध्ययन करके कह सकती है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इतना सम्भव नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : तो यह दुविधा उस समय वही की वही होगी। ईसलिए मैंने निवेदन किया है कि इस प्रश्न से मैं माननीय सदस्यों को सजग करदूं। आगे यही स्थिति उत्पन्न हो तो मैं उस पर नियन्त्रण रखूंगा और इसके बारे में मैं चैंबर में जाऊं तो प्रतिनिधियों को बुला कर कितने मेम्बर्स की यह कमेटी होनी चाहिए कब उसका कार्य प्रारम्भ हो सारी स्थिति पर विचार कर लिया जायेगा। अब मैं इस प्रश्न को समाप्त करता हूँ।

माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह अपना स्टेटमेन्ट दें।

गंगानगर मण्डी के एक लड़के के अपहरण सम्बंधी वक्तव्य

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, गत ११-३-६९ को दिनके १० बजे गंगानगर मण्डी के निवासी श्री चन्दूमल ने पुलिस में रिपोर्ट की कि उसका दोहिता उमेशकुमार उम्र १० साल १०-३-६९ को शाम को करीब ६ बजे अपनी बहिन को लेने स्कूल गया था तब से वापिस नहीं लौटा है और उसका कोई पता नहीं है अतः उसकी तलाश कराई जाये। इस इत्तला पर थाने के रोजनामचा आम में

(श्री हीरालाल देवपुरा)

रिपोर्ट दर्ज की गई और गुमशुदा बच्चे उमेशकुमार की तलाश के लिए जाप्ता पुलिस को हिदायत की गई। मुनादी कराई गई तथा इलाके के बदमाशान से तलाश और सरागरसी की गई।

इस बीच १४-३-६९ की रात ९ बजे के करीब गुमशुदा बच्चे उमेशकुमार के नाना श्री चन्दूमल ने पुलिस अधीक्षक गङ्गानगर को सूचना दी कि उसके पास एक पत्र इस मजमून का आया है कि हनुमानगढ से सूरतगढ जाने वाली गाड़ी के आगे से तीसरे डिब्बे में १५,००० रुपया एक अटेची में बन्द करके उसी रात रखदे तो लड़का वापिस मिल सकता है। इस पर पुलिस अधीक्षक गंगानगर ने एक ट्रेप की व्यवस्था की और इस बात का इन्तजाम किया कि चंदूमल एक खाली अटैची लेकर गंगानगर से उस गाड़ी में चढ़े। साथ ही सादे कपड़े में दो पुलिसमैन भी उस डब्बे में कुछ स्टेशन पहले से चढ़ा दिये जायें ताकि यदि कोई लोग रुपया लेने आवें तो उनकी गिरफ्तारी की जा सकें। खुद चंदूमल अपने एक जान पहचान वाले को यह कह कर कि उसकी अटेची डब्बे में रखखी है उसका ख्याल रखें, डब्बे से उतर गया।

गंगानगर से सूरतगढ तक कोई उस अटेची को लेने नहीं आया चुनाचे चन्दूमल का परिचित व्यक्ति उस अटेची को लेकर उतर गया। इसके बाद तारीख १७-३-६० की रात को सरदार करतार सिंह नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट की कि उस का नौकर खेत पर गया था वहां उसने एक बदबू देती हुई आदमी की लाश देखी। चुनाचे पुलिस ने मौके पर पहुँच कर उस लाश को बरामद किया। लाश कच्छों आदि से गुमशुदा लड़के उमेश कुमार की शनाख्त हुई। लेकिन लाश केवल हड्डी का ढांचा मात्र रह गई थी और उसका मांस गलकर अलग हो गया था। तारीख १८-३-६९ को ११ बजे लाश का पोस्टमार्टम हुआ और डा० की यह राय करार पाई कि पोस्टमार्टम के समय से तीन से पांच दिन पहले इस लड़के की मौत हुई है। लाश पर जख्मी आदि की पहचान नहीं हो सकी और जरूरी मुद्दे सील किये जाकर केमिकल परीक्षा के लिये रख लिये गये।

इस मामले की सूचना जब तारीख १८-३-६९ को गृह मन्त्री को मिली तब उन्होंने डी० आई० जी०, सी० आई० डी० को जयपुर से इस बात को जांच करने के लिए भेजा कि इस मामले में किसी पुलिस आफिसर की गफलत तो नहीं है। यह जांच कराने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि सूचना मिली थी कि तारीख १८-३-६९ को गंगानगर मण्डी से हड़ताल है और साम्यवादी दल के सदस्य श्री हेतराम बेनीवाल और जनसंघ के सदस्य श्री आत्माराम के नेतृत्व में करीब २०० आदमी जिलाधीश गंगानगर के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि थानेदार को मोअत्तिल किया जाये। यदि डी० आई० जी०, सी० आई० डी० की जाँच से थानेदार की प्राइमाफेसी गफलत पाई गई तो निलम्बन आदि की कार्यवाही फौरन की जा सकेगी। उमेश कुमार की मृत्यु के बाबत दफा ३०२ ता०हि० में मुकदमा कायम कराया जाकर स्पेशल आफिसर द्वारा तफतीश कराई जा रही है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

डी० आई० जी० बीकानेर रेंज भी मौके पर पहुँच चुके हैं और तफतीश उनकी निगरानी में हो रही है । इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुकदमें तफतीश और कातिल की तलाश में किसी तरह की कोताही नहीं की जायेगी और यदि किसी पुलिस आफिसर की इस मामले में गफलत पाई गई तो उसके निस्बत भी तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जानकारी दे दें कि पुलिस को इत्तला किस तारीख को मिली कि १५,००० रुपये अमुक अमुक स्टेशन के बीच में डिब्बे में लेकर आयें ? यह किस तारीख को पुलिस को इत्तला मिली और किस तारीख को ट्रेप किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : १४–३–६६ को इत्तला मिली ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ट्रेप कब किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जिस समय कहा था कि फलां ट्रेन पर मिल जायें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तारीख पूछ रहा हूँ ।

श्री हीरालाल देवपुरा : Same day.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १४ तारीख को इत्तला मिली और ट्रेन में जाकर ट्रेप किया गया तो इसका मतलब यह है कि १४ तारीख तक उस लड़के को नहीं मारा गया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसका अभिप्राय यही हो सकता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : जो वस्तु स्थिति है मैंने वह रख दी । १४ तारीख को पुलिस ने कार्यवाही की, १७ तारीख को यह इत्तला मिली कि इस तरह की लाश है और १८ को उसका पोस्टमार्टम कराया गया और डाक्टर ने राय दी वह मैंने निवेदन कर दिया । मैं नहीं कह सकता कि किस समय उसका हुआ, कैसे हुआ, किस वक्त हुआ यह तफतीश जारी है और माननीय सदस्य चाहेंगे तो सारा का सारा आपकी जानकारी के लिए रख दिया जायेगा ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल इसमें एक बात और बता दें कि १० मार्च से जब वह लड़का गुम हुआ, जो लड़का अपनी बहन को लेने स्कूल गया था उसकी उम्र थी ८ साल की और उसकी रिपोर्ट कर दी उसके नाना चन्दूलाल ने तो उसके बाद लड़के की गुम शुदगी की तलाश किये जाने के सिलसिले में १० तारीख को रिपोर्ट होने के बाद १४ तारीख तक जब कि दूसरी इत्तला मिलती है इस बीच में वहाँ की पुलिस ने उसकी बरामदगी के सिलसिले में गुण्डों को गिरफ-तार करने के सिलसिले में कार्यवाही की थी इस मुकदमें के सिलसिले में ?

श्री दामोदर लाल व्यास : आपको बताया माननीय मंत्रीजी ने कि रिपोर्ट हुई तो गुमशुदा की तलाश के लिए पुलिस को हिदायत की गई और मुनादी कराई गई, और जो बदमाश लोग हैं उस इलाके के जो कि रजिस्टर्ड हैं उनसे सुराखरसी की कार्य वाही करने की कोशिश की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोशिश की गई ? कोशिश की गई, यह की यह सब कुछ करते हैं पर मैंकान्क्रीट सबस्टेन्शल रेकार्ड पर पूछना चाहता हूं कि उसका डिटेक्शन नहीं हुआ तो १० तारीख को रिपोर्ट होने के बाद कि ८ साल के लड़के को उड़ाया गया है जो कि स्कूल अपनी बहन को लेने गया था तो उसके बाद इन्वेस्टीगेशन डायरी में या रोजनामचे में जो कर्यवाही होती है वह लिखी जाती है तो १० तारीख के बाद में जो नियमित रूप से उसमें कार्यवाही लिखते हैं केस डायरी में तो ११, १२, १३ और १४ तारीख को दूसरी रिपोर्ट मिलने के बाद ट्रेप से पहले पहले इस संबंध में लड़के को तलाश के लिए पुलिस के थानेदार ने क्या क्या कार्यवाही की ? यदि यह जानकारी हो तो दे दें नहीं तो ना कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस मामले की इत्तला कल तीन बजे मुझे मिली तो इत्तला के मिलते ही मैंने तुरन्त डी० आई जी, सी आई ० डी ० को रवाना कर दिया उनसे टेलीफोन पर जितनी इत्तला मिली है वह मैंने आपको बताई है। यह इत्तिला है कि गुमशुदा बच्चे की तलाश के लिए पुलिस को हिदायत कर दी गई थी और मुनादीकरा दी गई थी और उस इलाके के जो बदमाशान हैं उनसे सुराखरसी की है इतनी बात मिली है। १० तारीख से १४ तारीख तक क्या हुआ क्या नहीं वह आज मैं सदन में कहने की स्थिति में नहीं हूँ। दो डी ० आई ० जी वहाँ पहुचे हैं, एक तो डी ० आई० जी रैन्ज और एक डी ० आई ० जी सी ० आई ० डी ० वे इस मुकद्दमें की तफतीश कर रहे हैं। डी ० आई ० जी, ० सी ० आई ० डी ० इस बात की जांच कर रहे हैं कि इस मामले में पुलिस के किसी आफिसर की गलतफहमी या लापरवाही नहीं रहे। १० तारीख से १४ तारीख तक क्या कार्यवाही हुई है तो टेलिफोन पर जितनी जानकारी मिली है वह कह दी है। उस के बारे में इस वक्त नहीं कह सकता हूं मिलने पर दे सकता हूँ।

श्री केदार नाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी जानकारी मिली है कि पुलिस ने जो ट्रेप किया है उसका भेद उस गिरोह को पुलिस के मारफत मिल गया है इसलिए ट्रेप सफल नहीं हुआ और दूसरी बात यह है कि १० तारीख से १४ तारीख तक किसी से उस एरिया के लोगों से बात नहीं की गई है और न किसी को निगरानी के लिए बैठाया गया है, किन्हीं भी गुण्डों को, बदमाशों को बुलाया नहीं गया और तीसरी बात यह है कि आज भी हड़ताल है शहर में और लोगों में बड़ी घबराहट है।

यह पहला ही वाकया नहीं है। एक बच्चा आज से ६ महीने पहले भी उठाया गया है उसका मालूम नहीं हुआ है। ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं लेकिन इसका कुछ भी होम मिनिस्टर साहब ने नहीं किया है इसको स्पेशल केश बनाकर। इसमें झगड़ा क्या होता है कि पजाब से गुण्डे आते हैं जो कि

(श्री केदारनाथ)

रिक्शा चलाते हैं और वहां रहते हैं। वे रहते ही नहीं लेकिन पनाह पाते हैं। हमारा पंजाब की पुलिस से कोई कोग्राडिनेशन नहीं है इसलिए आज तक ट्रेस नहीं होते हैं ना ही कत्ल के केस, ना ही डकैती के केस और ना ही मार-पीट के। ये वाकयात हैं इसलिए यह मत कहो कि एस० पी० की खिलाफत करते हैं या किसी मोटिव से यह करते हैं। बड़ा ताज्जुब है कि अगर एक बच्चे के तीन टुकड़े करके डाल दिया जाय। वहां उपाध्यक्षजी, ऐसा इलाका है कि एक एक इंच पर लोग रहते हैं। हर जगह बस्ती है। वह कोई बाड़मेर या जैसलमेर का इलाका तो है नहीं जहां कि दूर दूर पर बस्ती हो इसलिए ये वाकेआत करते हों। इसलिए ये जो वाकेआत करते हैं वे पुलिस की मारफत करते हैं और किये गये हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है यह घटना बड़ी दर्दनाक और बड़ी दुखद घटना है, और उसपर मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूँ कि इस का पता लगाने की पूरी कोशिश होनी चाहिये और जैसा कि मैंने कहा है पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस के ट्रेप की पुलिस के जरिये इत्तिला मिल गई है मेरे पास ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है जिसके बिना मैं कह सकूं इसलिए मैंने डी० आई० जी०, सी० आई० डी० को भेजा है तफतीश के लिए। ट्रेप की बात जिस पुलिस आफिसर के सामने बतलाई गई थी वे वहां के एस० पी० श्री शेखर थे जिनको माननीय सदस्य जानते होंगे जिनके पास लड़के का नाना गया था और उन्होंने इस ट्रेप का इन्तजाम किया था। इसलिए मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि उनके जरिये से, उनके यहां से ट्रेप का पता किसी को लग सकता है और चिट्ठी भी जेनुइन थी या नहीं थी इसके लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि जांच नहीं हो जाय। यह बात जरूर थी कि १४ तारीख की रात को जब एस० पी० के पास चिट्ठी लेकर गये तो उन्होंने इन्तजाम कर दिया ट्रेप का। दो सादे लिबास में आदमियों को जीप में भेजा।...........

श्री भैरोंसिंह : दो सादे लिबास में आप कह रहे हैं कि आदमियों को भेजा जीप में तो जिस कार में चन्दूलाल गया था तो कार के पीछे पुलिस वाले जीप में गये और जीप लोगों ने देख ली। उस समय चन्दूलाल ने प्रोटेस्ट भी किया था कि मेरी गाड़ी के पीछे जीप नहीं जानी चाहिए। जीप गई इससे मुलजिमान नहीं आये।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जो सूचना देना चाहें दे सकते हैं। हरेक सूचना की जांच करा लूंगा और उस पर फैसला करेंगे। जैसी सूचना दी है उसकी जांच करवा लूंगा और तफतीश से आपको सन्तोष होगा। आप कहेंगे उस आफिसर से तफतीश करा लूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह जो फर्माया गया है कि एस० पी० ने ट्रेप किया है तो एस० पी० के पास जो पुलिस के कर्मचारी थे उनके द्वारा उन गुण्डों को सूचना मिल सकती है, और जो जीप गई है तो जीप के अन्दर पुलिस के कर्मचारी थे तो

Page No 72

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

उनसे क्यों नहीं पूछताछ करते हैं ? और माननीय उपाध्यक्ष, मैंने सुना है कि जिस लड़के की हत्या हुई है उसके अन्दर पुलिस कर्मचारियों का निश्चित हाथ है और जिन गुण्डों ने की है उन गुण्डों के अन्दर वे शामिल हैं। इसलिए मैं माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम जिस प्रकार से गुण्डों से पूछताछ करते हैं तो वे जो जीप में जाने वाले पुलिस के कर्मचारी हैं जो कि उस समय वहां पर मौजूद थे उनसे कड़ाई के साथ पूछ-ताछ करें ताकि इनसे सुराग लग सके।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो मैं अर्ज कर चुका हूं, माननीय उपाध्यक्ष, कि पुलिस के कर्मचारी जीप में गये। माननीय भैरोंसिंह जी ने....

श्री भैरोंसिंह : टेलिफोन से वहां के सरपंच ने बताया है कि कर्मचारी जो भी गये थे उसी वक्त जीप में चले गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर ऐसा है तो उसकी जानकारी आपसे लेकर जाँच कराने का मैंने वायदा किया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में दो शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ। माननीय गृहमंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह असन्तोषजनक नहीं है। माननीय सदस्य प्रोफेसर श्री केदारनाथ जी ने जो वहां के सदस्य हैं और जिनको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त है उस सम्बन्ध में जो उन्होंने आरोप लगाये हैं, सुझाव दिये हैं और जो भी आपको बात कही है मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री जी उस पर विशेष ध्यान देंगे और उसके सम्बन्ध में जो कुछ हो सके करेंगे। यह बड़ी निर्दयता का प्रश्न है और बड़ा हीनियस और रेप्रिहेन्सीबल आफेन्स है। इस सम्बन्ध में सरकार और पुलिस विभाग जो कुछ भी हो सके करे और कोई कसर बाकी न रखकर जो दोषी हैं उनको सजा देने के लिए व्यवस्था करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय :

श्री दामोदरलाल व्यास : यह, माननीय उपाध्यक्ष, मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कोई उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह बात सत्य है जो कि अभी टेलिफोन से मालूम हुई है कि १० तारीख को रिपार्ट दर्ज करने के बाद भी किन्हीं भी बदमाशों और गुण्डों को एप्रिहेण्ड नहीं किया गया होम मिनिस्टर साहब इसको ही काफी वजनदार नहीं समझते हैं कि स्थानीय थानेदार, स्थानीय आफिसर ने जिनकी जिम्मेवारी थी प्रिवेन्शन और डिटेक्शन के लिए वे इस प्रकार की कार्यवाही कर सकते थे जो कि उन्होंने नहीं की तो इसी बिना पर उनको निलम्बित करना, सस्पेन्ड करने के लिए काफी नहीं समझते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी आपसे निवेदन किया है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

डी० आई० जी०, सी० आई० डी० और डी० आई० जी०, रेन्ज को इस बात के लिए भेजा है कि वे इस बात की खास तौर से जांच करें कि इसमें किसी पुलिस आफिसर की गफलत या लापरवाही है क्या ? मैं सदन को यह और कहता हूँ कि जो एस० एच० या सब-इन्सपेक्टर वहां पर थे उनको हटाने के लिए आदेश दे दिये गये हैं कि वे वहां पर नहीं रखे जाय तफतीश के अन्दर ताकि तफतीश निष्पक्ष हो सके और उस पर कोई असर न हो।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामचन्द्र आर्य : गृह मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूँगा कि गंगानगर जिले के अन्दर जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और एस० पी० के बारे में जिक्र किया है वे बहुत अच्छे आदमी हैं राजेन्द्र शेखरजी, लेकिन जो वहां पर तबादले किये जाते हैं थानेदारों के और दूसरे अधिकारियों के वे यहां से होते हैं और उन पर उनका कन्ट्रौल नहीं है। इसलिए वे ही उस इलाके में गुण्डागर्दी फैलाते हैं। जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे कोई सही व्यवस्था नहीं हो सकेगी। इसका इन्तजाम करवायें तो वह इन्तजाम अच्छा चलेगा, और आपने यह एन्क्वायरी करने के लिए यहां से अधिकारी को लगाया हैं ...

श्री दामोदरलाल व्यास : यह स्थगन प्रस्ताव दूसरा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसको सुराग नहीं मिल सके। इस प्रकार की घटनाएं रोजाना गंगानगर जिले में होती रहती हैं। साल भर के आंकड़े आपने दिये हैं। ६९ कत्ल हुए हैं। आपको यह देखना पड़ेगा कि गंगानगर जिले में गंगानगर जिले के पुलिस वाले प्रशासन में दखलन्दाजी नहीं करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह क्या, दखलन्दाजी नहीं करें ?

श्री रामचन्द्र आर्य : वहाँ जो गुण्डागर्दी हो रही है आपको सोचना पड़ेगा। आप नहीं सोचते हैं तो आप कुर्सी पर नहीं रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! माननीय सदस्य, भाषण को लम्बा न करें।

श्री रामचन्द्र आर्य: गंगानगर जिले मे लोगों को जान और माल की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। रोजाना कत्ल होते हैं, वारदातें होती हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। इस जवाब देही को आप टालना चाहते है। आप इन्कवायरी नहीं करायेंगे, आप उन मुलजमों को पकड़ नहीं सकते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। आपको सही तरीके से विचार करना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्कूल गोइंग बोइज एण्ड चाइल्ड के गुमशुदा होने पर इसके सम्बन्ध में क्या आप निदेश देंगे कि स्कूल गोइंग बाइज एण्ड चाइल्ड्स के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गुमशुदा की रिपोर्ट होने के बाद वहां के अधिकारी उसके सम्बन्ध में फौरन कार्यव ही करेंगे। मैं प्रासीजर की बात नहीं कहता लेकिन ऐसा रखा जा सकता है कि कोई भी इस प्रकार की घटना हो उसका सूचना वायरलैस के द्वारा भेजनी चाहिए। मुलजिमों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। यहां पर भी ऐसी सूचना होनी चाहिए। कहीं पर भी ऐसा इन्सीडेंट हो—आप इस प्रकार के सीरिअस इन्स्ट्रक्शन्स गवर्नमेंट स्तर पर जारी करेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता: बहुत छोटा सा सजेशन है।

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा हो जाएगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जो शराब पीने वाला नहीं हो, उसको आप ऐसी जगह भेजें।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, जो मामला इस सदन के अन्दर है वह बड़ा गम्भीर है, बड़ा विचारणीय मामला है। इस प्रकार की घटनाएं होना क्योंकि यह पहली घटना नहीं है। गंगानगर जिले के अन्दर जून ६८ से लेकर अब तक ६९ मर्डर हो चुके हैं। आये दिन मारपीट होती रहती है। इन घटनाओं को रोकने के लिए गृह मन्त्री जी कोई न कोई स्थाई व्यवस्था करेंगे। केवल एक मामले की बात करने से जुर्म को रोक नहीं सकेंगे। गंगानगर जिले में वर्षों से एस. एच. ओ. लगा रखे हैं। उनको एक थाने से दूसरे में भेज दीजिये उनकी बदमाशों के साथ सांठ गांठ है। गंगानगर जिले का पुलिस प्रशासन ठीक करें। वहां के लोगों की जानमाल की सुरक्षा की जाए। यह एक मामले को इन्क्वयरी से समस्या हल होने वाली नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, इसमें कोई शक नहीं कि सुझाव बहुत शानदार है। मैं जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन पहले से ही हैं। माइनर गर्ल्स और बापूज के गुमशुदा की रिपोर्ट पर वायरलैंस से इत्तला करनी चाहिए और गश्त करने वाली टुकड़ियां हैं, फौरन उनको हिदायत करें। ताहम मुफस्सिल हिदायत जैसा माननीय सदस्य ने कहा है वह जारी कर देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या थानेदार से ऐसा किया गया है ?

श्री दामोदर लाल व्यास मैं डिफेण्ड करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। इसमें जोश खरोश से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सहयोग चाहता हूँ जिस लाइन पर आप बतायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने कल भी कहा था कि डेढ़ बजे सूचना मिली।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

बेरी कमीशन-प्रतिवेदन के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में माननीय सतीशचन्द अग्रवाल द्वारा घोषित धरने पर चर्चा तथा कुछ समय के लिए स्थगन।

Page No 75

श्री केदार नाथ : (श्री गंगानगर) कल माननीय सतीशचन्द्र जी ने एलान किया था धरने का। पिछले पांच सात रोज से रोज चर्चा हो रही है लेकिन बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार मौन बैठी है। हमारी मांग है कि फौलो अप एक्शन के लिए हाई-कोर्ट के मौजूदा जज या रिटायर जज को नियुक्त किया जाय। मान्यवर, बजट डिबेट में चीफ–मिनिस्टर ने इन्टरवीन करते वक्त इस सम्बन्ध में कहा था। हालाँकि उस वक्त यह टापिक नहीं था, कोई कन्टेक्स्ट नहीं था। मगर आज राजस्थान में जो उफान पैदा हो रहा है कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट को सरकार माने। यदि सरकार नहीं मानती है तो इसका कोई न कोई हल निकाले। लेकिन न तो सरकार पोलीटिकल पार्टीज के लीडर्स को कान्फीडेंस में लेकर हल निकालती है, न कोई रास्ता निकालती है, बस एक पीस मील तरीके से एक कमेटी को नियुक्त कर दिया है जिसके चेयरमैन भूतपूर्व जयपुर स्टेट के महाराजा हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज मूवमेंट की गति कम है, और अगर सरकार का यह ख्याल हो कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, और सरकार यह सोचना चाहती है कि किसी तरह से २८ तारीख निकल जाय, किसी न किसी तरीके से एश्योरेन्स देकर। कल होम मिनिस्टर रिप्लाई इस मामले में दे रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे तो उनका रुख काफी नरम था–मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं नहीं मानता, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि आज मान लूं। पहले कुछ और वह बोले थे और अब कुछ और बोले हैं....

श्री दामोदर लाल व्यास : कुछ फर्क नहीं है।

श्री केदार नाथ : मेरा निवेदन है कि बीस तारीख से इस पर कोई यूनीलेटरल एक्शन नहीं हो, इन्डीविजुअल एक्शन नहीं हो, सबने मिल कर, सारे लोगों ने मिल कर फैसला कर और बहुत सोच कर आन्दोलन किया है। व्यास जी ने निवेदन किया था कि इन्हें कुछ समय मिले। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यह काम सतीशचन्द्र जी अब अकेले का नहीं है। सारी पोलिटिकल पार्टी यूनाइटेड होकर कलेक्टिव एक्शन में और अब इस अपार्चुनिटी को मिस न करें। इसलिए भाई सतीशचन्द्र जी अपने एलान को, सरकार को कुछ और वक्तव्य देने की दृष्टि से; अपने फैसले को वापिस लें।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन है कि यह विषय आगे बढता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सरकार समझती है कि यह बातों में टलने वाला है। मैं सारे दलों की ओर से कहना चाहता हूँ कि यह सारे विरोधी दलों की प्रतिष्ठा का सवाल है। यह सतीश जी अकेले का सवाल नहीं है। हम सब सतीशजी के साथ हैं। लेकिन अभी हमने इस समस्या पर बैठ कर विचार नहीं किया है। सतीशजी ने जो विचार किया है। हम सरकार को २४ घण्टे का टाइम और देना चाहते हैं। सरकार क्या करना चाहती है? वरना जो सतीशचन्द्रजी ने निर्णय लिया है, हम सब उसके साथ हैं। हम सब स्ट्रांग एक्शन लेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ता माननीय प्रोफेसर केदार जी, माननीय सदस्य

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

श्री बद्री प्रसाद जी ने जो निवेदन किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं एक हद तक इस सम्बन्ध में अनभिज्ञ नहीं हूँ कि सरकार की भी मजबूरियां और कमियां हैं लेकिन सरकार को चाहिये और सरकार अगर चाहे तो इस समस्या का खूबसूरती से हल निकाल सकती है। यह कोई ऐसी मुश्किल या असम्भव बात नहीं है। मेरे सम्माननीय सदस्य, मेरे मित्र श्री सतीशचन्द्र जी अग्रवाल को भी मैं पुरजोर यह निवेदन करूँगा, उनकी भावना की कद्र करते हुए, उनकी भावनाओं की इज्जत करते हुए, उनकी भावनाओं के साथ सद्भानुभूति रखते हुए कि वह थोड़ा सा उग्र न होकर कुछ शांत रहें और सरकार को कुछ समय दें। मैं आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करके, उदारतापूर्वक विचार करके एक खूबसूरत इस समस्या का हल निकाले।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन इस सम्बन्ध में है कि माननीय सतीशजी थोड़ी कृपा करके गम्भीरता के साथ सोचें और अभी जो निर्णय लिया है धरना देने का उसको स्थगित करें। साथ ही मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बेरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, उसके अनुसार जिन जिन को सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा मिले–इसके लिए आप जरूर आश्वासन दें। और जिस तरह से यदि जज को नियुक्त करना चाहें तो जज को नियुक्त करें, बयानों को दिखवा लें और ऐसा आश्वासन दें कि जिससे सदन में शांति फैले, साथ ही साथ जो अशांति फैली हुई है जयपुर नगर में और सभी जगह वह भी दूर हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बेरी कमीशन का प्रश्न केवल विरोधी पक्षों का नहीं है बल्कि सरकार की तरफ बैठने वाले कुछ माननीय सदस्यों ने, जो उसमें नतीजे पर पहुँचे हैं, उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के बारे में मांग की थी। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बहस के समय हमारी तरफ से, इस तरफ से सरकार को जोरदार शब्दों में कहा था कि आखिरकार गोलीकाण्ड के बारे में इस प्रकार मान लिया जाय कि वह अनुचित था तो उसके लाजिमी नतीजे जो होते हैं उससे सरकार फर्क नहीं कर सकती, खास तौर से उस स्थिति में जब खुद सरकार एक दोषी के रूप में, उस कमीशन के सामने एक पार्टी के रूप में मौजूद हो। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हमने जो भी वैधानिक तरीके हैं उनके द्वारा इस विधान सभा के आंचल से सरकार के सामने अपने विचार रखे और लोक सभा में भी अपने प्रतिनिधियों के जरिए इस प्रश्न को रखवाने का प्रयत्न किया है। हम इसको केवल विरोधी पार्टी का प्रश्न न मान कर जनतन्त्र और डेमोक्रेटिक न्याय का प्रश्न बना कर, क्योंकि यह वास्तव में प्रश्न है, इस प्रश्न को उठा रहे हैं। मुझे खेद है, माननीय सतीशचन्द्रजी, जब कि सभी लोग यह महसूस करते हैं, इस सम्बन्ध में एक इस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे यह केवल उनका अकेले का प्रश्न हो, या अकेले उनकी कान्स्टीट्यूएन्सी का प्रश्न हो। मैं समझता हूँ कि जब तमाम दल इन बातों पर विचार करके कोई कदम उठाते हैं तब

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस प्रकार अकेले निर्णय करके वह कदम उठायें तो वह भावावेश में उठाया होगा और इस सम्बन्ध में होने वाले आन्दोलन को लाभ नहीं बल्कि नुकसान पहुँचेगा। यह केवल जौहरी बाजार में हुआ हो, सतीशचन्द्रजी की कान्स्टीट्यूएन्सी में हुआ हो या जयपुर में हुआ हो, ऐसा नहीं है। यह केवल जयपुर, जौहरी बाजार या सतीशचन्द्रजी का प्रश्न नहीं है, यह अलवर का है, जैसलमेर का है, उदयपुर का है, बीकानेर का है—सब जगह का है। आखिर जनता को न्याय मिलना चाहिए। जनता को अपने विचार रखने की और अपना आन्दोलन चलाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। और सरकार इसमें दोषी है, दोषी रखती है तो उसको दण्ड मिलना चाहिए। इस दृष्टिकोण से इस सवाल को उठाया है। मै यह समझता हूँ कि यह सवाल अगर सरकार ने सही तरीके से हल नहीं किया तो इस सवाल को इस विधान सभा के अंचल तक ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस सवाल को जनता तक ले जाना चाहिए। इस प्रान्त में स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ बड़ी पार्टियां हैं। हम देख रहे हैं कि यह पार्टियां कुछ इनसिग्रेटिव लें। इसलिए केवल इस विधान सभा में ही कहने तक, इस विधानसभा की सीमा तक, या जब तक सदन का अधिवेशन चले उस तक ही इसे महदूद न रखकर अगर वास्तव में सरकार कदम नहीं उठाती है तो इसको जन आन्दोलन बनाया जाय और सरकार को मजबूर कर दिया जाय कि जो पाप की दोषी है, जो उसने इस तरह लोगों की हत्या की है, उसका प्रायश्चित उसको करना पड़े और इसके नतीजे लाजिमी तौर पर भुगतने पड़ें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सतीशचन्द्रजी से उन्होंने जो घोषणा की थी, उसको वह वापस लें और तमाम माननीय सदस्यों को, विशेष तौर पर विरोधी दल के सदस्यों को सामूहिक रूप से निर्णय लेकर उस निर्णय को कार्यान्वित करने का मौका दें।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, बेरी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि लोकसभा, राज्य सभा, सब जगह यह चर्चायें हो रही है कि इस बेरी कमीशन की रिपोर्ट को माना जाय। इसको लेकर मेरी खुद की दिल्ली के अन्दर रामनिवास मिर्धा और बालकृष्ण कौल, जो राज्य सभा के मेम्बर हैं, राजस्थान के माने हुए प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कांग्रेस के माने हुए व्यक्तियों में से हैं, उनसे बात हुई है, वह भी यह महसूस करते हैं कि इस रिपोर्ट को राज्य सरकार को मानना चाहिए। इसके अन्दर कोई व्यक्तिगत स्वार्थ का सवाल नही है, इसके अन्दर राजस्थान के मस्तक और राजस्थान का सवाल है। मैं सतीशचन्द्रजी से अधिक राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह भी इस रिपोर्ट को माने ताकि हमारे साथी को वह मौका न मिले कि वह यहाँ धरना दें। धरना देना तो आसान है लेकिन फिर उसको उठाना मुश्किल होता है…………

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कौनसी कैपेसिटी में बोल रहे हैं ?

श्री विजयसिंह : यह धरना हुआ तो

(श्री विजयसिंह)

इससे राजस्थान व्यापी आन्दोलन चालू हो जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कौनसी कैपेसिटी में बोल रहे हैं ?

श्री विजयसिंह : इनको पता नहीं है कि मैं स्वतन्त्रपार्टी का सचिव हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ.........

श्री नत्थीसिंह : गर्म और नरम का फर्क है।

श्री विजयसिंह : राजस्थान सरकार इसके ऊपर गम्भीरता के साथ में विचार करे और विचार करके इसके सम्बन्ध में जो दोषी हैं उन दोषियों को दण्ड देने के लिए पूर्णतया कोई ऐसी कमेटी बनायें या किसी जज को नियुक्त करे और इसको जल्दी से जल्दी अमल में लाने के लिए चौबीस घण्टे के अन्दर घोषणा करे । वरना इसके परिणाम गम्भीर हो सकते हैं। हम यह सोचते हैं कि राजस्थान में शांति-व्यवस्था कायम रहे लेकिन वह जब ही कायम रह सकती है जबकि जो सही बात है उसको राजस्थान की सरकार माने। मैं सतीशचन्द्रजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह आज का अपना धरना स्थगित करें और राजस्थान सरकार को यह मौका दें कि चोबीस घण्टे के अन्दर वह इस मांग को मंजूर करें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कल जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने धरना और भूख हड़ताल की जिस प्रकार से घोषणा की, उससे तो यह स्पष्ट है कि सरकार की नीति है उसी के कारण यह सारी घोषणा उसीका परिणाम है। पिछले दो माह से लगातार इस बात का प्रयत्न किया जारहा है कि सरकार इस रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन के सम्बन्ध में पहला जो प्रश्न है, इस रिपोर्ट को सरकार मानती है या नहीं मानती है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करने को सरकार किस प्रकार की व्यवस्था लेकर चल रही है—उस सम्बन्ध में घोषणा करे। सदन में जो बहस हुई, माननीय गृह मन्त्री और मुख्य मन्त्री ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। लोकसभा में भी इस प्रश्न को उठाया गया तो केन्द्रीय गृह मन्त्री जी ने केवल अपने आपको इस उत्तर तक ही सीमित रखा कि राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है तो मैं इससे बहुत खुश होऊंगा। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने के विषय में ऐसा समझ कर चल रही है कि हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की जैसे कोई माँग कर रहे हों, उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिस के सिपाहियों और हवलदारों के खिलाफ एक्शन की माँग कर रहे हों-यह समझ कर बराबर उत्तर दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से इस सम्बन्ध में जानकारी चाही है। हमारे आपस के रिलेशन्स हैं उनको मेन्टेन करने के लिए हमें उत्तर प्रदेश की सरकार के कमेन्ट्स लेना बहुत आवश्यक है । मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार यह जो कुछ कह रही है, वहाँ सरकार स्वयं भी महसूस करके चलती होगी कि इस रिपोर्ट

(श्री भैरोंसिंह)

को इम्प्लीमेंट करने में जो उत्तर प्रदेश की सरकार से कमेंट मंगाने की बात है कही जाती है वह केवल बहाना मात्र है। उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, उसके पीछे कोई प्रामाणिकता नहीं है। आज कोई आदमी कत्ल कर दे और कत्ल के मुल्जिम के लिये पूछा जाय कि इसको गिरफ्तार करें या नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार का अधिकारी है, यहां किसी ड्यूटी पर आया और उसने कत्ल कर दिया तो मैं समझता हूं कि यहां के लोकल आफिसर्स भी उसको गिरफ्तार करने में, उसके खिलाफ एक्शन लेने में गुरेज नहीं करेंगे। गिरफ्तारी के बाद सूचना दे सकते हैं, गिरफ्तारी के बाद डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। पर इसको बहाना बनाकर राजस्थान सरकार यह कहे कि उत्तर प्रदेश की सरकार के कमेंट नहीं आयें तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो यह स्पष्ट दिखता है कि यह सरकार का बहाना मात्र है।

बेरी कमिशन ने जिन अधिकारियों को कन्ट्रीब्यूटरी नैग्लिजेन्स के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिन अधिकारियों की कार्यकुशलता में कमी पाई, जिनकी एक्सेस के कारण यह सारी दुखद घटना हुई, उनको इस सारी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिम्मेदार बताया है, वे तो न उत्तर प्रदेश से आये, न मध्य प्रदेश से आये और न ही पंजाब से आये; वे तो राजस्थान के अधिकारी हैं। पर आज तक उन राजस्थान सरकार के अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब सरकार कहे कि ३ अधिकारियों की समिति नियुक्त की है जो समय समय पर राज्य सरकार को एड्वाइज करेगी कि किन किन के खिलाफ किस किस प्रकार का एक्शन लिया जाय। विरोधी दलों ने तो मांग की है, ३ अधिकारियों को क्यों परेशान करते हैं, हाईकोर्ट के एक जज को नियुक्त कर दीजिये जो जांच करके आपको बतायें कि किन किन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वह आपको एड्वाइज कर सकते हैं, आपको मूव कर सकते हैं कि इन इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाय! इसमें अन्तर इतना ही है कि आप तीन अधिकारियों से जो काम करवाना चाहते हैं, उसमें जनता का विश्वास नहीं होगा और हाई कोर्ट के किसी जज को, या किसी रिटायर्ड जज को नियुक्त किया जाता है और उससे यह काम करवाया जाता है तो उसके कार्य में जनता को विश्वास हो सकता है। आपको तो एड्वाइज लेनी है। जनता को ज्यादा विश्वास जिसमें हो उससे आप एड्वाइज लीजिए। जनता का ज्यादा विश्वास इसमें है कि इन्डिपेन्डेन्ट हाई कोर्ट के किसी जज से जांच करवाई जाय, इसलिये आप इन्डिपेन्डेन्ट जूडिशियरी से जांच करवा कर एक्शन लें पर सरकार इसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है।

मैं मानता हूं कि यह मसला केवल जौहरी बाजार का नहीं है, यह केवल सतीश चन्द्र जी का मसला नहीं है, बल्कि जैसा कि माननीय रामानन्द जी ने कहा यह मसला सारे राजस्थान का मसला है और इसके बारे में सभी विरोधी दलों को मिल कर सरकार की इस हठ धर्मी के बारे में विचार

(श्री भैरोंसिंह)

करना चाहिये और निर्णय लेना चाहिये। सरकार इसको चुनौती के रूप में प्रतिष्ठा के रूप में नहीं ले। अगर सरकार बेरी आयोग की रिपोर्ट को नहीं मानेगी तो जनता जो हमसे उपेक्षा करती है, वह हमें जनता का कहना पड़ेगा, विधान सभा में यदि हम अपने आपको अशक्त पाते हैं तो जनता से शक्ति संचय करना पड़ेगा, जनता से आशीर्वाद लेना पड़ेगा और उससे आन्दोलन करने की आवश्यकता पड़े तो आन्दोलन करना पड़ेगा। राजनैतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिये।

सतीशचन्द्रजी ने जो व्यक्तिगत घोषणा की है, उसके लिये यह कहना कि उससे आन्दोलन की गति धीमी हो जायगी या उसमें सुस्ती आ जायगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सतीशचन्द्रजी के आज या कल बैठने से आन्दोलन की गति धीमी पड़ने का कोई सवाल नहीं है। विरोधी दलों के माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं इस पर विचार करने के लिए कि सामूहिक एक्शन लें तो बीच में सतीशचन्द्रजी ने जो व्यक्तिगत घोषणा की है, उसके लिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस समय उसको स्थगित कर दें। बाद में विरोधी दल मिल कर क्या निश्चय करते हैं उस ही के अनुसार हमारा एक्शन होगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में बेरी आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने, और उस प्रतिवेदन को ज्यों का त्यों स्वीकार करने, जिसे मार्च १९६७ से राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान के मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया गया, उस बेरी आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जिस प्रकार की भावना १४ तारीख को केन्द्रीय गृह मन्त्री श्री चौहान ने व्यक्त की थी, उसी प्रकार की भावना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने व्यक्त की थीं, उन भावनाओं को ही मानकर यह सरकार, मैंने यह अनुभव किया कि यह सरकार जो दुर्भाग्य से हठधर्मी पर अड़ीहुई है, इस सरकार का दिमाग और दिल क्या हम नहीं बदल सकते, क्या इस छोटी सी बात पर हमें इस बात के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आन्दोलन करे, आन्दोलन करना पडे और उससे जो गम्भीर स्थिति पैदा हो उसके लिये, जिम्मेदार सरकार होगी, तो क्या हम सरकार का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते कि जो आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया, सरकार का मोरल कमिटमेंट है बेरी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिये उसको स्वीकार करने के लिये हाईकोर्ट के किसी जज की या रिटायर्डइन्डिपेन्डेन्टजज की नियुक्ति की जाय। डाकुओं के मन को बदल सकते हैं विनोबा भावे, ऐसा कहीं नहीं है कि हत्यारों के मन को बदलने के लिये धरना नहीं दिया जा सकता। अभी मैंने महात्मा पिक्चर देखा था, कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं तो मन में भावनाएं उठती हैं कि महात्मा गांधी फिरंगियों के मन को बदलने के लिये प्रयत्न कर सकते हैं और फिर शान्तिपूर्ण आन्दोलन से उनको हमारा देश छोड़ने के लिये मजबूर कर सकते है, शान्तिपूर्ण आन्दोलन से विनोबाभावे हत्यारों के मन बदल सकते है, हत्यारों को सरेंडर करवा सकते है तो एक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ऐसी बात के लिये, जिसके लिये सरकार का स्वयं का कमिटमेंट है, जिसके लिये केन्द्रीय गृह मन्त्री की और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की राय है कि राजस्थान सरकार बेरी आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार करे, पर राजस्थान सरकार हठधर्मी करे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर, इस सरकार की आदत ही ऐसी है हठधर्मी की असगत दलीले देकर असगत तर्क दे कर लीपापोती करने की, जन भावना को ठुकराने की, जिस सरकार पर हत्या के आरोप लगते हैं, अगर सरकार हत्यारी है तो क्या शान्तिपूर्ण तरीकों से सरकार के दिल को, दिमाग क्या बदला नहीं जा सकता, यह विचार मेरे मन में आया। ९ जनवरी के बाद मैंने कभी इसे अपना सवाल नहीं समझा, अपनी कान्स्टीट्यु-एन्सी का सवाल नहीं समझा, सम्पूर्ण जनता का सवाल समझ कर सम्पूर्ण जनता को न्याय दिलाने के लिये अन्याय के प्रति प्रतिकार की भावना को लेकर, हमारी जो न्यायोचित मांग है, उस मांग को मन-वाने के लिये व्यक्तिगत तौर पर, विरोधी दल के सदस्य के नाते, अपनी पार्टी के सदस्य के नाते, २५ जनवरी को जब यह रिपोर्ट सदन में पेश हुई तब से ही नहीं बल्कि ९ जनवरी से जब कि यह रिपोर्ट सरकार के सामने पेश हुई तब से मैं वक्तव्यों के द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा, पत्रकारों के द्वारा स्वय राज्यपाल महोदय से मिलकर मुख्यमन्त्रीजी से टेलीफोन पर बात करके, मुख्य सचिव से बात करके, इस रिपोर्ट के प्रकाशन के लिये, बेरी आयोग के इस प्रतिवेदन को लागू करने के लिये बराबर मांग करता आया हूँ। २५ फरवरी को बेरी आयोग के प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने के बाद मुख्य मंत्री से, गृह मन्त्री से कह कर इस पर वाद विवाद सदन में खड़ा किया, १३ तारीख को दिल्ली गया, १४ तारीख को लोक सभा में इस पर सवाल उठाया गया, इस पर चर्चा हुई, संसद के सारे हिन्दुस्तान के वरिष्ठ नेताओं ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी जिनका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि राजस्थान गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए कमिटेड है फिर इसे स्वीकार करने से कैसे इन्कार करती है। आप इस प्रतिवेदन को स्वीकार करने के लिए कमिटेड हैं, अगर आपकी साजिश नहीं थी तो आपको २५ तारीख को ही जिस समय इस प्रतिवेदन को सदन के समक्ष पेश किया, यह कहना चाहिये था कि हम इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं, हम इस रिपोर्ट को इन टोटो एक्सेप्ट करते हैं और इसमें जितनी सिफारिशें की गई हैं उनके अनुसार एक्शन लेंगे। पर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो मैंने विरोधी दलों के नेताओं को साथ लेकर बेरी आयोग को स्वीकार करने की, इसके प्रतिवेदन मे की गई सिफारिशों के अनुसार एक्शन लेने की सरकार से मांग की, जितने वैधानिक तरीके होते हैं उन वैधा-निक तरीकों से इसके लिये मांग की कि जो कुछ हुआ है, उसकी जिम्मेदारी राज्य सर-कार पर है, मैंने राज्य सरकार के डिस्मिसल की या रेजिग्नेशन की मांग नहीं की, जिस चीज के लिये स्वयं राज्य सरकार कमिटेड है उसको स्वीकार करने के लिये सरकार से मांग की पर सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़ी रही। शान्तिपूर्ण तरीकों से चोरों डाकुओं और हत्यारों का भी दिल और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिमाग बदला जा सकता है इस दृष्टि से मैंने सदन में यह घोषणा की थी । सभी माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो राय ज़ाहिर की, मैं उनको बहुत ही कद्र करता हूं, उनकी इच्छा मेरे लिये निर्देशमात्र है, मैं उनसे दूर नहीं बिल्कुल पास हूं, उनके सहयोग को मैं बहुत जरूरी समझता हूँ, इसलिए मैं उनके आदेश को मान कर कल मैंने जो आज धरने का कार्यक्रम घोषित किया था, उस कार्यक्रम को स्थगित करता हूँ। इस सम्बन्ध में विपक्षी दल के सारे सदस्य, सभी राजनैतिक दलों के नेता आपस में बैठ कर विचार करके जो भी निर्णय देंगे, उस निर्णय में जिस बलिदान की आवश्यकता होगी, उन बलिदानियों में से सबसे आगे खड़ा रहूँगा। मैं उस लाइन में सबसे आगे खड़ा होने को तैयार हूँ। इसी घोषणा के साथ मैंने जो कुछ घोषणा की है उस घोषणा को आज मैं इस स्थिति में स्थगित करने की घोषणा करता हूँ।

अनुदान की मांग सं० १ व २२ पर विचार विमर्श

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर चर्चा। श्री रामकिशोर व्यास।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ मांग स० १ मुख्य शीर्षक ६ भू राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३ करोड़, ८१ लाख ४३ हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत व अकाल सहायता मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ मांग सं० २२ मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३ करोड़ ६ लाख ६८ हजार रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या १

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर)

१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (पैनल्टी तथा अलाटमेंट सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन)। इससे जनता की असुविधा बढ़ रही है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :

२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हरिजनों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों की अनुचित बेदखलियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

(श्री पी. के. चौधरी)

४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम किशनगढ़-रेनवाल में आबादी की सीमा के अन्दर आने वाले plats में बनाये गए मकानों को regularise करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २२

५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से ०० रुपया कम कर दिया जाय (इस विभाग के staffing pattern के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

७. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भूराजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (अनार्थिक जोतों पर लगान समाप्त न करने सम्बन्धी नीति के बारे में नीति का अनुमोदन)।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : ७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय भयकर अकाल के बावजूद (संटलमैन्ट के असेसमेंट से भूमिका लगान कई गुणा बढ़ा दिया गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत माँग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों की दयनीय आर्थिक स्थिति एवं उनमें हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली) : ६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भूमि आवंटन के समय मौके पर कब्जा एव नक्शे में डिमार्केशन नहीं करने बाबत चर्चा के लिये)।

१०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ट्रान्सफर की गयी भूमि के नामांतरण नहीं करने बाबत चर्चा के लिये)।

११. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चारागाहों की भूमियों पर अनाधिकृत कब्जों के संबंध में चर्चा के लिये)।

१२. माँग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १० रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों हेतु अवाप्त भूमि के मुआवजें एवं लगान के संबंध में चर्चा के लिये)।

१३. माँग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत माँग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बांध के डूब में आई भूमि के बदले कृषि भूमि के आवंटन के संबंध में चर्चा के लिये)।

(श्री पृथ्वीसिंह)

१४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बांध के डूब में आई भूमि के काबिजों पर जुर्माना एवं बेदखली बाबत चर्चा के लिये) ।

१५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बाँध के डूब में आई भूमि के लगान के संबंध में चर्चा के लिये) ।

१६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय कृषि फार्म सुमेरपुर में अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में काश्तकारों को मुआवजा देने बाबत चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २२

१७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरपंचों के विरुद्ध आडिट पार्टीज द्वारा लगाये जाने वाले आरोपों की जांच बाबत चर्चा के लिये) ।

१८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग मे से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरपंच, प्रधान एवं प्रमुख के चुनावों में होने वाली अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवकों की पदोन्नति में होने वाली अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) :

२०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व समाज शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पदोन्नति के सम्बन्ध में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

२१. **श्री शंकरलाल**(कपासन) : मांग संख्या १,मुख्य शीर्षक ६ भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील बड़ी सादड़ी व डूंगला के लिये अलग एस० डी० ओ० की नियुक्ति करने पर चर्चा के लिये ।

२२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६ भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व में तहसीलदारों द्वारा नाजायज कब्जे रेगूलराइज करने में गड़बड़ियों करने तथा पटवारियों द्वारा नाजायज तौर तरीके अपनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २२

२३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला परिषद् को अधिक शक्ति शाली बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।

(श्री शंकरलाल)

२४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बड़ी सादड़ी तहसील में अलग पंचायत समिति कायम किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली): २५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व-संग्रहण में मंत्रियों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये)।

२६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९ भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व के पुराने Land Records में परिवर्तनों के कारण काश्तकारों पर पड़े विपरीत प्रभाव पर चर्चा के लिये)।

२७ मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व कर्मचारियों की धांधलियों में मंत्रियों के अनुचित संरक्षण पर चर्चा के लिये)।

माग संख्या २२

२८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों व जिला परिषदों में व्याप्त भ्रष्टाचार, धन का दुरुपयोग व प्रधानों और प्रमुखों की राजनैतिक स्वार्थ सिद्धी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

२९. **मूलचन्द डागा** (पाली): मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के कृषकों से भू-राजस्व वसूली से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

३०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील में पिछले ५ वर्षों में जो खेती की भूमि का गलत आवंटन हुआ है उस पर चर्चा के लिए)।

३१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील में जिन भूमियों को गलत ढग से विनियमित किया गया है, उस पर चर्चा के लिये)

३२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील में दस हजार बीघा जमीन गलत ढंग से अलॉट करदी, इस पर चर्चा के लिये)।

माँग संख्या २२

३३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर

(श्री मूलचन्द डागा)

दिया जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं के मार्फत सरकार से जनता को उचित राहत न मिलने पर चर्चा के लिये)। प्रस्ताव

३४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय विस्तार सेवा व स्थानीय विकास कार्य निर्धारित उद्देश्य के अनुसार पूर्ण न होने पर चर्चा के लिये)।

३५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लोकतन्त्र इकाई की सेवाऐं विफल हुई गरिया स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : ३६. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अंतर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (भूमि पर लगान बढ़ाने व सरचार्ज लगाने में सरकार की असफल नीति का अनुमोदन)।

३७. मांग संख्या १- मुख्य शीर्षक-९ भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व विभाग की असफलताओं के कारण हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिय)।

३८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सैटलमेन्ट विभाग की असफलताओं के कारण हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

३९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनाऐं आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

४०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज की असफलता पर चर्चा के लिये)।

४१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाऐं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा सामान खरीद में भारी घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री मूल चन्द कटेवा : (पिलानी) ४२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग मे से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में अध्यापकों के नियम विरूद्ध स्थानान्तरण पर चर्चा के लिये)।

४३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर

(श्री मूलचन्द कटेवा)

दिया जाय ।

(विकास अधिकारी चिड़ावा व सूरजगढ़ द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना पर चर्चा के लिये ।

४४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, चिड़ावा की जीप के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

४५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति चिड़ावा की धन-राशि नियम विरूध खर्च करने व गबन करने के संम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

४६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों से आर. ए. एस. विकास अधिकारियों को हटाने से अनियमितताएं बढ़ी है, धन का दुरूपयोग होने लगा है, प्रशासन छीन्नभिन्न हो गया है, अधिक अनियमित खर्चें होने लगे हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़)

४७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६— भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की रकम पंचायतों को देने के औचित्य पर चर्चा के लिए) ।

४८. मांग संख्या, १, मुख्य शीर्षक ६— भूराजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू—आवंटन में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चाओं के लिए) ।

मांग संख्या २२

४९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में मे १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में से जीपें व प्राथमिक विद्यालय हटाने के सम्बन्ध में) ।

५०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं की गांवों में चेतना लाने में असफलता पर चर्चा के लिए) ।

५१ मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७— सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (विकास खण्डों में आमूल परिवर्तन तथा सघन कार्य प्रारम्भ किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा)

५२. मांग सख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय ।

५३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक

(श्री यशवंतसिंह)

३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत इस मांग की घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (विकास अधिकारियों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अनुमोदन) ।

५४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक—३७, सामुदायिक विकास परियोजनाऐं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन कार्य पंचायत समितियों के सौंपने पर चर्चा के लिये) ।

५५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७,सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज सेवामें राज्य सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिए) ।

५६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७.सामुदायिक विकास परियोजनाऐं आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं हेतु निर्धारित राशि के संबंध में चर्चा के लिये) ।

५७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७. ,सामुदायिक विका। परियोजनाऐं आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सादिकअली प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

श्री शंकरलाल : (जेतारण)

५८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६—भू—राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कम कर दिया जाय (पुनर्ग्रहीत्त जागीरों के तालाबों, बाँधों व बीडों को पुनर्ग्रहीत्त न करने सम्बन्धी नीति के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

५६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६—भू—राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (सीलिंग कानून को लागू करने के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

६०, मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६—भू—राजस्व के अन्तर्गत माँग में से १०० रुपया कम दिया जाय (म्यूटेशन के मामलों में न्याय न मिलने व व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २२

श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा)

६१. मांग सख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाऐं आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मनोहर थाना पंचायत समिति भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है व प्रधान एवं विकास अधिकारी समिति के धन का दुरुपयोग कर रहे है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी)

६२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६—भू—राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (सरकार को

Page No 89

(श्री जुझारसिंह)

अलोटमेन्ट व रेग्यूलराईजेशन को गलत नीतियों के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के बारे में नीति का अनुमोदन)।

६३. मांग सख्या १, मुख्य शीर्षक ६— भू—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सांगोद व रामगंज मण्डी तहसीलों में भू—राजस्व वसूली की धांधली पर चर्चा के लिए)।

६४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६— भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाये (अलोटमेन्ट में दिये गये नम्बरी से अलग भूमि पर कब्जा दिलाने व वर्षों बाद कृषकों को वे दखल करने पर चर्चा के लए)।

६५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६— भू—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय(निजी कुओं को सरकारी दर्ज करने व रेगूलराईजेशन फीस मांगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

६६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६— भू—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाये (कृषि भूमियों पर अनाधिकृत कब्जों के फल स्वरूप उत्पन्न परेशानियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मांग संख्या २२

६७. मांग सख्या २२ मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अंतर्गत इस माँग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (सामुदायिक विकास की गतिविधियों में परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या १

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

६८. मांग सख्या १, मुख्य शीर्षक ६— भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पटवार मडल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसे दूर करने के उपायों पर चर्चा के लिये)।

६९. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६— भू—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कमकर दिया जाय (पटवारियों द्वारा नामान्तरणकरण की कार्यवाही में जान बूझ कर ढील बरतने पर चर्चा के लिये)।

७०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६ भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से। १०० रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा नामान्तरणकरण (म्यूटेशन) की कार्यवाही में देरी करने एवं उसमें भ्रष्टाचार फैलाने से किसानों में असंतोष पर चर्चा के लिये)।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

७१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६—भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गत वर्ष रबी तथा खरीफ फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण लगान—वसूली माफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

७२. मांग संख्या २२,मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत

(श्री दिग्विजयसिंह)

मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचयतों के सरपचों द्वार मनमाने ढ़ंग से कार्य करने के सम्बन्ध में चर्चा लिए।

७३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्यों पर जिस प्रकार धन का दुरुपयोग हो रहा है, पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री कल्याणमल मिणा (जहाजपुर) : ७४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय सम्पत्तियों पर नाजायज कब्जों के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

७५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

७६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनाएँ आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लोकतन्त्रीय संस्थाओं में हो रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : ७७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (किसानों पर कर-भार अत्यधिक है, उन्हें राहत देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

७८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति प्रशासन में उत्पन्न अनियमितताओं, वाहनों व धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या १

डा० श्री गंगासहाय (कठूमर) : ७९. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हरिजनों की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूलाल करोल (जमवारामगढ़): ८०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

८१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के १२ मील के रेडियस में सिवाय चक भूमियाँ

(श्री नाथूलाल करोल)

भूमि हीन काश्तकारों को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २२

८२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लोकतांत्रिक विकेन्द्रियकरण की असफलता पर चर्चा के लिए)।

माँग संख्या १

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): ८३. माँग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व वसूली के नाम भू-राजस्व अधिकारियों द्वारा कृषकों को परेशान करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

८४ मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर विकास योजना कार्य न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १

श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा): ८५.माँग सख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व विभाग द्वारा जमीनों के नामान्तर करण के नाम से किसानों के साथ होने वाली ज्यादतियों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २२

८६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत माँग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा विकास के नाम पर किये जा रहे अनाप-शनाप खर्चे पर चर्चा के लिये)।

माँग संख्या १

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): ८७ मांग सख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तगत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अकाल की भीषण स्थिति के कारण भू-राजस्व की माफी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २२

८८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर में विकास कार्य क्षेत्र-फल के आधार पर करने तथा इसी आधार पर पचायत समितियाँ स्थापित करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १

विद्ठत्त भाई (पीपलखूंट सु.): ८९.मांग सख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व विभाग के भूमि

Page No 92

(श्री विट्ठलभाई)

हीन किसानों को समय पर जमीन नहीं देने पर चर्चा के लिए) ।

माँग संख्या २२

९०. मांग संख्या २२ मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अन्तर्गत माँग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति पीपल खूंट में अधूरे कार्य को पूरा करने के बारे में चर्चा के लिए) ।

माँग संख्या १

श्री जयनारायण सालोदिया(निवाई)

९१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (टौंक जिले की पटवारी ट्रेनिंग स्कूल में टौंक जिले के अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २२

९२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

९३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत माँग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजनैतिक आधार पर अध्यापकों के स्थनान्तरण किये जाने से पंचायत समिति के शिक्षास्तर में आयी गिरावट पर चर्चा के लिये) ।

९४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों व जिला परिषदों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन सु.)

९५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९— भूराजस्व के अन्तर्गत माँग में से १०० रुपया कम कर दिया जाये (भू—राजस्व को उचित रूप से वसूली न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

माँग संख्या २२

९६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को दिये जाने वाले सहायतार्थ अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए) ।

९७. माँग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत एवं समितियों को विकास के सम्बन्ध में अधिक अधिकार दिये जाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा)

६८, मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक, ६–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में आदिवासी लोगों के पास कम जमीन है उनको और जमीन दिलाये जाने पर चर्चा के लिए)।

(सामुदायिक विकास योजनाओं की प्रगति न होकर दुर्गति हो रही है इस सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन)।

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी)

६६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू–राजस्व का पैसा पटवारियों द्वारा समय पर ट्रेजरियों में जमा न कराने के बाबत चर्चा के लिये)।

१००. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू–राजस्व हांसिल माफ करने की घोषणा से राज्य सरकार के मुकर जाने बाबत चर्चा के लिए)।

१०१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी के अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अत्यधिक शक्ति लगाने बाबत चर्चा के लिए।

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू)

१०२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बन्दोबस्त विभाग द्वारा भूमि के सही इन्द्राजात नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

१०३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (किसानों पर कर भार अत्यधिक होने के कारण किसान बर्बाद हो रहा है इस पर चर्चा के लिए)।

१०४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग मे से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दूदू में बन्ध पेटे की जमीन का आवंटन गलत हुआ है इस पर चर्चा के लिए)।

१०५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भूमि हीन किसानों को जमीन नहीं मिल कर भूमि धारकों को भूमि आवंटन हो रही है, इस पर चर्चा के लिए ।

१०६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६ भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नामान्तरकरण सही समय पर तस्दीक नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

१०७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६ भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व विभाग द्वारा प्रसारित विभिन्न परिपत्रों की मंशा के अनुसार कृषकों को भूमि–आवंटन न करने पर चर्चा के लिए)।

१०८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गोचर भूमि की बढ़ोतरी हेतु तहसील की भूमि आवंटन सलाहकार समिति को पूर्ण अधिकार होने पर चर्चा के लिये)।

(श्री सुवालाल चौधरी)

१०६. माँग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग मे से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दूदू को बन्ध पेटे की जमीन का आवंटन सरकार के निर्णय के विरुद्ध करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

११०. माँग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खसरा गस्त गिरदावरी के खाना नं० ५ की इन्द्राज मिलकियत सरकार के बजाय मिल्कियत खातेदार के नाम पर करने पर चर्चा के लिये)।

१११. मांग संख्या १. मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पालू कलां तहसील दूदू) के खसरा नम्बर ५, ६, व १५, १६, को गैर कानूनी तौर पर भूमि धारी जमीन का नियमन करने पर चर्चा के लिये)।

११२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अनधिकार कब्जों के सम्बन्ध टीनेंसी एक्ट की धारा ६१ के बेदखली अधिकार तहसीलदार के बजाय भूमिआवंटन सलाहकार समिति को देने पर चर्चा के लिये।

११३. माँग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व के अन्तगंत माँग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सिवाय कुर्की भूमि का भूमिहीनों को आवंटन नहीं करके राजस्व मंत्री द्वारा अन्य लोगों को भूमि आवंटन करने पर चर्चा के लिये)।

११४. माँग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में में १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दूदू में जमीन सम्बन्धी मुकदमों का फैसला शीघ्रता से करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

११५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा किसान को कृषि उत्पादन हेतु सही ढंग से पैसा नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

११६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों व पंचायत समितियों से ग्रामीण जनता को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।

११७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के प्रधानों व विकास अधिकारियों द्वारा सरकारी जीप गाड़ियों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

११८. माँग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों से प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इस पर चर्चा

(श्री सुवालाल चौधरी)

क लिये)।

११९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरपंचों, प्रधानों व सरकारी अधिकारियों से आपसी झगड़ों से विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

१२०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों की आपसी पार्टी गुट-बन्दी से विकास कार्यों में सही ढंग से सरकारी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

१२१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कांग्रेस समर्थित सरपंचों द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

१२२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरकार के पक्षपात पूर्ण रवैये से निर्दोषी सरपंचों को निलम्बित करने व पद से हटाने पर चर्चा के लिये)।

१२३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों की चुनाव प्रणाली से गांव गांव में आपसी फूट से गांवों का संगठन समाप्त हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

१२४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत माँग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति दूदू के प्रधान के पक्षपातपूर्ण रवैये से सरकारी पैसे का दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

१२५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति दूदू के विकास अधिकारी की तानाशाही से शिक्षक गण में असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

१२६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति दूदू के निर्माण के अधूरे निर्माण कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): १२७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू-मापन अभिलेखों में दुरूस्तियां करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१२८. माँग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में अनु-

Page No 96

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सूचित जन-जातियों को आवंटित भूमि का कब्जा न दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१२९. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ९ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पावटा ग्राम तहसील सांचोर) में भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि दूसरे को आवंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१३०. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक ९ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छोटे जागीरदारों एवं पसायतेदाशन को मुआवजा बौंड्स अभी तक न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१३१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू-अभिलेखों के नामान्तकरण के मामलों में होने वाली देरी के संबंध में चर्चा के लिये)।

१३२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९ भू-राजस्व के अन्तर्गत माँग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को पास बुक्स दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

१३३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज्य संस्थाओं में होने वाले अपव्यय न रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१३४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज्य संस्थाओं के सम्बन्ध में सादिकअली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के क्रियान्वय न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामसिंह कुडी (जायल)

१३५ मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक९-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (पटवारी का पद समाप्त कर काश्तकारों को पास बुकें दी जाने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

१३६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में रुपये कम कर दिए जायें (सब डिविजनल ऑफिसर्स का पद समाप्त किया जावे मितव्ययता)।

१३७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पटवारी जो लगान की रसीद काश्तकार को देता है, उसमें अब नियमों में खेत का खसरा नम्बर देने का कालम है परन्तु रसीदें नियमानुसार नहीं छपती एवं वह कालम पटवारी स्वयं भरता नहीं है जिसका प्रबंध किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

१३८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू–राजस्व–के अन्तर्गत मांग में से १००

(श्री रामसिंह कुड़ी)

रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में भूमि का मापन एक ही प्रणाली व माप से नहीं होने से भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, इस संबंध में चर्चा के लिए)।

१३९. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों को स्टेशनरी व यात्रा भत्ता नहीं मिलने से उत्पन्न विषमस्थितियों पर चर्चा के लिये)।

१४०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (आसामियों की भूमियों का नामान्तरकरण समय पर नहीं होने से उत्पन्न हालात पर चर्चा के लिये)।

१४१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग म से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सीमा स्तम्भों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य नहीं होने से गांवों व राज्य की सीमाओं पर विवाद पैदा होने की आशंका पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

१४२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (लोकल डेवलपमेंट वर्क्स के लिये पंचायत समितियों को अनुदान की राशि इस बजट में बिल्कुल नहीं रखी गई इस विषयक सरकार की नीति का अनुमोदन)।

१४३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत इस मांग का घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (पंचायत समितियों की अवेहलना कर उत्पादन, सिचाई, लघुउद्योग सहकारिता, पशुपालन, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम को सरकार द्वारा प्रोत्साहित न करने पर नीति का अननुमोदन)।

१४४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (पंचायत समितियों को शिक्षकों का व अन्य सभी प्रकार के स्टाफ को वेतन इत्यादि के चुकारे हेतु आवश्यक अनुदान नहीं दिये जाने विषयक सरकार की नीति का अननुमोदन)।

१४५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (पचायत समितियों को विकास कार्यों एव सिंचाइ हेतु कुए खुदवाने आदि के लिए अपूर्ण राशि देने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

१४६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों को प्रशासन की कठपुतलियां

(श्री रामसिंह कुडी)

बनाने व स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों की मान मर्यादा की रक्षा नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)

१४७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कमकर दिया जाय (पंचायत समिति जायल से सहकारी प्रसार अधिकारी व पशुपालन प्रसार अधिकारी हटाने के बारे में चर्चा के लिए)।

१४८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कमकर दिया जाय (पचायत समिति, जायल (जिला-नागौर) में ओवरसियर स्थान्तरित होकर चले जाने एवं उस स्थान की पूर्ति हेतु अन्य ओवरसियर नहीं लगाया जाने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिए)।

१४९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जायल पंचायत समिति क्षेत्र में पीने के पानी के सार्वजनिक अधूरे कुओं को कराने व वहां के निवासियों की पेय जल की समस्या पर चर्चा के लिये)।

१५०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कमकर दिया जाये (प्रयुक्त पोषाहार कार्यक्रम के लिये पंचायत समितियों के चयन के आधार सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

माँग संख्या १

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)

१५१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९, भू राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (काश्तकारों पर भू-राजस्व बढ़ाने व छोटे काश्तकारों पर सरचार्ज टैक्स व फसलों पर टैक्स लगाने में सरकार की दुरलक्ष पूर्ण नीति का अननुमोदन)।

१५२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९, भू, राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भूमि की रजिस्ट्रीयों मे काफी मात्रा में भ्रष्टाचार में फैला हुआ है, उस पर चर्चा के लिए)।

१५३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नहर क्षेत्र की भूमि भूमिहीनों को आवण्टित न कर दूसरों को आवण्टित की जा रही है, इस सम्बन्ध में होने वाले घोटालों पर चर्चा के लिये)।

१५४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (काफी मात्रा में तहसील नोहर के काश्तकारों के विरासतन इन्तकाल बाकी हैं इस पर चर्चा के लिए)।

१५५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १००

Page No 99

(श्री रामचन्द्र आर्य)

रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम विशरासर तहसील नोहर की भूमि का सेटलमेंट/फर्जी पट्टी के आधार पर बीकानेर के भू-प्रबन्धक विभाग द्वारा किया गया इस पर चर्चा के लिए) ।

१५६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पटवारी हल्का विशरासर तहसील नोहर के विरुद्ध रिकार्ड तबदील करने के गंभीर आरोप पर चर्चा के लिये) ।

१५७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय गांव सेरसिया फजलदीन व तहसील हनुमानगढ़ वाला के ४० हरिजनों व अनुसूचित जाति के लोगों को कृषि भू-आवंटन उचित रूप से नहीं होने पर चर्चा के लिए) ।

१५८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों द्वारा सस्ते भाव पर भूमि प्राप्त करके सरकार को नुकसान पहुँचाया गया इस सम्बन्ध में गत आय व्ययक सत्र में प्रश्न का उत्तर देते समय जो बातें कहा थीं, उस विषयक कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिए) ।

१५९. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पटवारी हल्का केलनिया द्वारा गांव केलनिया में रिकार्ड तबदील करके सरकारी भूमि का बेचान कर दिया, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

१६०. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू-प्रबन्ध विभाग बीकानेर, द्वारा तहसील नोहर की भूमि के सैटलमैंट से कृषकों को हो रहे कष्ट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१६१. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ९ भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत चलने वाले मुकदमों में कृषकों को होने वाले कष्ट के सबध में चर्चा के के लिये) ।

१६२. मांग १, मुख्य शीर्षक ९—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में काश्तकारों पर झूठे तावान लगाकर परेशान किया जाता है एवं अकाल होने पर भी काश्तकारों को भारी मात्रा में नोटिस दिये जा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

१६३. मांग संख्या १; मुख्य शीर्षक ९—भू-राजस्व मण्डल के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव विशरासर तहसील नोहर की भूमि अलोटमेंट कमेटी नोहर द्वारा ५ माला अलॉट की गई फिर भी इसमें भारी घोटाले हुए हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

१६४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक

Page No 100

(श्री रामचन्द्र आर्य)

६—भू–राजस्व मण्डल के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में भूमि–हीन काश्तकारों की खारिज सुदा भूमि वहाल करने में भारी अनियमितताएँ एवं भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर चर्चा के लिये)।

१६५ मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत अरड़ की पंचायत समिति नोहर के सरपंच द्वारा किये गये अवैध भू–आवंटन पर चर्चा के लिये)

१६६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति भादरा के प्रधान व विकास अधिकरी द्वारा सामान खरीदने में किये गये भारी घोटाले पर चर्चा के लिये)।

१६७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति करणपुर के विकास अधिकारी द्वारा सामान खरीदने में किए गये भारी घोटाले पर चर्चा के लिये)।

१६८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति नोहर के खिलाफ सामान बेचने वालों ने फर्म द्वारा दावा किया गया उसमें प्रधान व विकास अधिकारी द्वारा फर्जी कार्यवाही करके फर्म के साथ राजीनामा करके पंचायत समिति नोहर को भारी नुकसान पहुँचाया इस पर चर्चा के लिये)।

१६६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, नोहर, में सामान खरीदने में भारी घोट ले पर चर्चा के लिए)।

१७०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों को १५/–रुपये बीघा भूमि जिला गंगानगर में नहरी क्षेत्र में नहीं देने से पंचायतों के सामने आर्थिक संकट है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

१७१. **श्री रूपसिंह राजवी** (सरदार शहर) : मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दारों द्वारा भूमि आवंटन में पक्षपात व भ्रष्टाचार तेजी से पनपने पर चर्चा के लिये)।

१७२. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों के तबादलों में पक्षपात व व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

(श्री रूपसिंह राजवी)

माँग संख्या २२

१७३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में होने वाले पक्षपात, फिजूल खर्ची व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

माँग संख्या १

१७४. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : मांग संख्या । मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम करा दिया जाय (झुंझुनूं जिले की झुंझुनूं चिड़ावा खेतड़ी तहसीलों के सैंटलमेंट की मयाद समाप्त हो जाने पर भी सैंटलमेंट नहीं करवाया जा रहा है इस पर चर्चा के लिए)।

१७५. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले की झुंझुनूं-गुढ़ा, उदयपुर सड़क में आई भूमि का लगान काटने तक भविष्य में वसूली बन्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१७६. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा किसानों का शोषण रोके जाने पर चर्चा के लिये)।

१७७. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मंडल अजमेर की बैठकें महीने में कुछ दिन जयपुर में मुकद्में सुनवाई के लिये हो, इस पर चर्चा के लिये)।

१७८. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अपील अधिकारी तथा राजस्व मंडल के मुकद्मों के निर्णय में देरी लगती है वहां पर जल्दी निर्णय लिये जा सके इस सम्बन्ध में व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़ सु) : १७६. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रेवन्यू वसूली में अनियमितताएँ हो रही हैं उसमें सुधार करने हेतु चर्चा के लिये)।

माँग संख्या २२

१८०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से घटाकर १०० रुपया कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ पचायत समिति क्षेत्र के अधूरे कार्य पूरे न करवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

१८१. **श्री देवीलाल मीणा** (सराड़ा सु०) : मुख्य शीर्षक ६- भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले के सरसिया गांव के आदि-

(श्री देवीलाल मीणा)

वासियों के कब्जे की भूमि जागीरदारों को गलत एलॉट करने पर चर्चा के लिए) ।

१८२. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जयसमन्द झील की नहरों के कमांड में काश्तकारों के नाजायज पुराने कब्जों को नियमित दिया जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

१८३. मांग संख्या २२. मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को विकास कार्यों के लिए जो धन राशि दी जा रही है उस राशि को बढ़ाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १

श्री जयनारायण (लसाड़िया)
१८४. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ९— भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (धरियावद तहसील के माणला गांव के आदिवासियों को भूमि दिलाने हेतु चर्चा के लिए) ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां).
१८५. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ९—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शाहबाद तहसील में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के गरीब लोगों को आवंटित भूमि भ्रष्ट तरीकों से फर्जी कार्यवाही करके दूसरे लोगों को आवंटित कर देने बाबत चर्चा के लिए) ।

१८६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बारां तहसील द्वारा नियम विरुद्ध एवं कार्यवाही द्वारा भूमि के आंवटन में भारी घोटाला एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २२

१८७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजन यें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाचोड़ा ग्राम छबड़ा (जिला कोटा) पंचायत समिति क्षेत्र में बनाई गई कंजर कोलोनी के निर्माण में हुए भारी घोटालों के सम्बन्ध मे चर्चा के लिए) ।

१८८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बारां पंचायत समिति क्षेत्र में १० वर्ष पुराने विकास कार्य जो अधुरे पड़े हैं उनके पूरे न होने के कारण धन का जो दुरुपयोग हुआ इस पर चर्चा के लिए) ।

१८९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शाहबाद पचायत समिति क्षेत्र में विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार व हजारों रुपयों के गोल माल पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या १

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर)

१६०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६— भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (पुरे जात और काशी-राना महल के प्रबन्ध में होने वाली अकर्मण्यता के कारण हानि को रोकने पर चर्चा के लिये)।

१६१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६- भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (भू मापन व्यवस्था और लैण्ड रैकार्ड के खर्च में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने पर चर्चा के लिये)।

मांग सख्या २२

१६२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं में बढ़ती हुई फिजूल खर्ची को रोकने व खजाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

श्री रामनारायण (मंडावा)

१६३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६— भू—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग कानून लागू करने पर चर्चा के लिये)।

१६४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६ भू—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (किसानों पर कर भार बढ़ने पर चर्चा के लिये)।

१६५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६— भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू—राजस्व की राशि का भाग पंचायतों को देने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

१६६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६— भू—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जागीर विभाग में अभी तक अस्थायी कर्मचारियों को स्थाई न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

१६७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं से लोगों को उचित राहत नहीं मिल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

१६८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों व जिला परिषदों में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

१६६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक शिक्षा पर ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

२००. मांग सख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि

Page No 104

(श्री रामनारायण)

के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों व पंचायत समितियों के विकास हेतु अधिक अधिकार देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर)

२०१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १००रुपया कम कर दिया जाय (सवाई-माधोपुर, बोली एवं खंडार तहसीलों में बन्दोबस्त साला की अवधि समाप्त हो जने के बावजूद पुनः बन्दोबस्त न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

२०२ मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय सन् ६८-६६ में पटवारियों की नियुक्ति में घोर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़)

२०३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोड़गढ़ एवं अरणोद में तहसील कायम किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

२०४. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ६ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में भैसरोड़गढ़ एवं अरणोद में पुनः तहसील कायम किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२०५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६ भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील भदेसर क्षेत्र को एस०डी०ओ० चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में जोड़ने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

२०६. मांग संख्या २२. मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला परिषदों की सादिक अली कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२०७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला परिषदों को अधिकार दिये जाने एवं सादिक अली कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कार्य कर सके उसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री रतनलाल रोत (चौरासी सु.)

२०८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६, भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भूमि के नाजायज कब्जों से होने वाले अत्याचार के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

२०९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के

(श्री रतनलाल रोत)

अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजना में पंचायत समितियों में लगे अत्यधिक स्टाफ की अनुपयुक्तता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग सु.)

२१०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६, भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व विभाग की दोषपूर्ण नीतियों के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

२११. मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक ६, भू-राजस्व मण्डल के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कृषि भूमियों के ऐलाटमेंट्स में की गई अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नू)

२१२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६, भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १००रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम कसूम्बी तहसील लाडनूं के कृषि कुओं के लिये दिये गये ऋण के उपयोग के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडनूं द्वारा सरकार को झूठी रिपोर्ट देने पर चर्चा के लिये)।

२१३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६, भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील कार्यालय में लम्बे समय तक राजस्व मामले अनिर्णीत पड़े रहने पर चर्चा के लिये)।

२१४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६, भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी कृषि भूमियों का ऐलाटमेंट समय पर नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

२१५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६, भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील लाडनूं में दी गई बीघोड़ी की छूट की रकम काश्तकारों के नाम से बकाया निकाली जाने पर चर्चा के लिये)।

२१६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६, भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कृषि भूमियों पर नाजायज कब्जों के नियमित करने में मनमानी करने पर चर्चा के लिये)।

२१७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६, भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (आबादी के अलावा दूसरी भूमियों के पंचायतों द्वारा पट्टे बना देने पर राजस्व विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

२१८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बार बार घोषणा करने पर भी कृषकों को भूमि की पास बुकें नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

२१६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत

(श्री हरजीराम बुरडक)

निम्बी जोधा तहसील लाडनूं के आबादी भूमि वृद्धि के प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

२२०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बाकलिया तहसील लाडनू) में भेड़ व ऊन विभाग द्वारा, उनको एलोट किये गये नम्बरों पर कब्जा करने पर चर्चा के लिये।

२२१. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (क्रय विक्रय समिति डीडवाना को ९९ वर्ष की लीज पर दीं गई भूमि का एग्रीमेन्ट के अनुसार उपयोग नहीं करने पर भी उक्त समिति के नाम से लीज खत्म नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

२२२. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील लाडनूं (जिला नागौर) के जिन काश्तकारों के नाजायज कब्जे जायज कर दिये गए, उनको तहसील द्वारा सनद जारी नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

२२३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान टीनेन्सी नियमों के अनुसार काश्तकारों को छः आनासे आठ आना फसल के नुकसान पर बीघोडी में छूट नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २२

२२४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाँय पंचायत समिति, डीडवाना, द्वारा सड़कों के लिये दी गई रकम के गबन के संबंध में चर्चा के लिये)।

२२५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत माँग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, डीडवाना द्वारा जारी की गई वसूलियों को गलत रूप से स्टे करने पर चर्चा के लिये)।

२२६. माँग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति डीडवाना की ऑडिटो की रिपोर्टों में गम्भीर आरोप होने होने पर भी उनकी पालना नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

२२७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रधान पंचायत समिति डीडवाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा चलाये जाने वाले रिश्वत व धोखा देही के मामले में चालान की स्वीकृति न देने पर चर्चा के लिये)।

२२८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर

(श्री हरजीराम बुरड़क)

दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा दिये गये ऋण के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२२६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज संस्थाओं के रिक्त स्थानों की पूर्ति न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

२३०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा निश्चित की गई साक्षात्कार की तारीखों पर साक्षात्कार के लिए कमीशन के अधिकारी नहीं पहुँच पाने पर चर्चा के लिए)।

२३१ मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १००.रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति पर चर्चा के लिये)।

२३२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों की तथा पंचायत समितियो की आडिट रिपोर्टों की अनुपालना नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२३३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय पंचायत समिति लाडनूं द्वारा कृषि कुओं के लिए दिये गये ऋण के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

२३४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों के फैसलों के खिलाफ प्रधान लाडनूं द्वारा बिना स्थायी समिति के सामने रखे ही फैसले कर देने और सरकार के ध्यान में आ जाने पर भी कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)!

२३५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लाडनूं की महिला सहवृत्त सदस्यों का विकास अधिकारी लाडनूं द्वारा फर्जी त्याग पत्र लेकर उनका स्थान रिक्त कर देने पर चर्चा के लिये)।

२३६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लाडनूं में ग्राम दानी गांवों के प्रतिनिधि का अब तक चुनाव नहीं करवाने पर चर्चा के लिये)।

२३७. मांग २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत आसोटा (पंचायत समिति लाडनूं) में बिना आबादी भूमियों के पट्टे जारी करके लोगों से हजारों रुपये

Page No 108

(श्री हरजीराम बुरड़क)

हड़प कर लिये इस पर चर्चा के लिये)।

२३८ मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लाडनूं में अस्थायी नियुक्तियों में किये जा रहे घोटाले के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२३९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत जसवन्तगढ़ (पंचायत समिति लाडनूं) के सरपंचों व पंचों के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी जाने पर चर्चा के लिये)।

२४०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनाऐं आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति डीडवाना के पशु मेलों पर समिति की बिना स्वीकृति के व्यय करने पर चर्चा के लिये)।

२४१ मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनाऐं आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति डीडवाना के पशु मेले के खर्चे के सम्बन्ध में ऑडिट रिपोर्ट में किये गए ऐतराजों की पूर्ति नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये।

२४२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनाऐं आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लाडनूं, प्रधान द्वारा किये गये गलत कार्यों के संबध में कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या १

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा)

२४३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९, भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छीपाबड़ोद क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को जमीन नहीं देकर बड़े बड़े आदमियों को भूमि आवंटन कर देने पर चर्चा के लिये)।

२४४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९, भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छीपा बड़ोद छबड़ा क्षेत्र में भूमि वितरण में चल रही धान्धली पर चर्चा के लिये)।

२४५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९, भू-राजस्व के अन्तर्गत माग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा उपजिलाधीश कार्यालय मे बंदूकों के रिन्यूवल लाइसेन्स में चल रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

२४६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनाऐं आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छीपाबड़ोद एवं छबड़ा की पंचायत समिति क्षेत्र में वर्षा से पड़े अधूरे विकास कार्य पूरे कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)

२४७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६, भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व जमान की पैमाईश करने में खातेदारी अधिकार व इंतकाल दर्ज कराने में व आराजी भूमि भूमिहीनों को अलांट कराने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२४८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६, भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पांचू) (तहसील नोखा), जिला बीकानेर) की आराजी भूमि भूमहीन हरिजन किसानों को अलॉट करने में व इस गांव की भूमि को पैमाईश कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २२

२४९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नोखा तहसील की ग्राम पंचायतों में विकास विभाग के आडिट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२५०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित करने में विकास विभाग द्वारा लापरवाई व ढिलाई बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२५१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति नोखा की प्राइमरी स्कूलों में उसी ग्राम के अध्यापकों को ग्राम में न रहने देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२५२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति नोखा के अधीनस्थ ग्रामों में विकास योजनाओं के अन्तर्गत चलाये गये विकास कार्य अधूरे कुएं, अधूरे स्कूल-भवन, अधूरे सांडशालाएं विकास-विभाग द्वारा पूरा करवाने में असफलता पर चर्चा के लिये) ।

२५३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम लालमदेशर बड़ा व छोटा के कुओं का विकास करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये) ।

२५४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पंचायत समितियों एवं जिला परिषद् सेवा चयन आयोग आवश्यकतानुसार चयन करने में पिछड़े हुए जाति के लोगों को देने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री चुन्नीलाल : (खन्डार सु)

२५५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-

(श्री चुन्नीलाल)

भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय(तहसील सवाई-माधोपुर के ग्राम गमीरा व कुशतला में अवैध आवंटन रद्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२५६. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सवाई माधोपुर व खन्डार में गोचर भूमि पर अनाधिकृत कब्जों के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री मेघराज (चूरू) : २५७. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सैटलमेन्ट विभाग में फैले भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

२५८. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में काश्तकारों को प्रदान की गई छुट्टी का लाभ काश्तकारों को न करने देने बाबत चर्चा के लिये)।

२५९. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नाजायज कब्जों को नियमित (रेगूलराइज) किये जाने में किये जाने वाले अनावश्यक विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु) २६०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिड्यूल कास्ट व शिड्यूल ट्राइबस के लोगों को जो भूमि अलाट हुई थी वह उनको मिली नहीं, उस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

२६१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं से पिछड़े वर्ग को किसी प्रकार लाभ नहीं पहुँचा इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

२६२. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले के ग्रामों में सिवाय चक की जमीनों में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

२६३. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (आबादी भूमि आबादी वृद्धि के अनुपात में, विशेषतौर से मरू भूमि क्षेत्रों में न छोड़ने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

२६४. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय तरमीम पैमायश में भू-राजस्व की भारी वृद्धि पर चर्चा के लिये)।

(श्री दौलतराम सारण)

२६५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन के प्रतिवेदन के सुझावानुसार व्यवस्था करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २२

२६६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरपंचों के विरुद्ध गम्भीर लिखित आरोपों की जांच करवा कर कोई कार्यवाही न करने के पश्चात पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये)।

२६७. मांग संख्या २२ मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों के सरपंचों को बिना जांच किए बिना स्पष्टीकरण लिए एक पक्षीय शिकायतों पर निलम्बित कर देने और लम्बे समय तक बिना सुनवाई किए निलम्बित रखने के कारण पंचायतों में होने वाले राजनैतिक पक्षपात और हस्तक्षेप पर चर्चा के लिए)।

२६८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए और अधूरे पड़े कार्यों के लिये इस मद में धन की व्यवस्था न करने के कारण होने वाली हानिपर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : २६९. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ९–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (परिगणित जातियों के काश्तकारों को बिना लगानी जमीनें देने पर चर्चा के लिये)।

२७०. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू–राजस्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (परिगणित जाति के काश्तकारों को अच्छे खाद व बीज निःशुल्क देने पर चर्चा के लिए।

२७१. मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ९–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (परिगणित जातियों काश्तकारों को लगान में से २५ प्रतिशत लगान की छूट देने पर चर्चा के लिए)।

२७३. मांग सख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हरिजनों को जो कृषि जमीनें दें उनसे उन्हें बेदखल नहीं किया जाय, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २२

२७४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की पंचायत समिति

(श्री लादूराम सुलानियां)

द्वारा अनियमित कार्यवाहियों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : २७५. मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू लॉज कमीशन की सिफारिशों की अनुपालना न करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २२

२७६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनाऐं आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के आर्थिक अनुदान में कमी किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : २७७ मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हर पंचायत समिति में हाई स्कूल, बिजली व टेलीफोन व्यवस्था की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिए)।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : २७८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं तथा स्थानीय विकास कार्यों में सरकार द्वारा उपस्थित की जाने वाली बाधाओं पर चर्चा के लिए)।

श्री रणजीत सिंह : (औसिया) २७६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों व जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) २८०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (योजनाओं की क्रियान्विती में विभागीय अयोग्यता पर चर्चा के लिये)।

२८१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कृषि प्रसार अधिकारियों की विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : २८२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सादिक अली रिपोर्ट को राज्य सरकार द्वारा लागू करने पर चर्चा के लिये)।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व के सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष रखते हुए निवेदन करता हूँ यह निर्विवादित बात है कि अनादिकाल से भू राजस्व प्राप्त करने का राज्य का अधिकार चला आ रहा है। किन्तु मुझे खेद के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि हमारी राजस्थान की सरकार ने और खास कर गत ५-६ वर्ष से इस सरकार ने अपनी रीति-नीति के द्वारा किसानों को जो असुविधायें दी है उससे मैं अपनी असहमति प्रकट करते हुये सरकार की किसान विरोधी नीति का विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, खेती हमारे राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ा व्यवसाय है। यही नहीं हमारे विशाल भारतवर्ष के अन्दर किसान सच्चे रूप से अन्न दाता है। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। हरएक लोकप्रिय सरकार का यह प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिये कि किसान को खुशहाली दे, किसान को खेती के सम्बन्ध में हर तरह से प्रोत्साहन और सहयोग दें ताकि उत्पादन में अभिवृद्धि हो और आज की मंहगाई और भुखमरी समस्या का शीघ्रातिशीघ्र रूप से योजना बद्ध तरीके से हल निकल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ-दक्षिणी राजस्थान से वहां पर खास कर ३ दक्षिणी जिलों की समस्या के सम्बन्ध में मैं कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा, उदयपुर जिला, बांसवाड़ा जिला और डूंगरपुर जिला। वहां के अधिकांश किसान गरीब हैं अधिकांश किसान अशिक्षित है और पिछड़े हुए वर्ग के हैं। एक आदिवासी क्षेत्र राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जो मेरे क्षेत्र के किसानों की आपत्ति है वह नव तोड़ काश्त के सम्बन्ध में है। अनादि काल से किसान को उस वक्त के प्रशासन के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था कि उनके खाते की पड़ौती पड़त जमीन है उसको वह खेडे और खेड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाये। १० वर्ष के बाद बंदोबस्त होता था। १० वर्ष तक किसान को पूरा लाभ उठाने का मौका दिया जाता था और बन्दोबस्त होने के पश्चात् चौथाई लगान लिया जाता था उसके ५ वर्ष गुजर जाने के बाद सभी राज्यों में यह व्यवस्था थी। जहां तक मुझे पता है निशुल्क लिया जाता है और पूरा १० साल होने के बाद पूरा लगान लागू होता था। आज उस व्यवस्था के विपरीत किसान इस दुष्काल के समय में हर तरह से परेशान किया जाता है और सरकारी कर्मचारियों के द्वारा रिश्वत खोरी का दरवाजा खुल गया है और गरीब किसान की सुनवाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है।

आम चुनावों के डर से सन् १९६७ तक सरकार ने वसूली के सम्बन्ध में बिलकुल चुप्पी साधकर कुछ नहीं किया। नाजायज कब्जे के सम्बन्ध में सरकार खामोश रही है-इस सम्बन्ध में भी कुछ नहीं किया। अब इलेक्शन समाप्त हो गए और उसके पश्चात वर्तमान सरकार का सौभाग्य था कि वह शासनारूढ़ दल के नाते आज हमारे सामने विद्यमान है। किसान के हितों को बालायेताक रखकर हर तरह से लगान की वसूली करें। एक तरफ कहते है दुष्काल है, दूसरी तरफ लगान वसूली और इस तावड़तोड़ से वसूली करना कि २-२, ३-३ साल के लगान इकट्ठे दो। मेरे ख्याल से यह प्रशासन की निर्दयता, दुव्यर्वस्था और घोर पराकाष्टा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ही नहीं लेकिन इस दुव्यर्वस्था की घोर भर्त्सना करता हूँ। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय हम क्या देखते हैं कि कर्ज की वसूली का भी एक तांता-सा लग गया है। हर तरह का कर्जा लाखों लाखों की मांग है। सरकार सहकारी समिति के ऋण को भी ताबड़तोड़ रूप से वसूल कर रही है। मेरे ख्याल से एक लोकप्रिय सरकार को यह नहीं करना चाहिये। विदेशी सरकार जो अंग्रेजी सरकार थी वह भी इतना साहस नहीं कर सकती थी कि जनता पर इतना अत्याचार करके इतनी बड़ी रकम वसूल करे और वसूली में व्यापक भ्रष्टाचार हो। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त पेनेल्टीज की व्यवस्था हो यह भी मेरे ख्याल से मेरे दिमाग के परे है। आखिर पैनल्टी की परिभाषा होती है अगर एक व्यक्ति, एक किसान सरकार के कानून की अवहेलना करता है तो उसको सजा मिलती है यह एक सामान्य बुद्धि की विचार की बात है। पेनल्टी एक बार ले लें। एक बार कसूर करें, उस पर पेनल्टी लें यह भी मैं मान सकता हूँ लेकिन एक साल पेनल्टी लगी, उसके बाद फिर दूसरे साल लगी, फिर तीसरे साल लगी और इस तरह से पेनल्टीज की बौछारें लगाई जायं और काश्तकार परेशान होकर बिलकुल बरबाद होते जायं, यह काश्तकारों के प्रति, मेरे ख्याल से, विश्वासघात है। यह सरकार की शोषण नीति है, जिसका मैं घोर विरोध, घोर निन्दा करता हूँ। मैं सरकार से यह मांग करना चाहूँगा कि जो व्यवस्था है पेनल्टी की या नवतोड़ को, खास तौर से तालाबों के एलाटमेंट के सम्बन्ध में, जो सरकार की दूषित नीति है उस सम्बन्ध में, गम्भीरतापूर्वक सरकार को विचार करना चाहिये और यह जो दुव्यर्वस्था है, इसको दूर करने के लिये जो वर्तमान कानून हैं उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके किसान की शोषक नीति जो सरकार की है, ऐसे भूमि कानूनों को भंग करना चाहिये।

मैंने अभी ही मेरे क्षेत्र का भ्रमण किया। मैंने यह पाया कि सरकार के छोटे मोटे कर्मचारी लगान की वसूली करते हैं और मांग पत्र भी नहीं देते जिसको हमारी तरफ पानड़ी कहते हैं. अनादिकाल से, यह व्यवस्था चली आ रही है कि मांगपत्र किसान को, खातेदार को दिया जाता है, पानड़ी दी जाती है, उसके अन्दर उल्लेख किया जाता है कि जो उसके जिम्मे की जो लगान है वह इतनी धनराशि है,उसके विपरीत पानड़ी या मांगपत्र नहीं देकर और किसानों से लगान वसूल की जाती है, उनको तरह तरह की धमकियां दी जाती है, उनको दबाया जाता है और झूठे मुकदमे भी किए जाते हैं। मुझे यह आशंका है कि यह सरकार की कूटनीति के परिणाम स्वरूप है। इतनी बेजाब्ती छोटे मोटे कर्मचारी कभी नहीं बरत सकते। मुझे लगता है कि यह दुर्व्यवस्था है। सरकार जिसके खजाने के अन्दर कुछ पैसा नहीं जो ५०० करोड़ की हद तक कर्जदार हो चुकी है, ऐसी स्थिति में अपने कर्मचारियों को, गुप्त रूप से, मेरे ख्याल से, जिलाधीशों को गुप्त रूप से यह आदेश दिया है कि जितना भी हो सके, भू-राजस्व ऐठों लोगों को, खजाना खाली है, मांग-पत्र है या नहीं। बेजाब्ती बरती जाती है। मैंने स्पष्टतः किसानों से कहा कि अगर कर्मचारियों के द्वारा मांगपत्र नहीं दिए जाते तो लगान मत दो। अगर

(महाराव श्री लक्ष्मणसिंह)

यह अवैधानिक है, कसूर है तो उस कसूर का खामियाजा भुगतने को तैयार हूं, अगर बलिदान भी देना पड़ा तो देने को तैयार हूँ, । हमारी परम्परा हमेशा से ऐसी रही है। हम बलिदानी भावना और त्याग की भावना, जन सेवा को प्राथमिकता देते हैं चाहे जो कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़े, कोई परवाह नहीं। अगर सरकार कोई गीदड़-धमकी देती है तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी गीदड़ धमकी से नहीं डरेंगे चाहे दूसरा बस्तरकांड हो जाय तो होने दिया जाय लेकिन इस तरह की दुर्व्यवस्था गरीब किसानों पर, बेजाब्ती, एक लीगलाइज्ड डकैती और लूट करना मेरे खयाल से एक निंदनीय व्यवस्था है, आपको शर्म आनी चाहिए।

उपाध्यक्षजी, कुछ समय पहले ही छोटे तालाबों के संबंध में चर्चा की । ये छोटे तालाब सहकारिता का उदाहरण हैं गांवों में कई छोटे तालाब हैं। वहाँ पर गांवों के लोग इकट्ठे होकर सामूहिक रुप से उस तालाब को बनाते हैं और वह सदियों के पुराने तालाब हैं, सरकार को उनसे कोई लेना देना नहीं। अगर गांवों की इस संपत्ति में, किसानों की संपत्ति के उपभोग के अन्दर सरकार कोई कानून या मनगढंत कायदों के द्वारा हस्तक्षेप करना चाहे, तो मेरे ख्याल से, अच्छी चीज नहीं, वह न्याय व्यवस्था से परे हैं और इन तालाबों में पशु पानी पीते हैं और सिंचाई भी इनसे होती है और ये जब सूख जाते हैं तो इनके पेटे के अन्दर खेती होती हैं । उस खेती के संबंध में, एलॉटमेंट की व्यवस्था सरकार ने नई निकाली है और वह एलाट-मेंट्स भी होते हैं, छोटे मोटे कर्मचारी वहां पर एलाटमेंट करने आते हैं, वे एक तरह की हिटलरशाही बरतते हैं, रिश्वत का बाजार गर्म होता है और एलाटमेंट में इतनी दुर्व्य-वस्था है, इतनी लैतलाली, ढिलंगाई होती है कि खेती का वक्त भी गुजर जाता है, तब तक एलाटमेंट भी होते रहते हैं।

भू-राजस्व इतना बड़ा महकमा है, किसान की सुविधा को भी मद्देनजर रखते हुए और कम से कम आपको इन तालाबों के संबंध में कोई निर्णय लेना चाहिए, कोई सेटिलमेंट होना चाहिए, सेटिलमेंट था पहले के राज्यों के अन्दर। मैं समझता हूँ, बहुत सारे सेटिलमेंट्स नार्थ वेस्ट फ्रन्टीयर प्रोविंस के जमाने के थे जो वहां पर व्यवस्था थी वह बहुत सारी राजस्थान में थी । सेटिलमेंट के विशेषज्ञ सर मालकोम हेली ने आकर सेटि-लमेंट्स किए । उस व्यवस्था को भंग करके आपने नये सेटिलमेंट निकाले । वह जो पहले की समस्या थी जो सेटिल्ड तालाबों के सम्बन्ध में व्यवस्था थी उससे आपका पेट क्यों दुखा और सम्पूर्ण व्यवस्था को भंग क्यों करके यह एलाटमेंट का तरीका अख्तयार किया ? कोई वाद विवाद हो तो इस सम्बन्ध में सेटिलमेंट करें लेकिन पेटे के काश्त की जमीन से ज्यादातर सामूहिक रूप से अधिक से अधिक किसानों को लाभ देने के लिए जो पहले की व्यवस्था थी, उस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करें और अगर वह व्यवस्था आपकी आज की व्यवस्था से अच्छी है तो उस अच्छी व्यवस्था को भंग करना अदूरदर्शिता, यदि मूर्खता कहूं तो भी अति-शयोक्ति नहीं होगी।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

एलॉटमेंट के सम्बन्ध में खास तौर से आदिवासियों के गांवों के अन्दर अगर भूमि का एलॉटमेंट आप करते हैं तो आप वहीं के भूमिहीनों को प्राथमिकता दें और एलॉटमेंट करवायें। मैं कहना नहीं चाहता। एक उदाहरण देने के लिये तैयार हूँ, नाम तो यहां पर नहीं लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय की रूलिंग थी और अगर राजस्व मन्त्री महोदय चाहेंगे कि नाम दिए जायं तो नाम भी आपको देने के लिये तैयार हूं। किन्तु मैं तो आमतौर पर आपसे निवेदन करता हूँ। उदाहरण के लिये एक आदिवासी ग्राम है, उसके अन्दर भूमि का अगर एलाटमेंट हो तो उस गाँव के अन्दर अगर २० भूमिहीन हैं तो उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आपके कायदों के अन्तर्गत भी यही व्यवस्था है किन्तु आप विशेष कृपापात्र पिट्ठू व्यापारी लोग जो काश्तकार नहीं दूसरे गांवों के हैं ८-१० मील के, उनको वहां पर भूमि एलाट करने की वात करते हैं और उस सम्बन्ध में अगर कोई शिकायत की जाती है तो इस बहरी गूंगी सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंगती।

आपने भू-राजस्व के साथ साथ अधिभार कर भी लगाया है। वह अधिभार कर ५० परसेन्ट से १५० परसेन्ट की आपने अभिवृद्धि की है यह भी मेरे खयाल से इतनी दरें एकदम से बढ़ा देना एक अच्छी सरकार और मुन्सिफाना सरकार के द्वारा व्यवस्था हो यह मैं नहीं मान सकता। यह तो एक शोषण करने वाली सरकार, एक निर्दयी और अत्याचारी सरकार की प्रक्रिया हो सकती है। इससे उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा यह निर्विवादित बात है और किसान के पास जो कुछ भी मुनाफा रहता था उसमें भी इतनी कमी हो जावेगी कि खेती के प्रति उसकी एक तरह की उदासीनता प्रकट हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आपको किसान की मनोवृत्ति, साइकोलोजी को भी स्टेंडी करना चाहिए और उस साइकोलोजी और मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति को मद्देनजर रखते हुए अगर आप कोई व्यवस्था करते तो मैं उस व्यवस्था का स्वागत करता लेकिन आपने जो व्यवस्था की बजट की घोषणा के द्वारा उसकी मैं घोर निन्दा करता हूँ और उसका मैं घोर विरोध करता हूं। आप किंकर्त्तव्यविमूढ़ से हो गये हैं। आप एक तरफ सीलिंग की व्यवस्था लाये। उसको कार्य रूप में परिणित नहीं किया। कितने ही ट्रान्सफर और इन्तकाल हो गये। लाखों रुपया इधर से उधर हो गया हजारों बीघा जमीन इधर से उधर हो गई और वन फ्लेजेन्ट मोर्निंग यह घोषणा होती है वित्त मन्त्री के द्वारा कि यह अधिभार लगान के रूप में १५० पर्सेन्ट तक बढ़ा दिया जावेगा। इसकी मैं घोर निन्दा करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर सरकार को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये।

सन् १९६७ में, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के द्वारा इसी सरकार ने यह घोषणा करायी कि हम भू-राजस्व छोटी खेती पर नहीं लेंगे। मेरे खयाल से यह आपका एक प्रगतिशील कदम था और आधुनिक रेवेन्यू पॉलिसी और प्रशासन व्यवस्था के लिये एक शोभनीय था लेकिन यह सरकार तो आदी है। आश्वासन देकर वापिस लेना इस सरकार

Page No 117

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के लिये कोई नयी बात नहीं। चाटन, भाषण और झूठे आश्वासन में विश्वास रखने वाली यह सरकार जो राज्यपाल के द्वारा आश्वासन दिये गये थे एक तरफा रूप से युनिलेटरी उस आश्वासन को इस सरकार के द्वारा भंग किया गया। मैं इस गांधी शताब्दी के साल के अन्दर इस कांग्रेस की सरकार को यह निवेदन करूं कि कई गैर कांग्रेसी सरकारें उदाहरणार्थ बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, इनमें लगान के अन्दर छूट दी गयी है, किसानों को मुक्त कर दिया गया। आजाद कर दिया गया, हर तरह से उनको प्रोत्साहन दिया गया और आप महात्मा गांधी के अनुयायी हैं लेकिन आप महात्मा गांधी के सिद्धान्तों से सौ कोस परे जा चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी नीति बताइये।

(शोरगुल)

कई माननीय सदस्य : चुप रहिये। बैठ जाइये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे अधिकार है बोलने का। आप कृपया बैठ जाइये।

कई माननीय सदस्य : आप बैठ जाइये।

श्री उपाध्यक्षः आपस में बात न करें।

श्री डूंगाराम : इनकी पार्टी को तो विघ्न डालना आता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कांग्रेस महात्मा गांधी के सिद्धान्तों से आज सौ कोस परे जा चुकी है। किसान जो सो फीसदी अन्नदाता है, भूतपूर्व शासन लगान लेता था उससे भी दस-दस गुना, बारह-बारह गुना लगान इस अत्याचारी सरकार ने वसूल किया है उसकी घोर निन्दा करता हूं।

दो ही शब्द मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। यह कहा गया कि कामर्शियल क्रॉप्स, व्यवसायी उत्पादन पर भी हम टैक्स लगायेंगे। सामान्य बुद्धि के अनुसार इसमें तथ्य है यह मैं मानता हूं। इक्वोटी है यह भी मैं मानता हूं किन्तु आपने खास कर मेरे क्षेत्र की जो स्थिति है उसको इग्नोर करके, उस ओर ध्यान न देकर, उसको नजर अन्दाज करके मिर्चा और तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं पर यह लगान बढ़ाया है यह शायद आपकी भूल हो। मैं आपको निवेदन करूं कि आज हमारे आदिवासी क्षेत्र में जहां पर लोगों को दाने-दाने के लिये तंगाई है और तकलीफ है और हमारे आदिवासी अधिकांश एक रोटी और दो मिर्च खाने वाले हैं, उनकी मिर्चों पर आपने टैक्स लगाया, यह एक दुर्व्यवस्था है। सरकार को मैं निवेदन करना चाहूंगा खास कर आदिवासी क्षेत्र में मिर्चों पर टैक्स लगाया गया है वह अनुचित है। इसी तरह से तिल पर भी टैक्स लगाया है। वही एक मात्र गरीब आदमी के लिये पोषक पदार्थ है। खल निकलती है उससे उसके बैल गाय का पोषण होता है। तिल एक मात्र ऐसा पौष्टिक अन्न है कि जिसके अन्दर तेल है और उसको

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

व्यवहार करने से उनको, आदिवासियों को लाभ होता है। इस टैक्स के बारे में सरकार से मेरा निवेदन है कि पुर्नविचार करे।

आपकी योजना सफल हो और अगर आपको योजना को सफल बनाना है तो आपको चाहिये कि तेल को सस्ता करें। पंपिग सैट को सस्ता करिये। सस्ते रूप से लोगों को उपलब्ध होना चाहिये। बार-बार मैंने इस सदन के समक्ष चर्चा की और फिर निवेदन करता हूं कि दूसरे पड़ौसी देशों में इन्डोनेशिया, जापान आदि देशों में पंपिग सैटों की कीमत पर कन्ट्रोल है। आज देश में पंपिग सैट की दरें धीरे-धीरे १५०० से ३ हजार और पांच हजार तक पहुँच गयी है। स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते। तेल नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में उत्पादन में सफलतापूर्वक कैसे वृद्धि हो सकती है। इस और ध्यान आकर्षित करते हुए मेरे दो शब्द समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : महारानी शिवकुमारी।

महारानी श्रीमती शिवकुमारी(खानपुर)**:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६, भू राजस्व पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं।

राज्य सरकार को भू राजस्व में, सामान्य राजस्व में १० करोड़ रुपये सालाना की आमदनी होती है। सन् १६६८-६६ और इस साल में अतिवृष्टि व अकाल के कारण वसूली न होने से ६.३७ करोड़ की आमदनी का अन्दाज है। यानी चार करोड़ की कम आमदनी आंकी गई है। १६६६–७० के वर्ष में ८ करोड़ की अनुमानित आय आंकी गई है। प्रस्तावित बजट में नये-नये कर लगाये गये हैं और नये टैक्स बढ़ाये गये हैं उनके विरोध में मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज २६ जिलों में से २३ जिलों में अनावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण अकाल घोषित किया गया है। ऐसी हालत में, जब कि हमारा राज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और प्रकृति का मुकाबला करने में हमारी राज्य सरकार असमर्थ साबित हुई, उस हालत में इस तरह से टैक्स जनता और किसान पर लगाना मैं अमानवतापूर्ण समझती हूँ। किसानों पर पहले ही केन्द्रीय सरकार ने टैक्स पम्पिग सेट्स, ट्रैक्टर्स, रासायनिक खाद पर लगाया है। और अब राज्य सरकार ने उन पर टैक्स का अटेक किया है। कामर्शल क्राॅप्स में ६ रुपये प्रति एकड सिंचित क्षेत्र में लगाया है और इसी तरह लगान में सरचार्ज डयोढ़ा कर दिया है। और इस तरह से बिजली आदि की चार्जेज भी बढ़ा दिये हैं। राज्य सरकार ने किसान के कॉस्ट आफ प्रोडक्शन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और उनको जो उन्नत बीज आदि के लिए पहले सब्सीडी मिलती थी वह भी बन्द कर दी, जो बन्द नहीं होनी चाहिए। कास्ट आफ प्रोडक्शन दिनों दिन महंगा होता जा रहा है जब कि फसलों के मूल्य अनिश्चित हैं जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि फसलों के भाव गिरते जा रहे हैं। जब तक किसान का वास्तविक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आंका जाता, जब तक उनको मिनीमम गारंटी भावों की नहीं दी जाती, उस वक्त तक उन पर टैक्स लगाना अनुचित

(महारानी श्रीमती शिवकुमारी)

है। सन् १९५४-५५ में टोटल रेवेन्यू २९.३ करोड़ था और १९६७-६८ में वह बढ़कर ४३.३७ करोड़ हो गया। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है, फिर मैं नहीं समझती कि ये टैक्स लगाना क्यों आवश्यक होता है?

राज्य सरकार को पशुधन से ११.९ पर्सेन्ट की आमदनी है। आज अकाल के कारण पशुधन का नाश हुआ है उसका भार भी किसान पर है। दूसरी ओर खेती के, फसलों के मूल्य गिर रहे हैं, ऐसी हालत में कर नहीं लगाना चाहिये। इससे किसान प्रगति करने के बचाव बरबाद हो जायगा और राज्य को इकोनॉमी को धक्का लगेगा।

रेग्यूलराइजेशन आफ इल्लीगल आक्यु-पेशन से राज्य सरकार को एक करोड़ की आय बताई गई है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने भूमि के नियमन करने को राजस्व का एक अंग मान लिया है। भूमि-नियमन की नीति वास्तविकता से दूर है और इसके कारण गांवों को बड़ी परेशानी और असंतोष है। मैं इस प्रसंग पर कुछ बातें कहना चाहूँगी क्योंकि मेरी कॉन्स्टीट्युएंसी में इस प्रश्न को लेकर काफी असंतोष और रोष है। राज्य की गलत नीतियों के कारण, ईअर आफ्टर ईअर रेग्युलराइजेशन करते रहने से लोगों का खयाल बन गया है कि आज का ट्रेसपा-सर कल रेग्युलराइज हो जायेगा। जब कि १९६१ से लेकर रेग्युलराइजेशन की बात हो रही है, उसके लिये कोई ठोस नीति नहीं अपनाई गई। इस नीति के कारण लोग हर प्रकार से मनमाने ढंग से जमीन पर अन-धिकृत कब्जा कर लेते हैं, गांवों में चरनोट फाड़ देते हैं, रास्ता फाड़ लेते हैं, और सार्व-जनिक स्थान जैसे कि आवागमन की सड़क, शमशान आदि पर नाजायज कब्जा कर लेते हैं। इस तरह की मनोवृत्ति दिनोंदिन बढ़ती जा रही है जिससे आये दिन मुकदमे, मारपीट और झगड़े होते रहते हैं। मुकदमेबाजी में पड़कर गांव के लोग बहुत परेशान होते हैं। जहाँ जहाँ जंगल हैं वहाँ पर भी लोग ट्रेसपास करते हैं। यदि यही हाल रहा तो हमारा इलाका जो आज जंगलों से सरसब्ज है वहां पर जंगल का नाम तक नहीं रहेगा। जंगल काटने के साथ-साथ भूमि कटाव भी बढ़ रहा है। वर्षा कम होती है जिससे पैदावार में कमी होती है। जंगल काटना और लकड़ियां काटने की समस्या तो ऐसी है कि जिसका कोई अन्त ही नहीं। दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ती है और साथ-साथ जंगलों की कटाई भी बढ़ती जा रही है। अगर इसको रोकने के लिये ठोस कदम सरकार नहीं उठायेगी तो एक समय ऐसा आयगा कि पश्चिम राजस्थान तो रेगिस्तान है ही, पर दूसरे सरसब्ज जिले जो हैं, जैसे, माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि वहां पर भी रेगिस्तान बन जायगा। और वहां पर भी अकाल और भुखमरी का बोल-बाला हो जायगा। राज्य सरकार इसका उपाय नहीं करेगी तो हमारे पास क्या रह जायगा? व्हाट नेक्स्ट? इसलिये मेरा राजनेताओं और विशेषज्ञों से निवेदन है कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें और ऐसा समाधान निकालें जिससे ईंधन की समस्या हल हो सके और रात-दिन का झगड़ा नहीं करना पड़े।

(महारानी श्रीमती शिवकुमारी)

आबादी भूमि पर भी लोगों के अनाधिकृत कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। यह बहुत असंतोषजनक स्थिति है। इसके लिये सरकार कुछ करे और ट्रेसपासर्स को इजेक्ट करे। मेरे इलाके के अन्दर जो अनाधिकृत कब्जे हुए हैं उनके बारे में मैं मिसाल की तौर पर कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करती हूँ। उमरिया गांव की तलाई फाड़ रखी है। लालावता चरनोट फाड़ रखी है, उससे लोग परेशान हैं। इसकी शिकायत की। कोई एक्शन नहीं है। खंडी में मवेशियों के चरनोट पर कब्जा कर लिया गया है। इसी तरह से एलॉटमेंट में भी बड़ी अनियमितता चलती है। खसरा नम्बर कुछ दिया जाता है और उनके ऊपर बैठे कुछ और हैं, और सबसे पुराने लोगों को बेदखल कर दिया गया है। इस तरह एलॉटमेंट के ऊपर भी अनियमितता रहती है। इसकी मिसाल में आपको देना चाहती हूँ। जो काश्तकार बरसों से काश्त करते आरहे हैं, उन लोगों को रेगुलराइज नहीं किया गया है। भूरसिंह सन आफ किशनसिंह १५ साल से काश्त करते आरहे हैं। जुर्माना भर रहे हैं। हर साल २०० रुपया जुर्माना दिया है, किन्तु उनका केस रेगुलराइज नहीं होता है।

रेविन्त में कल्टीवेशन होता है, वह भी प्रेक्टीकल नहीं है। वह बिल्कुल गलत है। इसका फैसला गलत किया गया है। करीब २२३४ भरतपुर में, ३९९२६ कोटा में सवाई माधोपुर से सूचना प्राप्त नहीं हुई परन्तु इसके लेवलिंग का जो तरीका है, जो काश्त करते हैं और काश्त करने का तरीका है, वह ठीक नहीं है। लेवलिंग करने के ऊपर खर्चा ज्यादा है और इसे किसान लोग भर नहीं सकते। वे इसका भार संभाल नहीं सकते और होता यह है कि स्वार्थी लोग वहां चले जाते हैं। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

निजी कुओं की समस्या भी हमारे इलाके में बढ़ी हुई है। लोगों के जो पुश्तैनी कुए थे, पीढ़ियों के कुए थे, उनको भी राज्य सरकार ने कहा वे उनके कुए हैं। ऐसे कुएं जिनके कि खुद के हैं उनको २७०० रुपया देकर अपने नाम कराना पड़ता है। इसके ऊपर भी सरकार को विचार करना चाहिए।

इसी प्रकार राजस्वमन्त्रीजी द्वारा लोगों मे पट्टे जारी किए गये हैं। यह नयी परम्परा डाली गई है जो बिल्कुल गलत कदम है। मेरे उप चुनाव के समय राजस्व मन्त्रीजी ने ३-१०-६७ को कलक्टर, कोटा के चैम्बर में बैठ कर इस प्रकार का फैसला किया है? और लोंगो की पट्टे आवंटन किए हैं जिसके ऊपर उस क्षेत्र में काफी असन्तोष है। लोगों को समय पर पट्टे नहीं मिल रहे हैं। झगड़े हो रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर जांच होनी चाहिये कि इस तरह नाजायज पट्टे क्यों वितलिते किए गए हैं? इसी तरह से अफीम की भी समस्या गम्भीर है। कम कीमत में अफीम लेकर जो अफीम खाने वाले हैं उनको ज्यादा भाव में देते हैं और किसान से कम भाव में खरीदते हैं। इससे ब्लैकमार्केटिंग को काफी बढ़ावा मिलता है। इसलिए सरकार को इस ओर कदम लेना चाहिए।

मैं आशा करती हूँ कि सरकार सदन की

(महारानी श्रीमती शिवकुमारी)

आवाज, जनता की आवाज पर ध्यान देकर जो टैक्स किसानों के ऊपर लगाये है उनको कम करने का विचार करेगी । हमारे यहां बुजुर्गों ने कहा है कि किसान तो सोने की चिड़ी हैं । तो उस उस सोने की चिड़िया को बचाना हमारा काम है और सरकार को चाहिये कि वह मुर्गी के सोने के अन्डे के लालच में न पड़ कर इस सोने की चिड़िया को मिट्टी में न मिलावें ।

अन्त में मैं स्पेशल फन्ड फॉर रिहैबलिटेशन आफ एक्स सर्विसमैन के बारे में भी दो शब्द कहना चाहती हूँ । इस फण्ड में करीब ४७ लाख रुपया सन् १९६७ में भारत सरकार ने राज्य सरकार को दिया था जिसके चैयरमैन, इस कमेटी के चैयरमैन राज्यपाल हैं । परन्तु उस समय से लेकर आज तक इस विषय में न कोई लॉ बना है और न बायलॉज बनाये गये है । इस फण्ड का वितरण एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए बिल्कुल नहीं किया गया है । उनकी फेमिली को भूमि का आवंटन नहीं किया गया है । यह अफसोस की बात है इसके बारे में श्री भैरोंसिंह जी ने भी दो साल पहले इस सदन में सवाल उठाया था । इस पर उन्हें आश्वासन दिया गया था कि तीन महीने के अन्दर एक कमेटी बनाकर ला और बायलॉज बनाने के लिए इस पर कार्यवाही की जायेगी । आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इससे फौजी भाइयों को कष्ट हो रहा है । इसके ऊपर सोचा नही गया है । मैं सरकार से चाहूँगी कि इस विषय में निर्णय लेकर उनके जो रुपये पड़े हुए हैं, उनको जो कष्ट हो रहा है, इस पर विचार किया जाय । भूतपूर्व सैनिकों को नहरी इलाके में भी भूमि का आवंटन किया गया है । अधिकतर जो भूमि नहरी इलाके में दी गई है, वहां सिंचाई का जरिया नहीं है और पानी उपलब्ध होने का जरिया नही है । वे बिचारे जमीन लेने के लिए मारे मारे फिरते हैं और कर्ज लेकर जमीन के लिए दफ्तरों में फिरते हैं । उनकी हालत शोचनीय हो रही है । जमीन देने के बाद उनको कब्जा नहीं दिया जाता है, और उनकी खड़ी फसल बर्बाद कर दी जाती है ।

इसके अलावा इतने वर्ष हो गये, आज तक राज्य सरकार ने फौजियों की सेन्सस करके उनका पूरा पता लगाने की कोशिश नहीं की है, पूरी लिस्ट नहीं बनायी है कि आखिर यह कितने परिवार हैं और उनके कितने सदस्य हैं । मैं सरकार से चाहूँगी कि वे इसपर सोचें और उनकी सूची बनावें ताकि मालूम पड़े कि कितने फौजी हैं और उनकी क्या हालत है ?

मैं आशा करती हूं कि राज्य सरकार इन बातों पर ध्यान देगी और जो टैक्सेस लगाये हैं उसके उपर विचार करेगी और उनमें रियायत करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय. मैं लेंड रिफॉर्म्स के बारे में एक-दो शब्द कहना चाहूंगा । खास करके लेंड रिफार्म्स के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कहना चाहता हूँ । इसके सम्बन्ध में दो-चार बातें आपके जरिये माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर के ध्यान में लाना चाहूँगा ।

मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा जो लैंड

(श्री पी. के. चौधरी)

रिफार्म्स हैं, जो लेंड रिफार्म्स कानून है, वह हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कानून है। मैं लेंड रिफार्म्स को इसी तरह से नहीं देखता हूँ बल्कि जो हमारा नारा है, जो आजादी के पहले था कि जो जमीन जोतता है, उसी को जमीन मिलनी चाहिये, यह हमारा नारा था। यह समाजवाद का नारा है। इसी को मैं समाजवाद समझता हूँ कि लेंड रिफार्म्स फर्स्ट स्टेप है समाजवाद के लिये। समाजवाद में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि मीन्स आफ प्रोडक्शन जो हैं, उसके ऊपर किसी एक का कब्जा नहीं होना चाहिये। इसके ऊपर लिमिटेड फ्यू का कब्जा न रहे। इस पर बराबर का कब्जा रहे। पर्टीक्यूलर लोगों का मीन्स आॅफ प्रोडक्शन पर कब्जा नहीं रहना चाहिये। एग्रीकलचर के ऊपर हमारे देश की ८० प्रतिशत जनता निर्भर करती है। यह उनका मीन्स आॅफ प्रोडक्शन है। इसका हमने रिफार्म किया है और इसका हमने बराबर इक्वीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का कानून में प्रावधान कर दिया है। ..

मीन्स आॅफ प्रोडक्शन जो जमीन का है उसका ८० प्रतिशत का हम इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन करना चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि प्रॉपर कानून का पालन नहीं होता है।

जैसा हमने सीलिंग कानून पास किया उसको पास किये हुए दस साल हो गये हैं आज तक उसको इम्पलीमेंट नहीं कर पाये। मैं तो चाहता हूँ कि सीलिंग कानून जो पास किया है जिसके बारे में सदन में मुख्यमन्त्री ने कोई टार्गेट डेट भी मुकर्रर की मुझे तो मालूम नहीं लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा है कि फलां तारीख तक इम्पलमेंट कर देंगे। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि सीलिंग कानून जो पास किया है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस कानून को लागू किया जाना चाहिये। जो इसका खास मकसद था कि जिस पर्टीकूलर फेमिलीज के पास ज्यादा जमीन थी वह लेंडलेस पर्सन्स को दे दी जायगी, वह परपज सेबोटेज होता जा रहा है, वह परपज नलीफाइ हो चुका है। जिनके पास ज्यादा जमीन थी उन्होंने करीब करीब सब ट्रान्सफर कर दी है। बची-खुची जमीन है वह भी साल दो साल में इसको इम्पलीमेंट नहीं कर पाये तो नामान्तरण वगैरह करके वह कर जायेंगे।

(२. २२ म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति; पदासीन)

हम यह चाहते है कि जल्दी से जल्दी सीलिंग कानून को इम्पलीमेंट किया जाना चाहिये।

सीलिंग के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा राजा महाराजाओं के पास जो ग्रास लेण्ड्स हैं जयपुर महाराजा के पास ग्रास लेण्ड हैं, जमवा रामगढ़ में हैं जो यहां से चार पाँच मील की दूरी पर है उसका कोई उपयोग नहीं होता। उनकी जमीन है वे लोगों से ज्यादा पैसा लेकर के उस पर खेती के लिये दे देते हैं। यह ग्रास फार्म आंखों के सामने पांच-सात मील की दूरी पर उस ग्रास फार्म को देखेंगे तो सेटलमेन्ट रेकार्ड के अनुसार न वह राजा के नाम है और न वह सरकार के नाम। हजारों बीघा इस

(श्री पी. के. चौधरी)

तरह की ग्रास लैण्ड लिखी हुई है । राजा के नाम से खातेदारी नहीं और न सिवाय चक की है । मैं चाहता हूँ कि जब आप लैण्ड रिफॉर्म्स यहां लागू कर रहे हैं तो जो राजाओं के पास बीड्स है, ग्रास लेण्ड्स पड़ी हैं वह लेकर लोगों में बंटवानी चाहिये । अकाल में आपको इतना चारा मिला । क्या जयपुर महाराजा के ग्रास फार्म से भी आपको कोई अकाल के लिए चारा मिला क्या यह मैं जानना चाहता हूँ ।

दूसरी बात, सभापति महोदया, सीलिंग कानून को अमल में लाने का काम एड-मिनिस्ट्रेशन का है लेकिन वह नहीं ला रहा है । अचरोल राजा के पास जो जमीन थी उस पर उस गांव के हरिजन माली आदि लाग रहते थे और उस पर काश्त करते थे । उनकी जमीन सीलिंग में आती थी हमने उन काश्तकारों से कहा कि तुम लोग इस जमीन को खरीदो मत सीलिंग लागू होने के बाद यह अपने आप तुम्हारे पास आजाएगी, तुम्हारी खातेदारी बन जायगी । सेक्शन १९ में अमेंडमेंट हुआ तो किसान जो उस जमीन पर काश्त करते थे कब्जा होजाना चाहिए था, क्योंकि उसमें यह था कि तीन साल से जो जमीन पर काश्त करता आरहा है ऑटोमेटिकली उसको खातेदारी मिलनी चाहिए । हजारों बीघा जमीन अचरोल के राजा के पास था जिस पर पीढ़ियों से हरिजन लोग, माली लोग काश्त करते आ र थे १९ के तहत भी उनको अधिकार न दिया गया । साल भर पहले वहां के राजाने उस जमीनको बेचना शुरू किया हमने फिर उनसे कहा आप लोग खरीदो मत बिक्री के बाद भी जमीन आपकी हो जावेगी । वह जमीन उन्होंने खरीद ली, इस कारण कि सीलिंग में डिले हो रही है, इस कारण सौ रुपया-डेढ़सौ रुपया बीघा के हिसाब से जमीन खरीदली उसकी रजिस्ट्री होगई लेकिन अभी तक नामान्तरण होना बाकी है । अब भी उनके प्रार्थना पत्र एस० डी० ओ० के पास पड़े हैं । इस प्रकार के सैंकड़ों उदाहरण हैं जिनके पास जमीन जो काबिल काश्त थी उनको १९ के तहत अधिकार मिलना चाहिए वह नहीं मिले, ऐसे सैंकड़ों केसेज आपको मिलेंगे ।

इस सदन में पहले भी सवाल उठाया गया उस समय भी आश्वासन दिया गया था कि १९ के अमेंडमेंट को अमल में लाया जायगा, लेकिन आज भी लोगों को बेदखल किया जाता है । यह जो लैंड रिफॉर्म्स सेक्शन १९ के अमेंड-मेंट के तहत जो भूमि कब्जा काश्त थी कम से कम जिनका रेकार्ड्स से अधिकार साबित होता है उस काम को तो पूरा करना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ । गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि ४० लाख एकड़ जमीन लैण्डलेस हरिजनों को आदिवासियों को दी गई है । इस बारे में सब जानते है मान-नीय मन्त्री महोदय जानते हैं । ४० लाख एकड़ जमीन हरिजनों और आदिवासियों को देने का कहा है उसमें लैन्डलेस हरिजनों को कितनी मिली है ? हम यह कहते है कि हरि-जनों के नाम अलॉटमेन्ट होने के बाद भी कब्जा नहीं देते हैं उनको गाँव के लोग ।

(श्री पी. के. चौधरी)

एक-एक गांव में हरिजनों के दस घर होते हैं उनको कब्जा मिलता नहीं है। सौ में से एक को भी नहीं मिले हैं। हरिजनों के अन्दर जैसा कि मैंने पहले कहा था उनके ट्रेडिशनल धन्धे जूते बनाना, चमड़ा बनाना वे तो उनके हाथों से जा ही रहे हैं दूसरी तरफ जो जमीन अलॉट की गई है वह केवल कागजों पर है। हमने यह सवाल उठाया था सेक्शन १६ के अमेन्डमेंट की तहसीलों में काफी जमीन कब्जे में है उनको रेगुलराइज करदी है। आज तहसीलदार क्या करता है हरिजनों को जमीन अलॉट होती है वह दूसरों के नाम रेगुलेराइज हो जाती है। कानून और कायदे हम भले ही बनादें लेकिन अमल उन पर होता नहीं। हरिजनों की अलॉट की हुई जमीन कोई खरीद नहीं सकता लेकिन होता क्या ? वे उससे बेदखल रहे अलॉटमेन्ट दूसरे के नाम से रेगुलाइराइजेशन के निमित्त दूसरों को हो रही है। ऐसे केसेज जयपुर जिले में बहुत हैं। मेरी कॉन्सटीट्यूएन्सी का मैं बता सकता हूँ। दूसरी जगहों पर भी हैं रेगुलेराइजेशन कानून है कम से कम मामले अलॉटमेन्ट कमेटी के सामने तो आये। आज तहसीलदार के पास पॉवर है इसलिए वह कानून को तोड़कर भी उसको रेगुलेराइज कर देता है। रेगुलेराइजेशन का मामला अलॉटमेन्ट कमेटी के सामने आये तो पता तो लग सके कब्जा किसका और रेगुलेराइजेशन किसका हो रहा है। सिवाय चक में जिन्होंने टेसपास किया है वह भी रेगुलेराइज कर रहे हैं वह अलॉटमेन्ट कमेटी को बताकर करें। लेकिन आज इसके विपरीत कार्यवाही रेगुलेराइजेशन के नाम से चल रही है।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ। ऐसे काश्तकार जिनके पास आधा बिस्वा दो बिस्वा या पाँच बिस्वा सिवाय चक की जमीन है जिस पर लोग काबिज हैं उनको नोटिस दिया जा रहा है कि वे लोग उस जमीन को खाली करें। गोचर वा सेटलमेन्ट रेकार्डस नहीं है फिर भी बिना रेकार्ड के ऐसे काश्तकारों को नोटिस दिया जाता है। इसके लिए जो रेवेन्यू मशीनरी है इसके जो आफिशियल्स है उनकी तरफ से काफी परेशान किया जाता है किसानों को और ६६ के नोटिसेज मिलते हैं जो पीढ़ियों से मकान बनाकर रहते हैं। ऐसे कई उदाहरण में जयपुर और आसपास के इलाके के दे सकता हूं। सरकार की हिदायतें भी हैं कि ऐसे केस तहसीलदार और एस. डी. ओ रेगुलेराइज कर देंगे। पर या तो तब करते हैं जब हम लोग जाकर कहते हैं या काफी पैसा रिश्वतों में दफ्तरों में किसान बिगाड़ता है। काफी लोगों को परेशान किया जाता है। तो मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ आकर्षित करता हूं कि इस परेशानी को उनको रोकना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं सरकारी आफीशयल्स रेवेन्यू आफीशयल्स की आम जनता के साथ किसानों के साथ इन्टीमेंसी होती है और उन्हीं पर से वे सरकार को समझते हैं। That is their Government. गवर्नमेंट का इमेज और कैरेक्टर, ये गांवों के पटवारी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार होते हैं उन गांवों के किसानों के लिये। इसलिये सरकार को अपनी इमेज को भी ठीक करने के लिये इन रेवेन्यू आफीशियल्स को आप ठीक करें।

(श्री पी. के. चौधरी)

राजस्व मन्त्री महोदय इसकी कोशिश करेंगे कि कम से कम उनकी इमेज में इम्प्रूवमेन्ट हो।

दूसरी बात, सभापति महोदया, यह कहना चाहता हूं। बारबार कहा भी गया, सदन में भी सवाल आया कि रेवेन्यू आफी-शयल्स सप्ताह में दो या तीन दिन पर्टीकू-लर डेज को हैड क्वार्टर में रहेंगे ऐसी व्य-वस्था करने की बात भी सरकार ने कही। पर आज भी यह अमल में नहीं आया है। इससे गांव के लोग आते हैं और परेशान होकर वापिस जाना पड़ता है उनको फिर चाहे कैसा ही काम हो, लोन का हो, तकाबी का हो। उनको लोन वगैरह के लिये सर्टी-फिकेट देने में भी वे काफी हैरान किसानों को करते हैं।

सिवाय चक के कुओं के लिये सरकार ने २६) रुपया फीस मुकर्रर की है पर आज भी सिलसिला यह है कि इसके लिये पटवारी के पास जाकर तहसीलदार के पास जाकर सर्टीफिकेट लाना पड़ता है। इसके लिये ये पटवारी और तहसीलदार काफी हैरान करते हैं। मैं तो इसके लिये यह कहूंगा कि जो सिवाय चक के कुए उनकी जमीन में हैं और सरकार उनको उनसे फीस लेकर देना चाहती है तो फिर इसके लिये वह तहसील में क्यों जावे ? और पटवारी से क्यों रिपोर्ट लानी पड़े उसे। यदि उसकी जमीन में कुआ है तो तहसील-दार साहब स्वयं गांव गांव में जाकर देख लें और जिसकी जमीन में वह कुआ है ऑटोमैटिकली उसको दे दिया जाना चाहिये और २६) रुपया उससे ले ले। बात छोटी छोटी हैं पर इसमें भी किसानों को काफी तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, नाजायज तौर पर तंग किया जाता है। यह जरूर बन्द किया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पेटा काश्त के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय। इसके सम्बन्ध में विरोधी दल के नेता ने कहा कि उसका एलॉटमेन्ट हो। ऐसा सरकार ने नियम भी बनाया ५५-५६ से। हर साल एलॉटमेन्ट होता है तो इससे काफी गड़बड़ होती है। आज किसी के नाम तो कल किसी के नाम जब कि सरकार ने नियम बना दिया है कि जिनके पास बराबर ५५-५६ से कब्जा है उसको एक प्रकार का खातेदारी राइट दे दिया जावे उस हिसाब से कि जिस साल वह काश्त करेगा उस साल लगान लगेगा और जिस साल वह जमीन डूब मे रहेगी उस साल नहीं लगेगा। पर यह प्रैक्टिस में नहीं होता है। यह ऐसे मामले मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में बहुत हैं, फागी मैं हूं। जयपुर जिले में हैं। और कई जगह होंगे। तो इसको ठीक किया जावे।

अन्त में, सभापति महोदया, एक बात और कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े जागीरदारों में काफी अरसे से लाखों रुपया बकाया चला आ रहा है। यह उनसे वसूल किया जावे। सख्ती से वसूल किया जावे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अब तो जागीरदारों के पास कुछ नहीं रह गया है,

(श्री विजयसिंह)

अब तो जमींदार-जागीरदार दूसरे हो गये हैं उनसे वसूल करें आप ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): सभापति महोदया, कांग्रेस वाले सामन्तवाद की बात कहकर इधर के लोगों को कोसते रहते हैं, पर जब सीलिंग की बात सदन में आती है तो कांग्रेस की तरफ से चुप्पी स धली जाती है । आज सामन्तवाद की प्रतीक यह कांग्रेस बनती जा रही है । आज के सामन्तवाद में जब सीलिंग को बात सामने आती है, तो येनकेन प्रकारेण उसे टालने की कोशिश करते हैं ।

सभापति महोदय, मैंने अपने कट मोशन में अनार्थिक जोतों पर से तुरन्त लगान माफ करने की बात कही थी । इसके औचित्य को रेवेन्यू मिनिस्टर चैलेन्ज नहीं कर सकते । गवर्नर से इन लोगो ने भाषण दिलवाया था ७ मार्च १९६७ की घटनाओं के बाद किसी तरह इनकी सरकार बनी तब कि हम किसानों को फायदा पहुँचाने के लिये जिनके पास अनार्थिक जोत हैं, ६। एकड़ तक की जोत है, उनसे लगान माफ कर दिया जावेगा । इतना ही नहीं, यह भी कहा था कि दूसरे किसानों का भी माफ करने की बात धीरे-धीरे सोचेंगे । पर आप यह कह कर भी अपने कथन से मुकर गये । अनार्थिक जोत पर लगान माफ करने की बात को आपने वापिस ले लिया । इतना ही नहीं जिनसे कर लिया गया था उनको वापिस दिया जावे इस सम्बन्ध में भी आज से कुछ दिनों पहले प्रश्न के जवाब में राजस्व मन्त्री दुविधा में थे और कह रहे थे कि वित्तमन्त्री ने साफ तौर पर नहीं कहा है ।

श्री रामकिशोर व्यास : कोई दुविधा नहीं थी ।

श्री नत्थीसिंह : मैंने वित्तमन्त्री महोदय का भाषण ध्यान से सुना है और पढ़ा है । आप फिर पढ़ लीजिये, वहां साफ साफ लिखा है कि हमने राजस्व वसूल किया है इस तरह जिनसे वह किसानों को वापिस दिया जावेगा । पर आपने नहीं किया । आप इसको हिम्मत के साथ समाप्त करें, अगर किसानों का भला चाहते हैं तो । आप तो आज घाटे में चल रहे हैं । कहीं से न कहीं से किसी तरह से रकम लेना चाहते हैं । सारे लगान को समाप्त करने की तो आपकी हिम्मत ही नहीं हो सकती । सामन्तवाद की बात करेंगे पर प्रिवी पर्स खतम करने की बात जनवरी ७२ तक बढ़ा दी ताकि टैक्ट वाले लोग उनके पास पहुँच जावें । ये राजनीति की बातें इस्तेमाल करते हैं । पर वे किसान जिनके आधार पर वे आगे बढ़े हैं आज उनको वे भूल गये हैं, उनके राजस्व की समाप्ति करने को बात अब वे नहीं कहते । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपने कर लगाये, ५० रु० कर लगाया । उसको ७५रु० कर दिया । एक एकड़ की सिंचाई पर माफी देते हैं । अभी जो सीलिंग के बारे में बात हो रही थी, सभापति महोदया, साफ जाहिर होता है ७५ रु० से लेकर १५० रु० ज्यादा लगान देते हैं उस पर डेढ़ा सेस लगाया गया है । इसका मतलब यह सीलिंग का कानून राजस्थान में लागू नहीं करना और यह क्यों नहीं लागू करना इसके पीछे राज है । सभापति महोदया, एक दिन आयेगा जब मैं मंत्रियों के नाम गिनाऊंगा । एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं ६–६ क्या

(श्री नत्थीसिंह)

कई मन्त्रियों ने जिन्होंने नहरी जमीनों पर फार्म ले लिये हैं, वे सिलिंग से ज्यादा है और किसी न किसी बहाने से लागू न करने के लिये हमेशा टरकाया जाता है। यह बात नहीं है कि इधर से दबाव में आये। इधर से तो बिहार में जो कुछ हो रहा उसको आप देख रहे हैं। यहां तो मन्त्री मण्डल में जो लोग बैठे हैं उनके पास सीलिंग से ज्यादा और बड़े-बड़े फार्म हैं इसीलिये ये सीलिंग की बात को पूरी नहीं कर सकते है च हे चौधरी साहब (पी०के०चौधरी) कितने हो चिल्लाते रहें। यह आपकी नीति का द्योतक है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आखिर-कार इस रेवेन्यू विभाग का काम क्या है ? रेवेन्यू लॉ कमीशन आज तक नहीं आये, मुख्य मन्त्री जी टेनेन्सी बिल को पेश करने वाले थे और कई बार सदन में इस बात की चर्चा हो चुकी है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल आता ही नहीं है, लेकिन स्थिति क्या है ? स्थिति चाहे एलॉटमेंट के काम की हो, चाहे कोई दूसरे काम हो आज धींगा-धींगी चल रही है। गरीबों को जमीन मिलती नहीं है। मैं इस पर बाद में प्रकाश डालूंगा।

एक बात और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं अगर आप यह चाहते हैं कि भूमिहीनों को भूमि मिले तो कैसे घोषणा की कि चम्बल के क्षेत्र में बाहर वालों को जमीनें देंगे, वहां जमीन पंजाब वालों को देंगे, उत्तर प्रदेश वालों को देंगे जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं उसको समतल बनाने के लिये, उसको एकसी करने के लिये पैसे नहीं है। जोधपुर में बाड़मेर में घोषणा करते हैं कि नल-कूप लगायेंगे और इसके लिये किसानों से ५० रु० लेंगे। यह है आपकी किसान विरोधी नीति। घोषणा तो आप इस तरह की करते हैं। मैं कहता हूं आप हिम्मत के साथ आयें और कहें कि हम राज्य के पैसे से एक सी जमीन करेंगे।

गांधी शताब्दी की बात आई तो कहते है हरिजनों के लिये शौचालय बनायेंगे, उनको मैला नहीं ढोने देंगे, लेकिन उनको जमीन पर नहीं बसने देंगे, उनको जमीनें नहीं देंगे, कोआॅपरेटिव उनके लिए फार्म नहीं करेंगे। इस ओर आपका ध्यान जायगा नहीं। दरअसल दो तरह से राज्य सरकार चलती है-एक तो वे जो कुर्सियों पर बैठते हैं दूसरे डालमियाँ, टाटा, बिड़ला के इशारे पर काम करते हैं। उनका काला धन सफेद कैसे हो, इसकी आपको चिन्ता रहती है। आज सारे के सारे ये सफेद धन बनाने में लगे हुए हैं। अपने काले धन को सफेद करना चाहते हैं इसलिए एग्रीकल्चर में पैसा लगा रहे हैं। किसान की परिभाषा बदलनी होगी और जो जाकर बस रहे हैं उसमें भेद करना होगा। इसलिए आपको इस नीति को बदलना चाहिए।

मेरी सूचना के अनुसार एलॉटमेंट की कार्यवाही चालू है, अगर आपकी यही नीति रही तो आने वाला किसान आपको कोसता रहेगा जो सरकार समाजवाद का नारा लगाती है उसकी सब करनी और कथनी में फर्क है। यह सरकार पूंजीवाद की है। जहां तक एलॉटमेंट का सवाल है मेरा यह आरोप है कि राजस्व मंत्री जी, इसका पालन से इसका उल्लंघन ज्यादा होता है न तो आपके

(श्री नत्थीसिंह)

तहसीलदार जिनको अधिकार दिये हैं पंचायत हैड क्वार्टरों पर जाकर नहीं करते हैं। अधिकांश निगरानी के आने लग गये हैं ये सब तहसील पर बैठकर करते हैं और फिर सितम्बर से पहले नहीं बनाते हैं, नोटिस नहीं देते हैं यहां तक की मेम्बरों तक को नोटिस नहीं देते हैं नतीजा यह हो रहा है कि श्मशान भूमि का एलॉटमेंट किया जाता है। बिल्कुल ऐसी जमीन जो कि काबिल काश्त नहीं है, उनको अलोट किया जाता है। इसके लिये मेरा कहना है कि आप जिम्मेदारी डालिये, जिम्मेदारी डालेंगे नहीं, किसी अफसर को सजा नहीं देंगे तब तक यह कभी भी रुक नहीं सकती है। मैं यह जानना चाहता हूँ दफा ९१ लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में एक एक नायब तहसीलदार, तहसीलदार लखपति बन गये। रेवेन्यू लॉज एक्ट में तहसीलदारों ने लाख लाख रुपये कमाये हैं तथा गरीबों की जमीनों को बेचकर। कुछ ऑफिसर तो मालामाल होते चले जा रहे हैं। एक तरफ आपकी यह हालत है। मैं भीलवाड़ा, तहसील बनेड़ा में राक्षी गांव की एक बात बताता हूँ। वहां ३० बीघा १४ बिस्वा जमीन कालू लाल ढाबरिया को एलॉट कर दी। कलेक्टर ने रिपोर्ट कर दी पानी भर जाता है, जमीन दे दी, तहसीलदार की रिपोर्ट आ गई-रिपोर्ट आने के बाद जमीन एलॉट कर दी। लेकिन उसके बाद सिंचाई मंत्री जी को कालूराम याद नहीं रहे, उनके बेटे याद आ गये श्री उमराव सिंह जी ढाबरिया तो जमीन के एलॉटमेंट के लिये स्टे दिलाया गया और उसी तहसीलदार ने जिसने कहा था कि ज़मीन पर पानी भर जाता है दूसरी रिपोर्ट दे दी। मैं पूछता हूँ उस दिन पानी क्यों नहीं भरा। कलेक्टर ने एलॉटमेंट कर दिया उसको रोका जाता है केवल राजनीतिक दुर्भाग्यवश ऐसा किया गया। उसी इलाके के एक व्यक्ति को जिसका नाम नहीं लेना चाहता उसको एलॉट कर दिया क्योंकि वे चाहेती लोग हैं, उनको रोक नहीं सकते।

आज चवनपुरा का तालाब है। यह हर साल पट्टे पर जाता था। ५०-६० किसान खेती करते थे लेकिन रिश्वत खाकर मेरी सूचना के अनुसार ६ हजार रुपये लेकर परमानेन्ट तीन आदमियों को एलॉट कर दिया है। इसी तरह मण्डी में मन्दिर है उसकी जमीन है वह बेची नहीं जा सकती है, एक सेठ को बेच दी गई, इसका नामान्तरकरण नहीं हुआ तो उससे पांच हजार रुपये लेकर सारा काम कर दिया गया। इसके अन्दर गढ़ा हुआ माल मिला है उसकी जाँच होनी चाहिये काफी मांग की गई लेकिन इसको रफा-दफा कर दिया गया।

बंस कलाई के एक मामले में एक हजार लेकर मामले को दबाया गया। इस तरह केसेज आपके सामने आते हैं पर आप उनकी जांच करवाना नहीं चाहते हैं। आपके तीन महकमे एक साथ हैं पुलिस, पी० डब्लू० डी० और पटवारी ये जितने बदनाम महकमें हैं उतने और महकमें नहीं हैं। शोभाराम जी हमारे सहकारिता के मंत्री हैं। इनके भाषण रोज पढ़ते हैं। किसानों को पास बुक दे देंगे। बड़ी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो रहा है। अधिकारियों द्वारा उनको लूटा जा रहा है। रेवेन्यू विभाग की लूट मची हुई है। इस सम्बन्ध में आप शीघ्र

(श्री नत्थीसिंह)

निर्णय लें कि उनके साथ इस प्रकार का अत्याचार न हो।

सभापति महोदया, एक बात मैं इस सम्बन्ध में दूसरी जो कहना चाहता था वह थी कि हमारे पंचायत मंत्री महोदय आज जब मैंने सुबह ही सुबह उनको हाउस में आते हुए देखा तो मैंने कहा कि शायद उनकी वेशभूषा ऊपर से लेकर नीचे तक, टोपी से लेकर धोती तक गांधी शताब्दी का पूरा असर है इसलिए आप इस वेषभूषा में आये हैं। मैं आशा करके चलता हूं कि आप तो गांधीवादी सिद्धान्तों का पालन करेंगे। इनके पास सामुदायिक विकास योजना का विभाग है। इनके कार्यकाल में लोकतंत्र पर बड़ा भारी आघात हुआ है और वह आघात हुआ है–इनके कार्यकाल में घोषणा की गयी कि वह पंचायतें जिनका चुनाव हुआ था ३ वर्ष के लिए वह पंचायत समितियां, वह जिला परिषदें जो केवल ३ वर्ष के लिए जनता ने चुनीं थीं उनकी मियाद आपने अपने हुकम से और आर्डीनेन्स के द्वारा गवर्नर महोदय का अंगूठा टिकाकर ५ वर्ष की अवधि कर दी है। मुझे इस बात से कोई कतई गुरेज नहीं है कि इनकी मियाद ५ साल के लिए की जाये। मैं इसका समर्थन कर सकता हूं लेकिन कौनसी पंचायतों का ? इन पंचायतों का नहीं जो कि ३ वर्ष के लिए चुनी गयी हैं। आप ५ वर्ष का तय करते हैं तो कानून में परिवर्तन लाते और फिर चुनाव कराते और उनका ५ वर्ष का कार्यकाल करते। हिम्मत होती तो आम चुनावों के साथ इन पंचायतों के चुनाव कराते और फिर ५ साल का समय रखते लेकिन वह नहीं करते। उससे आपको खतरा है। लोगों की आज पंचायतों से आस्था हट चुकी है। अब आप कानून ले आये हैं कि ५ वर्ष तक मियाद रखी जाये। मुझे डर लगता है कि आप उनके ७२ तक चुनाव भी करायेंगे या नहीं। यह गांधी शताब्दी के अवसर पर पहले पहल लोकतंत्र पर आपने हमला बोला है यह अच्छी बात नहीं है।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सामान्य प्रशासन के समय बहस में भाग लेते हुए एक बात कही थी और उसका जवाब तो इनके आका साहब दे गये। उसके ऊपर तो यह बदल नहीं सकते। मैंने कहा था कि अगर आपको प्रशासन ठीक करना है तो कलेक्टर का पद तोड़ दें और जिलापरिषदों को पूरे जिले की तरफ से बालिग मताधिकार से चुनाव करायें और इस तरह की जिला परिषदें बनायें कि कलेक्टर नाम का कोई पद न हो। सीनियर आई ए० एस० जिला परिषद का सेक्रेटरी बने, जिले का सारा कामकाज जिलापरिषद के अधीन रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी नहीं है। आपने नागौर में दीपक जलाया है उसकी लौ बिलकुल बुझ चुकी है। पीछे वाले माननीय सदस्य अपना दीपक नहीं समझें। जैसे बकरी के गले में दो थन लटकते रहते हैं दूध बिलकुल नहीं है वही इनकी हालत हो रही है। इनको बकरी के गले का थन बना रखा है। पंचायतें सेक्रेटरी की तनख्वाह नहीं दे पाती हैं और न्याय पंचायतें आपसे न्याय मांग रही हैं। मैंने सदन में कई बार सवाल उठाया। नगरपालिकाओं के पास क्या फण्ड्स हैं, कोई फण्ड्स नहीं हैं। उनके

(श्री नत्थीसिंह)

चेंयरमैन आते हैं कहते है कि हम पर बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर सरकार न्याय पंचायतों को तोड़ दे। उनके पास कागज खरीदने तक को पैसा नहीं है, सेक्रेटरी रखने को पैसा नहीं है, चपरासी रखने को और उसकी तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। इस में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं या नहीं। आपने गावों में विकेन्द्रीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार का विकेन्द्रीकरण किया है और दूसरी तरफ गुड़ की भेली डाल दी है, लड़ते रहो और इसके साथ में हम लोग एक नहीं। अगर यह न्याय नहीं है कि तो आपको फैसला करना होगा कि पंचायती राज कानून में हम बड़े से बड़ा परिवर्तन लायें। पंचायतों को मजबूत बनाओ, जिला परिषदों को मजबूत बनाओ और पंचायत समितियों को बिलकुल तोड़ दो। आपको २३२ सामन्तों की जरुरत नहीं है। आप तो वैसे भी सामन्तों के विरुद्ध हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मेरी पूरी पार्टी का समय मैं ले रहा हूं और जल्दी समाप्त कर रहा हूँ : मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज पंचायत समितियों के पास कोई काम नही है। एक प्रश्न पूछने का अधिकार था वह वापिस ले लिया और एक महीने में एक मीटिंग होती थी वह भी हटा दिया और अब ३ महीने में होगी। तो उनके पास क्या काम है? जैसे कुम्हेर पंचायत के प्रधान हैं उन्होंने किया । उनके दो ही काम है एक डवलपमेंट डिपार्टमेंन्ट के चक्कर लगाये जायें कि कुम्हेर की गढ़ी की मरम्मत में ६५ हजार का घोटाला हुआ है उसको किस तरह से करें। उसमें एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की रिपोर्ट आई है। उसमे एक ओवरसियर मर जाये लेकिन प्रधान जी जिन्होंने घोटाला किया है उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ हैं। इसी तरह से इन्हीं प्रधान ने दूसरे की प्रापर्टी को लूटा और राष्ट्रपति काल में उनके खिलाफ डकैती का मामला दर्ज हुआ। उस मामले में ८ आदमी पकड़े गये लेकिन ३ दिन बाद ही सुखाड़िया जी की सरकार आ गयी और मुकदमे वापिस ले लिए गये । परसरामजी खुद हिम्मत करें तो सुखाड़िया जी बैठे हैं मुकदमे वापिस हो जायेंगे । प्रधानजी की जीप जब मुख्यमन्त्री जी दौरे में जाते हैं तब यू० पी० के चुनावों में चुनाव प्रचार करने जाती है। इतना ही नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि आज रूपवास पंचायत समिति में क्या हो रहा है। आप को तो मालूम है कि हमारे पंचायत मंत्री महोदय गांधीवादी पक्के हैं और उनके नीचे रूपवास के पंचायत समिति में गबन हुआ, लाखों का घोटाला है आप उसकी आज तक जांच क्यों नहीं कराते हैं? पंचायत समिति नगर की आडिट रिपोर्ट में लिखा है कि जीप के मामले में गड़बड़ियां हैं, जो बाग लगाया गया है उसके मामले में गड़बड़ियां हैं। लेकिन उनकी जांच नहीं होती है। आज वैर पंचायत समिति मे कागज पकड़े गये और उसके बाद में भी कागजों को बदल दिया गया उसके बावजूद भी आप वहाँ पर थोड़ा चलने की हिम्मत क्यों नहीं करते। वहां के प्रधान ने कहा है कि आप कार्यवाही करें तो क्यों नहीं हिम्मत होती है ऐसे मामलों को थोड़ा चलाने की।

सभापति महोदया, आज एक बहुत ही संगीन मामला नजर में आया है हमारे यहां

Page No 131

(श्री नत्थीसिंह)

एक ईसरदा का ठिकाना है। हम ईसरदा के लिए जानते थे कि जयपुर की जन्मभूमि है। गोद भी आते हैं तो वहीं से आते हैं इसलिए ईसरदा को हम जानते हैं लेकिन मैं जब सदन में आज आ रहा था तो वहां के लोगों ने मुझे कुछ रेकर्ड दिया। वह आपके सामने पुकार रहे हैं। पुलिस में भी वह गये। वहां के लोग माँग कर रहे हैं कि वहां पर १० महीने में ७,१२०.५० का गबन किया गया। कहीं तो कहा कि हम तो ईसरदा में खिड़की दरवाजे की मरम्मत करायेंगे, कहीं बगीचा, कहीं नाला निर्माण, कहीं बगीचे में पौध लगाना—लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। आपको लिखकर दिया कि जांच करें लेकिन कोई जांच नहीं हुई। उन्होंने कहा कि और मौका मिला तो ८ वर्ष में हम ६० हजार का मामला लायेंगे। सभापति महोदया, मेरे पास उनकी जो रजिस्टर्ड कार्यवाही है उसकी फोटोस्टेट कापी है, कैश बुक की भी है। जब आपको इन्क्वायरी करनी होती है और फैसला लेते हैं तो कहीं न कहीं से टेलीफोन आ जाता है और आप खिसक जाते हैं। इसलिए हमने रेकर्ड को कब्जे में कर लिया है और आप जा सकें तो आपके पास भेज दिये जायेंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हम कौन से तरीके से पंचायती राज्य की रक्षा करें।

सभापति महोदया, एक बात तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं वह पिछले सदन में भी कई बार बात कहा थी और उन्होंने कहा था कि हम सही सही काम करेंगे। वह मेरे इलाके का मामला है। यहां पर एक प्रधान के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे थे। उसमें कोशिश की गई थी। वैसे वह सब कांग्रेसी थे। उस समय किसी दूसरे के दबाव में नहीं आये हमारे मन्त्री महोदय नहीं गये लेकिन उसके बाद हमने सारे तथ्य उनको बता दिये थे। एक सरपंच को सस्पेन्ड कर दिया गया। वह शायद प्रधान जी के खिलाफ हैं। किस लिए किया ३०७ में लेकिन दूसरे तालपैड़ा का सरपंच जो ३०७ का है और ३९५ में सेशन्स में केस कमिट हो चुका है उसको आपने आज तक सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ?

आखिर तालपाड़ा ग्राम पंचायत, कुम्हेर पंचायत समिति, उसके सरपंच जो हैं ३०७ का डकैती में जिसके खिलाफ सेशन्स में मुकद्दमा जा चुका है और उसके साथ भंवरसिंह पंच इसको क्यों नहीं करते हैं। होतीलालजी जो मुझ से चुनाव लड़ते हैं काँग्रेस टिकट पर वे असेम्बली के मेम्बर नहीं रहे तो इस प्रकार से उनके मेम्बर्स को सस्पेन्ड करते रहते हैं और श्रीसिंह का सम्बन्ध है उनको मत करो। आप अपने घर में भी इस तरह का न्याय करते हैं। यह बड़ी ही खतरनाक बात है। आखिरकार कौरवों की क्या दशा हुई है..........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वही जमाना आज आता है। आज जो सीरत और सूरत है गांधीजी की शताब्दि के जमाने में यह जो वेश-भूषा है उसकी कुछ गरिमा बनी रहे तो आप इन बातों पर जो मैंने उठाई हैं उन पर एकान्त में ठंडे दिमाग से और साफ दिल से बात करें तो निश्चित रूप से आप पायेंगे कि आज के दिन पंचा-

(श्री नत्थीसिह)

यत राज बैठता चला जा रहा है। पंचायत राज गांवों में भेद का एक मात्र साधन रह गया है। इसको अगर कारगर बनाना है तो सही तौर से विकेंद्रीकरण हो, सत्ता और आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो तो आप हरे-भरे हो जायेंगे । नहीं तो उसके बिना नहीं जी सकते। यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हंसराज ।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : सभानेत्रीजी, पंचायत और सामुदायिक विकास पर जो डिमांड चल रही है उस पर मैं कहना चाहूँगा । खास तौर से राजस्व मन्त्रीजी जो कुछ कहूँ उस सम्बन्ध में उत्तर देने के लिए नोट करलें और उत्तर दें।

हमारा जन-कल्याणकारी राज्य जो समाजवाद का नारा लगा कर चला आता है मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सरकार के पास इस बातका क्या उत्तर है कि वह किसान जो शताब्दियों से अपना खून-पसीना बहाकर चौबीस घन्टे, रूखी-सूखी रोटी खाकर, नंगे आसमान के नीचे काम करता रहा है और आज भी कर रहा है, सभानेत्रीजी इस समय इस सदन के बाहर तूफान आया हुआ है और इस तूफान में भी देश के चार वर्गों में से कोई वर्ग है (कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर और किसान) तो किसान ही एक ऐसा है जो इस तूफान में भी आसमान के नीचे खड़े होकर इस तूफान से टकरा रहा है, फिर क्या वजह है कि जो किसान जो कि शताब्दियों से काम करता चला आ रहा है, क्यों आज भी उसके पास पूरा मकान नहीं ? वजह क्या है कि आज भी उसके बदन पर कपड़ा नहीं है, उसके पेट में रोटी नहीं है, आज उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं ? सभानेत्रीजी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसान जुआ खेलता है कि उसकी कमाई जुए में चली गई है ? क्या किसान ज्यादा खर्चीला है कि उसकी कमाई उसमें चली गई ? इसकी कोई न कोई वजह है और सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या वजह है कि इतनी महनत करने वाला किसान भूखा क्यों सोता है ? वह नंगा क्यों है ? क्या उसके खर्च अधिक है ? उस किसान पर भी हमारी सरकार ने क्या रहम किया है। आज उसपर एक नया टैक्स और लगाया गया है। भूमि का लगान वह देता है उससे सरकार को सन्तोष नहीं है भारी सरचार्ज लगा दिया उससे भी सन्तोष नहीं हुआ तो जो सिंचित भूमि थी उस पर सेस लगा दिया, नहरी जमीन पर बेटरमेंट लेवी लगादी । यह जन-कल्याणकारी राज्य है ? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारी राजस्थान सरकार समाजवाद की परिभाषा करके बता दे कि आपके समाजवाद का क्या अर्थ है ? उसकी परिभाषा क्या है ? क्या इसी का नाम समाजवाद है क्या कि जो वर्ग आसमान के नीचे नंगा काम करता है और नंगा भूखा है उस पर लगान बढ़ाते चले जायें जिससे वह भूखा भूखा और गरीब होता चला जाय और एक तरफ जो चन्द पूँजीपति हैं वे अपनी पूंजीको बराबर बढ़ाते चले जाँय ?

मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारी सरकार के सामने आर्थिक सँकट है। उस

(श्री हंसराज आर्य)

आर्थिक संकट के निवारणके लिए सरकारको पैसा चाहिए। पैसे का मतलब यह तो नहीं है कि जिस किसान पर पहले से ही बहुत ज्यादा बोझ लदा हुआ है उस पर थोड़ा और बोझ लाद कर उसकी कमर तोड़ दी जाय। यदि सरकार को पैसा चाहिए तो हमारे देश में बहुत मालदार आदमी हैं। उनके पास अरबों खरबों की सम्पदा है, अगर सरकार को पैसा चाहिए तो बड़े बड़े व्यापारियों पर प्रापर्टी टैक्स लगाना चाहिए और उनसे वसूल करना चाहिए। लेकिन सरकार उनसे डरती है। उनके आन्दोलन से डरती है, उनकी हड़तालों से डरती है। एक किसान ही सीधा-सादा है जो सरकार पर आंख मींचकर विश्वास करके चला जाता है........

एक माननीय सदस्य : गरीब तो भोला है।

श्री हंसराज आर्य : अभी राजस्थान में सेटलमेन्ट हुआ है और उसके बाद में जो असेसमेंट हुआ है और उस पर किसान पर जो नये लगान कायम किये हैं वह पूरे राजस्थान में हो रहा है कोई जगह नहीं। जो लगान की दरें कायम नहीं की गई हैं। मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूँ कि सरकार किसानों पर कितनी दया की है, उसका एक नमूना मैं पेश कर रहा हूँ। गंगानगर जिले की नौहर तहसील में अभी पैमाइश समाप्त हुई है उसका असेसमेंट हुआ है। किसानों को नोटिस दिये गये हैं कि तुम्हारे पर वह लगान कायम होगा और वह लगान इस तरह से हैं-नहरी जमीन जो नम्बर १ की मानी गई है उसका १० आना फी बीघा था उसका साढ़े सात रुपया कायम किया गया है जो बारह गुना है। नहरी जमीन नम्बर दो जिसका कि आठ आना था उसके बजाय ६ रुपया बीघा किया गया जो कि १६ गुणा है, बारानी जमीन नम्बर १ नहरी क्षेत्र में जो कि अनकमांड है जिसमें कि पानी नहीं लगेगा। वहां पर सात आने के बजाय तीन रुपये कर दिया गया है जो कि सात गुना है, नहरी बारानी नम्बर २ वहां ६ आना नहीं लगाकर सवा दो रुपया बीघा लगाया है जो कि ६ गुना है, नहरी जमीन बारानी नं० ३ जिस पर पाँच आना लगता था उस पर डेढ़ रुपया लगाया है जो कि पांच गुना है। इसी तरह से ताल की जमीन जो एक नम्बर की थी जिस पर आठ आना था उसका ढाई रुपया लगाया है, ताल नम्बर २ जिसका ६ आना बीघा था उसका एक रुपया चौदह आना कर दिया है जो कि पाँच गुना है, ताल नम्बर ३ जिसका पांच आना था उसका डेढ रुपया कर दिया है। इसी तरह से टीबा नम्बर एक का एक रुपया किया है जिसका चार आना था जो कि चारगुना हो गया है। टीबे की जमीन नम्बर दो का जिसका कि चार आना था उसका बारह आने कर दिया है यानी तीन गुना और टीबे की जमीन नम्बर ३ का जो तीन आना था उसका आठ आना कर दिया है यानी ढाई गुना लगान है।

किसानों को हमारी जन-कल्याणकारी सरकार समाजवाद की ओर ले जा रही है।

सभानेत्री जी, मैं प्रार्थना करूंगा कि कभी कोई ऐसा दिन आयेगा जब कि कांग्रेस

(श्री हंसराज आर्य)

पार्टी ने जो नारा दिया था कि किसान को राहत मिलेगी। किसान की अच्छी हालत होगी, वह दिन कभी आयेगा क्या ? बल्कि मेरी तो यह मान्यता है कि हम किसानों को राहत नहीं पहुँचा सके हैं। यह मैं निधड़क कहूँगा इस बात को कि इस सरकार की नीतियाँ किसान के समर्थन में नहीं है, किसान–विरोधी हैं। (विपक्ष की ओर से हियर, हियर) अगर किसान विरोधी नीतियां नहीं होतीं तो उस किसान पर यह लगान नहीं लगाया जाता।

सभानेत्री जी, राजस्थान में ३२,६४७ गांवों में आज अकाल की घटा छाई हुई है। आज एक करोड़ किसान अपने घरों से निकलकर अपने मवेशियों के साथ रवाना हो चुका है। उसके मवेशी मरते जा रहे हैं, पीने का पानी नहीं है। उस किसान के घर आने पर उसको यह लगान का तोहफा मिलेगा कि उसको लगान ढाई गुना से लेकर बारह गुना देना पड़ेगा। जिस किसान का लगान सरकार को माफ करना चाहिये था उसे बढाया गया है जिसके लिये सरकार को प्रार्थना की गई किन गांवों में अकाल है, और खास तौर से बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर के जिलों के लिये तो आप मानते हैं कि ऐसा ऐतिहासिक अकाल कभी नहीं था तो वहाँ पर लगान तो आप कम से कम माफ कर दें, तो सरकार का उत्तर है कि लगातार तीन अकाल पड़ते हैं तो एक साल का लगान माफ किया जा सकता है, यह हमारे नियम हैं। सभानेत्री जी अकाल इस साल पड़ा है इस अकाल में किसान के आधे से ज्यादा मवेशी मर चुके हैं, और वह कहां-कहां मारे मारे फिर रहे हैं, इस पर दूसरा अकाल पड़े और इनके घरबार बिक जाय, इनके मवेशी मर जायं और फिर इन पर तीसरा अकाल पड़े जिसमें आधे से ज्यादा किसान मर जायं तो सरकार तय करेगी कि एक साल का लगान माफ करेंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि तीन अकाल लगातार पड़ें तो क्या किसान कहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि सरकार की यह जो नीति है यह किसान के हक में अच्छी नहीं है। वह किसान पर लगान बढ़ाती ही जा रही है। किसान बड़ी नरमी के साथ देता चला गया।........

एक माननीय सदस्य:—आप दिलाते चले गये।

श्री हंसराज आर्य:—आज सरकार की नीति का यह नतीजा है। व्यापार करने वाले व्यापारी को ३० हजार तक की छूट है। कोई टैक्स नहीं है। अगर उसके घर में २० आदमियों का परिवार है, तो २० खाते खोल सकता है। टैक्स से वंचित हो जाता है। लेकिन किसान के पास में यदि एक बीघा हो तो उसका लगान देना ही पड़ेगा मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि ....

श्री रामचन्द्र आर्य:—इस सरकार को हटा क्यों नहीं देते हो ?

श्री हंसराज आर्य:—हटा देंगे तो आप से संभलेगा नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य:—यह बात आपको मालूम है।

Page No 135

श्री हंसराज आर्यः—बंगाल, हरियाना और पंजाब में क्या हुआ था। किसान २४ घन्टे खेत में कार्य करता है। मजदूर सुबह गया। शाम को मजदूरी मिलेगी। व्यापारी शाम को कुछ लेकर आयेगा। लेकिन किसान को तो दस माह तक कुछ मिलने वाला नहीं है। खुले आसमान के नीचे नंगा, भूखा, गरम पानी पीकर खुद व बालबच्चों के साथ मरता है। ठण्डी हवा का एक झोंका आयेगा तो फसल नष्ट हो जायेगी। उसको कुछ नहीं मिलेगा। उस किसान पर आप टैक्स लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सरकार ने किसान पर जो टैक्स लगाये हैं, वह बहुत ज्यादा हैं वापिस ले ले। हमारी सरकार ने यह नारा दिया था कि हम समाजवाद लायेंगे। जो गिरा हुआ तबका है उसको उठायेंगे। पूंजी का विकेन्द्रीकरण करेंगे। लेकिन वह नारा ही रह गया है। पिछली बार हमारी सरकार ने घोषणा की थी। किसानों की भूमि पर जो ५ एकड़ तक लगान नहीं लेंगे माफ रहेगा। लेकिन एक साल बाद उसको खत्म कर दिया गया और लगान वापिस लेना शुरु कर दिया।

श्री रामचन्द्र आर्यः—इस सरकार को हटा दो सारा ही माफ कर देंगे।

श्री हंसराज आर्य—मैं सरकार को पूछना चाहता हूं कि जो किसान सरदी के दिनों में तीन फुट पानी में खड़ा होकर खेत में पानी लगाते हैं। गरमी के दिनों में जबकि लोग पंखों के नीचे आराम से बैठते हैं, किसान हल चलाता रहता है। उसी किसान पर हमारी सरकार लगान लगा रही है। आज राजस्थान में ८ जिलों में पीने के लिये पानी नहीं है। यदि भूमि के लिये नहीं तो मनुष्य और मवेशी के लिये तो पानी दो। किसान कभी हड़ताल नहीं करता है। मद्रास में टैक्स लगा किसान आन्दोलन हुआ। आन्दोलन से सरकार हिल गई। लगान वापिस हो गया था।

श्री श्रवणलाल:—आप पीने के पानी की बात करते हैं। आँखों में ही पानी नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य:—ये आप लोगों की कमजोरी है। आप २० आदमी इधर आ जाओ। कल ही सरकार बदल दें। (हंसी)

श्री हंसराज आर्य:—मैं यह कहता हूं कि हमने सरकार से निवेदन किया कि महरबानी करके इतनी कृपा तो किसानों पर कीजियेगा कि जो टैक्स लगाया है उसमें तारा मीरा, सरसों और तिल ऐसी फसल हैं जो मिक्स्ड फसल होती है। उनको किसी भी फसल के साथ मिलाकर काश्त करते हैं। जैसे अगर किसान सौ बीघा में चना काश्त करता है तो उसमें सरसों की आड़ लगा देता है। इस कारण आप अन्दाज नहीं कर सकते कि कितने बीघा में सरसों की काश्त की है। इसी तरह से गेहूं की काश्त करते हैं तो उसमें तारामीरा की आड़ लगा देते हैं.... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामचंद्र आर्य: अच्छा बोलते हैं। इनको बोलने दीजिये।

श्री हंसराज आर्य: मुझे पांच मिनट ही हुए हैं।

श्रीमती सभानेत्री : पन्द्रह मिनट हो गए हैं।

श्री हंसराज आर्य : नहीं साहब।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आप पन्द्रह मिनट बोल चुके हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : इन्हें पन्द्रह मिनट और दें।

श्री हंसराज आर्य : एक और निवेदन करना चाहता हूँ राजस्व मन्त्री से खास तौर से कि बारानी इलाके में जो सरकारी भूमि काश्त पर लगी हुई है वह किसानों को हर साल एलाट कर की जाती है। सरकार के पास भूमि की कमी नहीं हैं इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, और हमने बार बार गवर्नमेंट से प्रार्थना की है कि एक साल के बजाय पांच साल या दस साल कर दिया जाय। लेकिन यह राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा हमने यह भी प्रार्थना की कि किसानों को आप एक पास बुक बना कर दे दीजिये जिससे जब आवश्यकता हो तब उस पास बुक के आधार के ऊपर किसान काम करा सकें। आज स्थिति यह है कि भूमि एलाटमेंट के लिए दरख्वास्त देते हैं, तो पटवारी के पास जाते हैं तो पटवारी किसानों से १०० रुपये की रिश्वत लेता है। इसी तरह से बैंक में कर्जा लेने के लिए जाते हैं तो उसमें भी रिश्वत मांगते हैं। यह होने पर भी सरकार पास बुक देने के लिए तैयार नहीं है।

मैं सरकार से एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभानेत्री जी, कि नाई कोतवाल बेगारी-तीन ऐसे खिदमतगार थे, जो सरकार की खिदमत करते थे। सरकार ने ऐलान किया कि जन कल्याणकारी राज्य के अन्दर, क्योंकि बेगारी सामन्ती प्रथा का शब्द है, बेगार नहीं लेना चाहते हैं उनसे लगान लेंगे। लेकिन आज खिदमतगारों की स्थिति है, जब वह भूमि का लगान देने को तैयार हैं, खातेदारी लेने को तैयार हैं लेकिन बेगार नहीं करना चाहते हैं, फिर भी जबरन सरकार उनसे बेगार ले रही हैं और उनको खातेदारी नहीं दे रही है। इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है। पहले से ही वह भूमि पर काबिज काश्त हैं लेकिन यह छोटा सा काम करने के लिए सरकार तैयार नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री रामचन्द्र आर्य : तैयार तो हो जायगी लेकिन आप में तो ताकत हो।

श्री हंसराज आर्य : एक कट मोशन मेरा और है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि २ अक्टूबर १९५९ को राजस्थान सरकार ने भारतवर्ष में सबसे पहले कदम उठाया था कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं और पंचायत राज चालू कर रहे हैं। इसका उद्‌घाटन करने के लिऐ नागौर के अन्दर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने एक दीपक जलाया था। उस दीपक की आज लौ बुझती जा रही है, आज पंचायत राज केवल नाम के लिए रह गया है। सरकार ने उनके अधिकार छीन लिए हैं, इसलिए आज पंचायत बोगस है, पंचायत समिति बोगस है और जिला परिषद् बोगस है। इससे तो अच्छी है कि सरकार पंचायत राज को खत्म कर दे अगर पंचायत राज को रखना चाहती है।

(श्री हंसराज आर्य)

तो पंचायतों को अधिकार देने चाहिए, उनको आर्थिक साधन देने चाहिए। नहीं तो आज पंचायत राज मखौल बन गया है। पंचायतों के पास कोई काम नहीं है। उनमें जो राज्य कर्मचारी हैं वे चौपड़ खेलते हैं, ताश खेलते हैं और गांवों के अन्दर पार्टी बनाते तथा आनन्द लेते हैं। ऐसी पंचायतों से कोई लाभ नहीं है। अगर पंचायतों को कायम रखना चाहती है सरकार तो उनको सशक्त बनाना चाहिए। लेकिन सरकार अगर यह सोचती है कि विकेन्द्रीकरण करने से गांवों में चेतना आयेगी, गांवों के किसानों और मजदूरों के अन्दर राजनैतिक भावना आ रही है, और सरकार उनसे भय खाती है तो पंचायतों को तोड़ देना चाहिए, और इस विकेन्द्रीकरण को खत्म करना चाहिए। पंचायतों को अधिक अधिकार दिये जायं तथा आर्थिक साधन दिये जांय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री पृथ्वीसिंह।

श्री पृथ्वीसिंह : सभानेत्री महोदय, मैं भी भू राजस्व की जो करीब दस करोड़ की मांग रखी है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने, सदन के अन्य सदस्यों ने और हमारे समाज के अन्य लोगों ने बार बार इस बात की पुरजोर मांग की है, और बार बार इस सम्बन्ध में आन्दोलन करने की धमकियाँ दी हैं कि इस सीलिंग कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाय। पर, सभापति महोदया, मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि अगर वह इस सीलिंग कानून को उठा कर इसका अच्छी तरह से अध्ययन करें, सीलिंग के जो नियम बनाये हैं सरकार ने, उनका अच्छी तरह से अध्ययन करें, और देश और विदेश के एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में जो रिपोर्ट दी हैं उनका अध्ययन करें तो वह जो सरकार के ऊपर इस प्रकार का गैर-जिम्मेदारीपूर्ण आरोप लगाते हैं, धमकी देते हैं-वह करना बन्द कर देंगे, और सरकार भी इस बात से समझ जायगी कि इस प्रकार के कानून को, जो कानून जल्दबाजी में और अव्यवहारिक दृष्टि से बनाया गया है, लागू नहीं किया जाय और उसको संशोधित करके, जो बहुत सारी खामियां और जो बहुत सारी कमियां उसमें रह गई हैं उनका संशोधन करने के बाद उसको लागू करने की बात सोचेगी। सभानेत्री महोदया, उसमें जो खामियां हैं, उनके सम्बन्ध में भी मैं दो चार बातें आपसे निवेदन कर दूं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने यह रिपोर्ट दी है कि राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है, राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार की काश्तकारों की जमीन है-उसका अगर विघटन किया गया, उसको अगर छोटा किया गया तो राजस्थान में प्रोडक्शन गिरेगा और अलाभकारी जोतों को प्रोत्साहन मिलेगा। सभानेत्री महोदया, इसके अलावा निवेदन करूं कि राज्य सरकार ने यह सीलिंग के कानून के अन्दर जो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन से स्थानान्तरण पर रोक लगा रखी है, और सन् १९४९ के बाद और १९५८ के बाद के अन्दर किये गये स्थानान्तरण को गैर-कानूनी घोषित करने की बात कही है, इससे किसानों जिन्होंने भूमि का स्थानान्तरण किया है, के ऊपर कुठाराघात किया है, संविधान के

(श्री पृथ्वीसिंह)

अन्दर दिये गये अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया है । मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का जो नियंत्रण किया गया है उस कानून को पूरे के पूरे को वापिस लें और जो उससे आने वाली दिक्कत हैं, उससे आने वाली कठिनाई है उसको वह उत्पन्न नहीं करे । आज लाखों बीघा जमीन हजारों आदमियों को ट्रान्सफर हो चुकी है और एक बार नहीं, सभापति महोदया, एक एक जमीन चार चार बार ट्रान्सफर हो चुकी है । आज उस कानून को अगर उसी रूप में लागू कर दिया गया तो इस सरकार के सामने एक गम्भीर स्थिति पैदा होने वाली है, यहां तक समस्या उत्पन्न होने वाली है कि लाखों आदमी जिन्होंने कि ऐसी जमीन को खरीदा है, जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं होंगे और इस कारण सरकार के सामने इससे बड़ी दिक्कत पेश आने वाली है ।

सभानेत्री महोदया, उस कानून के अन्दर एस. डी. ओ. को सर्वाधिक अधिकार दिये गये हैं, असीमित अधिकार दिये गये हैं, उन अधिकारों का एस. डी. ओ. अपनी मन्शा के माफिक उपयोग करेगा । अतः एस डी. ओ. को जो असीमित अधिकार दिये गये हैं उनके ऊपर से वह पाबन्दी हटाई जाय और उनके अधिकारों को सीमित किया जाय । अब मैं यह बात निवेदन करूंगा कि यह असीमित अधिकार क्यों दिये गये हैं, मेरे खयाल में यह भी बताना ठीक रहेगा । एक्जेम्प्शन के मामले के अन्दर, जिसमें पशु पालन, मैकेनाइज्ड फार्म, होर्स ब्रीडिंग फार्म, कैटल ब्रीडिंग फार्म आदि की व्यवस्था की गई है, उसके लिए एक्जेम्प्शन के लिए एस. डी. ओ. को पावर्स दी गई है कि वह जांच करके उनको एक्जेम्प्शन देगा । सभानेत्री महोदया, जो पशु पालक के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वह फार्म १९५८ के अन्दर रजिस्टर हो जाना चाहिए था । लेकिन उन दिनों के अन्दर, जिस तारीख का यह बताया गया है, उस तारीख को रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था, उन दिनों के अन्दर रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद नहीं था । उन दिनों ब्रीडिंग के फार्म रजिस्टर नहीं किये जाते थे । अतः यह कानून बना देना कि उस तारीख को रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए उनको ही एक्जेम्प्शन दिया जायगा—यह अनुचित होगा । इसके साथ साथ यह व्यवस्था भी नहीं है कि एक्जेम्प्शन कितने पशुओं के ऊपर, कितनी भूमि पर एक्जेम्प्शन दिया जायगा । इसका स्पष्टीकरण सरकार को कानून अथवा नियमों में करना चाहिए था, अन्यथा उस कानून की धारा भी बिल्कुल निरर्थक होगी और काश्तकारों और पशु पालकों को एक्जेम्प्शन स्वीकार करने वाले व्यक्ति के हाथ से भयंकर कुठाराघात होगा ।

सभापति महोदया, सीलिंग के कानून को लागू करने से पहले सरकार को इस बात का लेखा लेना चाहिए कि जिसके पास में अधिक भूमि है वह फलां तारीख तक, जो कानून के अन्दर सीमित रखी गई है, भूमि को शीघ्रातिशीघ्र बेच दे अथवा सरकार के सुपुर्द कर दे अन्यथा जो जमीन ज्यादा होगी वह सरकार द्वारा अवाप्त कर ली जाय । आप इस प्रकार का कानून बना दीजिये तो जिसके पास जमीन अधिक है वह या तो सरकार को सरेन्डर करेगा, या भूमिहीन

(श्री पृथ्वीसिंह)

काश्तकारों को बेच देगा, जिसका कि आपको लाभ होगा, एक तो जो सरेन्डर्ड भूमि होगी उसके कारण आवंटन में आपके सामने आने वाली दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। आज भी हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं कि जो सरकार की जमीन पड़ी हुई है, या बिना कब्जे की जमीन है, उसका आवंटन करने के समय में कितनी दिक्कतें पेश आती हैं। आज आवंटन किस तरह से होता है, सभापति महोदया, वह सदन के किसी सदस्य से छिपा हुआ नहीं है। सभापति महोदया, जब आवंटन करने के लिए तहसीलदार जाता है तो ग्राम पंचायत के किसी कमरे में बैठकर वह भूमि का आवंटन करता है, वह मौके पर जाकर काश्तकारों को भूमि का पजेशन नहीं देता है, न पटवारी के पास जो नक्शा होता है, उस नक्शे के अन्दर डिमार्केशन करता है। न तो मौके पर कब्जा दिया जाता है और न नक्शे में डिमार्केशन किया जाता है—इससे हजारों तरह की दिक्कतें पेश आती हैं, गांवों में लड़ाई झगड़े होते हैं और सरकार के सामने तरह तरह की अपीलें और शिकायतें पेश होती हैं। मैं आपसे निवेदन करूँ कि इन भूमि के आवंटन को देखते हुए आप इस कानून में यह भी परिवर्तन करें।

इसके साथ साथ जो म्यूटेशन की बात है, वह भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ काश्तकारों ने अपनी भूमि को ट्रान्सफर किया है, चाहे वह बेचान के जरिये किया हो, चाहे बँटवारे के जरिये किया हो, किसी अन्य तरीके से किया हो लेकिन हमारे सामने यह दिक्कत आती है कि उन भूमियों का नामांतरण नहीं किया जाता है, उसके लिए पैसा मांगा जाता है। हजारों रुपये को रिश्वत मांगी जाती है। अगर रिश्वत दे दी जाती है तो नामांकरण हो जाता है अन्यथा नहीं होता है। सभापति महोदया, मैं निवेदन कर दूं कि नामांतरण का मकसद यह है कि लगान की वसूली किस आदमी से होगी, सरचार्ज की वसूली किस आदमी से होगी। अगर नामांतरण शीघ्रातिशीघ्र हो जाय तो लगान वसूली और सरचार्ज वसूली में जो दिक्कत आने वाली हैं वह सारी की सारी दिक्कतें मिट सकती हैं।

सभानेत्री महोदया, चरागाह के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूँगा कि आज हमारे पाली जिले के अन्दर मुझे देखने को मिला है, और शायद राज्य के कौने कौने में यह व्यवस्था होगी कि चरागाह कई गांवों में डिक्लेअर्ड नहीं है। कई गांवों में पंचायतों ने चरागाह प्रपौज कर रखे हैं। आये दिन यह होता रहता है कि चरागाह की भूमि के ऊपर अनधिकृत रूप से कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, लोग उनके ऊपर खेती कर लेते हैं। सरकार उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। अतः सरकार इन बातों की ओर ध्यान दें। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था बनाये कि चरागाह की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को शीघ्रातिशीघ्र हटाने की व्यवस्था करें।

अकाल राहत कार्य के अन्दर सड़कों के पीछे कुछ जमीन अवाप्त की गई है। सड़कों के नीचे अवाप्त की गई जमीन का न तो सरकार द्वारा आज तक मुआवजा दिया के

(श्री पृथ्वीसिंह)

गया है, बल्कि उस भूमि का अभी तक लगान वसूल किया जाता है। यह काश्तकार बर्दाश्त नहीं कर सकते। अतः शीघ्रातिशीघ्र तहसीलदार को आप निर्देश दें कि वह शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा दे और जो लगान वसूली करना है उसको हटाये।

सभापति महोदया, जैसलमेर एक ऐसा जिला है जहाँ सात आठ साल से बराबर फेमिन की स्थिति है। इसलिए फेमिन के इलाके के लिए सरकार यह निर्देश दे कि वहाँ काश्तकारों का लगान बिल्कुल माफ किया जाय। इससे फेमिन अफेक्टेड काश्तकारों को वास्तव में लाभ मिलेगा।

सभापति महोदया, पाली जिले के अन्दर एक जवाई बांध बना है, उसमें कुछ जमीन डूब में आ गई है। उसके बारे में राज्य सरकार ने कुछ काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया है, उल्टे यह हो रहा है कि उस जमीन के अन्दर, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे भूमिहीन काश्तकार, जिनके पास पहले यह मुआवजे की जमीन थी, उस पर काश्त करते हैं तो उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है पन्द्रह गुना तक। इसके साथ ही, सभापति महोदया, उनको बेदखल करने की कार्यवाही करते हैं। मैं सरकार को निवेदन कर दूं कि जब तक काश्तकार को मुआवजा देने की व्यवस्था न कर दें, भूमि का एलाटमेंट न कर दें तब तक उनसे कम से कम जुर्माना तो वसूल न करें और बेदखल करने की कार्यवाही तो न करें।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करूं कि जो भूमि अवाप्त की गई है, या जो बिल्कुल डूब चुकी है, या जो बिल्कुल एक्वायर की जा चुकी है-उसका लगान वसूल नहीं किया जाय। सभापति महोदया, जो जमीन किसी काश्तकार के काम में नहीं आती उसका लगान माफ किया जाय।

सभापति महोदया, जागीरदारों के मुआवजे के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि आज जागीरें रिज्यूम हुए १५ वर्ष हो गये पर आज तक कुछ जागीरदारों को बौण्ड्स नहीं मिले हैं, कुछ के क्लेम्स मंजूर नहीं हुए हैं, कुछ छोटे जागीरदारों के क्लेम स्वयं जागीरदारों ने भरे थे, उनको अभी तक तय नहीं किया है, उनके साथ यह बड़ा भारी अन्याय है, उसको जागीरदार बर्दाश्त नहीं कर सकते। सभापति महोदया, कहीं कहीं जिलों में देखा गया है कि वहाँ कोई जागीर के अधिकारी ही नहीं हैं, ताकि इन लोगों के मुआवजे के केसेज का निबटारा कर सकें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिन जगहों पर जागीर कलेक्टर एडीशनल कलेक्टर नहीं हैं, वहाँ इन्हें शीघ्र भेज कर मुआवजे के केसेज का शीघ्र निबटारा करने का प्रबन्ध किया जाय।

अब मैं थोड़ा पंचायतों के बारे में भी निवेदन कर देना चाहता हूँ। पंचायतों की आडिट रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें कई पंचों, सरपंचों और भूतपूर्व सरपंचों के विरुद्ध हजारों रुपयों के गबन के आरोप लगाये जाते हैं, उनकी जांच तक नहीं की जाती है और न कोई कार्यवाही ही की जाती है। मैंने सैंतला के भूतपूर्व सरपंच के खिलाफ

(श्री पृथ्वीसिंह)

प्रश्न पूछा था, उनके खिलाफ गबन के आरोप हैं, उनकी अभी तक जांच नहीं की गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मूलचन्द डागा : घंटी बज चुकी है।

श्री विजयसिंह : आपके लिए बजती है।

श्री पृथ्वीसिंह : सभापति महोदया, ग्राम सेवक का एक ऐसा पद है कि उनके लिए आगे प्रोमोशन का कोई चान्स नहीं है कि जिससे उनकी पदोन्नति की जा सके। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्राम सेवकों की पदोन्नति के लिए शीघ्र ही समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

जैसलमेर जैसे अविकसित क्षेत्र में पंचायत समितियों के क्षेत्र निर्धारित किये जाते हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि वहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर पंचायत समिति और पंचायतों के क्षेत्र निर्धारित किये जाने चाहिए, जन संख्या के आधार पर निश्चित नहीं किये जाने चाहिए जिससे कि वहाँ के लोग उनसे फायदा उठा सकें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : श्री शंकरलाल जाट।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : सभापति महोदया, मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ६ भू राजस्व पर और सामुदायिक विकास की मांग पर मैंने दो कटौती प्रस्ताव रखे हैं। चित्तौड़ जिले की जो भौगोलिक स्थिति है वह ऐसी है कि जिसके बारे में सब जानते हैं, मैं विशेष निवेदन नहीं करना चाहता। चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में निम्बाहेड़ा सब डिविजन है उसमें छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, डूंगला, भैंसरोड़गढ़ और निम्बाहेड़ा ये ५ तहसीलें हैं इन पांचों के लिये एक एस. डी. ओ. रखा जाता है। एक एस.डी.ओ. इन पांचों के लिये है। इससे काम में बड़ी दिक्कत हो रही है। अधिक तर रेवेन्यू के केसेज एस. डी.ओ. से ताल्लुक रखते हैं, इन पांचों तह-सीलों का एक एस.डी.ओ. से ताल्लुक है तो इससे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है और काम खराब होता है इसलिए मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से कि बड़ी सादड़ी और डूंगला के लिये अलग एस.डी.ओ. की नियुक्ति की जाय और उसका हैड क्वार्टर बड़ी सादड़ी में रखा जाय। इससे किसानों को बड़ीं सुविधा होगी जिनके लिए कि हम यहां वकालत कर रहे हैं।

दूसरी अर्ज मैं यह करना चाहता हूँ कि भैंसरोड़गढ़ तहसील ऐसी है जो भौगोलिक दृष्टि से चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है, भैंसरोड़गढ़ के काफी हिस्से को बेंगू तहसील में मिला रखा है। वह एरिया है जो कोटा से मिला हुआ है, गांधी सागर बांध, चम्बल प्रोजेक्ट ये बन्ध बने हैं उसमें इसके काफी गांव डूब में आये हैं और उन गांवों के रहने वाले जो लोग थे वे आज तक बस नहीं पाये

(श्री शंकरलाल जाट)

हैं। इसका मूल कारण यह है कि वहां तहसील नहीं है, विस्थापित लोग अब तक यों ही घूम रहे हैं। उनको बसाने के लिये मैं निवेदन करूंगा। भैंसरोड़गढ़ में पहले भी तहसील थी, वहाँ तहसील कायम की जावे।

(३.३५ म.प.)

(श्री कृष्णकुमार गोयल सभापति पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, जहां तक नाजायज कब्जों का ताल्लुक है; रेगुलेराइज करने की नीति के कारण लोग स्वाभाविक तौर पर नाजायज कब्जा कर लेते हैं। वे इस-लिए नाजायज कब्जा करते हैं कि सरकार उन नाजायज कब्जों को रेगुलेराइज करने का आर्डिनेन्स निकाल देती है, तहसीलदारों को उन नाजायज कब्जों को रेगुलेराइज करने के अधिकार दे देती है तो पटवारी और तहसीलदार मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं और मनमाने ढंग से रेगुलेराईज कर देते हैं। इससे यह होता है कि जो लोग वास्तव में भूमिहीन हैं, उनको भूमि नहीं मिलती जिनको कि भूमि मिलनी चाहिये। जिन लोगों के पास पहले से ही काफी जमीन है वे लोग पटवारी से मिलकर नाजायज कब्जे की रिपोर्ट करवा देते हैं और फिर मनमाने ढंग से रेगुलेराइज करवा लेते हैं और इस तरह से भ्रष्टाचार फैलता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से नाजायज कब्जों को रेगु-लेराईज करने के जितने मामले हों उनको लैण्ड एडवाइजरी कमेटी, अलोटमेंट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये और इन सब मामलों का फाइलें उनके पास भेज देनी चाहिये। इससे भ्रष्टाचार मिट सकता है। आज हालत यह है कि पटवारी लोगों से मिलकर लोगों को दो दो तीन तीन जगहों पर अलोटमेंट करवा देता है, अफसर खुद तो मौके पर जाते नहीं हैं आंख मींचकर दस्तखत कर देते हैं, और इस तरह से अलोटमेंट हो जाता है वह पटवारी रिश्वत खा कर चला जाता है और जब दूसरा पटवारी आता है तो कहता है कि यह जमीन तो तुम्हारे नाम पर नहीं है। इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है।

जिला परिषदों के बारे में मेरा निवेदन है कि इनको और अधिक अधिकार दे कर शक्तिशाली बनाया जावे। जिला परिषद् जिले को एक ऐसी बोडी है जिससे सम्पूर्ण जिले के लोगों को फायदा पहुँच सकता है, जिले के लोगों के प्रति जिला परिषद् को काफी सहानुभूति होती है। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जिला परिषद् को अधिक से अधिक अधिकार दिये जावें और इनको शक्तिशाली बनाया जावे।

पंचायतों के बारे में निवेदन है कि पंचायती राज के बारे में सादिक अली कमेटी बैठी थी और पंचायत समितियों के लिये भी स्टैडी टीम आई थी। उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट पेश की है कि सारी तहसील की पंचायत समिति एक ही होनी चाहिए ताकि लोगों का काम ठीक ढंग से हो सके पर हमारी बड़ी सादड़ी तहसील के साथ ऐसा अन्याय कर रखा है आधी पंचायतें छोटी सादड़ी में हैं और आधी बड़ी सादड़ी में

(श्री शंकरलाल जाट)

बड़ी सादड़ी में १६ पंचायतें हैं, भोपालसागर में १५ पंचायतें हैं और भैंसरोड़गढ़ में १८ पंचायतें हैं, भोपालसागर और भैंसरोड़गढ़ में पंचायत समिति है पर बड़ी सादड़ी में १६ पंचायतें होते हुए भी उसके साथ यह अन्याय किया गया है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि तहसीलवाइज पंचायत समिति होनी चाहिये जिससे कि हमारी समस्यायें आसानी से हल हो सकें।

अब मैं भू-राजस्व के उस लगान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सोचा जाय तो किसानों पर पहले से ही काफी करों का भार है, आज जितने प्रकार के टैक्स हैं उनसे किसान बचे हुए नहीं हैं, सब करों का भार किसानों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, किसान आज किसी टैक्स से बचे हुए नहीं हैं। अगर आप किसानों पर टैक्स लगाना ही चाहते हैं तो रीसेटलमेंट करवा लीजिये। जो भूमि असिंचित थी, उसको आज सिंचित कर दिया गया है पर उसका लगान उसी पहले की असिंचित जमीन के हिसाब से देते हैं। जो भूमि पड़ी हुई थी उसको नौतोड़ जोतना शुरु कर दिया है, तो इन पर लगान लगाने के लिये आपको रीसेटलमेंट कराना चाहिये। जो ७५ रुपये से १०० रुपये तक का लगान देता है उस पर आपने एक रुपया पर ५० नया पैसा अधिक लगान लगाया है, आपको सीधे से यही कह देना चाहिये था कि एक रुपये का डेढ रुपया कर दिया गया है। इस प्रकार वह बात जनता बरदाश्त करने वाली नहीं है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान खास तौर से राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कम से कम आप तो इन किसानों को बचायें। राजस्व मंत्री भी तो किसान ही हैं। मैं सोचता हूं कि हमारी आवाज मंत्रीमंडल तक पहुँचायेंगे और कम से कम इस चीज को नहीं लगायेंगे, यह बहुत ही अन्याय हो जायगा काश्तकारों के साथ में।

अफीम पर भी लगान लगा रखा है, गत वर्ष भी किसानों ने कहा था। यह सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना चाहिये आपको। कम से कम आप इस चीज को खतम करें और गत वर्ष की करोड़ों रुपए की बकाया है किसानों की वह कृपया उनको लौटाई जाय।

यह जो १० परसेंट वाला कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वह भी वापस लेने को विचार करें नहीं तो किसानों में भारी असंतोष हो जायगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री केशरी सिंह हाड़ा (हिन्डौली) सभापति महोदय, आज राजस्थान के २६ जिलों में से २४ जिलों में अकाल पड़ रहा है। आज के वातावरण को देखें। आज जो घटायें जयपुर पर छा रही हैं, अगर यही घटाए बाकी दो जिलों में भी छा गई तो २६ जिले ही अकालग्रस्त हो जायेंगे। आज खेतों में बालियां आ रही हैं अनाज काटने का वक्त आ रहा है। ओले गिर गए, बारिश हो गई तो सारा अनाज खेत में रह जायगा और राजस्थान में अकाल पड़ जायगा। इसका कारण एक मात्र आज की जो सत्तारूढ़ पार्टी है जिसका शासन है,

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

उसकी गलत नीतियों का ही द्योतक है, कुदरत की तरफ से तो इशारा मात्र ही है। आज की सरकार से उन काश्तकारों के लिए, गरीब किसानों के लिए जनता के लिए चीख चीख कर कहते थे कि डोली का लगान नहीं लेंगे उन्हीं पर कुठाराघात कर रही है, सरचार्ज बढ़ाते जा रहे हैं और हर तरह व्यवसायिक पदार्थों पर कर बढ़ाते जा रहे हैं, इन से काश्तकारों की कमर तो टूटेगी मगर हर तरह से जो पहले ही पिछड़े हुए हैं और भी पिछड़ते जायेंगे।

राजस्थान में आज यह स्थिति चल रही है कि लगान बढाओ और हर तरहकी टैक्सेज बढ़ाओ और फालतू खर्चा बढ़ाते रहे हैं इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो लगान की वृद्धि, सरचार्ज की वृद्धि और जो दूसरी वृद्धियां हैं उनको कम करें। सम्पूर्ण भारत के अन्दर ८० प्रतिशत काश्तकार हैं और जो भी कर लगाते हैं, वह समस्त काश्तकारों को देने पड़ते हैं। बिक्री कर हो या और कोई कर हो, अनाज पर हो, मिठाई पर हो, काश्तकार कहीं भी नहीं छूटता इसलिए काश्तकार को सरकार बचाये तो अच्छा होगा।

इस साल केन्द्रीय सरकार ने भी काश्तकारों पर कर लगाए हैं–रसायनिक खाद पर और बिजली के पम्पों पर भी, उनकी भी काफी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में जो एजैंसियां हैं पंप्स की उनके स्पेयर पार्ट्स काश्तकारों को वक्त पर नहीं मिलते और उससे काश्तकारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सरकार इस बात का भी ध्यान रखें कि जो एजेंसियां दी जायं पंप्स की और ट्रैक्टर्स की उनके स्पेयर पार्ट्स समय पर मिलें और वह अपना काम उनके जरिए चला सकें।

इसके अतिरिक्त सेटिलमेंट राजस्थान में १९५२–५३ से शुरू हुआ। राजस्थान में सरकार यह नहीं कह सकती कि सैटिल–मेंट हमने किया। राजस्थान में कोई भी ऐसा जिला नहीं था जो सेटिल्ड न हो, राजस्थान में बहुत से जिले ऐसे थे जहां सेटिलमेंट था जहां काश्तकारी कानून भी था और राज्य सरकार की जो रेवेन्यू रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि राजस्थान के अन्दर जयपुर में सन् १९४५ में और मारवाड़ में १९४९ में काश्त–कारी कानून बना, बूंदी जो छोटी रियासत है मगर उसमें भी १९४२ में काश्तकारी कानून बन गए थे और अमल में भी लाया गया था। इसलिए सरकार कहे कि हम प्रगतिशील हैं मगर उनकी प्रगति केवल मन्त्रीमण्डल तक ही सीमित है। मंत्री–मंडल में जरूर विस्तार और प्रगति होती रहती है, मगर किसानों की कोई प्रगति हो सके ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आता। किसानों की राहत बन्द होती जा रही है, उनको जो तकावी वगैरह दी थी वह बन्द होती जा रही है।

इसके अतिरिक्त कांग्रेस सरकार बनने के बाद आप पुराने लैंड रैवेन्यू के कागजात थे उनमें काफी परिवर्तन लाये मगर रियासत के जमाने में उनके शासनकाल में कानून बहुत मुफसल थे, हो सकता है मन्त्री महोदय ने उनको नहीं देखा हो। अगर नहीं देखा है

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

तो देखें आप वता सकते हैं कि राजस्थान में कितना गेहूँ बोया, कितना चना बोया, कितनी ज्वार बोई गई। पहले अलग अलग जिन्सवार रेकार्ड होता था, आज खसरादस्त बन्द हो गए। जो वाणिज्य पदार्थों पर कर लगाए हैं, खसरादस्त करना पड़ेगा और वह अगर सही नहीं हुआ तो काश्तकार मर जायगा। खसरादस्त समर्य पर होना अनिवार्य है। उस समय जो लगान के फार्म कटते थे वह पटवारी काटता था, काश्तकार जाकर तहसील में लगान जमा कराता था। उदाहरण के लिए मैं एक कापी बताना चाहता हूँ जिसके अन्दर रसीद है। वह काश्तकार अपनी रसीद को लेकर तहसील में जाता था वहां रकम जमा होती थी और वही काश्तकार का नम्बर जो रसीद में पटवारी काटकर देता था, चिपका दिया करते थे तो मिलान हो जाता था और इस बात की गारन्टी थी कि काश्तकार के पास रसीद पहूँच गई और लगान जमा करा दी। मेरे पास रसीद बुक है जो बुंदी रियासत में थी। इसके अन्दर पूरा व्योरा लिखा हुआ है, खाता नम्बर, कैसे जमा हुई लगान, कब हुई पूरा विवरण है। आज क्या होता है कि काश्तकार लगान जमा कराता है पटवारी के पास पटवारी कह देता है कि रसीद कल देंगे, रसीद नहीं देते है फिर कहते हैं पैसा नहीं देते हैं मुझे। इस तरह की बेईमानी की काफी सम्भावना है। और उस वक्त कोई बेईमानी होने की संभावना नहीं होती थी। पैसा तहसील में जमा होता था। पहले रसीदें कटती थीं। दस साल तक काश्तकार के पास रिकार्ड रहता था। कहीं जमीन नो तोड़ की, तीन साल तक अगर उस काश्तकार के कब्जे में रही है तो उसके खाते में वह बन्ध जाती थी। आप आज उसको माने या न माने यह आपकी मरजी है। लेकिन काश्तकार को गारन्टी देनी चाहिए कि जो रकम उसके द्वारा जमा करायी गयी है उसको उसकी रसीद मिले और ऐसा मौका न आये कि पटवारी के जरिये हरासमेंट होकर उसको दुबारा जमा कराना पड़े। काश्तकार के पास भी रिकार्ड मेन्टेन होगा। इसलिए अगर राज्य सरकार मुनासिब समझे तो वही तरीका वापिस शुरु करे।

इसके अतिरिक्त में निवेदन करूं कि पंचायत के अन्दर मेरा एक कटौती प्रस्ताव है। पंचायत मन्त्री जी ने एक अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा दुबारा जारी करवाया वह बहुत ही घातक सिद्ध होगा। पंचायतों में आज भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। पंचायतों में सरपंच जो अनाज लेते हैं काश्तकारों को देने के लिए वह स्वयं खा जाते हैं और अगर उसकी इन्क्वायरी राष्ट्रपति शासनकाल में हो तो आज के शासन में उसको बन्द कर दी जाती है। इस प्रकार बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को आप मिटायें, उसको रोकें।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, उपेक्षित भूमिहीन जो लोग हैं उनके बारे में सुझाव पेश करना चाहता हूँ। पाली तहसील में पिछले चार साल में ६ हजार बीघा जमीन उन लोगों को

(श्री मूलचन्द डागा)

दे दी गयी जिनके पास जमीन है पहले से। मैंने इसकी शिकायतें पेश कीं। मैंने गाँवों के नाम भी बताये। जिन लोगों के पास दो दो सौ तीन तीन सौ बीघा जमीन है उनको यह जमीन आवंटित की गई। उन लोगों को आवंटित की गई जो दो दो तीन तीन वर्ष के बच्चे हैं। रेवेन्यू विभाग के अन्दर शिकायतें पेश कीं। ग्राम पंचायत जतना, खटावर, राना, डलागी आदि। सारी शिकायतें गांव वालों ने पेश कीं। मेरे खयाल से रेवेन्यू मेम्बर चार बार आश्वासन दे चुके हैं कि उनकी जांच होगी। आज तक तो हुई नहीं। भूमि आवंटन के मामले में जो लोग दोषी हों उनको दण्ड मिलना चाहिए लेकिन रेवेन्यू विभाग इन बातों के लिए बिलकुल तैयार नहीं है। दोषी व्यक्तियों को दण्ड नहीं दे रहा है। मैंने कई बार कहा कि भूमि आवंटन रूल्स में सुधार करना चाहिए। मेरा एक सुझाव है ग्राम सभाओं में भूमिहीनों की सूची बन जानी चाहिए और ग्राम सभा निर्णय ले ले कि इनको जमीन मिलनी चाहिए। उसको भूमि आवंटन समिति के सामने रखना चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि पटवारी को ग्राम पंचायत के सरपंच के नीचे रख देना चाहिए। रेवेन्यू विभाग में उसका अलग स्थान नहीं होना चाहिए। गांवों में पटवारी सरपंच की आज्ञा न माने यह उसका रोजाना का काम हो गया है। एक तरफ आप डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ पटवारी को अलग रख छोड़ा है। ग्राम पंचायत के अन्तर्गत ही पटवारी को काम करना चाहिये। मैंने बार बार शिकायत इस बात की कि जांच नहीं हो रही है, कागजात रेवेन्यू बोर्ड के पास पड़े हुए हैं और जांच नहीं हो रही है, रिकार्ड खुद बतायेगा कि कितनी बार शिकायतें हुई हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आवंटन अलाटमेंट कमेटी ने किया या नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा : नहीं किया। एक अधिकारी ने सारे कानूनों की अवहेलना कर भूमि आवंटित कर दी। जो आपने कानून निकाला है नियम निकाला है, आर्डिनेंस निकाला है, उनकी पूरी की पूरी अवहेलना की गयी। एक व्यक्ति को १५बीघा आबादी में जमीन दे दी। उसको रेगुलराइज कर दिया। उन लोगों ने लाभ उठाया जो शक्तिशाली हैं, जिनके पास पैसा है। उन्होंने भूमि को नियमित करा लिया। मेरे खयाल से कलेक्टर महोदय, एस. डी. ओ. तहसीलदार उन कानूनों को जो आप जनता की भलाई के लिए निकालते हैं, उनका अध्ययन नहीं करते हैं, उनको जानते नहीं। ५ बीघा जमीन बैठे बैठे डिलिमिट कर दी। कानून बना हुआ है कि किस प्रकार डि-लिमिट की जाय। बीसों सरकुलर निकाल देने के बाद भी वे कुछ नहीं करते। क्या कारण है ? रेवेन्यू विभाग जो अधिकारी नियमों की अवहेलना करता है उसको सजा नहीं देता। या तो आप यह कह दीजिये कि नियमों की अनुपालना नहीं कराना हमारा धर्म है। काफी आमदनी राजस्व विभाग को हो सकती है वह नहीं हो रही है। जो अध्यादेश और कानून निकलते हैं उनका उल्लंघन करना रेवेन्यू अधिकारियों का रोजमर्रा का काम है। इसके लिए सबूत चाहें तो

(श्री मूलचन्द डागा)

दिये जा सकते हैं। गांव वालों ने तीन तीन बार शिकायतें कीं लेकिन कोई सुनाई नहीं। जो अधिकारियों के सम्बन्धी हैं उनको उन्होंने जमीनें दे दीं और जो जमीन आवंटित नहीं की जानी चाहिए वह भी आवंटित कर दी। तालाब में जमीन आवंटित कर दी गई। महाराजा उम्मेदसिंह को पचास हजार की जमीन पर कब्जा करा रक्खा है और वह उनको दे दी गई है। काश्त की भूमि है दीगर परिवर्तन नगरपालिका करती है।

श्री रामसिंह कूड़ी : उन पर सुखाड़िया जी का वरद् हस्त है।

श्री मूलचन्द डागा : पानी का तालाब है। नियमों की अवहेलना होती है। वह जमीन महाराज उम्मेदसिंह जी को दे दी। नियमों का पालन करने में अधिकारी हिचकिचाते हैं।

आपने जो समय दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। एक मिनट के लिये कम्यूनिटी डवलपमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस कम्यूनिटी डवलपमेंट को झूंठ गवर्नमेंट आपने बना रखा है। जब से ए. ई. ओ. को बी. डी. ओ. आपने बनाया है, उसको बी. डी. ओ. मुकर्रर किया है, वहां ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। बी, डी. ओ. का वहां के अधिकारियों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उन अधिकारियों पर सारा अधिकार या तो एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट का है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, जिस डिपार्टमेन्ट में ये अधिकारी काम करते हैं, पंचायत समिति में जो अधिकारी काम करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने का कोई अधिकार इस बी. डी. ओ. को नहीं है। बी. डी. ओ. का केवल एक ही काम है, उनकी छुट्टी मन्जूर करना। इस प्रकार पंचायत समिति को आपने झूंठ गवर्नमेन्ट बना रखा है। आप जिला परिषद के अन्दर देखें। वह बॉडी क्या काम करती है।

श्री परशराम मदेरणा : कौनसी बात टाल रहे हैं ?

श्री मूलचंद डागा : जिला परिषद के साथ में कलक्टर को आपने झूंठ गवर्नमेन्ट बना रखा है। कलक्टर किसका कहना मानता है। जिला परिषद का कहना मानता है ?मेरा ख्याल है कि नहीं मानता। आप यह कहेंगे कि उन पर विश्वास नहीं है। उन पर आपको विश्वास पैदा करना है। गवर्नमेन्ट उसके ऊपर विश्वास करे जो पंचायत की इकाइयां है, उनके ऊपर आपको विश्वास करना चाहिये।

सभापति जी, सरकार कहती है ग्राम पंचायतों से आप अनअपोज्ड ग्राम पंचायत का चुनाव करें। यह बिल्कुल प्रजातंत्र की पद्धति के खिलाफ है। जो पंचायतें अनअपोज्ड चुनाव करेगी उनको सालाना वृत्ति सरकार ग्रांट करेगी। इसके पीछे आपकी क्या मन्शा है ? क्या अच्छे नेतृत्व को आप चुनाव द्वारा आगे आना नहीं देना चाहते हैं ? चुनाव में उनके लिये रोक क्यों होना चाहिये।

(श्री मूलचन्द डागा)

यह कोई अच्छा कदम नहीं है कि हम उनसे कहें कि चुनाव मत करो। यह ठीक नहीं है। चुनाव नहीं करने वाली पंचायतों को आप स्पेशल ग्रांट देंगे इसका मतलब? डेमोक्रेसी पर रोक है। जो एम. एल. ए. है उनके क्षेत्र से भी कहें अनअपोज्ड चुनाव करें तो उसके क्षेत्र में विकास कार्य सवाया करेंगे। यह सिद्धान्त अच्छा नहीं है। यह सिद्धान्त के खिलाफ है।

एक माननीय सदस्य : यह किस के सिद्धान्त के खिलाफ है?

श्री मूलचंद डागा : यह डेमोक्रेसी के सिद्धान्त के खिलाफ है। कांग्रेस के सिद्धान्त बिल्कुल अच्छे हैं। हमारे किसानों के बारे में भी एक बात कहूंगा। काश्तकारों के लिये हम क्या कर सकते हैं। हमारी योजना को सफलीभूत बनाने में उनका सहयोग होना चाहिए और लोगों को बेकार नहीं रहने देना चाहिये। देश के विकास के लिये दौलत बाहर से नहीं आयेगी। जो दौलत पैदा करते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा विकास में लगाया जाना चाहिये। यह गलत नहीं होगा।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने भूमि सुधारों के सम्बन्ध में यह माना हुआ है कि जो भूमि सुधार राजस्थान में करने थे, वो वह कर चुकी है और अब राजस्थान में किसी प्रकार के भी लैंड रिफार्मस् की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार इस बारे में यह समझ कर भारी भूल करती है और दरअसल राजस्थान ने लैंड रिफार्मस् जो भी थोड़े बहुत किये हैं आज उसी को वापिस रीट्रीट करने की कोशिश में यह सरकार है। मसलन मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय कि आज राजस्थान में जितने भी लैंड रिफार्मस्, चाहे वे जागीर रिजम्पशन के हों, बिस्वेदारी के एबॉलेशन के हों, चाहे टीनेन्सी एक्ट हों, चाहे आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट हो, जितने भी एक्ट हों, उन एक्ट के बारे में, किसी के भी जरिये भूमिहीन लोगों को, या उन क्षेत्रों के लोगों को जिनके पास भूमि नहीं है, भूमि नहीं मिली है। जिनको भी इससे फायदा हुआ है वह केवल उस वर्ग को हुआ है जिनका जमीन पर कब्जा था और वे जमीन पर काबिज होकर संगठित थे जागरुक थे और इस तरह वे अपने कब्जे को कायम रख सके। जागीरदारों के मामलों में सभापति जी आप जानते ही हैं लैंड रिफार्मस् में जागीरदारों और बिस्वेदारों ने किसानों को बेदखल करके अपना कब्जा कर लिया और यह साबित करने की कोशिश की कि यह भूमि उनकी है और इस तरह से बहुत से किसान बेदखल हो गये। लैंड रिफार्मस् से एक फायदा किसी हद तक संगठित किसानों और ताकतवर किसानों को हुआ है और उनको खातेदारी हकूक मिल गये और ऐसे तबके को जो कमजोर था, जो हरिजन और आदिवासी थे, और संगठित नहीं थे, वे इनका मुकाबला नहीं कर सके और प्रशासन की तरफ से भी उनको मदद नहीं मिली। नतीजा यह हुआ सभापति महोदय कि वे बेदखल हो गये। लैंड रिफा-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

र्मस् से कितने ही किसान जो भूमि वाले थे, वे भूमिहीन हो गये। इससे भूमिहीन किसान भूमिवाला नहीं हुआ। यह एक नतीजा आपके लैंड रिफार्मस् का हुआ है कि किसान भूमिहीन हो गया, बेदखल हो गया। इसी सदन में आपने सीलिंग का कानून पेश किया था और राजाओं की जमीन, कृषि जमीन को टेक ओवर करने का भी कानून आपने पेश किया था। यदि यह जमीन उपलब्ध होती और वह किसानों को बंटती तो कहा जा सकता कि लैंड रिफार्मस् के जरिये किसानों को कुछ जमीन मिली है। परन्तु खेद का विषय है सभापति महोदय कि कांग्रेस ने, मैं समझता हूँ कि अब तो इन दोनों कानूनों को—जो सीलिंग का कानून है और जो दूसरा राजाओं की निजी सम्पति कृषि भूमि का कानून है, इन दोनों को ताक में उठाकर रख दिया है। मैंने पहले अर्ज किया था जब राजाओं की जमीन लेने का कानून बनाया गया उसमें कुछ राजाओं को ७–८ राजाओं की रिट हुई और फिर उसमें स्टे जारी हो गया। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूँगा और सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि सरकार के कालोब्रेशन, गठबन्धन से यह रिट हुई है। उनके गठबन्धन से यह स्टे हुआ है और यही वजह है कि स्टे होने के बाद आज तक इस केस में कोई पेशी नहीं हुई है। मुझे रेवेन्यू मिनिस्टर बता दें कि पिछली तारीख कब पड़ी थी और इतनी देर होने का क्या कारण है? सन् ६४ में यह कानून पेश हुआ और १६६५ में रिट हुई और हाईकोर्ट से स्टे हुआ सन् ६५ में और आज १६६६ हो गया। इस स्टे के बाद मेरी जानकारी के अनुसार आज तक कोई पेशी नहीं पड़ी है और मैं पूछना चाहूँगा मन्त्रीजी आपसे कि स्टे के लिये गवर्नमेन्ट की तरफ से हाईकोर्ट को कोई मूव नहीं किया गया है, एप्लीकेशन नहीं दी गयी है कि स्टे को निरस्त किया जाय। क्या कोशिश की गई? हाई कोर्ट से आप यह मांग करते कि स्टे को तय किया जाय इससे साफ जाहिर होता है और यह साबित हो जाता है कि यह रिट सरकार के कालोब्रेशन से हुई है। यह उदयपुर के महाराणा से मिलकर हुई, जोधपुर के महाराजा भी इसमें शामिल हैं, जोधपुर के अलावा बीकानेर के राजा भी शामिल हैं। ये सब के सब राजा इसमें शामिल हैं। आप इन सबको नाराज नहीं करना चाहते हैं। आप एक सीमा से उनको दूर नहीं जाना देना चाहते हैं। आप यह उम्मीद करते हैं कि कल का भूला हुआ आज हमारे घर वापिस आ जायेगा। नवाब साहब आ ही गये हैं। राजाओं पर आप एक एक करके डोरे डाल रहे हो। आपने महाराजा मानसिंह से कांग्रेस का फार्म भराने का रास्ता तय कर लिया है। महाराणा भगवत सिंह पर आप लगातार डोरे डाल रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह पेशी कौनसी तारीख की है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि इस पर पेशी लगातार टलती जा रही है, यह क्यों है? स्टे को रिमूव कराने के लिये गवर्नमेंट को मूव करना चाहिये।

Page No 150

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह कभी नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्टे गवर्नमेन्ट को प्राप्त हुआ उसके बाद क्या कार्यवाही हुई है, यह मैं डाइरेक्ट आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं हुई है गवर्नमेंट की तरफ से स्टे आर्डर वेकेट करने के लिये अपील नहीं की गई। इस तरह से सीलिंग के बारे में किसानों की तरफ से आन्दोलन शुरु हुआ। प ली के श्री शंकरलाल जी ने आन्दोलन की धमकी दी। उनको कुछ खुश करने के लिये कहा गया कि हम ६० स्टेण्डर्ड एकड़ लागू करना चाहते हैं। इसकी भी घोषणा कर दी गई और वह घोषणा मात्र ही रह गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ६० स्टेंडर्ड एकड़ वालों से कितनों से रिटर्न मिले। कितनी ज्यादा जमीन को कब्जे में ली उससे आगे क्या कदम उठाया। ६० स्टेंडर्ड एकड़ की केवल मात्र घोषणा ही रह गई। एक पर भी अमल नहीं किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार भी जागीरदार जिसके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है इस घोषणा के बावजूद आपने कब्जे में नहीं ली। आपकी यह घोषणा कोल्ड स्टोरेज के अन्दर पड़ी हुई है। यह बात भी नहीं कि इसमें जनता का सहयोग नहीं इसमें बराबर पोलिटिकल इम्पलीकेशन्स हैं। आज तक कांग्रेस के नेता इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं उधर बैठने वाले माननीय सदस्य नहीं चाहते कि सीलिंग लागू करने के लिये किसी प्रकार का दबाव डालें। साथ में यह भी महसूस कर रहे हैं राजाओं जागीरदारों को अपने पोटेन्शियल पार्टनर्स मानकर चल रहे हैं। आगे आने वाले जमाने में किसान और मजदूर संगठित हो रहा है। बंगाल में देख लिया वहां से इनको निकाल फेंका। ये चाहते हैं कि किसान और मजदूरों के संगठन के मुकाबले राजाओं और जागीरदारों पूंजीपतियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। स्वतंत्र पार्टी के लीडर कहते हैं कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता हमारी नीतियों को स्वीकार कर रही है। बिहार यू० पी० में स्वतंत्र पार्टी गवर्नमेन्ट का समर्थन करने लगी है। यहां पर भी हम देखते हैं विरोधी सब एक साथ होते हैं गवर्नमेन्ट को हटाने के लिये तो कहा जाता है कि आन्दोलन के लिए कहा जाता है तो ये पार्टियां हुक्म निकालती हैं हमें सड़कों की राजनीति पसन्द नहीं। ये तो राजमहल की राजनीति पर चलने वाले हैं बड़े कोठियों में बंगले में राजनीति चलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमें बतायें आपके यहां कोई कानून है जिसके तहत एक किसान दस दस और बारह बारह साल से जमीन पर काश्त कर रहे हैं वे भी अब तक खातेदार नहीं बन सके ? टीनेन्सी एक्ट के अन्दर खातेदार राइट्स इवोल्व करने का अधिकार देते हैं। लैंड रिफार्म्स को फ्रीज कर दिया उसका नतीजा यह हुआ कि कोई भी किसान खातेदार अपनी टीनेन्सी की वजह से, दस बरस से बारह बर्ष से काश्त करता है उसको उस पर काबिज नहीं बना सकते। उसको नहीं बनाना चाहते। यही वजह है गश्त गिरदावरी को बन्द कर दिया है उनका इन्दराज नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कई सरकारी अधिकारी सब टीनेन्टस से काश्त करवा रहे हैं खातेदार बनने के उनके रेकार्ड्स् को खत्म कर रहे हैं। बावजूद इसके कि प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहती हैं कि इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए। रेकार्ड खत्म करदिया। सब टीनेन्सी के मामले में साजिश करके छोटे किसानों को अधिकार नहीं देना चाहते। मैं समझता हूँ कांग्रेस एक नीति पर पहुँच गई है आज वह भी कृषि में पूंजीवादी सिस्टम जारी करना चाहती है। आज बड़े-बड़े अधिकारियों ने बड़ी-बड़ी जमीन रखी है और मजदूर कों रखकर वे खेती कराते हैं। बढ़िया फार्म के नाम से प्रोग्रेसिव फार्मर के नाम का सर्टिफिकेट लेकर कृषि में पूंजीवादी नीति कांग्रेस ला रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यही वजह है आज जब लैण्ड रिफोर्म्स की बात कर रहे हैं टेकनिकल डेवलपमेन्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा बीज अच्छा खाद इसके जरिये आप समझते हैं जमीन की पैदावार बढ़ जाय। रिच पीजेन्टस ही ये खरीद सकते हैं वे ही ट्रेक्टर द्वारा खेती करवा सकते हैं। लेकिन जो आम किसान हैं गरीब किसान हैं वे इन चीजों से फायदा नहीं उठा सकते। इसका मतलब हुआ ८० प्रतिशत किसान इन तमाम सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते। क्योंकि आपने रूल्स ही इस प्रकार के बनाये हैं। आपने जो क्रेडिट सिस्टम जारी किया है कोआपरेटिव बेंक द्वारा लोन की बात है उसमें ८० प्रतिशत किसान बंचित रहते हैं। खातेदार जो नहीं होंगे उनको लोन्स नहीं मिल सकता, अलोटीज है वे नहीं ले सकते रिफ्यूजीज हैं वे भी नहीं ले सकते। टेम्परेरी काश्त वाले भी वंचित रह जायेंगे तमाम गरीब किसान आपकी इन सुविधाओं से वंचित होगया है।

आपकी लैंड रिफोर्म्स कमीशन की रिपोर्ट कहती है एक तबका है जो सब टीनेन्स के नाम का है। लैंड रिफोर्म्स कमीशन ने उनकी संख्या तीस परसेन्ट मानी हैं उतने आप न माने कम से कम तीस परसेन्ट तो ऐसे किसान हैं सब टीनेन्टस में आते हैं। आपने बंटाई का सिस्टम खत्म कर दिया लेकिन वह आज भी मौजूद हैं। आज भी आधा बांटा लिया जाता है। गंगानगर ने ७५ प्रतिशत बांटे ले भी ज्यादा बांटा लिया जाता है। नौकर का नाम लिखा लिया जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस मन्त्रिमण्डल के कितने ही लोग बटाई पर काश्त करवाते हैं। अधिकारी वर्ग डिपार्टमेंट हैंडस ऐसे कितने ही सरकारी अधिकारी हैं जिनके पास बड़े २ फार्म है और बटाई पर काश्त करवाते हैं। इन पर सीलिंग लागू नहीं हो सकता। इस तरह से सारे के सारे कानून कोल्ड स्टोरेज के अन्दर रखे जा रहे हैं।

इस तरह से राजस्थान के भूमिहीनों की समस्या विकट रूप धारण करती जा रही है। पिछली साल घोषणा की गई थी कि भूमिहीनों को फौरन और जल्दी भूमि अलाट करेंगे और इस तरह से पिछले साल २१ हजार एकड़ जमीन अलोट की गई। मेरा निवेदन है कि इसमें हम जितनी देरी करते जायेंगे हमें पी० एल० ४८० के अन्तर्गत जो विदेशों से अनाज मंगाना पड़ रहा है वह मंगाते ही रहना पड़ेगा। अगर किसानों को अलोटमेंन्ट करके जमीन मिल जायगी जो बेरोजगार है उनकी समस्या भी हल हो जायगी और उसके साथ साथ खाद्यान्न

Page No 152

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की समस्या भी हल हो जायगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार को वह इस बारे में पूरी तौर से जितनी भी जमीन काबिल काश्त है, जंगल है सिवाय चक के रूप में है काबिल काश्त होते हुए भी जिनके पास सीलिंग से ऊपर जमीन है उन सारी जमीनों को

(४. २० म० प०)

(श्री पूनमचन्द्र विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकर एक्सपीडियेट तरीके से भूमिहीन किसानों को वह जमीन बाटें इससे न केवल आप रेगुलेराइजेशन का ही काम करेंगे बल्कि इन्डाइरेक्ट तरीके से बड़े लोगों को जमीन देने का है।

हमारा यह अनुभव है। हमने कानून में चाहे रख दिया हो कि १५ बोघा तक जिसकी नोतोड़ और पुरानी जमीन है उन्हीं को दी जावे। पर अमली तौर पर यह हो रहा है कि गरीब का रेगुलेराइजेशन नहीं होता और और जो ताकतवर है उसने गलत नाम दर्ज कराकर भी रेगुलेराइज करवा लिया है और जमीनों पर कब्जा कर लिया है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि उन जमीनों का रेगुलेराइजेशन शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए और जो पिछले साल रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने घोषणा की थी और डेपूटेशन भी किसानों का मिला था उस रेगुलेराइजेशन का मतलब यह है कि जिन किसानों का रिकार्ड भी न हो, उनको भी जबानी सबूत देने का अवसर दिया जावेगा। यह सरकार का इन्टेन्शन है। किन्हीं जिलों में तो ऐसा लागू हो रहा है। पर अलवर में ऐसा नही है। ट्रैस पासर्स को अनऑथोराइज्ड कल्टीवेशन को इस तरह करार देकर बेदखल कर दिया जाता है। चाहे ऐसा करना कानून के खिलाफ हो। सरकार ने किसान सभा को आश्वासन दिया था उसके भी खिलाफ हो इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस बारेमें इस विधान सभा में भी ऐलान करें और क्लेरिफिकेशन के रूप में सरकूलर भेज दें कि जिससे गल्ती दुरुस्त हो।

अभी बन्दोबस्त इस तरीके से हो रहा है जिनमें नई नई समस्याएं किसानों के सामने खड़ी हो रही हैं। एक तो क्वेश्चन अवर में कुओं का सवाल आया था कि जो कुए है बने हुए वह जमीन जिसकी चाही है, किसान लगान दे रहा हो वह कुआ विल गो विथ दी लैंड। पर इस बन्दोबस्त में कुए बड़ी तादाद में जो इन्ट्रीगेशन से भी पहले के बने है, उनका सिवाय चक घोषित कर दिया है। एक नया इन्नोवेशन क्रीएट किया टीनेन्सी एक्ट में। किसान का अधिकार है चाही जमीन है, पर कुआ सरकार का है। वरना सबूत दिखाओ। अब रेगुलेराइजेशन के लिए नामीनल फीस २५ रुपये ही क्यों न हो, उससे लिया जा रहा है। इसके जरिये किसान का जबर्दस्त शोषण हो रहा है। अलवर भरतपुर में जहां खालसा जमीन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के रूप में कोई जमीन नहीं थी, बिस्वेदारों की थी या जागीरदारों की थी तो जो भी कुए इनमें बनाये गए लैंण्ड रिफार्म्स से पहले वे या तो बिस्वेदारों ने या माफीदारों ने या जागीरदारों ने बनाये। सरकार के द्वारा बनाये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर इन कुओं को भी कैसे सिवाय चक के घोषित किया ? इससे किसान की जान को कई नये मुकद्दमे खड़े कर दिये। यह २५ रुपया ही वसूल करना था तो इसे लगान के साथ वसूल कर लेते तो ठीक था। हैरेसमेन्ट तो नहीं होता। तहसीलदार कहता है २५ रुपया जमा कराने यहां आओ। वहां जाता है तो वह पेशियां डालेगा न जाने कितने देवी देवता उसको पूजने पौड़ेंगे। इस सब में १०० रुपये में भी उसका पीछा नहीं छूटता और महीनों मारे मारे फिरना पड़ता है।

अव्वल तो यह सिवाय चक घोषित करने का बन्दोबस्त विभाग ने नया इन्नोवेशन किया है, गलत है। और किया भी तो पटवारी डिमाण्ड स्लिप के साथ वसूल कर ले और इस पर इसका नामान्तरण कर दिया जावे। अदालतों में तहसीलदारों के यहां मुकदमें लड़कर इसको लेने की व्यवस्था खत्म कर देना चाहिये !

उपाध्यक्ष महोदय, इम्प्रूवमेन्ट के सम्बन्ध में मैं थोड़ा और निवेदन करदूं। मकान किसान अपने रहने उठने बैठने के लिये बनाता है वह टीनेन्सी एक्ट में इम्प्रूवमेंट की शक्ल में आता है पर आज सरकार की तरफ से धारा ९०।९१ के तहत तहसीलदार के जरिये किसान पर इस मकान बनाने के मामले में इतने हजारों मुकदमें जगह जगह पर चल रहे हैं और कहीं कहीं पर तो उनके मकान तुड़वाने के आदेश भी दे दिये गये हैं चाहे फिर आपकी सरकार की तरफ से उनको रेगुलेराइज करने के आदेश भी निकल गये हों। चाहे कुछ भी हो। पर इस तरह के मुकद्दमे जिलों जिलों में किसानों पर चलाये जा रहे हैं। हरेक के वश की बात नहीं कि ऊपर अपील में जावे। किसान यह महसूस करता है कि यहीं कुछ ले दे कर मामला खत्म करो। आगे कोई सुनने वाला नहीं है फिजूल में और परेशानी होगी। अभी चुरू जिले में दूधवाखारा गांव में १६५ घरों से किसानों को बेदखल करने का तहसीलदार ने आर्डर निकाला है। वहां पर किसानों ने गैर मुमकिन जमीन में अपने मकान बना लिये थे। तालाब बना लिये। पानी इकट्ठा किया जाता है, वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। पचास मकानों में तालाब बने हैं, उनको वहां से बेदखल करने मकानों को तुड़वाने का २० दिसम्बर को-आर्डर दिया है। सरकार को इस तरह की छोटे अफसरों की कार्यवाहियों को रोकना चाहिये। लैंड रेवेन्यू-ला कमीशन ने खुद रिकमण्ड किया है कि ५८ तक के जहां पर भी किसानों ने अपने रिहायशी मकान बनाये हैं उन सबको रेगुलेराइज मान लिया जावे। इसी प्रकार की रिकमण्डेशन नये लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी है। तो मैं कहूंगा राजस्थान में इस तरह के सारे केसों को सामान्य तौर से रेगुलेराइज किया जाय और जो भी मकान तुड़वाने के बेदखकल करने के आदेश हैं वे रद्द किये जावें एवं दूसरा आर्डर नहीं निकले तब तक कार्यवाही आगे न की जावे।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सारे जिलों में ऐसे कई केस चल रहे हैं और तहसीलदार साहब इस बात में अपने आपको बड़ा प्रशंसापात्र मानते हैं कि सरकार को वे जमीनों से इस प्रकार सबसे ज्यादा रकम वसूल करके दे रहे हैं।

इसी तरह किसान अपने मकान और कुए बनाने के लिये ईंटों के भट्टे बनाता है केवल अपने इस्तेमाल के लिये

श्री उपाध्यक्ष: समय काफी हो गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केवल एक बात कहकर समाप्त करता हूँ।

जारत के लिये नहीं उसको यह कहकर कि एग्रो नान एग्रो परपज के लिये यह है और यह कह कर जुर्माना किया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह मंशा सरकार की भी नहीं है कानून की भी नहीं है। किसान का यह भी कहना है कि एक बार जमीन पर ईंटें पका ली जावें तो फसल भी खराब नहीं होगी। यह जो इलाका है वह फिर रेगिस्तानी इलाका है जहां पर केवल एक फसल होती है। तो कोई इससे फसल को भी नुकसान नहीं होता। पर मेरी जानकारी के अनुसार चूरू जिले में हजारों किसानों पर इस के लिये जुर्माने किये गये हैं। हजारों केस चल रहे हैं। इस प्रकार की भी स्थिति है कि एक खेत में पानी है तो दूसरे खेत वाला उसे कहता है कि मेरे खेत में पानी नहीं है तो जिस खेत में पानी है उसको कहकर उसके खेत में ईंटें थाप लेता है और वहीं पका लेता है तो टेकनिकली तो उसका खेत नहीं होकर दूसरे का होता है तो इस बिना पर आफेन्स में मदद करता है यह कहकर भी जुर्माने किये गये हैं। और पानी नहीं है किसी किसान के पास तो मजबूरन पानी के कारण भी उसको ऐसा करना पड़ता है। तो ये जुर्माने बन्द किये जाने चाहिये। मेरा तो ख्याल है कि नान एग्रो परपज को डेफीनेशन में यह बात नहीं आती। तो सरकार इस पर विचार करे। और मौजूदा कानून इसे नान एग्रो परपज माने भी तो इस सिलसिले में इस कानून में तब्दीली करनी चाहिये। बातें तो और भी कहनी हैं पर समयाभाव से इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिन विभागों की चर्चा हो रही है उसमें एक बात मैं भू-राजस्व के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ और दूसरी बात जो है सामुदायिक विकास योजनाओं के बारे में अर्ज करूंगा। भू–राजस्व के बारे में मुझे सबसे बड़ी शिकायत यह है कि हम यह उम्मीद करते थे कि सेटिलमेंट डिपार्टमेंट से किसानों को राहत मिलेगी और सरकार को फायदा पहुँचेगा लेकिन उपाध्यक्ष जी, अगर सदन के माननीय सदस्य मेरी बात पर विश्वास करते हैं तो मैं इमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसान को इससे सबसे बड़ी तबाही आई है। मेरी जानकारी सेटिलमेंट डिपार्टमेंट से आई है इसलिये मैं आज विश्वास से कह सकता हूं सेटिलमेंट डिपार्टमेंट को समाप्त किये जाने से किसानों का फायदा है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अर्ज करूं—एक पहले सेटलमेंट कमिश्नर थे उनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा सेटिलमेंट में तबाही हो रही है। इससे सरकार को केवल चार लाख का फायदा होता है और हमको उस पर ४० हजार खर्च करने पड़ते हैं। सरकार को कोई फायदा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने लिख दिया है कि सेटिलमेंट को समाप्त किया जाना चाहिए। मैंने बजट को जो देखा तो उसमें ५५ लाख का खर्चा है इस साल।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान को मेरे इलाके में—अलवर में किस कदर परेशानी हुई है। हमारा एरिया जो सेटिलमेंट के लिये मशहूर है, कई बार जिन्होंने सेटिलमेंट कराया उस सेटिलमेंट एरिया को एक तरफ डालकर तबाह कर दिया। आप देख लीजिये वे अपील कर रहे हैं। काफी परेशानी हो गई। आपको अर्ज करूं ये जो चाही जमीनें हैं उनको सिवाय चक में दिखला दिया। कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके अन्दर शिकायत न हो। माल मन्त्री महोदय से शिकायत की तो उन्होंने अपने रेवेन्यू बोर्ड के एक सदस्य को भेजकर जांच कराई और उनको सबूत कर दिया है कि कोई गांव ऐसा नहीं है जहां सेटिलमेंट ठीक हुआ हो। और इसी तरह से हरएक तहसील में जहां सेटिलमेंट हुआ है तबाही हुई है। इस सेटिलमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे यहां के किसान तो दो—चार बीघा के काश्तकार हैं। जमीन का लगान दे रहे हैं सेटिलमेंट का सवाल ही नहीं उठता है। २० साल में जमीनों का लगान दूना करना चाहते हैं—मेरे पास सैंकड़ों मिसालें मौजूद हैं उनको नहीं माना, उन्हें कहा गया सेटिलमेंट पेश करो। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम पड़ता था कि बहुत बड़ी लूट हो रही है और गवर्नमेन्ट में कोई देखने वाला नहीं है। कैसेज को बजाय सुधारने के बिगाड़ रहे हैं। आप विश्वास करें इस बात को कोई इमेजिन नहीं कर सकता। किसान की लूट हो रही है सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब किसान खासतौर से हरिजन उनके पास जो जमीनें थीं उनकी जमीनों को सेटिलमेंट से मिलकर अपने नाम करालो और सब बिना जमीन के हो गये। सब नये सिरे से दावे कर रहे हैं। इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। आपको लगान बढाना है तो आप सर्वे कराकर करा लीजिये। बाकी जनता का जहां तक सम्बन्ध है—सेटिलमेंट की आवश्यकता नहीं है। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान की बहुत ज्यादा तबाही हो गई है। यह हमारे यहां का किसान है जो बर्दाश्त करता है। यह उन पर बिना वजह ओले पड़ गये हैं। बहुत से गरीब काश्तकार हैं आप उनकी इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी करा लीजिये उनको मुकदमें लड़ते लड़ते दो साल हो गये लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मेरी अकेला तहसील में १० हजार एकड़ भूमि जो सिवाय चक में थी इन लोगों के कारण बहुत कम जमीन बाकी बची है। उन्होंने मुझे बुलाया इतनी फाइलें इकट्ठी हो गई जिनको देखने वाला मुश्किल है। इस तरह से उसकी वजह से जितनी सरकारी जमीनें थीं उन बड़ी बड़ी जमीनों को अपने नाम से करवा लिया, उन पर कब्जा कर लिया। गरीबों का कोई धनीधोरी नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा शिकायत लैण्ड लेस हरिजनों की है, जो जमीन उनको मिलने वाली

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

थी वह कतई नहीं मिली वे रोते रह गये। एक गांव में १०० बीघा जमीन थी हरिजनों की, ८-१० साल से लड़ रहे थे। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी का मामला है वे रेवेन्यू बोर्ड में लड़कर आये हैं। वह अभी तहसीलदार के पास पड़ा हुआ है, मर गया सो मर गया और जी गया सो जी गया। यह धांधली है, मैंने ये बातें कहीं अब दूसरी बात सामुदायिक विकास योजना पर है। उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं। उसके बारे में मेरी धारणा निश्चित है। इस योजना से कोई लाभ नहीं है जिस उद्देश्य से ये पंचायत समितियां और जिला परिषदें बनी हैं वह लक्ष्य कतई पूरा नहीं होता है। इससे पब्लिक की परेशानी बढ़ती जा रही है और सरकार दिनों दिन अपने राजनैतिक लक्ष्यों को बनाती जा रही है। गान्धीजी ने कांग्रेस को जन्म दिया पं० नेहरू ने उसकी ज्योति जलाई थी। पंचायत राज संस्थाओं को जन्म देते हुये कहा था हमारा राज्य ग्राम राज्य होगा। इस सदन में कहने का कोई लाभ नहीं है कितना ही कहा जाय कोई असर नहीं होता। मैं समझता हूं मिनिस्टर महोदय इसका जवाब देंगे। अब इन संस्थाओं की आवश्यकता नहीं है। जिन लक्ष्यों को लेकर हमने बनाया है वह पूरा नहीं हो रहा है बल्कि उल्टी दिशा में जा रहा है। पंचायत राज संस्था और जिला परिषदों के पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि मास्टरों के तबादले करें और भ्रष्टाचार फैलायें और कोई मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर पहुँच जाय तो उसकी चापलूसी करें इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। हम यह उम्मीद करते थे हमारे देश में ये क्रान्ति लायेंगे। हम डीसेन्टरेलाइजेशन करके पावर जनता को देना चाहते हैं और स्वराज्य को गांव गांव में पहुंचाना चाहते हैं जो हमारी आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति लाने का वाहन बनेगी। मैं बहुत सी बातें कह नहीं सकता आप करने वाले नहीं, बहुत से ऐसे आदमी हैं वे तो इस सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिये आप उस बात को मत कहिये लेकिन किस कदर भ्रष्टाचार और अनाचार फैला हुआ है। मेरा पंचायत राज संस्था से काफी सम्बन्ध रहा है। और मैंने इस पंचायती राज संस्था को बहुत इज्जत की नजर से देखा और मैंने उसूलों के बिना कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख होता है। एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं कि एक सरपंच है जो कि कांग्रेसी एम०एल०ए० का रिश्तेदार है और एक रिश्तेदार उसका विरोधी पक्ष का एम०एल०ए० है। उस सरपंच को सस्पेन्ड हुए दो साल हो गए और उसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब समझ गये होंगे, मुझे बतानें की आवश्यकता नहीं है कि मैं किस सरपंच के बारे में कह रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूँ कि सिर्फ अपना राजनैतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए यह पंचायत समिति और जिला परिषदों का एग्जिस्टेन्स है। इसके अलावा और कोई एग्जिस्टेन्स नहीं है। यह जो इनके ऊपर ३॥। करोड़ रुपये का खर्चा है यह बिलकुल बेकार है।

एक हमारे यहां डिप्टी मिनिस्टर हैं अलवर जिले के। १९६७ के चुनावों के बाद एक नये सितारे का उदय हुआ है। उपाध्यक्ष

Page No 157

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

महोदय, एक बार हम लोग बैठे हुए थे यहाँ से एक डिमाण्ड निकली अकाल सहायता के बारे में। उस समय मेरे भी दस्तखत निकले और रामानन्द जी के भी दस्तखत निकले। कहा गया कि 4 में से २ दस्तखत अलवर वाले के हैं। उनमें से एक तो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर और दूसरा बी० के० डी० का। लोगों ने कहा कि एक नये सितारे का उदय हुआ है। लोगों ने कहा कि ६७ के बाद तो वही थे जिन्होंने अपने दल का बदलाव किया।

श्री नत्थीसिंह : आखिर तो समर्थ हैं वह।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो नेता है। वह एक बार अपनी तहसील में पहुँचे और वहाँ सरपंच का चुनाव होने को था और उस चुनाव में उनकी पार्टी के लोग देर से पहुँचे। देरी से पहुँचने के कारण वहां पर सरपंच का चुनाव सम्पन्न हो चुका था क्योंकि एक ही का नाम आया और उसको यूनानीमसली चुन लिया गया। उन उपमंत्री महोदय ने तहसीलदार को बुलाया और कहाँ कि तुमने सरपंच का चुनाव करा दिया। उसने कहा कि मैंने तो करा दिया क्योंकि और कोई उम्मीदवार था नहीं इसलिए उसको यूनेनीमसली डिक्लेयर कर दिया। तो उन डिप्टी मिनिस्टर साहब ने तहसीलदार को कहा कि आप इस चुनाव को रद्द कर दो और दुबारा चुनाव कराओ। तो तहसीलदार ने कहा कि अब में नहीं करा सकता क्योंकि मैंने ऐलान कर दिया है। डिप्टी मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरा हुकम है कि इस चुनाव को रद्द करदो और दुबारा कराओ और अगर मेरा हुकम नहीं माना तो इसके बुरे परिणाम होंगे। वह राजगढ़ तहसील का तहसीलदार है। मैं बनावटी बात नहीं कह रहा हूं। तहसीलदार ने खुद ने कहा है कि इसलिए मेरा तबादला हुआ और ६ महीने तक वह तहसीलदार डोलता रहा। वह आज अलवर तहसील के अन्दर मौजूद है और भी बहुत सी बातें हैं। जितने दल बदलू डिप्टी मिनिस्टर हैं और एक मिसाल देता हूँ। एक झालावाड़ के डिप्टी मिनिस्टर हैं। वह महीने में २० दिन तो वहीं रहते हैं। उनके पास सिवाय खिलाफ पार्टी के जितने पंच हैं या सरपंच हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के और कोई काम नहीं है—जैसे मुकद्दमे चलाने हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाने हैं। इस तरह की बहुत सी शिकायतें आरही हैं। अगर आप इन्डिपेन्डेन्ट कमीशन मुकर्रर करें तो मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि पूरे कोटा जिले में दो सीटों से जीतकर आये हैं और वह अब दल बदल कर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यह सब आदमी कांग्रेसी होजायें और जबरदस्ती मुकदमे लोगों पर लगाये। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने पंचों और सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही कराने का बीड़ा उठा रखा है। यह तो कांग्रेस का राज्य फैलाने की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कल भी जिक्र आया था कि एक प्रधान हैं जिनके ऊपर हमारे मिनिस्टर साहब की बहुत मेहरबानी है वह अलवर शहर के अन्दर जुआ खेलते हुए पकड़े गए। उनकी पार्टी के भी लोग थे। मुझे पता नहीं फिर क्या हुआ। लेकिन आम तौर से

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

लोग बहुत शिकायतें करते हैं। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, एक मर्डर केस में शिकायत की गई थी। एक गरीब कुम्हार को, प्रधान का असर है इसलिए उसको परेशान किया जा रहा है, और कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। सरकार का उनको प्रोटेक्शन है इसीलिए प्रधान मनमानी करता है। इसी तरह से एक जगह नहीं अनेकों जगह में समझता हूँ कि सारे राजस्थान में यह परिस्थिति है।

एक माननीय सदस्य : अलवर में भी कुम्हार की यह हालत है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें शक नहीं कि सरकार इन संस्थाओं को एक टूल बनाकर रखना चाहती है। सरकार चुनाव का प्रचार करने के लिए अपने एजेन्ट बनाना चाहती है और सरकार चाहती है कि इनमें जो स्वावलम्बन की और आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए थी वह न हो। बल्कि यह उन भावनाओं के विपरीत है इसलिए और भावनाओं के विपरीत है जनता का विश्वास इसमें से निकल गया है। पंचायती राज संस्थाओं को जिस तरह डीसेन्ट्रलाइज किया अगर इसको समाप्त कर दिया जाये तो मैं समझता हूँ कि यह सरकार की तरफ से बहुत बड़ी सेवा होगी। यह ३॥। करोड़ रुपये बच जायेंगे। लेकिन हां, सरकार को यह जरूर खतरा है कि कांग्रेस का प्रचार करने वाले और चापलूसी करने वाले यह जो सरकार इनको टूल बनाना चाहती है वह नहीं रहेंगे। यह दूसरी बात है।

मैं इन दोनों बातों के बारे में इसलिए नहीं कहता कि मुझे अपनी पार्टी की तरफ से बोलना पड़ता है। मैं तो बहुत कम बोलता हूँ। बेरी कमीशन के लिए भी मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि बेरी साहब की इन्टीग्रिटी के बारे में यहाँ कुछ बातें कही गयीं। मैं महसूस करता हूं। मैंने जानकारी की और मुझे महसूस हुआ इसलिए मैं सरकार की नोटिस में ये बातें लाया हूँ। मगर साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि इसका कोई असर नहीं होने वाला है। यह जो कांग्रेस के सदस्य बैठे हुए हैं—अभी माननीय सदस्य श्री हंसराज जी आर्य ने बड़े दुख की बात कही थी। आर्य साहब हम तो २० साल से सुनते आ रहे हैं लेकिन आपका स्वार्थ कांग्रेस के साथ में है इसलिए आप कांग्रेस के साथ बोलते भी हैं और आपके मन में दुख भी हैं। आप फुंकार भी मारते हैं लेकिन उससे भी काम चलने वाला नहीं है। आप उनके साथ हाथ उठाते हैं। आपके यहाँ ज्यादती किसानों के साथ हुई है। आप कहते हैं कि हम क्या करें। मैं कहता हूं आपके साथ में १ लाख जनता की आवाज है। उन्होंने आपको चुनकर भेजा है। आपके हाथों में बड़ी ताकत है। अगर आपके हाथ में शक्ति है और आप में चापलूसी की बात नहीं है तो फिर आप इधर नहीं बैठेंगे।

श्री हंसराज आर्य : आपसे चलता नजर नहीं आया इसलिए ऐसा है।

श्री नत्थीसिंह : इसका मतलब आप मजबूरी में बैठे हैं वहां पर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रस्सी एक दिन में नहीं टूटा करती है। उसके कुछ कुछ धागे टूटते जा रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेकर मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरी दोनों बातों पर विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द कटेवा।

मूलचन्द कटेवा : उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास योजनाओं के बारे में कुछ मेरे कटौती प्रस्ताव हैं........

श्री रामचन्द्र आर्य : सुखाड़िया जी की कुर्सी के पाये।

श्री मूलचन्द कटेवा : जिस समय यह पंचायती राज लागू किया गया उस समय बताया गया कि ग्रामों को ग्राम का राज दिया जा रहा है और जो गांव पिछड़े हुए हैं वह आगे आयेंगे और उनका विकास होगा। लेकिन वह बात आज सही नहीं मालूम हो रही है। आज जहां ग्रामों को ग्रामराज देने की बात कही जाती थी वहां आज ग्रामों के अन्दर घर घर के अन्दर पंचायती राज के कारण फूट पैदा हुई। जिन पंचायतों को ग्रामों को विकास करने को बनाया गया था लोग यह सोचते थे कि इनके जरिये से ग्रामों का विकास होगा वह पंचायत समितियाँ आज घोटालों के अड्डे बन गयी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने झुंझुनूं जिले की चिड़ावा पंचायत समिति के १,१५,५०० रुपये के गबन का और सूरजगढ़ पंचायत समिति के १,७६,००० रुपये के गबन का और भुवाना पंचायत समिति के १,८०,००० रुपये का मामला रखना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आपको विस्तृत जानकारी दूं मैं हाउस के माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि पंचायत समितियों की तरफ से जो अनुदान दिये जाते हैं उनके लिए कुछ नियम हैं। पहला नियम यह है कि जिस पंचायत क्षेत्र के अन्दर किसी अनुदान की राशि की आवश्यकता होती है वह पंचायत उसके लिए रेज्योल्यूशन पास करती है, और न वह रिजोल्यूशन सिर्फ बहुमत से होता है बल्कि दो-तिहाई मत से वह रिजोल्यूशन पास किया जाता है। उसके बाद सरपंच पंचायत समिति को आवेदनपत्र देता है। उस आवेदन पत्र पर जो ओवरसियर, ए० ई०एन०या एक्स०ई०एन० जो भी अधिकारी उसके लिए अधिकृत होता है उसके द्वारा एस्टीमेट बनाये जाते हैं। उसके बाद मामला यदि ५ हजार की धनराशि से ज्यादा का होता है तो पंचायत समिति में आता है और उसके बाद में स्वीकृति प्रदान की जाती है और किश्तों में उसको दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके सामने और सदन के सामने चिड़ावा पंचायत समिति में १,१५,००० रुपये के गबन का मामला रखता हूँ। चिड़ावा पंचायत समिति ने श्री मती इन्दिरा गांधी बालिका निकेतन के लिए अनुदान की १,०५,००० की धनराशि, ८० हजार रुपये की धनराशि स्कूल भवन बनाने के लिए और १३,५०० रु०की धनराशि हास्पिटल की इमारत बनाने के लिए दी है। उपाध्यक्ष महोदय, इन पेमेंन्ट्स

(श्री मूलचन्द कटेवा)

के बारे में सारी की सारी ये अनियमितताएं हुई हैं, और मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि इन सभी रकमों में से १,१५, ५०० रुपयों की रकम में से एक नया पैसा भी खर्च नहीं हुआ है।

सबसे पहले ४१ हजार रुपये की रकम का पैमेन्ट किया गया है। इस रकम के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि यह रकम खर्च नहीं की गई और दूसरा साल शुरु हो गया। दूसरा साल शुरु हुआ तो इस बात को सोचा गया कि किस तरह से और धनराशि को पंचायत समिति से उठाया जाय। इसलिए इस बात की आवश्यकता पड़ी कि इस ४१ हजार की रकम के खर्चे का प्रमाणपत्र लिया जाय। उस समय वहां कृष्णमुरारी नाम के ओवरसियर थे। उन पर इस बात का दबाव दिया गया कि इसका प्रमाणपत्र दो कि ४१ हजार रुपया खर्च हो चुका है। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वह इस बात को जानता था कि एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ है तो उस ओवरसियर को मारने की धमकी दी गई। एक रोज उसके क्वार्टर को हमारे जिला प्रमुख शीशरामजी ओला और पंचायत समिति की प्रधान सुधा देवी और विकास अधिकारी ने घेर लिया सुबह सुबह ही उसने कहा किसी तरह से टट्टी जाने के बाद प्रमाणपत्र जारी कर दूंगा। वह बेचारा क्वार्टर के पीछे की गली से दौड़कर बाहर गया और उस समय से उसको डर हो गया कि अगर इस पंचायत समिति में उसको रहना होगा तो झूठा प्रमाणपत्र देना होगा और अगर नहीं देगा तो जान का खतरा है तो वह जयपुर आया और सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर को सारी हकीकत बताई और जिले में गया तो जिला क्लेक्टर को सारी बातें लिखकर बताई लेकिन उसकी कोई सुनाई की बात नहीं हुई। आखिर वह ओवरसियर वहां नहीं गया और उसका स्थानान्तरण कर दिया गया। तो उसके बाद यह सोचा गया कि किस तरह से इस रुपये का प्रमाणपत्र लिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि पी. डब्लू. डी. विभाग को कोई अधिकार नहीं है कि वह पंचायत समिति को कोई प्रमाणपत्र दे, लेकिन वे ५१ हजार की रकम का झूठा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए झुंझुनूं जिले के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, पी. डब्लू. डी. को कहा गया....

श्री रामचन्द्र आर्य : वे आपके पदचिन्हों पर चल रहे हैं।

श्री मूलचन्द कटेवा : जब पी. डब्लू. डी. इन्जीनियर के दफ्तर में वे कागजात थे तो दफ्तर की तरफ से यह नोट दिया गया कि काम के बारे में मैजरमेंट भी नहीं है इसलिए यहां से युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया।

इसके बाद ४६ हजार की रकम और भवन निर्माण के नाम से पंचायत समिति से उठाई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि विकास विभाग का यह नियम है कि किसी भी एक ऐसे स्कूल को जो प्राथमिक शाला से ऊंचे दर्जे का हो उसको कुल मिलाकर ५ हजार

(श्री मूलचन्द कटेवा)

से अधिक की धन राशि नहीं दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए ८६ हजार की धन-राशि गई है, और उस धन राशि के जाने के पहले न तो किसी पंचायत का प्रस्ताव आया, न कोई किसी की एप्लीकेशन आई, न कोई एस्टीमेट बना, और २३ हजार की पहली किश्त उठा ली गई। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि २३ हजार की रकम उठाने के सात दिन के बाद २० हजार रुपये की रकम और उठा ली गई, इसी तरह से ७ दिन के बाद तीन हजार की रकम और उठा ली गई। न तो इसका कोई एस्टीमेट है, न पहले की किश्त की रकम के खर्चे का कोई हिसाब है, और इस तरह से ४६ हजार रुपये की रकम उठा ली गई और गबन कर ली गई।

इसी तरह से एक डिस्पेन्सरी के लिए १३,५०० रु० की रकम उठाई गई है। इसके लिए भी न कोई पंचायत का रिजोल्यूशन है, न किसी की दरख्वास्त है और न कोई मेजूरी है। यह भी दो किश्तों के अन्दर रकम उठाई गई है। पहली किश्त दिनांक १०-९-६८ को साढ़े सात हजार रुपयों की उठाई गई है और दूसरी किश्त २१-९-६८ को ६ हजार रुपयों की उठाई गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ४६ हजार की रकम के बारे में और इस साढ़े १३हजार की रकम के बारे में पंचायत समिति की कोई स्वीकृति नहीं है। न किसी स्थाई समिति ने यह रकम उठाने के लिए स्वीकृति दी है, न पंचायत समिति ने इस बात की स्वीकृति दी है. और सारी की सारी रकम दो तीन किश्तों में जो है वह उठा ली गई है। इसके बारे में उनको यह फिक्र हुआ है कि यह मामला पंचायत समिति की मिटिंग में न आजाय इसलिए मौजूदा ओवरसियर को तंग किया गया कि आप इस रकम का युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दें, लेकिन इस ओवरसियर ने इन्कार कर दिया तो उसकी तनख्वाह बन्द कर दी गई और उसको काफी धमकियां दी गई। उपाध्यक्ष महोदय जो ओवरसियर की तरफ से राज्य सरकार के संयुक्त विकास आयुक्त को जो पत्र भेजा गया है वह पत्र में पढकर हाउस के सामने सुनाना चाहता हूँ, जिससे पंचायत समिति के घोटालों का दिग्दर्शन होगा—

श्रीमान् अतिरिक्त विकास आयुक्त,
जयपुर, (राजस्थान)

पत्र क्रमांक १५।६९ दिनांक १२-२-६९

विषय—पंचायत समिति चिड़ावा द्वारा अनियमित अनुदान राशि का भुगतान।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इस पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायतों को स्कूल एवं कूप निर्माण हेतु दिनांक २४-१-६९ को अनुदान राशि वितरण की गई है जिसमें गम्भीर अनियमितायें हैं जिनको जानबूझकर किया गया है। मैं इस

(श्री मूलचन्द कटेवा)

सम्बन्ध में आपकी सेवा में सूचना भेजना अपना कर्त्तव्य व राजहित की रक्षा करना समझता हूं।

(१. करीब १५०००) अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि किस किस पंचायत को यह राशि दी गई है। इसका तरीका तो यह था कि जिन पंचायतों को प्रथम किश्त दी जानी थी उन पंचायतों का स्वीकृत प्रस्ताव आता है और उसके उपरांत मेरे द्वारा (अधिदर्शक) तखमीना तैयार होकर स्थाई समिति के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाते और स्वीकृति के उपरांत ही अनुदान राशि दी जाती। जिन पंचायतों को दूसरी किश्त का भुगतान होना था उनके पूर्व कार्यों की पूर्ण जांच व हिसाब आदि की जानकारी के पश्चात् ही अधिदर्शक द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र देने के बाद दूसरी किश्त की रकम दी जानी चाहिए थी, किन्तु ऐसा नहीं हुआ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सदन की मेज पर रखदें ताकि आपका समय खराब नहीं हो।

श्री मूलचंद कटेवा : मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

जिससे मुझे अपनी नौकरी का दायित्व निभाने से भी वंचित रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय आधा घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री मूलचन्द कटेवा : मेरी दृष्टि में कुछ कार्य ऐसे हैं जिनकी प्रथम किश्त का अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ है अर्थात् कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ और उन्हें दूसरी किश्त का भुगतान कर दिया गया है।

उदाहरणार्थ—

१—ओजटू प्राइमरी स्कूल भवन।

२—नवकूप मंगल के घर के पास केहरपुरा कलां।

३-स्कूल भवन भूडन्दा खुर्द।

(२) जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं उनकी सन् ६८-६९ की फाइलें अथवा अनुदान कार्यों की सूची भी मुझे नहीं दी गई है जिसमें उनका भौतिक सत्यापन अथवा निरीक्षण कर सकूं जब कि नियम यह है कि चालू कार्य को तीन चार बार देखना आवश्यक है।

(३) सन् ६८-६९ में इन्दिरा गांधी पाठशाला अरडावता के भवन-निर्माण हेतु ४६०००) इस कार्यालय (पंचायत समिति) से दिया गया है जिसकी तीनों किश्तें पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर ही दे दी गई है। जिनकी रकम क्रमशः २३०००) रु० है।

श्री उपाध्यक्ष : यह पत्र बहुत लम्बा मालूम पड़ता है इसलिए इस पत्र को सदन की मेज पर रख दिया जाय, अगर आप चाहते हैं कि रिकार्ड में आजाय तो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि इस संस्था का नेतृत्व कौन करता है?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

: आर्डर, आर्डर। माननीय श्री गाड़िया जी !

श्री मूलचन्द कटेवा : यह जानकारी करने के लिए कहा गया है । इस स्कूल का संचालन कौन करते हैं । इसके संस्थापक भूतपूर्व विधायक श्री शीशराम ओला हैं व व्यवस्थापक चिड़ावा पंचायत की सुधादेवी प्रधान है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक जानकारी देना चाहता हूं कि २४–१–६९ को १५ हजार रुपया सरपंचों को भुगतान किया गया है । यह कागज में भुगतान किया गया है किसी को भी रकम नहीं दी गई है । यह कह कर लिये गये हैं कि शीशराम को टौंक का उप-चुनाव लड़ना है । (शेम–शेम)

कहा गया कि १ लाख रुपया चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठा करना है। उपाध्यक्ष महोदय, न तो पंचायत समिति का प्रस्ताव ही था न कोई और कागज ही । बस कागज में भुगतान करके रकम दी गई है । इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय,मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि १ लाख ८० हजार रु. का गबन भुवाना पंचायत समिति के खिलाफ है । उपाध्यक्ष महोदय यह किस प्रकार हुआ । जाँच रिपोर्ट आयी कि प्रधान के खिलाफ मुकदमा चलाया जाये रिकवरी की जाये । उन्हें उनके पद से हटाया जाये। लेकिन यह मुझे भी पता नहीं कि फायल पांच वर्ष से क्या हुई। सूरजगढ़ पंचायत समिति में १ लाख रु० का दुरुपयोग किया गया । पंचायत समिति के प्रधान जी के झगड़े में सिर में चोट आ गई ।

श्री रामचन्द्र आर्य : भाषण वही है ।

श्री मूलचन्द कटेवा : प्रधान जी से यह कहा गया कि आपका दिमाग सही काम नहीं करता है अतः आपको हटायेंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो १ लाख रु० तुम खाओ पियो मुझे क्यों हटाते हो। इस तरह से १ लाख ३० हजार की धनराशि जो सन् ६० से लेकर आज तक कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है । न किसी प्रकार का हिसाब आया है । उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ५६ हजार को धनराशि बोरों के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके कटौती प्रस्ताव में नहीं दिया गया है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पंचायत समिति का गबन है ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इनके कटौती प्रस्ताव में नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : कटमोशन में नहीं है ।

श्री मूलचन्द कटेवा : इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह मांग करूंगा कि जिस समय आप अपने विभाग का जवाब दें, उस समय इस बात का आश्वासन दें कि वह एक कमीशन बैठाकर तीनों पंचायत समितियों की जांच करायेंगे । जहां तक चिड़ावा की ४१ हजार रुपये की रकम का सम्बन्ध है, वह अतिरिक्त विकास आयुक्त को मालूम है । वह उस समय झुंझुनू जिले में कलेक्टर थे । एक एक पैसे के सम्बन्ध में मालूम है । यही कारण था कि आगे की बाकी रकम

Page No 164

(श्री मूलचन्द कटेवा)

उन्होंने देने में काफी रुकावट डाली थी। लेकिन उनका वश चला नहीं। सरकार को जिला परिषद के द्वारा यह रकम देने का आदेश हो गया। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूँगा कि वह जिले के किसी अधिकारी से यह इन्क्वायरी न करायें। जयपुर के किसी अधिकारी से जांच करायें। चिड़ावा पंचायत समिति के विकास अधिकारी का चार दफा ट्रांसफर हो चुका है। चारों दफा कैंसिल करा लिया जाता है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उनका यह मानना है कि अगर यह विकास अधिकारी यहां से गया तो सारे रहस्य मालूम हो जायेंगे। चिड़ावा पंचायत समिति में और भी लाखों रुपयों का घोटाला है। इसके अलावा मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि वहां एक जीप गाड़ी रहती थी। अच्छा काम दे रही थी। लेकिन एक और जीप खरीद ली गई है। वह यहां पर असेम्बली के पास खड़ी रहती है लाग बुक में बहाना यह किया जाता है कि विकास कार्यों के देखने के लिए जीप ने सफर किया है। वह इसे अपने आने जाने के काम में लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिड़ावा पंचायत समिति का कोई विकास कार्य चालू नहीं है। सवाल इस बात का उठता है कि यह पंचायत समिति की रकम कहां से आयी? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह रकम कहां से आयी है। ५० हजार रु० मास्टरों की बकाया रकम पड़ी है। ८० हजार की रकम हाउस लोन नेहरू नगर के लिए लिया गया था। आज पंचायत समिति की रोकड़ में यह दोनों रकम नहीं हैं। यह सारी को सारी किसी न किसी प्रकार अरड़ावता पहुँचा दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता!

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे अधिक अगर राजस्व विभाग से किसी को पीडा पहुँची है तो वह मांडलगढ क्षेत्र है मांडलगढ़ क्षेत्र में जितने एलाटमेंट में अनियमितता हुई है औरजितने नौसौ,नौसौ नाजायज कब्जे थे, उस के बारे में माननीय उपमन्त्रीजी ने यह स्वीकार किया है और उस पर यह चोट या पीडा है कि राजस्व मन्त्रीजी ने बालाबाला हजारों रुपए की जमीन यहाँ से ऐलाट की हैं। जब मैंने पहले दिन यह प्रश्न किया था तब डिप्टी मिनिस्टर साहब ने फर्माया था कि ऐसा नहीं हुआ है। मुझे नहीं मालूम है, या तो सत्यमेव जयते उनके सामने नहीं रहा है या मेरे सामने नहीं रहा है। अगर उपमन्त्री जी चाहें तो अभी ऐसे व्यक्तियों के नाम बता दूं। मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने नाम बताने की सूचना नहीं दी है। लेकिन शायद उपमन्त्री जी इस बात को मान गये हैं कि इस तरह के नाजायज तौर पर बालाबाला एक एक, डेढ़ डेढ़ हजार रूपये की जमीन उप मन्त्री जी ने एलाट की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सुखाड़िया जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनसे राजस्व

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

विभाग लेकर अब व्यास जी को दे दिया है। अब ऐसी बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि बालाबाला जमीन अगर एलाट होगी और पीछे के दरवाजे से कोई एलाटमेंट में आया तो मैं आपके घर पर धरना दूंगा। मै आपको निवेदन करना चाहता हूं, और मै आपको सावधान कर देना चाहता हूँ ताकि इस पर विचार करके आप ऐसा नहीं करें।

उपाध्यक्ष महोदय, एलाटमेंट में जो हाथ से खेती करने वाले हैं वह यों के यों बैठे हुए हैं और जमीन उनको मिली है जिनके पास पहले से ही जमीन है और जिन्होंने नाजायज रूप से कब्जा किया हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके आप विशेष रूप से तहसीलदार को भिजवाइये ताकि एक हजार, दो हजार नाजायज कब्जे करने वालों का और पता लगे। इसके साथ ही जो हाथ से खेती करने वाले भूमिहीन हैं वह भूमि के लिए तरस रहे हैं, उनको भूमि मिले। एलाटमेंट के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके भूदान का तरीका है उसको आप अपनाइये। उसके हिसाब से आज जब कभी जमीन का एलाटमेंट होता हैं तो गांव में रेलमपेल हो जाती है। पटवारी बैठ जाता हैं, तहसीलदार बैठ जाता है, एलाटमेंट करने वाले दैठ जाते हैं। जिस मामले में देखा जाता हैं कि यह हाथ से खेती करने वाला हैं, बिना खेत का है, उसके लिए गांव वाले सर्वसम्मति से कह देते हैं कि इसको दे दी जाय, या इसको दे दी जाय जिसके पास बड़ी जमीन नहीं है। आप भी ऐसा करेंगे तब सच्चे मायने में सुधार हो सकेगा।

एक दो लाख रुपये की जमीन नील की खेड़ी की किस तरह पटवारी ने मिल कर संयुक्त कृषि सहकारी समिति बना कर लेना चाहा, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राजस्व मन्त्री जी और भीलवाड़ा के कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वह जमीन रोक ली। तीन चार दफा नाजायज तौर पर समितियां बनाई गई लेकिन वह वहां रजिस्टर नहीं हुई। लेकिन दुर्भाग्य से यहां पर रजिस्टर हो गई। शायद माननीय शोभाराम जी इस पर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इसमें पूरा न्याय मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत राजस्व मन्त्री जी को कि कृपा करके आप देखिये किस तरह दो लाख रुपये की जमीन को हड़पने की तरकीब की जा रही है।

अब थोड़े से कुछ सुझाव मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आप पटवारियों को कम से कम उप जिले में मत रखिये। इससे क्या होता है कि उनके स्वार्थ बन जाते हैं, वह अपने रिश्तेदारों को देते हैं। आप जिले में भले ही रखें लेकिन कम से कम जिस उप जिले या तहसील का रहने वाला है, कृपा करके वहां तो न रखिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कौन सुनता है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : अपने हुकम में अगर ताकत होगी तो जरूर सुनेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं, आपका यह सुझाव बहुत उत्तम है ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : पंचायत समितियों के बारे में मैं थोड़ी बात निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने कई बार कहा है कि क्यों आपने यह २३२ सफेद हाथी बांध रखे हैं। अगर किसी ने राजस्थान का सबसे बड़ा अहित किया है तो वह पंचायत समितियों ने किया है। जो हम में इन्सेन्टिव था वह सबका सब खत्म हो गया है। लेकिन आप पंचायत समितियों को हटायेंगे नहीं यह मैं जानता हूं, क्योंकि यह आपका बड़ा आधार है। पंचायत समितियों की इस तरह की पद्धति है जिस तरह हमारे मेवाड़ के महाराणा को क्योंकि राज्य करना था इसलिए उन्होंने सौलह उमराव खड़े किये, बत्तीस उमराव खड़े किये। ठीक इसी तरह आपके लिए यह जिला परिषद सौलह उमराव हैं और पंचायत समितियां ३२ उमराव हैं। ठीक ही कहा है :

ज्यो थरप्या मेवाड़ में सोला बत्ती भूप ।
बाणु प्रमुख प्रदान रो वोरो वाही रूप ॥

एक माननीय सदस्य : वाह ! वाह !!

श्री मनोहर सिंह मेहता : अब पंचायतों को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना है, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं। उसके पहले बापू ने पंचायत राज के लिए क्या कहा है वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ :

आजादी नीचे से शुरु होनी चाहिये। हर एक गांव में जमहूरी सल्तनत या पंचायत राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका मतलब यह है कि हर गांव को अपने पैर पर खड़ा होना होगा। अपनी जरूरतें खुद पूरी करनी होंगी ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके।

सच्चा पंचायत राज तब ही होगा जब सबसे पहला और आखिरी दोनों बराबर होंगे।

यह २८-७-४६ को हरिजन सेवक संघ में उन्होंने लिखा था। आज हालत क्या है :

आयाँ पराई देश में अटक्यो कठें स्वराज ।
पहली सूं भी देखलो बढ़ी विषमता आज ।

आज विषमता बढ़ गई है। पंचायतों में जातिवाद, पार्टीबाजी, व्यक्तिगत स्वार्थ के अड्डे बने हैं। इसलिए आप ऐसा करिये पंचायतों को शक्तिशाली बनाने के लिये कि सबसे पहले तो पंचायत समिति को तोड़िये, फिर इनका सीधा सम्बन्ध जिला परिषद से जोड़िये और आपको जितनी लैंड रेवेन्यू की इन्कम मिलती है वह पूरी की पूरी रकम पचायतों को दे दीजिये, ताकि वह विकास के काम कर सकें। आज इनके पास कुछ साधन नहीं है, इसलिए न सफाई होती है, न रोशनी की व्यवस्था होती है; और न जो सांड रखा हुआ है उसके लिए व्यवस्था होती है। ऐसा लगता है कि यह सब क्या हो रहा है ?

ग्राम सभा को आप बहुत शक्तिशाली बनाइये। वह ऐसी होनी चाहिए, जिस तरह से हम लोग यहां आते हैं और यह विधान

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

सभा जितनी शक्तिशाली है उतनी ही ग्राम सभा होनी चाहिए....

एक माननीय सदस्य : यह किसने कह दिया कि विधान सभा शक्तिशाली है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जहां जहां की पंचायत दो तिहाई मत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि यहां पर शराब की दुकान बन्द होनी चाहिए वहां से शराब की दुकान को आप हटालें। एक तरफ आप कहते हैं कि पंचायत राज बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अगर पंचायत प्रबल बहुमत से प्रस्ताव पास करती है कि यहां शराब की दुकान नहीं रहनी चाहिए फिर भी वहाँ पर शराब की दुकान रखते हैं। इसके साथ ही आपने उनके सामने एक टुकड़ा फेंका है कि इसमें से टैक्स उनको देंगे। हमें अभी तक एक राज्य से ही लड़ना पड़ता था, लेकिन अब हमें पंचायतों से भी लड़ना पड़ेगा और वह भी अब यह कहेंगी कि हम अगर शराबबन्दी कर देंगे....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह गांधीजी के अनुयायी हैं मेहता जी।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मेरा निवेदन है कि पंचायतों में कोई फैसला बहुमत के आधार पर न होकर कम से कम दो तिहाई मत के आधार पर होना चाहिए और पंचायत विभाग से,जो वे रोशनी, मवेशी नस्ल सुधार आदि के प्रयत्न करें, उसमें उन्हें विशेष रूप से मदद मिलनी चाहिए। इसके अलावा जब कोई पंचायत क्षेत्र में नया मकान बनाना चाहे तो उसको मन्जूरी लेनी चाहिए और उसको मंजूरी तभी देनी चाहिए जब कि वह डाई फ्लश या फ्लश, कोई-सी लेट्रीन बनाने का वायदा करे। अगर सिर पर मेला ढोने वाली लेट्रीन बनाता है तो उसको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणाः आपके सुझाव बहुत उत्तम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर

(५.१८ सायं)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : (बनेड़ा) मैं यद्यपि राजस्व विभाग पर बोलने वाला था, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : अब अध्यक्ष हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष जी पधार गये हैं, मैं अपना भाषण.........

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इनके एक चश्मा लगवा दें।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मुझे दिख गये हैं, इसलिए ही कह रहा हूँ। चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। चश्मे के बिना आप भी नजर आ रहे हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय भी।

श्री बालसिंह सोढ़ा : धुंधली है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : धुंधली शायद आपके हैं ।

मैंने इस समय में यद्यपि राजस्व की मांग के ऊपर कटौती का प्रस्ताव नहीं दिया था, लेकिन अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बात कहीं उसके सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान पहले आकर्षित करना चाहूँगा। जनतन्त्र का मूलाधार है रूल आफ ला। एलाटमेन्ट जितने हो रहे हैं, वह सेक्शन ९१ के कैसेज जितने चल रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको और हमको मालूम है कि उन्हें समय आते ही रेगुलेराइज कर दिया जाता है। १९६१ तक के मामले, मेरा अन्दाज है, जहां तक मैं सोचता हूँ, का रेगुलेराइजेशन हो चुका है। जयपुर शहर के आस-पास के एग्रीकल्चरल लैंड के जितने सेक्शन ९१ के कैसेज चल रहे हैं, उनका इस आधार पर अगर रेगुलेराइजेशन होता रहा तो न कन्वर्शन होगा, न, एलाटमेंट आफ लैंड होगा। इसलिए हमको और आपको सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि कानून को मानना है या कानून की अवहेलना करते जायं। राज्य सरकार इर्रेगुलर को रेगुलर करते जायें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह बहुत अच्छा काम ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह सदन के सोचने का विषय है।

मेरा मूल प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव है वह पंचायत राज के सम्बन्ध में सामुदायिक विकास के लिए है। इस सदन में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी जिस उद्देश्य को लेकर पंचायत राज की स्थापना गई है वह उद्देश्य गायब हो गया है। कुछ अन्य सदस्यों ने यह कहा कि पंचायतों में, पंचायत समितियों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। कुछ उदाहरण भी उन्होंने दिये। उन उदाहरणों के सम्बन्ध में तो मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ इसलिए असमर्थ हूँ कि उदाहरणों में कहीं सचाई हो तो उनका विरोध करने के लिए मैं अपने को अक्षम पाऊं ....

लेकिन यह कहना कि कुछ पंचायत समितियों ने या पंचायत समितियों के प्रधानों ने, या किसी विकास अधिकारी ने कुछ भ्रष्टाचार किया हैं, यह पंचायती राज को खत्म करने के लिये काफी होगा, तो यह मेरे ख्याल से अन्याय होगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार आज कहां नहीं है ? इसलिए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ उदाहरण यहां सामने रखे और यह कर कि इस आधार पर पंचायतों, पंचायत समितियों और सारे पंचायती राज को ही खत्म कर दिया जाय तो हम शायद बड़ी भूल करेंगे। पंचायती राज का जो मूल आधार है, मूल उद्देश्य है वह सामुदायिक विकास योजनाओं को प्रचलित करना है। जो सोशियल ईविल्स आज गांवों में फैले हुए हैं, जो रूढ़ियां, भ्रान्तियां, गलत धारणाएं गांवों में फैली हुई हैं, उनको मिटाने के लिए यह पंचायती राज ही अच्छी तरह से काम कर सकता है। मुझे अनुभव है, गांवों में जाने का मुझे अवसर मिलता था तो लोग यह पूछ कर बड़ा आश्चर्य प्रकट करते थे कि एक चिट्ठी आई है उसमें लिखा है कि करियावर फलां

(श्री यशवंतसिंह नाहर)

तारीख का है लोगों को करियावर के दिन उनके होने पर बड़ा आश्चर्य होता था। हमारे यहां मेडिकल सर्विसेज शुरू हुईं। और जब कौलेरा आया तो लोग कौलेरा के इंजेक्शन लगवाने से डरते थे, ५००० की वस्ती के एक कस्बे के लोग कौलेरा के इंजेक्शन लगवाने के डर से डर कर ६ दिन तक जंगलो में रहे। स्माल पौक्स के इंजेक्शन लगवाने के लिए आज भी लोग तैयार नहीं हैं। इसी तरह से रासायनिक खाद देने का प्रश्न आया तो एक ही चीज सामने आई, गांवों में किसानों ने कहा कि यह राखोड़िया खाद हमारे देश का सत्यानाश कर देगा। यह सत्य है कि वह भ्रान्तियां जब से सामुदायिक योजना आई है, काफी हद तक कम हुई हैं। सत्ता और विकास योजना का विकेन्द्रियकरण ही पंचायती राज का मूल है। लूई फिशर के शब्दों में ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में बापू ने क्या कहा है, वह मैं बताना चाहता हूँ।

"Centre of power now is in New Delhi or in Calcutta and Bombay in big cities. I would have it distributed among the seven hundred thousand villages of India."

इसके आगे जयप्रकाश बाबू के स्टेटमेंट को भी मैं सदन में प्रस्तुत करूंगा।

"Thus my picture of Socialist India is the picture of economic and political democracy. In this democracy man will neither be slaves to capitalism nor to a party or the States. Man will be free."

यही नहीं विश्व के अन्य देशों में विभिन्न प्रकार के सत्ता और अर्थ का विकेन्द्रीकरण हुआ-संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रकाशित पुस्तक में यह बताया गया है कि सामुदायिक विकास कार्यों की सफलता विकेन्द्रीकरण पर आश्रित है।

एक माननीय सदस्य : इसकी कई कापियाँ निकलवा कर मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को दे दीजिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मूल आधार स्वराज्य का यह था कि गांव सत्ता के केन्द्र बन सकें और वहां से सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो वास्तव में इस आधार पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी। २ अक्टूबर १९५९ को नागौर में हमारे स्वर्गीय प्रधानमन्त्री द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था, उसका आधार यही था। फिर हमारे बाद आन्ध्र में पंचायती राज प्रारम्भ हुआ। मैं इस सदन के सामने यह निवेदन करूंगा कि हमारा पुराना दकियानूसी जो समाज है उसमें अन्धकार फैला हुआ है उस अन्धकार को मिटाने के लिए बड़ा आवश्यक है कि पंचायती राज को जीवित करें और इसको जीवित करके सामुदायिक विकास प्रारम्भ रखें। हमारे संविधान में जो आर्टिकल ४० है, उसमें यह लिखा हुआ है।

"The State shall take steps to organise village panchayats

(श्री यशवंतसिंह नाहर)

and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government,"

इसी अध्याय में आर्टिकल ३७ है। उसको पढ़कर सदन के समय को बर्बाद नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट की जितनी नजीरें हैं उनकी ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स की वही मान्यता है जो मूल अधिकारों की। यह वास्तव में देश के लिए लाभदायक है। इसलिए हमें निर्णय करना पड़ेगा कि इस पंचायती राज को सफल बनायें। पंजाब राज्य सरकार ने पंचायती राज को खत्म करने का विचार किया है। बलवन्तराय मेहता कमेटी में इस बात का विवेचन किया गया था कि भारत में पंचायती राज को किस तरह से सुदृढ़ बनाया जाय, उसकी क्या रूपरेखा हो, जिला परिषदें, पंचायतें, पंचायत समितियां इन तीनों को सशक्त बनाया जाय। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किस राज्य में इन तीनों से किसी एक को स्ट्रोंग बनाया गया है, किसी राज्य में दूसरी को स्ट्रोंग बनाया गया है और किसी राज्यमें तीसरीको स्ट्रोंग बनाया गया है अब जो नई हवा बह रही है। ओर से एतराज किया जा रहा है कि यह पंचायतें करप्शन का गढ़ बन रही हैं। ..

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : आपने स्वयं ने अपने कटौती प्रस्तावों में कहा है कि इनसे आज प्रान्त की दुर्गति हो रही है।....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैंने यह कहा है कि सामुदायिक विकास योजनाओं में जो होना चाहिये था वह नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सामुदायिक योजनाओं में हमारे एक एक गांव की जनता पूरी तरह से प्रिपेअर हो कर मन लगा कर सामुदायिक विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये कटिबद्ध हो प्रयास नहीं करेगी तब तक हमें इसमें सफलता नहीं मिलेगी। हमारे यहां रूरल डेवेलपमेंट नहीं हुआ तो हमें आशा नहीं कि डेमोक्रेटिक डीसेंटरलाइजेशन कामयाब होगा। विरोधी पक्ष और अन्य लोगों की तरफ से एतराज आते हैं कि पंचायती राज असफल हो रहा है तो हमारी सरकार भी इस ओर से उदासीन हो जाती है। मैं नहीं कह सकता कि इसके पीछे क्या राज़ है। हमारे विकास अधिकारियों को हटाने का क्या मतलब था? कृषि प्रसार अधिकारी के पास पहले से ही इतना अधिक कार्य का बोझा है। इसी तरह पशुपालन और प्रसार अधिकारी उसके ऊपर पहले से ही काफी कार्यभार है इसलिये वह शिक्षा के कार्यों के लिए और दूसरे विकास कार्यों के लिये समय नहीं दे पा रहा है। राज्य की तरफ से टीचर्स और क्लर्क्स के ट्रान्स्फर्स में ऊपर से दखल दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या राज़ है, मैं नहीं जानता, मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय उत्तर देते समय इस पर प्रकाश डालें।

(श्री यशवंतसिंह नाहर)

इसी तरह से फेमिली प्लानिंग जो कि सामुदायिक विकास योजना का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग था, उसको भुला दिया गया है, डाक्टर को फेमिली प्लानिंग का अफसर बनाकर एक डाक्टर और एक प्रबन्ध अधिकारी के बीच में नया संघर्ष पैदा किया गया । तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इन सब व्यवस्थाओं को लेकर सरकार ने पता नहीं क्या सोचा है, शायद राज्य सरकार के मन में हो कि जो पंचायत संस्थाओं को कायम किया है यह उसने बड़ी गलती की है, इसलिये शायद राज्य सरकार ने पंचायती राज की गति को धीमा कर दिया है । संभवतः इसीलिये सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो भी उसकी सिफारिशों को लागू करने में अवहेलना हुई है ।

मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि हमें वास्तविक स्वराज्य को सफल बनाना है तो पंचायती राज को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनायें और सफल बनायें ।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय जब तक मांगें पारित नहीं हो तब तक के लिए बढ़ाया जाता है ।

श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ६ भू-राजस्व पर ३ कटौती प्रस्ताव रखे हैं । इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने सीलिंग के बारे में अपने विचार व्यक्त किये, विरोधी पक्ष के एक स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य ने कहा कि बार बार जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य क्यों सीलिंग की मांग को उठाते है, यह कोई प्रेक्टिकेबल नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सीलिंग का प्रश्न कोई किसी एक सदस्य का प्रश्न नहीं है, यह राजस्थान के उन लाखों भूमिहीनों का प्रश्न है, भूमिहीन किसानों का प्रश्न है जो एक तरफ जमीन के लिए तड़फ रहे हैं और चाहते हैं कि जमीन से उन लोगों को रोटी रोजी मिले और दूसरी तरफ ऐसे लोग है जो हजारों बीघा जमीन दबाये बैठे हैं । और उस प्रकार वे प्राफिटीयरिंग का धंधा करते है । यह सही है कि कई बार यहां पर सदन में इस प्रश्न को उठाया गया । इस सत्र में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय और बजट के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया लेकिन मुझे खेद है कि राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया । इसका जवाब नहीं दिया जाय इसलिए कोई माननीय सदस्य इस मुद्दे को नहीं उठाए, यह समझ में नहीं आता । मैं माननीय सदस्य की पीड़ा को समझ सकता हूँ उनके खुद के पाली जिले में मैं बताना चाहाता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि बिसापुर, गोलीवाडा में कितनी जमीन २ हज़ार एकड़ से ज्यादा हुई ? क्योंकि समय कम है इसलिए सदन के समक्ष हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में जो सीलिंग की प्रगति है और राजस्थान में जो सीलिंग की प्रगति है उसको देखते हुए कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि सीलिंग को लागू नहीं किया जाय । मेरे पासड्राफ्ट आउटलाइन है लैंड रेवेन्यू

(श्री शंकरलाल)

रिफार्म्स की, मै चैप्टर ६, पेच १२६, वह मैं पढ़कर सुनाता हूँ :

"Laws imposing ceiling on agricultural holdings have been enacted in all the States. In the former Punjab area however, the State Govt. has the power to settle tenants on land in excess of the permissible limit of the land-owners, although it has not set a ceiling on ownership. According to aviable reports over 2 million acres of surplus lands in excess of ceiling limits have been declared or taken by the Govt. in the following States.

Surplus area in thous anb acres.

Assam	34.0
Gujrat	38.8
Jammu & Kashmir	4.30
Maharashtra	162.5
Madhya Pradesh	67.1
Madras	20.2
Punjab	368.5
West Bengal	776.5
U. P.	222.7

मुझे बहुत खेद है कि राजस्थान का इसमें नाम नहीं है। कारण यह है कि राजस्थान में सीलिंग के प्रति कोई प्रगति नहीं हुई है। इन राज्यों के अन्दर सीलिंग के तहत जमीनें लेकर २ मिलियन एकड़ से ज्यादा जमीनें लेकर भूमिहीन किसानों को दी गई लेकिन मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि सीलिंग के बारे में आप क्यों उदासीन हैं। यहां कहा जाता है कि सीलिंग के कानून में अभी दिक्कतें हैं जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा। मुझे तो वह दिन याद है जब जागीरें जब्त की गई, रिज्यूम की गई और जिस समय इनकी खुदकाश्त जमीन के लिए कमीशन बिठाया गया। उसने १९५३ में रिपोर्ट दी कि जिनके पास खुदकश्त की जमीन है जिन पर जागीरदारों का अधिकार है, अभी से सीलिंग कर दिया जाय वरना बाद में जाकर सीलिंग करने में बड़ी डिलेज होंगी। पता नहीं सरकार ने उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया और १९५३ के अंदर कमेटी बिठाई गई जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री जो उस समय राजस्व मंत्री थे वह भी थे। चार साल बाद कमीशन ने रिपोर्ट पेश की, १९५८ में बिल पेश हुआ, १९६० में कानून बना और कहा गया कि अभी रूल्स नहीं बनें। उस पर ४०० से ऊपर आदमियों ने हाईकोर्ट में रिट की वह १० दिसम्बर १९६४ को खारिज हो गई। सरकार ने २० मार्च १९६५ को इस सदन में एलान किया था कि १-४-६५ से सीलिंग कानून लागू होगा। १९५३ से लेकर १९६२ तक आए उसके बाद भी जब एलान कर दिया गया कि १-४-६५ से कानून लागू किया गया है, रूल्स बन गए, उसके बाद में कहा गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी, बहुत से मिलिटरी परसोनेल मोर्चे पर लड़ रहे थे और इस कारण बहुत से आदमी डिक्लेयरेशन नहीं दे सके। इसलिए उस तारीख को बढ़ाकर १-४-६६ किया गया। कोई बात नहीं। किसान भी चाहता था कि जब

(श्री शंकरलाल)

मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको मौका दिया जाय। लेकिन उसके बाद भी क्या कारण है कि १०–२–६६ को जारी की गई विज्ञप्ति में भी कहा गया कि १-४-६६ को लागू करेंगे लेकिन १-४-६६ को लागू नहीं किया गया। क्या कारण है? इतने लम्बे समय के बाद में जब आवाज उठाई जाती है तो कहा गया कि ६० स्टैंडर्ड एकड़ वाली भूमि को तत्काल पुनर्ग्रहण करेंगे। जब देखते हैं कि तत्काल ६० एकड़ से ज्यादा जमीन अधिग्रहण करने की घोषणा के बाद, सरकार की विज्ञप्ति के बावजूद एक इंच जमीन भी राज्य सरकार ने नहीं ली तो संदेह होता है राज्य सरकार की नीति पर और लैंड रिफार्म सीलिंग पर। चाहे इस ओर बैठने वाले हों चाहे उस ओर जो समाजवाद में विश्वास रखने वाले हैं, वे अपने कर्त्तव्य को समझते हैं। जैसे स्वतंत्र पार्टी के उपनेता ने कहा दल और दल मिलकर दलदल हो जाता है, हम उस दलदल में नहीं फंसना चाहते, हम समाजवाद की नीति में विश्वास करते हैं, चाहे उधर बैठने वाले हों, एक आवाज राजस्थान में उठेगी और आवाज उठाकर हमें देखना होगा कि सीलिंग क्यों नहीं लागू होता है।

एक दूसरा पहलू में आपके सामने रखूंगा। अब मैं म्यूटेशन के बारे में कहूंगा। जो जोहड़ और बीड़ों के बारे में लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा १४०–ए है उसमें कहा गया है कि जो बीड़ और जोहड़ हैं उनके अन्दर खुदकाश्त नहीं होती है तो उनकी परसनल प्रापर्टी नहीं मानी जायगी। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उसके तहत कितने जोहड़ और बीड़ जागीरदारों के सरकार ने कब्जे में किये और नहीं किये तो क्यों नहीं किये? आप कहेंगे उस बारे में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आपके सीलिंग कानून में दिक्कत है तो दिक्कत है? आप छोटी छोटी बातों को लेकर आरडीनेन्स निकालते हैं और कानून को ठीक करते हैं। सरकार की नीति साफ है तो उसको ठीक किया जा सकता है। इसलिए धारा १४०–ए के तहत सभी जोड़ और बीड़ पुनर्ग्रहण करना जरूरी था और अब भी करने चाहिए। अध्यक्ष महोदय आपने लाल लाल आँखें दिखाना शुरु किया ...

श्री नत्थीसिंह : लाल तो पहले ही निकाली गई, अब पीली क्यों निकल रही हैं?

श्री शंकरलाल : जागीर रिजम्पशन एक्ट में हालांकि यह प्रावधान था कि जिन बाँधों और तालाबों से काश्तकारों की सिंचाई होती है वे परसनल प्रापर्टी में नहीं माने जायेंगे लेकिन उसके बाद भी आज देखते हैं कि इस समाजवाद और लोकतंत्र के जमाने में बड़े बड़े तालाब और बांध लोगों की परसनल प्रापर्टी बने हुए हैं। वे उनके अन्दर दूसरों से खेती करवाकर प्राफिटीयरिंग करते हैं। यह कब तक बरदाश्त करेगी भूमिहीन जनता, इस चीज को............

श्री बालसिंह सोढ़ा : जब तक आप उस तरफ बैठे हुए हैं।

श्री शंकरलाल : कानून में है कि जो तालाब और बांध है वे भी सरकार जब्त करेगी। लेकिन वह कहते हैं सरकार ने कुएं बनाए जिनसे दूसरे हिस्से का लाटा लिया जाता है जागीरदारी कायम की जाती है। पहले जागीरें रिज्यूम क्यों की ? इसके पीछे सिद्धान्त था कि लैंड टु दी टिलर, जो जोतेगा उसके पास जायगी। लेकिन यहां तो प्राफिटीयरिंग होने लगी, पुराने जागीरदार रह गए तो नए जागीरदार पैदा हो रहे हैं, उनको रोकना पड़ेगा।

म्यूटेशन्स के तहत आज आम जनता व किसानों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। म्यूटेशन्स का अधिकार पंचायतों को दिया गया है लेकिन म्यूटेशन का फार्म कौन भरता है ? पटवारी। पटवारी पर है कि कब भर कर पेश करेंगे, किसको पेश करेंगे और इसलिए मेरा सुझाव है कि यह जो म्यूटेशन के लिए पटवारी को अधिकार दिए गए हैं फार्म भरने का, वह उससे ले लेना चाहिए। जिस किसी को म्यूटेशन करवाना हो चाहे ट्रांसफर, एलीएनेशन, सक्सेशन, तो उसकी पंचायतों को रिपोर्ट देनी चाहिए।

पंचायत में रिपोर्ट होने के बाद पंचायत इसका डिसिजन करे कि म्युटेशन होना चाहिये या नहीं। फिर फार्म भरा जाय। पटवारी पर यह नहीं छोड़ा जाय कि पटवारी फार्म भरें। अध्यक्ष महोदय, कोई प्रोसिजर नहीं है कि

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

म्युटेशन रजिस्टर कहां रहेगा। म्युटेशन रजिस्टर पंचायत में रखा जाना चाहिए। आज लोगों में यह आम धारणा बनी हुई है कि म्युटेशन ठीक नहीं होता है। लैंड रिफार्म्स कमिश्नर की रिपोर्ट है उसमें भी उसने मंजूर किया है कि म्युटेशन में करप्शन होता है, लोग तबाह होते हैं। इसलिए इसमें सुधार आना चाहिये। जो सुझाव मैंने सुधार के लिये दिये हैं उस प्रकार से सुधार करके काश्तकारों को राहत दिलायी जाय। समय कम है इसलिये अधिक न कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मन्त्री।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक व्यवस्था चाहता हूँ।

मैंने मोशन दिया था उस पर आपने यह फर्माया था कि पंचायतों की मांग आवेगी उस पर कह सकेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पांच मिनिट का समय ही दे दीजिये। हमारी पार्टी ने आज बहुत कम समय लिया है।

श्री अध्यक्ष : बहुत समय दिया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हम विनम्र निवेदन करते हैं। कितना समय दिया है वह रिकार्ड पर है। हमारे दल को समय दिया गया है। पांच मिनिट के लिए ही कह लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनिट।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी लोक राज्य के आधारभूत पांच स्तम्भ हैं ! ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, विधानसभा, लोकसभा । अगर इनमें से कहीं पर भी बुराई आती है तो लोकतन्त्र के खात्मे का कारण बन जाती है ।

मैं डिटेल्स ने नहीं जाना चाहता । मुझे बहुत शार्ट टाइम मिला है । इसी समय में मैं निवेदन करना चहूँगा २ अक्टूबर १९५९ को जब राजस्थान में डैमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेला-इजेशन किया था, लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण किया था, और राष्ट्र नायक पं० जवाहर-लाल नेहरू ने ज्योति प्रज्जविलित की थी इस आशा के साथ कि राजस्थान में लोक राज्य बढ़ेगा, फलेगा और फूलेगा । लोक राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है लेकिन अगर उसमें कहीं करप्शन आजाय, भ्रष्टाचार आजाय तो उससे कोई बदतर चीज़ नहीं हो सकती है ।

झालावाड़ जिले की मनोहरथाना पंचायत समिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ । इन दिनों मनोहर थाना पंचायत समिति का कार्यालय भ्रष्टाचार, रिश्वत-खोरी का अड्डा बना हुआ है । विकास अधि-कारी बन कर वह जन जीवन को डेमोस्ट्रेशन देता है शराबी बनो, डिमोस्ट्रेशन देता है व्यभिचार का और यह राज्य के विकास मंडल के बहुत शर्म और दुख की बात है । पिछले दिनों पंचायत समिति का प्रधान जो शराबी हैं, कबाबी है, दलाल है पुलिस का, जिसके विरुद्ध सारे सरपंच अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहते थे और प्रस्ताव पास भी कर दिया, यह प्रश्न उठाया गया था । पंचायत समिति के प्रधान ने सरपंचों को शक्कर भेजने का लाइसेन्स दिया और उन सरपंचों को शक्कर अलाट कर दी और उनको खुली छूट दे दी कि ब्लैक में बेच दो । आज वहां के सरपंच पंचायतों की जनता को बँटने वाली शक्कर को खुले आम ब्लैक में बेच रहे हैं और पांच सौ रुपया महीना कमा रहे हैं । यहां ही नहीं मैंने झालावाड़ कलैक्टर को निवेदन किया था । कलैक्टर साहब के जबाब को सुन कर मुझे दुख हुआ । उन्होंने कहा कि यह प्रश्न विधान सभा में उठायें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

उस पंचायत समिति के प्रधान ने अध्यापिकाओं और अध्यापकों का ट्रान्सफर किया । जो घटना हुई है उसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वे इसकी जाँच करायेंगे

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पिछली पंचायत समिति के प्रधान ने पंचायत समिति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया था कि पंचायत समिति में एजुकेशन टैक्स लगाया जायेगा । शिक्षा विभाग से कम मिलता हैं। सारी पंचायत समितियाँ इसको मानती हैं । बच्चों के लिए स्कूल नहीं हैं, आसन बैठने के लिए नहीं हैं । सारी दिक्कतों को देखते हुए यह

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

निर्णय लिया कि एजुकेशन टैक्स लगे। कुछ पंचायत समितियों में लागू किया और ४० हजार रुपया इकट्ठा हुआ। जहां एजुकेशन टैक्स इस काम में खर्च होना चाहिए कि स्कूल बने, बच्चों के बैठने के लिये आसन हों। लेकिन ८५ मास्टरों का बेजरूरत तबादला करके पांच सात हजार रुपया उसमें खर्च कर दिया।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मन्त्री।

आप समाप्त करे।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस इलाके से चुन कर आया हूँ वहां पर अफीम की पैदावार बहुत होती है। यह राजस्थान का तो मामला नहीं है, सेन्टर का मामला है। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि भारत सरकार का डिपार्टमेंट काश्तकारों से अफीम १४ रुपये से लेकर ३५) रु. किलो के भाव से खरीदता है। कोटा, झालावाड और उदयपुर के इलाकों में दस हजार क्विन्टल अफीम होती है। भारत सरकार ६ हजार रुपया किलो के हिसाब से बेचती है जब कि १४ से ३५ रुपए में लेती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार को आप निवेदन करें कि खरीदने की रेट को बढ़ाया जाय ताकि काश्तकारों को ठीक तौर से पैसा मिल सके।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मन्त्री।

रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने राजस्व की मांग के सम्बन्ध में बहस में हिस्सा लिया, कटौती प्रस्ताव भेजे और बहुत सारी बातें मालूम नहीं थी मालूम भी हुई, कई बातों पर नई रोशनी भी पड़ी। उन्होंने जो सुझाव दिये जिनको हम कार्यान्वित कर सकते हैं उनको करने की भी कोशिश करेंगे। जो कट मोशन्स कुल मिलाकर यहां आये और जिन माननीय सदस्यों ने यहां पर कुछ कहा मैं उनको जवाब देने की कोशिश करूंगा और बाकी रहेंगे जो स्पेसिफिक होंगे उनको लिख कर भेजने की कोशिश करूंगा।

श्री विजयसिंह : जवाब से पता लगेगा कि कितने आभारी हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : इस सदन में कई दफा राज्यपाल महोदय के भाषण और बजट के वाद-विवाद के वक्त भी और आज भी कई दफा सीलिंग को लेकर के प्रश्न सदन में आये और सदस्यों ने उस विषय में काफी चिन्ता व्यक्त की। कई संदेह भी जाहिर किये। यह भी कहा कि राजस्थान सरकार सीलिंग के कानून को लागू भी करना चाहती है या नहीं। यह भी कहा कि राजस्थान सरकार की बड़ी काश्तकार विरोधी नीति रही है और जो रिफार्म्स राजस्थान गवर्नमेंट ने किये थे जमींदारी बिश्वेदारी के सम्बन्ध में उनको धीरे २ करके वापिस लेना चाहती है।

इस सम्बन्ध में दो दलीलें दी गई हैं। एक तो यह सीलिंग के बारे में कि वह इम्प-

(श्री रामकिशोर व्यास)

लीमेंट नहीं हो रहा है और दूसरी यह राजा महाराजाओं की जायदाद के बारे में–कि वह एक्वायर नहीं की गई है। माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने अपने ख्याल जाहिर किये हैं। मैं, अध्यक्ष जी आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग के बारे में राजस्थान सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वह इस बात पर जो कुछ तय किया है, उसको अमल में लाने, उसको क्रियान्वित करने के लिए कटिबद्ध है। वह सीलिंग कानून को अमली शक्ल देने के बारे में उचित कदम उठायेगी। यह नीति के रूप में मैं कह सकता हूं।

श्री नत्थी सिंह : कितने साल की जरूरत होगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने निराश कर दिया है। हम तब्दीली चाहते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : एक बात यह आई और किसी हद तक ठीक भी है कि इसको क्रियान्वित करने में कुछ धीमेपन से काम हुआ है। बहुत तेज गति से काम नहीं हुआ। यह कहने का सारा नतीजा निकलता है। यह कानून जैसा कि आप सबको मालूम है १९६० में पेश हुआ और कानूनी शक्ल ६३ में हुई और परिस्थितियोंवश ६६ में पहुंच गये और अब ३८ तक पहुँच गये हैं। इस की जो धीमी प्रगति हुई है, इसके दो मुख्य कारण हैं। अव्वल तो यह सीलिंग कानून ऐसा है जो काफी विवादास्पद है। बहुत से लोगों की इस मामले में अलग अलग राय थी। लेकिन जहां तक गवर्नमेंन्ट का ताल्लुक है, वह पहले ही कटिबद्ध थी और आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि चाहें किसी का क्या मत हो. राय रखने का हरेक को हक है, जो नीति गवर्नमेंट ने अख्तियार की है, जो कानून इस सदन ने बनाया है, उसका बहुत सम्मान के साथ, सक्रियता के साथ पालन किया जायगा। यह मैं निवेदन कर सकता हूँ। धीमेपन की वजह दो हैं। एक तो जैसा आपको मालूम है इस सम्बन्ध में कई कानूनी बातें चलीं। हाईकोर्ट में रिट चली गयी और उसमें स्टे हो गया। कुछ विरोध तो इसकी वजह से हुआ। यह रुकावट साफ हुई। इस मामले में एक हद तक स्थिति साफ हुई तो चीन, पाकिस्तान से लड़ाई शुरू हो गई। वह ऐसा समय था. जिसमें हमारे सैनिक भाई वहां गये हुए थे। फिर इमरजेन्सी कन्डीशन आ गई और इमरजेंसी कन्डीशन के अन्दर यह करना मुनासिब नहीं समझा गया। ऐसे वक्त में देश में एकता का होना आवश्यक था। यह ठीक हो सकता है कि आप इससे सहमत हों या न हों। जो मूल बात थी, जो सही बात थी, वह आपसे मैंने कह दी है। इन दो कारणों से इसमें देरी हुई। अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो धीमी गति इस मामले में रही है, उसमें तीव्रता लाई जायगी. उसमें तेजी लाई जायगी और उसको अमल में लाया जायगा। सन् ६८ में राजस्थान गवर्नमेंट ने जून, ६८ में आज्ञा निकालकर यह तय किया कि फिलहाल ६० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा भूमि को लिया जायेगा। रिज्यूम किया जायेगा। यह फैसला राजस्थान सरकार का जल्दी से

(श्री रामकिशोर व्यास)

जल्दी अमल में लाया जायगा। कई माननीय सदस्य विशेष रूप से पाली से आने वाले माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि इस पर अमल क्यों नहीं हुआ। क्यों देरी हो रही है। मैं यह अर्ज कर सकता हूँ कि जून, ६८ में जब यह फैसला गवर्नमेंट ने किया कि ६० एकड़ से ऊपर की भूमि ग्रहण की जायगी, उसके बाद उसमें कोई शिथिलता नहीं मालूम पड़ती। सीलिंग कानून का एक कायदा है, नियम है, रूल्स हैं और उन रूल्स के अन्दर कुछ पाबन्दियां हैं जिनका पालन करना पड़ता है। डिक्लेरेशन रूल ६ में करना पड़ता है। डिक्लेरेशन १० में एस. डी. ओ. को हियरिंग देने का अधिकार है। यह सब है। अगर यह प्रोसीजर जो रूल में दिया है वह पूरा नहीं किया जाता है तो वह बेजा हैं और जो नियम बनाया है, उसमें जो प्रोसीजर है. उसको पूरा करना होगा। लेकिन यह मैं आपसे कहूंगा कि इस अर्से में राजस्थान सरकार सीलिंग के बारे में ज्यादा सतर्क रही है। मैंने व्यक्तिशः इस मामले में ध्यान दिया है——आने के बाद। इस अर्से में बराबर कलक्टर्स, आफीसर्स को तकाजा हम लोग करते रहे हैं। यह सीलिंग आज्ञा ७ जून, ६८ की है। इसके बाद २६ जून, ६८ को राजस्व विभाग ने ताकीद की है तमाम जिलाधीशों को कि जो आज्ञा सीलिंग के बारे में गवर्नमेंट ने जारी की है, उसको जल्दी से क्रियान्वित किया जाय और उस पर जो लापरवाही की जाय, उसकी रिपोर्ट भी यहां पर भेजें। इसके अलावा मैंने खुद ने भी व्यक्तिशः इस मामले को हाथ में लिया है और हरेक कलक्टर को एक डी.ओ.को लेटर लिखा है जिसमें मैंने कहा है कि सीलिंग को लागू करने में, अमल में लाने के लिए जल्दी से कार्यवाही की जाय। यह डी. ओ. लेटर २७-८-६८ का है। दूसरा फिर मैंने भेजा है २७-१-६६ को। मैं इन चिट्ठियों को....

श्री नत्थीसिंह : आपके हुक्म का पालन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका असर नहीं है। कोई नहीं मानता है आपके हुक्म को।

श्री रामकिशोर व्यास : आप सुनिये बीच में न बोलिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इन चिट्ठियों का क्या असर हुआ ?

श्री नत्थीसिंह : ऐसा लगता है कि आप मनुहार कर रहें हैं। आफिसर्स की ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं तो आपकी मनुहार कर रहा हूं हुक्म सरक्यूलर से भी दिया जाता है, हुक्म नोटिफिकेशन से भी दिया जाता है, चिट्ठियाँ लिखकर भी दिया जाता है और डी० ओ० लेटर के जरिये भी। मैं इन चिट्ठियों की डिटेल्स में जाकर कि इनमें क्या लिखा है, आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। आप चाहें तो पढ़ भी सकता हूँ।

इसके अलावा हमने सेक्रेटेरियेट में कलक्टर्स की मीटिंग बुलाई और उसमें जल्दी इम्प्लीमेंट करने के बारे में डिसकसन किया। जो डिफिकल्टी पड़ती थी, उसके बारे में विचार हुआ। हर जिले में मैं घूमा हूं और

(श्री रामकिशोर व्यास)

रेवेन्यू आफिसर की मीटिंग की है । उसमें सीलिंग का मामला लिया है। बहस की है और जल्दी करने को कहा है । और जो उनकी मुश्किलें थीं, इस मामले में उनको हल किया है। अब आपने सवाल किया आपकी चिट्ठी का क्या नतीजा निकला। एक बात आपने कही। प्रोसीजर में टाइम लगता है। इस सम्बन्ध में सूचनाएं निकली. जो कार्य-वाही की है, उन मामलातों की पूरी लिस्ट हमारे पास नहीं है । कई जगह से इत्तला नहीं आ सकी हैं : फिर भी जो कुछ सूचना इन्फार्मेशन आई है, उसको मोटे अन्दाजे के रूप में आपको अवगत कराना चाहता हूँ जिससे आपको ज्ञात होगा कि क्या कार्यवाही हो रही है। अब तक जो सूचना है, उसके आधार पर जो टैन्टेटिव है और पूर्ण नहीं है. उसके आधार पर जो फीगर्स हमारे पास आये हैं, उसमें जो भूमि ६० स्टेन्डर्ड एकड़ से रिज्यूम होगी, वह दो लाख, ६६ हजार ६२० एकड़ है। यह आज तक का फीगर है जो रूल ६ सीलिंग कानून का है, उसके जो डिक्लेरेशन हैं, वे तमाम ६७२८ हैं । डिक्लेरेशन अन्डर रूल नाइन ६७२८ । और रूल १० के तहत जो एस० डी० ओ० द्वारा नोटिसेज इस्यु किये गये हैं उसके अन्तर्गत २०६२ बीघा जमीन आई है जो मुझे इत्तला मिली है वह मैंने रखी है। इससे आप देखेंगे कि इस दिशा में जो प्रोमिज किये हैं उसके अनुसार काम हुआ है। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं....

श्री नत्थीसिंह : आप बेईमानी से भी कहते हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : हम तो कभी कभी कह देते हैं। इस बार में मैं निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : सीलिंग के कितने डिक्लेरेशन आये, जितने डिक्लेरेशन आये उसमें क्या इमीजियेटली सरप्लस लेण्ड थी उसमें से कोई एक बीघा भी रिज्यूम किया है क्या ? जिसमें लोगों ने डिक्लेरेशन नहीं दिया, ट्रेस पासर्स ने जो जमीन ले ली थी अल्टीमेटली आपने क्या इसके तहत एक बीघा जमीन पर भी कब्जा किया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, आप, जो भी प्रश्न पूछें नोट कर लें और इसका जवाब बाद में दे दें। माननीय सदस्य भी मन्त्री महोदय के भाषण के बाद प्रश्न पूछें।

श्री मुकुटबिहारीलाल : ऐसे जो मुद्दे के सवाल हैं वो तो साथ साथ ही चलने दिये जायं।

श्री रामकिशोर व्यास : जो लेण्ड रिज्यूम हो सकती है वह तभी हो सकती है जबकि रूल्स की फार्मेलिटी पूरी हो जाय। जब तक रूल्स तकमील न हो जाय तब तक रिज्यूम लेण्ड नहीं हो सकती...

श्री शंकरलाल : जो नोटिफिकेशन पहले निकला था। १. ४. ६६ के बाद और कोई आदमी डिक्लरेशन नहीं देता है तो वह ३३ आई० के अन्तर्गत ट्रेसपासर्स के अन्दर आजाता है। १. ४. ६६ और ११. २. ६६

(श्री शंकरलाल)

को जब दूसरा नोटिफिकेशन निकला आपने लिमिट बढ़ाई है। १.४.६६ के डिक्लेरेशन देने के बाद तारीख नहीं बढ़ाई गई। ३० स्टेण्डर्ड एकड़ बढ़ाई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : दूसरी बात राजाओं सम्बन्धी भूमि की बात थी जिसके बारे में रिट चल रही है। इस बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है इतनी जानकारी जरूर है वह जो रिट पीटिशन चल रही है जिस पर स्टे है हमने उसके बारे में हाई कोर्ट को मूव किया है जब तक आपकी स्टे है वह वेकेट नहीं हो तब तक पाबन्द कर दिया जाय कि जायदाद वे ट्रान्सफर न करने पायें हमने यह मूव किया है जब तक केस तय न हो जाय तब तक वे लोग जो उनकी सम्पत्ति है उसको मुन्तकिल न किया जाय। यह अन्दाज लगाना कि सीलिंग लाज में हम कोलीजन से चल रहे हैं रिट भी कोलीजन से हुई है इसलिये मुकाबला नहीं कर रहे हैं यह गलत है। इसमें कोलीजन वाला सवाल आता ही नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्टे को निरस्त करने के लिये एप्लाई नहीं किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमारे जो कुछ कहने पर आप उसको नेकनीयती से न लेकर बेईमानी से ही लें तो उसके लिए मैं और क्या कह सकता हूं। हमने उनको उनकी सम्पत्ति को मुन्तकिल नहीं कर पायें इसके लिये पाबन्द कर दिया है ..

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपने कब एप्लाई किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : फरवरी में दी गई है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : फरवरी १९६६ में आपने एप्लाई किया जब कि स्टे को चार साल गुजर गये। इस बीच में आप जानते हैं कितने राजाओं ने जमीन बेच दी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप आखिर में बात कर सकते हैं। सूचना ले सकते हैं। मेरे पास सूचना होगी वह मैं आपकी खिदमत में अदब के साथ पेश कर दूंगा।

रेवेन्यू बोर्ड के बारे में काफी कहा गया। वहां के मेम्बर इण्डीपेण्डेण्ट नहीं हैं यह बात रेवेन्यू बोर्ड के बारे में कही गयी थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स में योग्यता की कमी है यह मैं नहीं मानता, योग्य और अनुभवी व्यक्ति बोर्ड में हैं यह मेरा मानना है। हो सकता है बहुत से लोग जुडिशियरी बेन्ट होते हैं बहुतों में नहीं होता है फिर भी राजस्व मण्डल राजस्व मामलों का सबसे ऊंचा मण्डल है उसमें आस्था, श्रद्धा और कोनफीडेन्स जनता को होना जरूरी है। इस बारे में मुख्य-मन्त्री जी ने जो ऐलान किया उससे ज्यादा इस मामले में कहना मैं मुनासिब नहीं समझता। मेरे खुद के दिमाग में यह बात है कि राजस्व मंडल के विधान में कुछ परिवर्तन कर के इसको और कुछ अधिक उपयोगी बना सकते हैं कुछ अधिक आस्था पैदा कर सकते हैं ? हम इनके साथ साथ कुछ कुछ जुडिशियल एलीमेन्ट एसोसि-

(श्री रामकिशोर व्यास)

येट कर सकते हैं, यह विचाराधीन है। मंत्रीमंडल के विचाराधीन यह मामला है मैं समझता हूँ जल्दी ही इसका नतीजा आपके सामने आयगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने राजस्व मंडल के बारे में यह भी कहा कि बहुत से मामलों में और अपीलों के मामले में काफी वक्त लगता है देर से तय होते हैं इससे जनता को तकलीफ होती है, बात सही है। राजस्व मंडल में काफी केसेज पेण्डिग हैं, एरियर्स में जो केसेज हैं उनका जल्दी से फैसला होना चाहिये। जनता को जल्दी निर्णय मिल सके इसके लिये चेयर मेन रेवेन्यू बोर्ड से बात की है, और अमल किया है फैसला किया है एक बैन्च एरियर्स निपटाने के लिये मुकर्रर की जाय। सोम, मंगल बुद्ध ये दिन एरियर्स निपटाने के लिये नियत किये गये। इन दिनों में एक बैन्च ६४ के पहले के मुकदमें की सुनवाई करता है। एक सिंगल बैन्च का फोरमेशन किया है जो इस तरह के पुराने मुकदमों को तय करके फैसला दे सके और नये दायर हुए मुकदमों में भी जल्दी हो जाय इससे राहत मिलेगी।

इसी तरह से रेवेन्यू अपीलेट अोथोरिटी के बारे में भी कटमोशन्स आये हैं उनके पास जो केसेज पेण्डिग हैं उनकी संख्या निम्न प्रकार है :

बीकानेर १२०८
जयपुर २८२०
कोटा १६३३
उदयपुर ६७३।

सब से ज्यादा केसेज जयपुर रेवेन्यू अपीलॉट ओथोरिटी के पास है। ये मुकदमें जल्दी तय हों इसके लिए हमने निर्णय किया और वह अमल में भी आगया है। उदयपुर रेवेन्यू ओथोरिटी जयपुर दस रोज ज्यादा बैठे और जयपुर केसेज को तय करे। जयपुर ओथोरिटी के केसेज उदयपुर को ट्रान्सफर कर दिये हैं। इसी तरह से अलवर-साइड के केसेज ज्यादा हैं उसके लिए जयपुर अपीलॉट ओथोरिटी अलवर में जाकर दस दिन बैठे और उस एरियाज के मुकदमात का जल्दी फैसला करे। हमने कदम उठाये हैं इससे हम आशा करके चलते हैं इस सम्बन्ध में राहत मिलेगी। एक अलोटमेन्ट के संबन्ध में यहां काफी बातें हुई उसमें कई तरह के प्रश्न आये हैं कुछ अनियमितताओं के बारे में भ्रष्टाचार के बारे में, समय पर काम नहीं होने के बारे में कई बातें आयी हैं। हरिजनों को जमीन नहीं मिलने के बारे में भी आये हैं।

मैं एक बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर अलाटमेन्ट के सिलसिले में कोई गलती है तो इसके लिये रूल्स में प्रावधान है। उस गलती को ठीक किया जा सकता है। इसकी अपील कलेक्टर के पास है, दूसरी अपील रेवेन्यू अपीलेट ओथोरिटी के पास है, निगरानी सरकार के पास भी है। यह जूडीसियरी से मिलता जुलता प्रोसीजर है। सरकार इसमें कहीं बीच में दस्तन्दाजी करे, यह ठीक नहीं लगता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एम० एल० ए० लोगों ने अपने नाम, अपने परिवार अपनी बीबियों और बच्चों के नाम अलाटमेन्ट करा लिये हैं। बड़ी बड़ी जमीनें

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

हैं जो दो दो लाख तक की कीमत की हैं । तो सदन के इन मेम्बरों की इन जमीनों के लिये जांच के लिये सदन के सदस्यों की एक कमेटी बिठा दें।

श्री अध्यक्ष : हो गया, बहुत हो गया, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुट बिहारीलाल : आप पूछें तो मैं उनका नाम बता सकता हूं।

श्री दौलतराम सारण : यह एम० एल० ए० के खिलाफ गम्भीर आरोप हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने नजर अन्दाज कर दिया है।

श्री दौलतराम सारण : पर इनके पीछे हम सब की प्रतिष्ठा पर आंच आवेगी।

श्री अध्यक्ष : विरोधी पक्ष की ओर से यह आरोप लगाया गया है आप उनके संकेतों को समझ सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : आरोप किसी पर भी लग सकता है। इस तरह से नहीं लगाये जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामकिशोर व्यास : आखिर ये अलाटमेन्ट भी तो नियम से होते हैं। अकेला तहसीलदार तो करता नहीं। इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। उनकी एड-वाइजरी कमेटी सब तै करती है । प्रधान होता है सरपंच होता है एम० एल० ए० होता है !

श्री मुकुटबिहारी लाल : केन्द्र के डिप्टी मिनिस्टर कब्रिस्तान की जमीन को हड़प गये ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह बात गलत है। मैं निवेदन कर चुका हूं ।

श्री मुकुटबिहारी लाल : यह आरोप गलत हो तो मैं इस्तीफा दे दूं। आप न दें आप केवल जांच करवालें।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं बीच में बोलने का आदी नहीं हूँ। अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आप जो चाहें फरमायें, हुक्म दें बखूबी दीजिये पर बीच में कम बोलें तो बहुत ज्यादा शुक्र गुजार होऊंगा।

यह बात भी यहां कही गई कि अलाट-मेन्ट जमीन का कम हुआ है और खास तौर से हरिजनों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को तो हुई ही नहीं, उनको मौका मिलता नहीं। मैं यह तो मान सकता हूँ कि पिछड़ी जाति के लोगों को कम हुए हों, पर बिलकुल नहीं हुए हों यह मानने को तैयार नहीं हूं। मैं अपने आंकड़ों से आपको यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि इस अरसे में उनको कितने अलाटमेन्ट हुए हैं ।

कुल मिलाकर ४२ लाख एकड़ जमीन अलाट हुई ६ लाख १६ हजार ३६१ आद-

(श्री रामकिशोर व्यास)

मियों को । इनमें से शिड्यूल कास्ट के लोगों को १३५६७८ है और शिड्यूल ट्राइव्स के लोगों को १२०८७७ है और मिलिटरी वालों को ५०८० है। कुल एरिया जो शिड्यूल कास्ट वालों को मिला है वह ७६७५१४ है और शिड्यूल ट्राइब्स को ४१८७४२ है और मिलिटरी वालों को मिला है ६१५३० को।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कब तक ?

श्री रामकिशोर व्यास : ६८ के ही हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : शिड्यूल कास्ट और ट्राइव्स के लोगों को जो अलाट हुई है उनमें से जिन्होंने कब्जे ले लिए हैं उनकी संख्या कितनी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह कहा गया कि कब्जे में नहीं दिये गये। मैं मानता हूँ इसमें कुछ सच्चाई है। नहीं मिलते, बहुत से चक्कर खाते रहते हैं। हमारे भी नोलेज में यह आया है। इसमें जो अलाट हो गया उसमें उस जमीन पर या तो किसी और का कब्जा निकल गया या कोई अतिक्रमण हो गया। या कब्जे में मुश्किल आई। ऐसे मामले मेरी जानकारी में भी आये हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अलाटमेंट के साथ ही कब्जा मिल जाये और कुछ सनद भी मिल जावे पट्टे या सर्टीफिकेट के रूप में और नक्शा भी साइटका दे दें ताकि गलतफहमी हट जावे और वह जमीन भी आइडेन्टिफाइड हो जावे। इसमें जो सुझाव आये हैं मुझे वे स्वीकार हैं और भी इस सम्बन्ध में जो आवश्यक परिवर्तन नियमों में या और किसी प्रवन्ध में करने होंगे वे करेंगे और भी अलाटमेंट रूल्स में आप सुझाव देंगे तो मैं उनके लिये आपका कृतज्ञ होऊंगा। जो मुनासिब होगा वे संशोधन नियमों में अवश्य किये जावेंगे यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

विरोधी दल के माननीय नेता ने भी अलाटमेंट के बारे में कुछ बातें कही हैं। उनका फरमाना था कि अलाटमेंट ठीक नहीं है। मैं समझ नहीं पाया कि किस माने में ठीक नहीं है। यानि कि रूल्स ठीक नहीं हैं या उनका एप्लीकेशन ठीक नहीं है। मैं उनसे इतना ही अदब के साथ कह देना चाहता हूं कि इस बारे में उनका कोई ठोस सुझाव हो तो वे दें, तो मैं उनका आभारी होऊंगा।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : आप भाषण दे दें। इसके बाद में क्लैरिफिकेशन के रूप में एक मिनिट के लिये आप से निवेदन करूंगा।

श्री रामकिशोर व्यास : आम तौर से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं ट्रेस पास, रेगुलेराइजेशन और रूल ९१ के सिलसिले में। इस सम्बन्ध में दो तीन तरह की बातें कही गई हैं। एक तो यह कि उनके केसों में फैसला करने में देर होती है। यह भी कहा गया कि बहुत से केस फीस लेकर रिश्वतें लेकर रेगुलेराइज कर देते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यह एन्क्रोचमेन्ट का प्राब्लम काफी बड़े पैमाने पर हो गया था बीच में। यह कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर सरकार ने भी

(श्री रामकिशोर व्यास)

काफी संजीदगी के साथ देखा है और इसे कम करने के लिये जितने सम्भव स्टेप लिये जाने चाहिए, लिये हैं। कलक्टरों को और रेवेन्यू अधिकारियों को हमने बराबर हिदायतें दी हैं कि अब तक जो अतिक्रमण हुए हैं उनके जो नियम बनाये हैं उनके अनुसार उनका नियमन कर दिया जावे और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए सख्ती से कदम उठाये जावें। और इन हिदायतों पर भी अमल नहीं करेंगे वे तो यह भी तै किया है हमने कि ऐसे अधिकारियों की या कर्मचारियों की ग्रेड इन्क्रीमेंट बन्द की जा सकता है, सेंसर किया जा सकता है और दूसरी कोई भी उपयुक्त सजा दी जा सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अफसर इसमें कोताई करेगा उसके खिलाफ एक्शन गवर्नमेन्ट लेगी यह भी तै किया है और इसकी उनको सूचना भी दे दी है।

इस अरसे में नम्बर ऐसे मामलों का ट्रैस पासर्स का और धारा ९१के केसों का था, काफी बड़ी तादाद में था। करीब ६ लाख के था। ६८ में नये और पुराने दोनों मिला कर करीब ६ लाख थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितनी जमीन से सम्बन्धित थे ?

श्री रामकिशोर व्यास: इनमें से हमने जो स्टैप लिये उनसे यह संख्या बहुत कम रह गई है। बहुत सी जगहों पर जहाँ जहां वर्क ज्यादा था एडीशनल तहसीलदार अपोइन्ट किये और उनको केवल वे ही केस रेफर किये गये। तो इस प्रश्न से ६८में दिसम्बर के अन्त तक ४७४७७२ केस तै हो चुके हैं लाख में से। तो ६ लाख में से लगभग ४॥ लाख के करीब ६७-६८ में तै हुए हैं। जो बाकी हैं उनके लिए हमारी कोशिश जारी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रेगूलेराइज कितने हुए और इजैक्ट कितने हुए ?

श्री रामकिशोर व्यास : अब भी १९५ हजार के करीब और बाकी हैं। मैं आशा करता हूं कि इस साल में उनको समाप्त कर दिया जायगा। उनके फैसले कर दिये जायेंगे। पूरी निगरानी के साथ और हिसाब लगाकर वहां के कलक्टर को जिम्मेदार ठहराकर, उन पर बोझ डालकर तय हो जायेंगे और नेक्स्ट टाइम बजट सैसन पर जब हम मिलेंगे तो यह शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने जो इनफारमेशन कलेक्ट की मेरी जानकारी के अनुसार उसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है उसमें कितना इजेक्टमेंट हुआ है और कितने में रेगुलराईज हुये हैं ? अगर आपके पास समय नहीं है तो बाद में बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने यह मांगा नहीं है कितने केसेज पेन्डिग हैं मेरी कोई छिपाने की मंशा नहीं है। हाऊस से छिपाने की इस तरह की कोई बात नहीं है। मेरे पास अभी जो फीगर हैं उसमें नहीं है। आप अलग से प्रश्न पूछ लें, छिपाने जैसी कोई बात नहीं है।

Page No 185

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी में करना चाहूंगा आपने दो प्रकार के फीगर बताये हैं राजस्थान बना उस समय से लेकर ६ हजार व्यक्तियों को जमीन अलाट की है दूसरे फीगर्स हैं उसमें ६ लाख ७० हजार ट्रेस पासर्स है। इतने ही आपके ट्रेस पासर्स हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह उचित नहीं होगा कि टारगेट बनाकर यह कह दें कि अलाटमेंट कर रहे हैं। जो जमीन पर कब्जा कर लें वही वाजिब है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो हमने कह रखा है। जिसने कब्जा कर रखा है। ६६ तक का जिनका कब्जा है उनको रेगूलराईज कर देंगे। एक बात जो है रेगुलराईज के मामले में कही गई कि वह ऐडवाईजरी कमेटी की राय से होनी चाहिये सीधे सीधे नहीं होनी चाहिये। गवर्नमेंट ने फैसला किया है रेगूलराईज के मामले, अलाटमेंट के मामले उसी कमेटी के मारफत होने चाहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अलाटमेंट बैठे बैठे फर्जी करले हैं तहसीलदार।

श्री रामकिशोर व्यास : रेगूलराईज के मामले में कन्सल्ट किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस आर्डर के सम्बन्ध में यह जानना चाहूंगा कि इजेक्टमेंट होगा या रेगूलराईज होगा?

श्री रामकिशोर व्यास : रेगूलराईज के लिये कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक ही केस में नया इजेक्टमेंट होगा या रेगूलराईज होगा यह ९१ का नोटिस....

श्री रामकिशोर व्यास : डिटेल आप मुझे बतादें, मैं आपको जवाब दे दूंगा।

जो अन-रेकार्डेड ट्रेसपासर्स हैं उनके बारे में सदन में कहा गया उसके बारे में अमल नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट की नीति यह है कि उन ट्रेसपासर्स की जबानी शहादत लेकर उनको कब्जा वैसे दे दिया जाय। एक बात यहां आई वह यह कि रेवेन्यू लॉज कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर कोई ऐक्शन नहीं हुआ, हम लोग छिपाना चाहते हैं। मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह मत सही नहीं है। रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट पांच हिस्सों में है तकसीम एक हिस्सा है। टीनेन्सी बिल इस हाऊस में आया है सिलेक्ट कमेटी में आया वह लैप्स हो गया। शायद ३-४ दिन में आ जाय। लैन्ड रेवेन्यू बिल दूसरा पार्ट है उसकी कोशिश है कि इस सैशन में आ जाय नहीं तो नेक्स्ट सैशन में टीनेन्सी बिल और रेवेन्यू लॉज कमीशन दोनों साथ-साथ हो जायेंगे तो हाऊस में एक साथ सोचने की बात मिलेगी।

श्री नत्थी सिंह : इस सदन में या इस सत्र में ?

श्री शंकर लाल (जैतारण) : इस सत्र में। सुनते समझते तो है नहीं।

श्री राम किशोर व्यास : इसका क्या प्रभाव हुआ है वह अलग बात है।

Page No 186

(श्री रामकिशोर व्यास)

चौथा कालोनाईजेशन के बारे में एक बिल तैयार हो रहा है। वह भी आपकी सेवा में आने वाला है। पांचवा पार्ट भू-दान के बारे में है वह बिल तैयार है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास गया हुआ है। जैसे ही वह आयेगा उसको पेश कर दिया जायगा। वक्त पर आपके सामने आयेंगे और आ रहे हैं। छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। आपको हाऊस में डिसकस करने का मौका मिलने वाला है।

म्यूटेशन के बारे में कई सदस्यों ने प्रस्ताव रखे हैं। इसको तय होने में काफी देर लग जाती है और जो जल्दी तय होना चाहिये वह नहीं हो पाता है। अंशतः वह बात सही है—म्यूटेशन में डिले हो जाती है और इसी ख्याल से जल्दी हो जायगा, आसानी से हो जायगा किसान को ज्यादा दूर जाना नहीं पड़े, ५७ में म्यूटेशन के केसेज पंचायतों के अधिकार में दिये गये थे उसमें देर होती है। उसमें तीन हिस्से हैं एक पटवारी, दूसरा गिरदावर और फिर पंचायतों के पास। किस स्टेज में कितनी देर लगती है, पटवारी के पास लगती है या गिरदावर के पास देर लगती है या पंचायतों के पास देर लगती है। यह अलग-अलग असेसमेंट की बात हो सकती है। मोटे तौर पर कह सकते हैं हमने एक मियाद मुकर्रर की थी जिसके अनुसार २०-२० दिन हरएक को दिये गये हैं, २० दिन पटवारी को, २० दिन गिरदावर को और २० दिन पंचायत को। यह बनाया गया है। अगर पटवारी वक्त पर नहीं भेजता है तो वहां से कागज मंगा लें।

काश्तकारों को भी इन्सट्रक्शन्स जारी किये गये हैं कि म्यूटेशन की एप्लीकेशन अगर पटवारी ने दर्ज नहीं की है या देरी की है तो पंचायत को भी दरख्वास्त दे सकते हैं और तहसील को भी दे सकते हैं, और इसके अलावा केसेज् जल्दी तय हों, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट को मिटिंग है उसमें भी हमने इसको डिसकस किया है और जल्दी तय करने के मामले में डिसीजन भी कुछ लिया है। इसके अलावा एस० डी० ओ० को अधिकार है कि अगर केस बहुत डिले हो जाये म्यूटेशन के तो उनको वापस लेकर तहसील में भेजा जा सकता है। तो वह जरूरी समझे तो वह भी ऐक्शन इसमें ले सकता है और इस तरह से म्यूटेशन के केसेज् जल्दी तय हों यह हमारी इन्टेन्शन है और कम से कम केसेज् पेन्डिग हों और कम से कम वक्त में तय हों और एस० डी० ओ० जब भी इन्सपेक्शन के लिए जाये तो वह वहां का रजिस्टर देखे म्यूटेशन के केसेज् का और अपनी राय भी दे। यह सब स्टैप्स हमने लिए हैं ताकि म्यूटेशन के केसेज् जल्दी तय हों।

एक सवाल यह भी आया था पटवारियों के साथ में कि म्युटेशन की जरूरत है या नहीं, म्युटेशन किये जाने चाहिए या नहीं। अर्बन प्रापर्टी की सेल डीड होती है। इसके अलावा रूरल प्रोपर्टी के लिए कोई सैपरेट रजिस्टर मेन्टेन नहीं किया जाता है। जैसा अपने यहाँ होता है अर्बनप्रापर्टी में ऐसे ही रेवेन्यू में भी यह जो म्युटेशन प्रोसीडिंग हैं इनको रोकने की जरूरत नहीं है। यह व्यू भी आया लेकिन यह काफी विवादास्पद

(श्री रामकिशोर व्यास)

है क्योंकि इसमें लेण्ड रेवेन्यू के राइट का प्रश्न भी है। इसलिए उसमें इस समय कार्यवाही करने की बात नहीं है।

सदन में यह बात भी आई कि कई बार गवर्नमेंट ने पास बुक वाली बात कही और उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। यह बात सही है कि काश्तकार को जब उसे एक सर्टीफिकेट की जरूरत पड़ती है कि वह काश्तकार है उसे तकलीफ होती है। जब वह कर्जा लेने जाता है लैंड मोर्टगैज बैंक के पास या कोआपरेटिव बैंक के पास जाता है तो उसका सर्टिफिकेट बताना पड़ता है कि वह काश्तकार है और उसके लिए उसको पटवारी की शरण लेनी पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि यह सर्टिफिकेट हासिल करने में काश्तकार को काफी तकलीफ होती है तो इसको सोचकर कि उसको वह तकलीफ कम हो और उसके पास कोई परमानेन्ट रिकार्ड हो जाये कि जिसमें उसकी भूमि सम्बन्धी सारे इन्दराजात एक जगह मिल जाये जैसे पोस्ट आफिस की पासबुक है जिसमें जितने भी ट्रान्जेक्शन होंगे वह एक ही जगह पर मिल जाते हैं ऐसे ही किसानों की पासबुक में हम यह समझते हैं कि उसके मुताल्लिक जितने भी इन्दराजात हैं भूमि का नम्बर, खसरा का नम्बर, उसकी रैन्ट वगैरह और जब भी जो भी रकम वह पे करे उसको एन्ट्री और म्यूटेशन चेन्ज हो उसकी एन्ट्री और लोन की एन्ट्री-सब एन्ट्रीज एक ही जगह हों वह किताब तैयार भी कर ली गई है और वह इस तरह की है...

एक माननीय सदस्य : आप पास बुक देने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, तैयार हैं।

श्री नत्थी सिंह : कब तक मिल जायेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं पूरी तरह नहीं कहता। उसमें पहले मन्त्री मण्डल ने यह फैसला किया था कि जहाँ जहां बन्दोबस्त हुआ है और जहाँ जहाँ होने वाला है वहाँ पर एक पर्चे के तरीके पर यह पास बुक दे दी जाये। याने बन्दोबस्त जहां हो रहा है वहाँ दी जाये और जहां बन्दोबस्त है वहाँ दी जाये। लेकिन इसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि यह पास-बुक खाली उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिनके यहां बन्दोवस्त हो रहा है या होने वाला है बल्कि सभी काश्तकारों को देनी चाहिये। तो अब उसको यह शक्ल यह देनी पड़ी है कि वह पर्चे के स्थान पर नहीं होगा बल्कि इन-एडीशन टु पर्चा होगा। पहले यह था कि पर्चे का स्थान वह लेगा अब उसके एडीशन होगा ...

श्री नत्थीसिंह : अब कब तक मिल जायेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : अब वह छपने में है। कुछ छप भी गयी हैं। उसका नमूना मैं लाया हूं कि इस तरह की पासबुक होगी। यह पूरी बाउन्ड होगी और उसमें सारी एन्ट्रीज होंगी। मैं समझता हूं कि काफी बड़ी समस्या है और वह लाखों का मामला है....

श्री नत्थीसिंह : आपने खाका तो दिखाया ।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं, नहीं । आप अन्दर से भी देखें ।

श्री अध्यक्ष : सदन की सम्पत्ति हो गई यह तो ।

श्री रामकिशोर व्यास : हां, कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका रंग अच्छा नहीं है यह बदलिये ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, इसका रंग तो लाल करवा दें । आपकी कुर्सी का रंग लाल है इसलिए कह रहा हूँ ।

श्री अध्यक्ष : लाल नहीं है आपकी आंखों का फर्क है ।

श्री नत्थीसिंह : यह पाकिस्तानी है ।

श्री रामकिशोर व्यास : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आज और उससे पहले एक स्थगन प्रस्ताव में और रामकिशन जी ने भी यह कहा था कि चम्बल की भूमि जो भरतपुर जिले में है अलाट की जा रही है और वह एक ऐसा कदम है कि जो पूंजीपतियों को मदद देने वाला है और जो भूमिहीन काश्तकार हैं उनके विपरीत पड़ेगा इसलिए इस अलाटमेन्ट की कार्यवाही को बन्द किया जाना चाहिए । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भूमि हजारों वर्षों से पड़ी हुई है और इतनी बीहड़ है कि इसको हमवार करना और काबिले काश्त करना साधारण आदमी का काम नहीं है, मामूली काश्तकार तो कर ही नहीं सकता । क्योंकि उसको ठीक करने में एक एकड़ में १।। से ३ हजार रुपया खर्चा हो सकता है । साधारण कशतकार इस खर्चे को बरदाश्त नहीं कर सकता है । साधारण भूमिहीन जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है आप समझें कि वह ठीक कर ले यह सम्भव नहीं है । तो हमारे पास दो ही इसके लिए आल्टरनेटिव हैं । एक तो यह कि हम उसको न दें और पटके रखें या फिर ऐसे आदमियों को दें जो कि उसको ठीक करके काबिल-काश्त कर लें । इसलिए बेहतर आल्टरनेटिव उसमें यही है कि जो भी उसको ठीक कर सकता है उसको वह दे दी जाये....

श्री नत्थीसिंह : सरकार खुद क्यों नहीं करे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक आल्टरनेटिव और है कि साधन सम्पन्न लोगों के पास जो अच्छी जमीन है भूमिहीनों को वह दे दी जाय और उनको वह बीहड़ जमीन दे दी जाये ।

श्री रामकिशोर व्यास : वह अलाऊ नहीं करता है ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि इसको केन्द्रीय योजना के तहत जैसे मध्य प्रदेश

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

में चम्बल के दूसरे साइड में किया है इसको हमवार कराके भूमिहीन किसानों में दी जाय और आप चाहें तो इसकी पूरी योजना के बारे में हम आपसे आपके चेम्बर में मिलकर डिसकस कर सकते हैं और वह व्यवहारिक होगी। इसका जो पहलू है वह सदन के सामने नहीं है। उन तमाम पहलुओं को आपके सामने रखकर बता देंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : हां, मेरे चेम्बर में डिसकस कर लेना।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान सरकार की पोजीशन नहीं है कि वह अरबों रुपया उसके हमवार करने में लगा सके और लैण्ड लैस जो काश्तकार हैं उनकी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह उपयोग कर सकें।

(६.४० सायं)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

श्री नत्थीसिंह : इसलिए बुद्धम् शरणम् गच्छामि। आप तो पूंजीपतियों के पास जाओगे और कोई तरीका नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : डेजर्ट में ट्यूब वैल्स के बारे में कहा गया है कि यह कैपिटिलिस्टिक तरीका है....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : तो ऐसा कर दीजिये, कि सभापति महोदय, इसका आवंटन तब तक के लिए आप रोक दें कि जब तक आपके पास धन नहीं हो, कोई योजना नहीं हो। नहीं तो इससे क्या होगा कि धनवान लोग उस जमीन को रख लेंगे और कृषि की आमदनी बताकर काला धन को प्रश्रय मिलेगा और वह जमीन आबाद नहीं होगी।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपसे कहूँगा कि इस सदन की कुछ मर्यादा को तो ध्यान में रखें।

श्री खेतसिंह : मर्यादा तो इनके नजदीक भी नहीं गयी।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपसे यह बड़े अदब से अर्ज करूं कि इस सदन की मर्यादाओं को ध्यान में रखें।

श्री मूलचन्द डागा : यह इनका काम नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि अभी तक इस योजना में २० हजार एकड़ एलाट की गई है उसमें राजस्थान का एक भी आदमी नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक मेरी जानकारी में है एलाटमेंट के प्रोसेस में है। एलाटमेंट नहीं हुआ है। इन १०–१५ दिनों में हो गया हो तो मुझे मालूम नहीं है।

श्री नत्थी सिंह : राजाखेड़ा में एलाट हो चुकी है, लेकिन राजस्थान का कोई भी आदमी नहीं है। यह आप जानकारी कर लें।

श्री रामकिशोर व्यास : प्रोसेस आफ एलाटमेंट में है।

डेजर्ट एरिया में ट्यूब वैल के बारे में है इसके बारे में कहा गया है कि यह पूंजी-पतियों को प्रसन्न करने के लिए है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पानी की समस्या रेगि-स्तान के हिस्से में बड़ी विकट समस्या है। वह आपसे पोशीदा नहीं है। अभी अकाल के टाइम में उस पर काफी फैक्ट्स आपको मालूम हुए हैं। गवर्नमेंट जो स्कीम करना चाहती है उसमें कोई रुकावट नहीं है। गवर्नमेंट का काम है ट्यूब वैल खोदने का वह उस एरिया में खोदेगी। उसके अलावा एक एडिशनल तरीका अपनाया है कि कोई प्राइवेट आदमी करना चाहे तो कर सकता है। एक ट्यूब-वैल बनाने में करीब लाख-डेढ़ लाख कीमत लगती है और अगर वह फैल हो जाय, नाकामयाब रहे तो रुपया बट्टे खाते गया। काफी मुश्किल से इन्डिविजुअल्स करने को तैयार होते हैं। यह ट्यूब वैल कामयाब हो जायेंगे तो नये ट्यूब वैल के नजदीक उनको भूमि दी जायगी जिससे उस एरिया में पानी की सुविधा रहेगी, और उसमें उनको इस बात से पाबन्द रखा है कि गांव वालों को पानी देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहीं देंगे।

श्री दौलतराम सारण : गांव वालों को उनका गुलाम बनाना चाहते हैं। अभी बड़ी मुश्किल से उनकी गुलामी से निकले हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उनको फिर से गुलाम बनाया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : आपके नहीं चाहने से क्या होगा? सवाल यह है कि अगर पानी नहीं लेना चाहें तो न लें।

श्री नत्थीसिंह : मन्त्री महोदय ऐसी मजबूरी दिखा रहे हैं कि कोई चारा नहीं है। इस तरह से पूंजीपति की गोद में राष्ट्र को ही दे देंगे किसी न किसी दिन। आप मजबूरी दिखा क्यों रहे हैं? आप अपने साधनों को बदलिये, अपनी नीतियों को बदलिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप तो माला फेरिये। अच्छा रहे कि आप देवस्थान ले लें। यह आपके बस का रोग तो मुझे दिखाई नहीं देता है।

श्री रामकिशोर व्यास : लगान वसूली के बारे में कहा गया है कि सख्ती से वसूल किया गया है तो सरकार की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की गई है वह मैंने आपको पढ़कर सुना दी है कि कहीं रियेलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं हो रहा है और आप बतायेंगे तो कार्यवाही की जायगी। मेरी जानकारी में यह रियेलाइजेशन नहीं हो रहा है।

इसी तरह के सैटलमेंट डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कहा गया। कुछ जगहों के लिए तो यह कहा है कि सैटलमेंट के रेट्स जो हैं वे काफी ऊंचे हैं। गंगानगर और नौहर

Page No 191

(श्री रामकिशोर व्यास)

के बारे में कहा गया है कि इस तरह की बात हुई है। तो मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेट्स अभी उन्हीं की स्टेज पर हैं उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड में जायगा और उसके बाद गवर्नमेंट है। अगर रेट्स बेजा है, ज्यादा ऊंचे हैं तो उन पर गौर करके मुनासिब जो रेट्स होंगे वह किये जायेंगे।

इसी तरह से कुछ तहसीलों में, मसलन, झुन्झुनूं, चिड़ावा, बौली, सवाई माधोपुर, खण्डहार, यहां पर सैटलमेंट ड्यू हो गया है और सैटलमेंट नहीं हो रहा है तो सैटलमेंट अगले प्लान के बाद करेंगे।

जनरल बातों के बारे में कहा गया है और कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। इसलिए मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल है।

एक बात जो है पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कही थी कि जो जागीरदारों के तालाब, बन्धे और बीड़ हैं उनको पुनर्ग्रहीत किया जाना चाहिए, उनके लिये कार्यवाही की जानी चाहिए। उनसे मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की जो कानून की स्थिति है वह यह है कि जागीर कमिश्नर ने जिन तालाबों, बन्धों और बीड़ों को उनकी पर्सनल प्रापर्टी डिक्लेयर कर दी है तो आज के कानून के तहत उनको पुनर्ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह कोसी जुडिशियल कोर्ट थी जागीर कमिश्नर की। उन्होंने जिनको पर्सनल प्रापर्टी माना है और डिक्लेयर कर दिया है उनको हम नहीं ले सकते हैं। लॉ के चैन्ज करने की बात अगर आप कहते हों तो लॉ चैन्ज हो जाय तो वह अलग बात है। इस लॉ में आज जो पोजीशन है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : लैण्ड युटिलाइजेशन एक्ट....

श्री रामकिशोर व्यास : माननीय सदस्य ऐसा कोई कानून बता दें जिसके तहत वह किया जा सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो राजाओं की जमीन लेने वाला नया कानून है उस एक्ट से कवर होता है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह एक्वीजिशन की बात है, रिजम्शन के बाबत नहीं है।

श्री खेतसिंह : (स्वतन्त्र पार्टी की ओर संकेत करते हुए) आप क्यों नहीं बोलते हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : बोल रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : अन थिक जोतों के बारे में भी यहां पर प्रश्न आया है। वह पहले ही सदन में आ चुका है। अनार्थिक जोतों के बारे में यहां पर काफी डिसकशन हुआ है। पहले एक डिसीजन हुआ वह कैन्सिल हुआ और उसके बाद में एक डिसीजन हुआ है............

श्री नत्थीसिंह : यह प्रश्न तो निरन्तर आयेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : हम भी जवाब निरन्तर देते रहेंगे।

उस वक्त यह बात तय हुई थी कि लगान जो लिया गया है ,उसको अगर पंचायत समितियां या पंचायतें प्रस्ताव पास करके भेजें तो वहां के विकास के लिए वह रुपया काम में आ जाय। मान लें कि उन्होंने प्रस्ताव नहीं किया तो लौटाने के बारे में....

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : यह गलत बात होगी। पंचायत समितियों को क्या अधिकार है। वे गरीब लोग हाई-कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। बड़े आदमी हाई-कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बारे में तो हम डर जाते हैं और किसानों को वापस नहीं देंगे और उसके लिएं कहते हैं कि अगर पंचायत समितियां प्रस्ताव पास कर दें तो उनको दे देंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप एडजस्ट कर लें लगान को।

श्री रामकिशोर व्यास : माननीय विरोधी दल के नेता ने यह बात कही है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में डिमाण्ड स्लिप्स इश्यू हुई हैं और उनसे लगान वसूल किया जा रहा है। मैंने जो जानकारी की है उसके मुताबिक यह बात सही नहीं है। अगर वह सही है जैसा कि वे फर्माते हैं तो जिन लोगों ने डिमाण्ड स्लिप्स दी हैं या पर्चे वगैरह देने की कार्यवाही की है उनके खिलाफ जांच करके जो कार्यवाही मुनासिब होगी वह करेंगे।

दूसरी बात पैनल्टी वाली आपने फर्माई है कि एक ही भूमि पर कई दफा पैनल्टी ले ली जाती है। मैं अर्ज करूं कि जिन केसेज में रेग्युलेराइजेशन होता है, जिन भूमियों का नियमन होता है उनके अन्दर सिर्फ एक ही पैनल्टी चार्ज की जाती है चाहे कितने ही सालों से वह उस पर काश्त करता हो, लेकिन जो इजेक्टमेंट के केसेज हैं वहां पर पैनल्टी कई बार चार्ज की जाती है। रेग्युलेराइजेशन के केसेज में नहीं की जाती है।

और बहुत से मुद्दे हैं लेकिन उनमें काफी वक्त लग जायगा........

श्री नत्थीसिंह : हम लिखित में पढ़ लेंगे। अच्छा हो कि आप लिखकर भेज दें।

श्री रामकिशोर व्यास : एक बात और अर्ज कर दूं.......

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अखबारों को दे दें तो अखबारों में पढ़ लेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : आप को दे दूंगा लेकिन रामानन्दजी नहीं चाहेंगे। अखबारों में तो तभी आयेगा जब कि मैं यहां पर कहूँगा।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक एडजोर्नमेंट मोशन और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि चौधरी रामचन्द्रजी ने जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चैयरमैन हैं उन्होंने सरकारी कागजात में अपने पद का दुरुपयोग करके, फोर्जरी करके अपनी खुद की जमीन जो हैं वह हड़प

(श्री रामकिशोर व्यास)

ली है, वह बेकायदा कार्यवाही उन्होंने की है........

श्री खेतसिंह : उन्होंने अपने चश्मे से देखा था।

श्री रामकिशोर व्यास : उस स्थगन-प्रस्ताव और आपके मोशन के पहले की इन्फमेंशन है जिस वक्त कि आप बोले थे तो आपने कहा था कि चौधरी रामचन्द्र जी ने जो कि पी० एस० सी० के चैयरमैन हैं उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके कुछ सरकारी दस्तावेजात में जाली दाखले करके इस तरह से जमीन जो है अपने कब्जे में कर ली है। आपने जब यह बात यहां कही तो मुझे भी यह काफी सीरियस लगी। मैं उस वक्त जवाब देना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि अच्छा हो कि मामले की सारी जानकारी करके, कागजात वगैरह की पूरी तहकीकात करके उसके बाद इस सदन में कुछ अर्ज करूं। मैंने सारे कागजात देखे हैं और पूरी जानकारी उस मामले में की है। उसके तथ्य इस प्रकार हैं, और जो तथ्य सामने आये हैं उनके आधार पर कह सकता हूं कि जो आपका एलिगेशन है वह सही नहीं है.......

श्री खेत सिंह : निराधार और झूठे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : .... कोई फोर्जरी नहीं है, और मैं पूरे तरीके से इस बात का मुतैइयन हूं कि इस तरह की कोई बेजा बात नहीं है। तथ्य इस प्रकार से हैं। सन् ५६ में चौधरी रामचन्द्र ने २०० बीघा जमीन खरीद ली थी। उसके बाद वह भूमि उन्होंने तबादला करानी चाही थी। वह जमीन १५-१६ टुकड़ों में थी। इसलिए उन्होंने कोलोनाइजेशन स्कीम को यह दरखास्त की कि अलग अलग टुकड़ों के बजाय एक जगह जमीन दे दी जाये। लिहाजा २०२ बीघे के बजाय १४६ बीघा जमीन हनुमानगढ़ में दे दी। ५८ बीघा एक और जमीन थी जिसके लिए कहा गया कि यह सरकारी जमीन है या नहीं। क्योंकि जमीन मुसलसल नहीं थी। यह खाली बंजर था। बंजर सरकारी हो जाता है। इसको यह रिपोर्ट आयी कि यह सरकारी है बंजर है। चौधरी रामचन्द्र ने इस पर मुकदमा किया। यह कहा गया कि यह ५७ बीघा जमीन की मिल्कियत हमारी है। सरकार की नहीं। मुकदमा चला। आखिर में यह फैसला हुआ कि यह जमीन उनकी है सरकारी नहीं। लिहाजा ऐसा ही कर दिया जाये। यह फैसला हुआ। जैसा कि बिस्वेदारी कहते हैं वह उनको कोलोनाइजेशन द्वारा मान लिया गया है। जैसी कि जमीन खरीदी गई थी उसकी लिमिट है। वह सम्वत् १४-१५ और १६ है। आपने मिसिल लगाई है। १५-१६ में जजमेंट आ गया है। १६ में होगा तो भी आजाएगा।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : जैसे १४-१५ हो गया वैसे ही १६-१७ भी होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : यह जो जमीन खरीदी उसका सरकारी कागजों में दाखिला हुआ है। मैं मुतमइन हूँ जो डाकू-

(श्री रामकिशोर व्यास)

मेंट बदले हैं, यह फोर्जजरी होती नहीं है, और भी वाकया जानना चाहें तो जान सकते हैं। मैं यह कहूँगा कि कागज बदले जाना यह गलत है। सर्टिफाइड कापी आप ले सकते हैं।

(६–५५ सायं)

(श्री कृष्ण कुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

जो तहरीरी जवाब होगा वह होगा।

श्री श्रवणलाल : भरतपुर के बारे में भी जवाब दे दीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मन्त्रीजी ने जवाब दिया है। कुछ तथ्य हैं, जिन पर विचार किया है। उनके बारे में जानकारी चाहूँगा। एक यह कि क्या यह सही है कि उन्होंने जो लैंड विस्वेदारी एक्ट के अनुसार जो जमीन उनकी नहीं थी, वह सरकारी हो जानी थी, जो उनकी मजरुआ थी। ५८ बीघा ९ बिसुआ। जिसका जिक्र किया गया है, क्या यह सही नहीं है। वह बंजर कदीमी-लिखी हुई थी। वहां काश्त नहीं हुई। वह सम्वत् १४ में दी गई है। उसमें चावल बोया दिखाया गया। वह नाले की जमीन है। जुलाई में चावल बोया जाता है। और कोई काश्त नहीं हो सकती है। उन नम्बरोंमें कभी काश्त हुई नहीं है केवल उसको खुदकाश्त बनाने के लिए, ताकि बिस्वेदारी एबोलीशन के अन्दर वह सरकारी जमीन न हो जाये, उस कुशल यीअर के अन्दर उसको आपने काश्त दर्ज कराई है। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूँगा कि क्या इसका महत्त्व नहीं समझते? सन् १९१४ का आदेश जिसकी नकल आपके पास पेश हुई है उसमें तहसीलदार ने लिखा है कि वहाँ की पर्ची पड़ी हुई है जिसके अन्दर लिखा हुआ है कि इसको काटकर दुबारा नोट दिया हुआ है। तो यह सब उनको विस्वेदारी एबोलेशन से निकालने के लिये किया गया है ताकि सरकारी जमीन न बन जाय और उनकी जमीन रहे। तो क्या ओरीजनल रिकार्ड जो रेवेन्यु का है २०१४ का उसमें यह कटा हुआ है या नहीं? उसमें किसी तरह से चिपका हुआ है या नहीं, और तहसीलदार का नोट क्या है, वह गलत है या सही है। उसकी आपके पास सर्टीफाइड कापी पेश की है। या तो तहसीलदार ने सर्टीफाइड कापी गलत दी है या ओरीजीनल रेकार्ड गलत है।

दूसरी बात, जो असिसिटेन्ट सेटलमेंट कमिश्नर, कोलोनाइजेशन हैं, उनके यहां यह केस गया। यह बात दुरुस्त है कि उनके यहां केस गया। लेकिन इसी तरह के और कई केसेज गये और उन्होंने यह केस चौधरी जी के फेवर में डिसाइड कर लिया, लेकिन उनके ऊपर जो डाइरेक्टर थे उन्होंने ऐसे तमाम केसेज में स्टे कर दिया क्योंकि बनावटी तरीके से लोगों ने जमीन पर कब्जा किया था। तो एक तो यह बात दुरुस्त है या नहीं कि मिस्टर भटनागर ने तमाम केसेज अपने आर्डर से स्टे कर लिये या नहीं। और तीसरी यह बात कि क्या यह सही है कि उसके इन्दराज के अन्दर सरकार एक नेसेसरी पार्टी थी, सरकार का इन्टरेस्ट था, लेकिन उस केस में सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया। तो उसमें सरकार की तरफ से पैरवी कौन करे। इसलिये उन्होंने अपना असर डालकर, क्योंकि वे उस जमाने में मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना असर डालकर,

(रामनन्द अग्रवाल)

खुद ही मुद्दई बनते हैं, सरकार वहां मौजूद है नहीं, सरकार की तरफ से केस फाइट किया नहीं गया और उन्होंने अपने हक में इकतरफा फैसला करा दिया।

एक बात और है कि अगर नाली की इस जमीन में उनकी काश्त २०१४ में हुई होती तो इनके नाम डिमांड स्लिप इशू हुई होती, लगान जमा हुआ होता। लेकिन इसमें कोई लगान जमा नहीं करवाया गया। बाद में डिमांड स्लिप्स भी फार्जरी करके बनवाई गई हैं।

चौथी बात, एक डिस्क्रेपन्सी रिकार्ड के अन्दर साबित होती है। जो ढाल बांच बनाया गया है उस ढाल बांच के अन्दर इसका खसरा नम्बर ११४५।४०५ है। यह खसरा नम्बर १७ बीघा, ८ बिसवा का है

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

जिसमें दस बीघा चौधरी रामचन्द्र के पहले ही थे और बाकी ७ बीघा ८ बिसवा बंजर कदीम लिखी हुई थी। लेकिन ढाल बांच में जो रकबा दिया हुआ है उसमें ५८ बीघा ६ बिसवा के बजाय ६८ बीघा ६ बिसवा दर्ज किया हुआ है। इस तरह से १० बीघा का ऐडीशनल रकबा जोड़ दिया है। तो यह भी जाहिर करता है कि यह डिस्क्रेपेंसी है।

इसी तरह से मैं पांचवीं बात कहना चाहता हूं, अगर वह इलाका है जहां पर नाली में कोई काश्त करता है तो उसको इरिगेशन रेट्स पे करनी चाहिए। अगर सम्वत १४, १५, १६ में काश्त की तो उन्होंने क्या इरिगेशन रेट पे की है? मैं चैलेंज करके कहता हूं कि उसकी इरिगेशन रेट पे नहीं हुई है, कोई डिमान्ड नहीं निकली है। इससे साफ है कि उनकी कोई भी काश्त नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी का उत्तर है वह केवल एस. ई. साहब के जजमेंट की बुनियाद के ऊपर है, जिसके ऊपर आथोरिटी ने इसको कर दिया जिसमें नैसेसरी पार्टी गवर्नमेंट को नहीं बनाया जब कि उसके अन्दर नैसेसरी पार्टी गवर्नमेंट थी। इसके साथ ही जो डाकूमेंट फोर्ज्ड करने का जिक्र किया है उसके बारे में भी मंत्री जी ने जिक्र नहीं किया, आया काट कर कोई एन्ट्री की गई है या नहीं की गई है? मंगलराम कानूनगो के जरिये से एन्ट्री की गई है या नहीं की गई है। जो मंगलराम कानूनगो है, जिसके नाम से वह एन्ट्री है, वह उस वक्त १९५९ में वहां पर कानूनगो था या नहीं था? मेरा चैलेंज है, वह उस वक्त उस हल्के में था नहीं और इस शख्स से बाद में एन्ट्री करवाई गई है ...

श्री अध्यक्ष : सब पूछ लिये। अब स्पष्टीकरण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खत्म करता हूं अभी।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस क़ुसल ईअर जिसके अन्दर उनकी खुद काश्त नहीं होने से वह जमीन सरकारी बन जाती थी, उस क़ुसल ईअर में उनकी काश्त नहीं थी। उनकी खुद काश्त दर्ज नहीं थी, बावजूद इसके जब वह यहां पर मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना

Page No 196

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

फैसला करवा लिया और अभी तक उसके तबादले का फाइनल फैसला नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह तबादला मंजूर किया जाय या नहीं किया जाय—इसका आज तक फैसला फाइनल नहीं हुआ है और पहले ही तबादले में उनको जमीन दे दी गई है, उनका तबादले की जमीन पर कब्जा है और वह काश्त कर रहे हैं। मेरा यह भी कहना है कि ५८ बीघा ६ बिस्वा जो कि नाली में थी, खसरा नम्बर १०५१।२४८ जिसमें २२ बीघा ६ बिस्वा जमीन है, खसरा नम्बर ११५१।७६ जिसमें २८ बीघा ७ बिस्वा जमीन है, खसरा नम्बर ११४५।४०५ जिसमें ७ बीघा १३ बिस्वा है, यह जमीन है ५८ बीघा ६ बिस्वा जो बंजर चली आ रही है। मेरा कहना है कि उस पर आज भी काश्त नहीं होती हैं, इसी पीरियेड में काश्त नहीं हुई, इसका डिवीजन मौजूद है। तबादले में दूसरी जमीन लेली है, उस जमीन में इन्द्राजात केवल तीन वर्ष में काश्त के किए गए हैं, बाद में काश्त के इन्द्राजात नहीं हैं। और पहले भी नहीं है इससे साफ इन्फरेन्स निकलता है कि उन तीन वर्ष में इसके स्पेशल इन्द्राजात कराये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं चाहूँगा, माननीय मन्त्री इन सब बातों का उत्तर दें।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, वाकयात साफ आपके सामने रखे, लेकिन आपने एक राय बना ली और जिद्द फर्मा ली तो उसका इलाज मेरे पास है नहीं। मैंने जो तथ्य कहे, उनमें इससे ज्यादा क्या सबूत हैं कि रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन होकर बैनामे के जरिये कन्सेशन लिया है और ४५ हजार में ५८ बीघा ६ बिस्वा जमीन खरीद की है। उसकी रजिस्ट्री हुई है। इस खरीद में कोई मेलाफाइडी नहीं है, खरीद उन्होंने अपने समधी से की है, रिश्तेदार से जमीन ली है, यह मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उसके जो कागजात हैं उसमें यह दर्ज है। उसके बाद में इन्तकाल दर्ज है। उसके बाद जो इन्तकाल कराया है वह भी दर्ज है। और इस सम्बन्ध में जो डिस्प्यूट हुआ उसको हीयर करने के लिए प्रोपर कोर्ट कोलोनाइजेशन था, वहाँ यह मामला गया और इस पर फैसला कराया। उसने जो अन्तिम निर्णय दिया है, उसमें कुछ मुद्दे अगर हैं तो उनको पार्टी चैलेंज कर सकती है। लेकिन जो कोर्ट ने फैसला दिया है वह अभी अन्तिम है।

इसके अलावा आपने दो बात कहीं—एक बात तो यह कि गलत फैसला करा लिया और दूसरे यह कहा कि दूसरे पक्ष को मौका नहीं दिया और एकतरफा फैसला कर लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि १९६३ के अन्दर यह फैसला हुआ, उस वक्त रामचन्द्र जी मिनिस्टर नहीं थे।

दूसरा जो सवाल है कि एकतरफा फैसला था, तो यह भी सही नहीं है। इसमें सरकारी वकील भी मौजूद हैं। रिकार्ड से इस प्रश्न के सम्बन्धी पोर्शन मैं पढ़ देता हूं।

१९-११-६३ को सायल रामचन्द्र हाजिर, पैरोकार सन्तलाल हाजिर

(श्री रामकिशोर व्यास)

तो सरकार की तरफ से वकील हाजिर था। दूसरी पार्टी भी हाजिर थी। इस मामले में एवीडेंस हुई, शहादतें हुई और फैसला दिया। इसको भी अन्तिम निर्णय नहीं मानें तो इसका मेरे पास इलाज नहीं है। सम्वत् १४, सम्वत् १५, सम्वत् १६ का ढालवांच का इन्द्राज मौजूद है। इससे ज्यादा आप क्या सबूत चाहते हैं। फिर आपको शंका क्यों रह जाती है। जो जमीन पर काबिज है, उसका दस्तावेज है, मोतविर दस्तावेज है। अब उसको आप जाली कहें तो वह जाली क्यों करेगा, इस मामले में बेईमानी किस कारण करेगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं बता दूं....

श्री रामकिशोर व्यास : आप सुनिये। बैठिये !

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप सवाल भी पूछ रहे हैं और यह भी कह रहे हैं बैठिये !

श्री रामकिशोर व्यास : आपने सवाल पूछ लिए हैं। मैं सवाल के रूप में पुट आप कर रहा हूं।

अब एबोलिशन आफ़ जमींदारी १९५९ में पास हुआ। अब आप कहते हैं खुदकाश्त की बात बंजर जमीन पर। अगर खुदकाश्त नहीं हुआ था और खुदकाश्त मान लिया जाता है, तो एक्ट १९५९ में पास हुआ था और १९५८ में इन्द्राजात कर लिये जाते हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। यह १४, १५ सम्वत् की बात कर रहे हैं। आपका कहना है कि १५ का है वह फर्जी है, १६ का है वह फर्जी है, जबकि इस मामले में एवीडेंस हुई हैं, इतनी शहादतें हैं, इतनी गवाही हैं और फैसला है। अगर किसी को इसमें आपत्ति है तो वह कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाय और वहाँ से केस जीत कर आये। मैं नम्रता पूर्वक निवेदन कर दूं कि अगर इसमें शिकायत है तो उसके लिए कोर्ट खुली है, वहां शिकायत करें....

श्री मुकुट बिहारी लाल : एक छोटे से छोटा वकील यह समझ सकता है कि आपका जवाब माकूल नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं वकील की हैसियत से नहीं, इस सदन के सदस्य की हैसियत से कह रहा हूँ।

श्री मुकुट बिहारी लाल : १४ में काश्त दर्ज है, जिन्सवार वह....

श्री अध्यक्ष : जो स्पष्टीकरण करना था वह कर दिया गया है।

श्री मुकुट बिहारी लाल : वह रेकार्ड में काश्त आई या नहीं।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मकान के बारे में कहा था...

श्री दौलतराम सारण : एक बात मैं पूछना चाहता हूं....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि मेरे पास एलाटमेंट आदि–आदि के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देने को हों, कोई प्रपोजल हों तो मैं उनके समक्ष रखूं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि विरोधी पक्ष के लिये यह आवश्यक नहीं है कि हम सुझाव दें........ ...

श्री रामकिशोर व्यास : जरूरी नहीं है। वैसे ही अर्ज कर दिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी बात कृपा करके सुनने का कष्ट करें। आखिरकार शासनारूढ़ दल की रीति और नीतियां होती हैं, उन रीति और नीतियों को कार्य रूप में शासनारूढ दल अमली जामा देता है। मैं यह समझता हूं कि जुरिसप्रुडेंस का एक महत्वपूर्ण अंग डिले डिफीट इक्विटी है। सारी चीजों के सम्बन्ध में, चाहे वह सीलिंग का मसला हो, चाहे भूतपूर्व राजाओं की जमीन का मसला हो, चाहे म्यूटेशन का मसला हो, चाहे ऐलाटमेंट का मसला हो—आपकी नीति इतनी दूषित है कि डिले डिफीट इक्विटी :

आप अपने आपको प्रगतिशील कहें, आप हम लोगों को प्रगतिक्रियावादी कहें, खैर उसका स्वागत है। मैं इधर की तरफ भी बहुत सम्माननीय सदस्यों को इज्जत की दृष्टि से देखता हूँ, पर अगर सामन्तवादी तत्व इधर हैं तो उधर नहीं हैं, मन्त्रिमण्डल में नहीं है, यह कहें तो सही नहीं है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो गम्भीर बात कही, गंगानगर में तो कोई भूतपूर्व नरेश, जागीरदार और सामन्तवादी तत्व नहीं थे, शायद आधुनिक सामन्तवादी तत्व हों, आपके दीये के नीचे अन्धेरा हो तो आपको विचार करना चाहिये, अपनी खामियों को दूर करना चाहिये, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि:—

Delay defeats equity.

आप यह स्वोर्ड आफ डेमोक्लीज को हेंग करते हैं और फिर वर्षों तक हेंग करते हैं और फिर कहते हैं, आपको जानकारी भी यह मेरे ख्याल से अवास्तविक है। वसूली है, इसके लिये सरकार का फैसला है, आपने ऐलान किया कि लगान की वसूली नहीं की जायेगी, आपने ऐलान किया कि अकाल है इसलिये वसूली स्थगित की जायगी पर पानड़ी भी नहीं देते और वसूली करते हैं, आखिर हम जिम्मेदार हैं, सैकड़ों आदमियों से सुना है इसलिये कहा है, मन्त्री महोदय ने उदारतापूर्वक कहा कि छानबीन करूंगा, जानकारी प्राप्त करूंगा पर आपकी जानकारी एक सीमित दायरे में रहती है।

इस हद तक हैं। मुझे नहीं चाहिये कि मैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहूँ पर जो अधिकारी कह देते हैं आप पैरिट की माफिक पढ़ कर यहां सुना देते हैं। इस तरह शासन नहीं चल सकता और अगर इस तरह चला तो आप तो आप डूबेंगे ही, हमको, समाज को और देश को भी ले कर डूबेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे।

श्री दौलतराम सारण : मन्त्री महोदय ने अतिक्रमण के बारे में नियमन करने की बात कही और कहा कि उदारता पूर्वक नियमन कर दिया गया है। और आज जो दर्ज नहीं हैं, ऐसे लोगों के अतिक्रमण को भी कन्सीडर करेंगे, तो जो दर्ज नहीं हैं वे और बढ़ते ही रहेंगे, खैर यह देखना सरकार का काम है, मैं इस सम्बन्ध में नहीं कहूँगा पर सवाल यह है कि इतनी भारी संख्या में अतिक्रमण हुए। पटवारी से ले कर कलेक्टर तक सभी राजस्व विभाग के अधिकारी थे, उसमें से क्या आपने किसी एक के भी खिलाफ एक्शन लिया है ? यह आप बतायें कि क्या किसी भी अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया गया है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय मैं एक प्रश्न आपके द्वारा मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, वह यह है कि इस प्रकार के नियम बने हुए हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों को जो भूमि दी हुई है, जो भूमि अलोट की हुई है, उस भूमि को कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता। पर इनकी भूमि पर कई लोग कब्जा किये हुये बैठे हैं, स्वर्गीय नेता श्री माणिक्यलालजी वर्मा ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखा था कि चण्डालिया गांव सांपां तहसील में सह-रिया लोगों की जमीन पर वहाँ के कुछ सरदारों ने कब्जा कर रखा है, बारां के एस० डी० एम० ने स्टे आर्डर दे दिया है फिर भी आज तक वे दूसरे लोग ही उन सहरियों की भूमि पर काबिज हैं, तो आप यह बतायें कि उनको उनकी जमीनें वापिस दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? एक तो आप यह बतायें।

दूसरा प्रश्न यह है कि सांपा तहसील में जिन आदिवासियों को २० हजार बीघा भूमि अलोट की गई थी, उसमें से १० हजार बीघा भूमि पर जो लोग गैर आदिवासी हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नहीं हैं, उन लोगों ने आज भी कब्जा कर रखा है, कलेक्टर महोदय ने उनकी फाइलें जब्त कर रखी हैं पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो क्या मन्त्री महोदय आश्वासन देंगे कि जिन लोगों को शहाबाद और किशनगंज में गलत अलोटमेंट किये गये हैं उनको कैंसिल करके वह भूमि वहां के आदिवासियों, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को दिलवायेंगे ?

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि तहसील रीआर्गेनाईजेशन कमीशन की नियुक्ति हुए दो साल हो गये, पर उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, उसके सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है कब तक वह रिपोर्ट आ जायेगी।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जवाई बांध में जिन लोगों की जमीनें डूब में आई हैं उन काश्तकारों को न तो अभी तक कोई दूसरी जमीनें अलोट की गई हैं और न उन लोगों को उनकी जमीनों का मुआवजा दिया गया है। वे काश्तकार जो उनकी जमीनें डूब में आई हुई हैं, उस जमीन पर डूब में से बाहर निकल आने पर काश्त करते हैं तो उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जाती है और हजारों रुपया जुर्माना हर साल बार-बार किया जाता है, तो क्या राज्य सरकार उन

(श्री पृथ्वीसिंह)

लोगों पर किये गये जुर्माने को माफ कर करने का ऐलान करेगी और जब तक कि उनको दूसरी जमीनें उनकी जवाई बाँध में डूब में आई हुई जमीनों के बदले अलोट नहीं कर देती तब तक उनको डूब में आई हुई उनकी जमीनों पर काश्त करने की इजाजत देने का ऐलान करेगी ?

श्री मूलचन्द डागा : विनियमित करने के मामले किये हैं, उससे राज्य सरकार को कितने लाख रुपयों की प्राप्ति हुई है। एक तो मन्त्री महोदय यह बतायें।

दूसरे यह बतायें कि भूमि आवंटन के लिए कितनी भूमि अवाप्त की गई है। तीसरी बात यह बतायें कि आपने अपने विनियमित करने के रूल्स निकालने के बाद कितने इन्स्पेक्शन करवाये हैं और अपनी तरफ से कितनों को सहायता दी है ?

श्रीमती मदन कौर : क्या भारत सरकार भूमि सुधार के लिए कोई अनुदान अथवा ऋण देती है। देती है तो किसको देती है, और कितना देती है ?

श्री अध्यक्ष : राजस्व मन्त्री।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मन्त्री) **:** माननीय सदस्य ने तहसील रीआर्गेनाइजेशन कमिशन की रिपोर्ट के बारे में कहा, वह अभी आई नहीं हैं। दो तीन महीने में एक्सपेक्ट करते हैं कि रिपोर्ट पेश कर देगे।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि श्री माणिक्यलाल जी ने लिखा था। यह मेरी जानकारी में नहीं है। यह शायद कोलोनाइजेशन से सम्बन्धित होगा। कट मोशन में इसकी कोई सूचना भी नहीं दी है।

श्री देवीदत्त गाडिया : शाहबाद समिति कोई कोलोनाइजेशन में नहीं है मेरे कट मोशन शाहबाद की भूमि के बारे में है।

श्री रामकिशोर व्यास : इस विवश्चन के बारे में नहीं है, इसलिए इसके संबंध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

जवाई बांध की दूब में आई हुई काश्तकारों की जमीन के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा, वह मामला मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं, कोलोनाइजेशन से सम्बन्धित है, इसलिये उसके बारे में मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता।

श्री पृथ्वीसिंह : इस प्रश्न के बारे में मेरे कट मोशन्स थे।

श्री रामकिशोर व्यास : गलत भेज दिये। यह मामला कोलोनाइजेशन से सम्बन्धित है। मुआवजा देना हमारे विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : मैंने बताया कि इनकी भूमि जवाई बाँध में दूब में आई हुई है, उनको उसके एवज में कोई भूमि अलोट नहीं की गई है और वे डूब में आई हुई जमीन पर पानी से खाली होने पर काश्त करते

(श्री पृथ्वीसिंह)

करनी हैं तो बार बार हजारों रुपया जुर्माना किया जाता है........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, मंत्री महोदय ने कहा है कि इनके विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : सजा दी जाय तो एक बार दी जाय, एवरी ईयर पैनल्टी, पैनल्टी........What is This ?

श्री पृथ्वीसिंह : १५ पन्द्रह गुना पैनल्टी लोगों से निरन्तर १० सालों से वसूल की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आपने रखा, उसका उत्तर दे दिया कि उनके विभाग से सम्बन्धित नहीं है, कॉलोनाइजेशन से सम्बन्धित है।

श्री पृथ्वीसिंह : उत्तर कहां दिया है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपका सवाल है कि जवाई बांध में भूमि अवाप्त की गई थी, उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। मैंने निवेदन किया कि यह मामला कॉलोनाइजेशन से सम्बन्धित है, मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : पैनल्टी लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उनके पास जानकारी नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तो नीति सम्बन्धी प्रश्न है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, पन्द्रह, पन्द्रह गुना उन गरीब काश्तकारों से पैनल्टी वसूल की जा रही है और मन्त्री महोदय जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं भी तो विवश हूं, वे कहते हैं कि जानकारी नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : कम से कम मन्त्री महोदय को कह दें कि जानकारी करके आया करें।

श्री पृथ्वी सिंह : नीति के माफिक बता दें कि हर साल उन लोगों से पन्द्रह २ गुना पैनल्टी वसूल की जा रही है, क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी नहीं है।

राजस्व मंत्री।

श्री रामकिशोर व्यास : माननीय सदस्य ने कहा कि इतने केसेज हुए तो किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हुई या नहीं ? यह मैं नहीं कह सकता पर इतने केसेज हुए हैं तो ग्रेड इन्क्रीमेंट रोकने तथा सेंश्योर लिये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिये यह प्रोविजन हमने किया है।

पाली से आये हुए माननीय सदस्य ने पूछा कि रेगुलेराइज करने से कितना रुपया आय के रूप में मिला, इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : कुछ तो आया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पैनल्टी से आया है।

श्री दौलतराम सारण : सरकार की किसी सूचना, निदेश, आदेश का पालन नहीं होता है, कोई क्लेक्टर उनको पढ़ता भी है क्या ? क्या इस प्रकार शासन चलता है ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। सामुदायिक विकास मंत्री !

श्री रामकिशोर व्यास : इसे तो पास कर दें।

श्री परसराम मदेरणा (सामुदायिक विकास मंत्री) **:** अध्यक्ष महोदय, कॉम्युनिटी डेवेलपमेंट को ले कर कई प्रकार की चर्चाएं चलीं। हाउस का टाइम कम है इसलिए मैं संक्षेप में ही उत्तर दूंगा। यह क्रिटिसिज्म चल रहा है, कॉम्युनिटी डेवेलपमेंट को टार्गेट बनाया जा रहा है, इसलिये बनाया जा रहा है कि इस कॉम्युनिटी डेवेलपमेंट से ज्यादा एक्स्पेक्ट किया गया है और जिस इन्टेन्शन को ले कर यह प्रोग्राम स्वतन्त्रता के बाद देश में चालू किया गया था, उसका इन्टेन्शन कुछ और था, इसलिये यह स्वाभाविक है। यह स्वाभाविक है कि लोगों को इसमें असफलताएं ही असफलताएं नजर आती हैं। इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र का पूरा अर्थ कृषि पर निर्भर है और स्वतंत्रता के पहले भी इसके कई प्रयास किए गए। हमारी जो कृषि है और जो कल्टीवेटर्स हैं वह खेती के सुधरे हुए टेक्निक्स को नहीं अपनाते हैं, उसको प्रशिक्षित करना है और अन्नोत्पादन ज्यादा होने से इस प्रकार प्रयास हो चुके थे। द्वितीय विश्व-युद्ध के समय ग्रो मोर फुड चालू किया था, लेकिन वह असफल रहा इस देश में। आजादी के बाद राष्ट्र के नियोजन में सबसे पहले प्रयास किए गए, जिसमें भाखरा, दामोदर वैली, हीराकुंड की योजनायें थीं और उसके साथ चितरंजन और सिंदरी के प्रोजेक्ट्स की स्थापना करके वहां कम्युनिटी डेवलेपमेंट से बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वह इसलिए लिया गया कि किसानों के सामने तीन समस्यायें थीं। सबसे पहले समस्या यह थी कि पुराने खेती में फंसे हुए स्टैग्नेशन को ब्रेक-थ्रू कैसे किया जाय उसको किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाय और खेती के उन्नत तरीके वह अपनायें। दूसरी समस्या यह थी कि किसान का सम्बन्ध खेती विभाग से ही नहीं बल्कि सिंचाई विभाग से भी है। इसके अलावा राजस्व विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग से भी है। इसलिए सभी विभागों के लिए समन्वय करने के लिए कौनसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्थापित किया जाय ? तीसरी समस्या यह थी कि इस परिवर्तन में किसान को लाने के लिए सिर्फ क्षेत्र को लिया जाय या राज्य को लिया जाय, उससे खेती में रिवोल्यूशन नहीं आ सकता है, सोशियल ट्रांसफार्मेशन होना संभव है। देश ५ लाख गांवों में बिखरा हुआ है इसलिए सोचा गया कि खेती के उन्नत तरीकों को किसान तक पहुँचाया जाय। ये कुछ समस्याएं थीं।

इसका एक जवाब था। वह था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसलिए इस

(श्री परसराम मदेरणा)

देश में यह प्रोग्राम आरंभ किया गया तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल एक्सटेन्शन सर्विसेज ब्लाक्स की स्थापना की गई और धीरे धीरे पूरे राष्ट्र को इन ब्लाक्स से कवर किया गया, और उसके बाद जब यह देखा गया कि जनता का सहयोग इस प्रोग्राम को चलाने में अत्यन्त आवश्यक है,तो पंचायत राज की स्थापना की गई; देश भर में उसके बाद करीब ६ साल के आसपास समय व्यतीत हो गया। कई प्रकार की परिस्थितियाँ हमारे सामने आ गई हैं, राज्य सरकार के सामने और जनना के प्रतिनिधियों से सामने भी आगई हैं। जब कभी ऐसी परिस्थितियां आती रही हैं तो उनको दूर भी किया गया है और करेक्टिव स्टेप्स भी लिए गए हैं। इसलिए यह कहना कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान में और देश में फेल हो गया है, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि आज हम यह अनुभव कर रहे हैं कि देश में ग्रीन रिवोल्यूशन आ रहा है। कृषि क्रांति नजर आ रही है। गांवों के अन्दर जो रूरल ट्रांसफार्मेशन आपको दीखता है वह कम्युनिटी डेवलपमेंट और पंचायती राज की देन है, ऐसा मेरा मानना है, और उन लोगों का मानना है जिन्होंने इस प्रोग्राम के पीछे फिलासफी थी और जिसको उन्होंने समझने को कोशिश की है।

जिस पंचायती राज को और जिस प्रोग्राम को चलाने के लिए ८५ हजार के आसपास सरपंच और पंच लगे हुए हों, और जिन वंचायती राज संस्थाओं में ४२ हजार राज्य कर्मचारी लगे हुए हैं, वहाँ अनियमितताये होना संभव हैं। उनको दूर करने के लिए, चाहे खरीद के बारे में, चाहे जीप के उपयोग के बारे में, चाहे अनुदान के यूटीलाइजेशन के बारे में नियम बने हुए हैं, जहां कहीं भी फ्लॉ पाया गया या देखा गया कि दुरुपयोग किया गया है तो राज्य सरकार ने हमेशा एक्शन लिया है। हर साल पंचायत और पंचायत समितियों का ऑडिट लोकल फंड के द्वारा होता है और ए० जी० के द्वारा टैस्ट ऑडिट होता है और उस ऑडिट के अनुपालन का कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी कलक्टर है, और उसके बारे में अनियमितताओं और सत्ता के दुरुपयोग जब कभी मामले राज्य सरकार के सामने आते है तो हमेशा एक्शन लेते हैं।

अब जो माननीय सदस्यों ने यहां बातें कही। उनका उत्तर देना पसन्द करूंगा। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ऑर्डिनेन्स के जरिए पंचायतों का टर्म तीन साल के बजाय ५ साल क्यों किया गया ? इस ऑर्डिनेन्स पर जब विधेयक सदन के सामने आ रहा है उसी दिन में डिटेल में जाना पसंद करूंगा।

वह भी उन्होंने कहा कि कलक्टर को जिला परिषद् का सेक्रेटरी बनाया जाय और आपने आका का जिक्र किया। वह आका सदन के नेता हैं।

श्री नत्थीसिंह : आपके आका हैं।

श्री परसराम मदेरणा : वह आपके भी आका हैं। सदन के प्रांगण में आप जैसे जिम्मेदार माननीय सदस्य के लिए यह शोभनीय नहीं होगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

आपने कहा कि भ्रष्टाचार का विकेन्द्रीकरण किया गया है। हो सकता है खरीद फरोख्त के मामलों में पंचायत समितियों में गड़बड़ हो सकती है। मैं यदि एक्शन लेता हूँ तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, स्कूल ऑफ थाट है कि आप इन्टरफीएरंस कर रहे हैं ऊपर से और स्वायत्त शासन संस्थाओं की ग्रोथ को चैक करते हैं। जब इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाते हैं तो यह कहा जाता है, और नहीं लेते हैं तो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार का विकेन्द्रीकरण किया है। हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। आज राजनैतिक चेतना और सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना जितनी भी है इस कार्यक्रम को हाथ में लेने के बाद राजस्थान के ३२ हजार गांवों में आई है।

आपने प्रधान के बारे में कहा। वह फौजदारी मुकदमा था। वह पुलिस विभाग को पता है मुझे नहीं। (श्री नत्थीसिंह के खड़े होने पर) यह कोई तरीका नहीं। मेरे बोलने के बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कटौती प्रस्तावों के अन्दर इसके बारे में कुछ मुद्दे उठाये गये हैं, मैं इनकी जांच कराऊंगा और अगर अनियमितता पाई जायेगी तो दोषियों को दण्ड दिया जायगा।

श्री नत्थीसिंह : जिनके बारे में मंत्री महोदय को व्यक्तिगत जानकारी है कट मोशन्स पर, स्वयं जानते हैं....

श्री परसराम मदेरणा : जो कुछ मैं जानता हूँ, आपको स्वयं पता होगा। मैं इंसाफ करता हूं। माफ करना, पिछले सत्र में भी डिमांड के समय मैंने यह बात कही थी कि किसी सरपंच के खिलाफ जांच करते वक्त मेरा इन्डिपेंडेंट जजमेंट देने का इन्टेन्शन है, उसको आप प्रेजुडिस न करें क्योंकि मै वहां जज की हैसियत से बैठता हूं।

यहां पर पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्राम सेवकों के प्रमोशन के बारे में कहा। हाल ही में पंचायत एसिस्टेन्ट के पद पर उनका प्रमोशन किया गया है। एक्सटेन्शन सर्विसेज में उनको लिया है। उसके साथ-साथ कुछ पद परिवार नियोजन में क्रिएट किए गए हैं और अभी जो वेतन श्रृंखलाओं में बढ़ोतरी हुई है, मैं मानता हूँ सीनियर पे स्केल्स भी रखी हैं। जूनियर और सीनियर पे स्केल्स राजस्थान में, हिन्दुस्तान भर में एक राज्य को छोड़कर हमारे यहां ग्रेड्स ग्राम सेवकों के सबसे ज्यादा हैं और मैं खुद चाहता हूं कि जो लोग आज इस प्रोग्राम को ले जाने में हमारे साथ खड़े हैं उनको प्रोमोशन के चांसेज रहें, और इस पर राज्य सरकार और विचार करेगी।

यहां पर भूतपूर्व सोशियल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिये कहा। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले गये, मर्ज हो गये, उनकी सीनियोरिटी उनके अनुसार होगी। कुछ को विकास अधिकारी बनाया, कुछ को पंचायत असिस्टेन्ट बना दिया गया। प्रमोशन के चान्सेज बराबर उनके सामने खुले हुए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में गये और उनसे ज्यादा सीनियर आदमी थे वे रिप्रेजेन्टेशन्स मेरे

(श्री परसराम मदेरणा)

सामने भी कर रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंन्ट में सीनियोरिटी दिलाने में मेरी मजबूरी है। माननीय सदस्य भी इसको एप्रिशियेट करेंगे।

कपासन से आये माननीय सदस्य ने कहा कि जिला परिषदों को अधिक अधिकार दिये जांय। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

हाड़ौती से आये माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत समिति में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है उसको रोका जाना चाहिये। हमेशा इसको रोका जाता है। पचीस-तीस विकास अधिकारियों ने फाइनेन्शियल इर्रेगुलेरीटीज कीं, पर्चेजेज आदि को लेकर इर्रेगुलेरीटीज कीं उनको सस्पेन्ड किया है और सख्त से सख्त कार्यवाही की है। एन्टी करप्शन विभाग को केसेज दिये गये हैं मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता और समय आया तो डिटेल्स में भी बताऊंगा।

पाली से आये माननीय सदस्य ने एक एक बात कही कि एक्स्टेन्शन ऑफिसर्स हैं उनका डुयुअल कंट्रोल है। वे टेक्नीकल डिपार्टमेंट के अधीन हैं। विकास अधिकारी उनकी सी.आर. लिखता है। पंचायत समितियों में वे टेक्निकल प्रोग्राम को अन्जाम देते हैं इसलिये उनका सम्बन्ध टैक्निकल विभाग से होना चाहिये ताकि उसकी निगरानी रह सके। यह कहा गया कि पंचायतों में ग्रांट देते हैं वह डेमोक्रेसी की स्प्रिट के खिलाफ है। अब इसको बन्द कर दिया गया है। डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक चली जावेगी उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है।

श्री नत्थीसिंह : बचत कर ली।

श्री परसराम मदेरणा : बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य नें बहुत सी बातें कहीं। वे अभी यहां पर नहीं है। मैं उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता।

चिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कहीं। वे सदन में बैठे हैं। चिड़ावा के सम्बन्ध में जो ए. जी. ने टेस्ट ऑडिट किया और लोकल फन्ड ऑडिट ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कुछ अनियमितताये हैं। उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। कुन्दला और सुरजगढ़ के बारे में नयी बातें आयी हैं आज उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। गैर कानूनी काम किया, जो दोषी हैं उनको सजा दी जावेगी। एलीगेशन लगाने के लिये तैयार हैं तो मैं कार्यवाही करने के लिये तैयार हूं वरना यह कह देना का डिमान्स्ट्रेशन कर रहा है, जनरल एलीगेशन लगा दिया और उस बेसिस पर ट्रान्सफर करने लगे तो काम नहीं चल सकता। विकास अधिकारी को वैसे ही क्रिटिसाइज किया जाता है। फलां आदमी गलत है, कलेक्टर के बारे में संदेह है, घोटाला कर रहा है। लेकिन कोई कान्क्रीट शिकायत आयी तो मैं इमिडियेटली स्टेप लूंगा।

एजुकेशन टैक्स के बारे में बात कही। मैं आपकी राय से सहमत हूं। एजुकेशन टैक्स हमेशा एजुकेशन के प्रसार के लिये,

(श्री परसराम मदेरणा)

स्कूल चल रहा तो उसमें सामान खरीदना और दूसरी सुविधाओं के लिये खर्च किया जाना चाहिये ।

मुझे सिर्फ इतना ही निवेदन करना है ।

अनुदान की मांग संख्या १ व २२ पर मतदान

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ६, भू राजस्व के सम्बन्ध में ......

श्री मूलचन्द कटेवा : माननीय अध्यक्ष ....

श्री अध्यक्ष : आसन अपने पैर पर है । .... ३१ मार्च, १६७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,८१,४३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,०६,६८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अकाल पीड़ित गाँवों में आन्त्रशोथ की बीमारी फलस्वरूप हुई मृत्यु की जांच हेतु विशिष्ट समिति के निर्माण सम्बन्धी घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि बीकानेर जिले के कई अकाल पीड़ित गांवों में उल्टी और दस्त की बीमारी से सैंकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से सम्बन्धित श्री चुन्नीलाल इंदलिया के स्थगन प्रस्ताव तथा बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ग्राम काशमीर में और आरंग ग्राम में कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से सम्बन्धित श्री भैरोंसिह के स्थगन प्रस्ताव पर स्थिति स्पष्ट करते हुए माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने आज अपने वक्तव्य के दौरान कुछ माननीय सदस्यों के इस सुझाव को स्वीकार किया था कि सदन के कतिपय माननीय सदस्यों की एक समिति इन मामलों की जांच हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा गठित की जाय ।

इस सम्बन्ध में मैंने विधान सभा के विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत की है और तदनुसार मेरे द्वारा एक विशिष्ट समिति बनाई गई है जिसके सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

(श्री अध्यक्ष)

१. श्री गिरधारीलाल व्यास
२. श्री भैरोंसिंह
३. श्री दौलतराम सारण
४. प्रोफेसर श्री केदारनाथ
५, श्री दिग्विजयसिंह
६, श्री मूलचंद डागा
७. श्री शंकरलाल जैतारण

यह समिति उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों में उल्लिखित स्थानों पर जाकर वास्तविकता की जांच करेगी और उसके बाद श्री अध्यक्ष को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित सामान्य नियम इस समिति पर भी लागू होंगे तथा यह समिति श्री अध्यक्ष के निदेशानुसार कार्य करेगी।

समिति के अध्यक्ष श्री गिरधारीलाल व्यास होंगे।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही रात्रि के ७ बजकर ४२ मिनिट पर ब्रृहस्पतिवार दिनांक २० मार्च, ६६ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १
(तारांकित प्रश्न सं० ३८३ की सूची)

जयपुर जिले में गोपालन (डेयरी) तथा कुक्कुट शाला (पोल्ट्री फार्म हेतु, भूमि सन् १९४७ से १९६८ तक के आवंटन की सूचना

क्र० सं०	नाम तहसील	नाम ग्राम	नाम अलाटी मय पूर्ण विवरण	क्षेत्रफल	दिनांक आवंटन	कार्य जिसके लिये भूमि आवंटन की गई	मौजूदा स्थिति भूमि।	कार्यवाही जो तहसील में की जा रही है।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	सांभर	पानवा	गोशाला सांभर	११५३)४	जयपुर रियासत के समय से।	गौशाला हेतु	गौशाला	—
२.	बस्सी	बस्सी	कैटिल ब्रीडिंग फार्म	३२६।)	राजकीय	केटिल ब्रिडिंग फार्म	फार्म स्थापित है	—
३.	बस्सी	ढिढौल	,, ,,	९००)	,,	,, ,, ,,	,,	—
४.	सांगानेर	बच्चाला रामजीपुरा	विजयसिंह	६७।।) १२।।)	एफ०२(५८७) राजाखा ग्रुप १।६५ दिनांक २९-१-६६	पोल्ट्री फार्म	खेती की जा रही है	—

१	२	३	४	५	६	७	८	९
५.	जयपुर	नाहरगढ़	रघुनाथप्रसाद आत्रेय	३॥)	एफ० २(५७) रा।खा।ग्रुप १ ६५।दि० २६-६-६५	केटिल ब्रीडिंग एवं पोलट्री फार्म	डेयरी चालू है।	राज्य सरकार ने आवंटन केंसिल कर दिया है लेकिन अदालत में चारा जोरी कर रखी है।
६.	जयपुर	बदनुपुरा	इलाहीबक्स पुत्र अब्दुल रहमान	३॥)३	एफ०२(५५) रा।खा।६५ दि० २८-७-६७	मुर्गी पालन एवं डेयरी फार्म	स्थापित नहीं किया है।	नोटिस दिया गया है।
७.	,,	व्रजलालपुरा	मेजर श्री मोहनराम	६॥)	एफ०५(३४)मू० सू०। ६६ दि० २-८-६६	,,	जमीन पर एक मकान डेयरी के लिए बना हुआ है जिस पर पाटोर पड़ी हुई है। इस वक्त मवेशियां चारे की कमी के कारण दूसरे स्थान पर गई हैं। आगामी जांच हेतु नोटिस दिया गया है।	
८.	जयपुर	मदरामपुरा	श्री पी० के० चोधरी	१०)	एफ०२(७१)रा।खा।६८ दिनांक ८-३-६३	मुर्गी पालन एवं डेयरी फार्म	२) पर पोलट्री फार्म बाकी पर खेती होती है।	—

१	२	३	४	५	६	७	८	९
९.	जयपुर	विजय महल	श्री शान्तीदेवी टेमाणी	९।।।)१	एफ०२(१२८) रा।खा।६८ दि० ३-५-६८ ।	,,	इनके आवंटन में से ख० नं० १६५, १६६ व १६७ का एलॉटमेन्ट कैंसिल करके सरकार ने दूसरी जगह जमीन देने के आदेश दिये हैं ।	
१०.	जयपुर	खातीपुरा	श्री मोतीलाल चौधरी	१५०)	एफ०६(१७२) रेवेन्यू।II५३ दि० १६-२-५४	डेयरी फार्म मय शीप ब्रीडिंग	खेती होती है व कुछ जमीन बेच भी दी गई है ।	—

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ३९४ की सूची)

सूची-३५ भूतपूर्व छोटे जागीरदार, जिनको अभी तक जागीरदारी बोण्ड्स नहीं मिले ।

क्र० सं० नाम भूतपूर्व जागीरदार	नाम जागीर	विशेष विवरण
१–भैरू पुत्र रोड्डू	गेटोर	मृतक हैं
२–रणजीता पुत्र सुखिया	"	"
३–लाला पुत्र विशना	"	"
४–छाजु पुत्र रोड्डू	"	"
५–रामचन्द्र पुत्र बक्सा	"	"
६–नन्दा पुत्र छोटू	"	"
७–गोपाल पुत्र संन्तोष	"	"
८–बेना पुत्र भोरिया	"	तहसील में वितरण हेतु हैं
९–प्रभात्या पुत्र तुलसा	"	"
१०–रामनारायण	"	"
११–नानगा	"	"
१२–बालू पुत्र छोटू	"	"
१३–स्वरूपा पुत्र गणेश	"	"
१४–सरूपा पुत्र गिरधारी	"	"
१५–जन्सा	"	"
१६–लादू पुत्र विरदा	"	ईन्डेन्ट रिजर्व बैंक में गया हुआ है
१७–ज्ञाना पुत्र नारायण	"	"
१८–गिरधारी पुत्र रूपा	"	"
१९–चन्दा पुत्र नारायण	"	"
२०–भूंथा पुत्र नारायण	"	"
२१–सुख्या पुत्र तुसला	"	"
२२–छोटू पुत्र बिरदा	"	"
२३–मोहरू पुत्र रामला	"	"

Page No 212

१ २	३	४
२४–गंगाराम पुत्र रामनारायण	"	"
२५–रायकरण पुत्र छोटू	"	"
२६-गोपाल पुत्र गणेश	"	"
२७–मंगला पुत्र श्योबक्स	"	"
२८–रामचन्द्र पुत्र मंगला	"	"
२९–रामचन्द्र पुत्र परागा	"	"
३०–जेला पुत्र काना	"	"
३१–जगन्नाथ पुत्र बिरदा	"	"
३२–नानगा पुत्र बिरदा	"	"
३३–चन्दा पुत्र काना	"	"
३४–रामनाथ पुत्र काना	"	"
३५–चन्दरा पुत्र काना	"	"

———

परिशिष्ट—३

(तारांकित प्रश्न सं. ४०२ की सूची)

मोकल ड्यूटी सड़क पर दिये गये ठेके का ब्योरा

तालिका

क्र. सं.	मैदान	ठेकेदार का नाम	ठेके की रकम	कुल धन राशि जिसका भुगतान किया गया	अन्तिम भुगतान की तिथि
१.	० से १२ मील	मैसर्स फतहसिंह बाबूसिंह	२,४३,६३६/–	१,२२,२७८/–	१७-५-६८
२.	१२ से १५ मील	„	१,६६,६६८/–	१,४६,४४७/–	२६-४-६८
३.	२५ से ३१ मील	मैसर्स टाक शिव राम एण्ड सन्स	१,६४,६६२/–	१,४०,१०६/–	३-८-६८
४.	३१ से ३७ मील	„	२,२४,५२८/–	३,२१,६०६/–	६-१०-६८
५.	३७ से ४३ मील	—	ठेका अभी नहीं दिया गया है।		

परिशिष्ट ४

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामों में पीने के पानी की समस्या

४०५. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) सिणधरी पंचायत समिति के ग्राम-शिवरी, कुड़ला, रातवसर. चवा और बाड़मेर पंचायत समिति के ग्राम बाड़मेर, आगोर, भादरेश, रामसर, भावन, गांगरिया एवं बायतू पंचायत समिति के ग्राम बायतू, भुट्टीया, कवाद, कानोड माडवत, शहर, सवाई रतेऊ मूलराज कोलू पनाउडा, आक-दडा, चिड़िया परेऊ, दीरा की ढाणी, कोसीमा की ग्रामीण जनता के लिए पानी पीने की क्या व्यवस्था है ?

(२) राज्य सरकार ने इन गांवों की जल समस्या को हल करने के लिए गत बीस सालों में क्या प्रयास किये और कितनी राशि व्यय की और उसके क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) सरकार उक्त गांवों की जल समस्या को स्थायी तौर से हल करने के लिये क्या कदम उठा रही है ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) जनता को पानी की सुविधा पहुँचाने के लिये राज्य सरकार की ओर से ट्रकों व रेलों द्वारा पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही हैं ।

(२) इसके लिये जल प्रदाय योजना लागू की जा रही है । सूची संलग्न है ।

(३) स्थायी तौर से जल समस्या का हल करने के लिये क्षेत्रीय योजना बनाई जा कर तकनीकी जाँच की जा रही है तत्पश्चात धन की उपलब्धि पर योजना स्वीकृत की जा सकेगी । विस्तृत विवरण की प्रतिलिपि सलंग्न है ।

१. पंचायत समिति सिन्धरी बाड़मेर एवं बायतू के ग्रामों को जो क्षेत्रीय योज-नाएँ बनाई गई हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

(ए) ग्राम शिक्कर, कुरला रावतसर एवं चाबा को बाड़मेर से पानी देने की योजना बनाई गई है जिसकी अनुमानित राशि ५,५०,०००–– रु० है। ग्रामों की आबादी निम्न प्रकार से है :—

शिक्कर	२३५६
कुरला	१३७
रावतसर	३४५१
चाबा	२७८५

(बी) ग्राम भादरेस को ग्राम कापूरडी सी–डब्लू–आर (जिसमें बोधिया से पानी आता है) से पानी पहुंचाया जायेगा जिसके लिये रुपये ५५,०००–– की स्कीम बनाई गई है ग्राम भादरेस की आबादी ८४६ है।

(सी) ग्राम गागरिया रानासर रामसर एवं देतानी में गडरारोड से पानी पहुंचाया जावेगा जिसकी अनुमानित राशि १०,०४,०००––है इन ग्रामों की आबादी निम्न है :

गागरिया	३९२
रामसर	१५९५
रानासर	८६२
देतानी	५००

(डी) पंचायत समिति बायतू के ग्रामों को उन्डू ग्राम के ट्यूब वैल से पानी दिये जाने की योजना बनादी गई है जिसकी अनुमानित राशि २१,१५,०००–– है। इसमें निम्नलिखित ग्राम लिये गये हैं :—

बायतू चीम जी	१८०१
बायतू भीम जी	२३८५
बादतू पन जी	१९७१
बायतू भूप जी	२७२६
रतेउ	२१३४
शहर	१०३३
कामोद	१८००
कोलू	२१६६
उन्डू	२१००
कोसरिया	१८४०
पूनाबदा	१२१६

स्थानीय विकास कार्य योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति सिणधरी व पंचायत समिति बायतू दी गयी राशि।

वर्ष	पंचायत समिति सिण्धरी	पंचायत समिति बायतू
१६५६—६०	६०००)	६०००)
१६६०—६१	३०,१३६)	२६,८३२)
१६६१—६२	७६०००)	७६०००)
१६६२—६३	१५०००)	५००००)
१६६३—६४	५०००)	—
१६६४—६५	१००००)	—
१६६५—६६	—	—
१६६६—६७	१००००)	२३१००)
१६६७—६८	—	८३००)
१६६८—६६	४०००)	—

स्थगित प्रश्न

(१२-३-६६)

सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाने हेतु अवाप्त भूमि और उसका मुआवजा

284. श्री रामचन्द्र आर्य : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रावतसर से हनुमानगढ़ तक सड़क के दोनों तरफ वृक्ष लगाये जा रहे हैं? यदि हां, तो सड़क के दोनों तरफ कितने फुट का क्षेत्र निश्चित किया गया है और क्या सड़क के एरिया से बाहर भी वृक्ष लगाए गए हैं? यदि हाँ, तो वह भूमि किसकी है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के दोनों तरफ काश्तकारों के खेत हैं? यदि हाँ, तो उन काश्तकारों की कितनी भूमि से दोनों तरफ से बगैर एक्वायर किए ही वृक्ष लगाए जा रहे हैं और क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन काश्तकारों की भूमि जबरन कब्जा करके वृक्ष लगाए जा रहे हैं उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, सड़क के दोनों तरफ मध्य रेखा से ४० फुट की सीमा निर्धारित की है। इस सीमा में आने वाले लोगों की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अभी सम्पूर्ण सड़क पर पूर्ण नहीं हुई है।

(2) जी हां,भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है।

(3) काश्तकारों की भूमि जबरन से नहीं ली जा रही है। भूमि के मुआवजा भुगतान की कार्यवाही चल रही है।

Page No 217

परिशिष्ट ५

(ता० प्र० सं० ४०० की सूची)

सूची

१. जयपुर
२. जोधपुर
३. अलवर
४. अजमेर
५. भरतपुर
६. बीकानेर
७. उदयपुर
८. भीलवाड़ा
९. हिन्डौन
१०. चित्तौड़गढ़
११. गंगापुर सिटी

परिशिष्ट ६

(अ. प्र. सं. २५० की सूची)

पश्चिमी राजस्थान के अकालग्रस्त इलाकों से आई हुई मवेशियान के साथ रहने वाले व्यक्तियों द्वारा पाली जिले के निवासियों के साथ किये गये झगड़े फिसाद की सूची

क्र० सं०	नाम अभियोगी	थाना	अभियोग संख्या	धारा	नतीजा तफतीश
१	२	३	४	५	६
१.	श्री रूपसिंह राजपूत निवासी बाचून्दा	तखतगढ़	अभियोग सं० ४२ दिनाँक २-९-६८	अपराध धारा ४४७।३२५।३२४ ता० हि०	दिनांक २९-१०-६८ को चालान हुआ।
२.	श्री अमरा पुत्र जगता पीथल निवासी सोनेलाखां	केरला	अभियोग सं० ३४ दि० ४-९-६८	धारा १४७।१४८।४४७। ४२७।३२३ ता० हि०	दि० १-१०-६८ को चालान हुआ।
३.	श्री छोगालाल पुत्र हुक्काजी ब्राह्मण निवासी भिमालिया	खारची	अभियोग सं० ४२ दि० २०-९-६८	धारा १४७।४४७।४२७। ३२५।३२३ ता० हि०	अभी तफतीश चालू है। (अभियुक्तगण मवेशियों के साथ दूसरे जिलों को चले गये)

१	२	३	४	५	६
४.	श्री गणेशदास सरपंच निवासी निम्बाडा ।	गुढा ऐडला	अभियोग सं० ३८ दि० २०-९-६८	अपराध धारा १४७। ४४७।४२७ ता० हि०	दिनांक ९-१-६९ को चालान हुआ ।
५.	श्री खंगारसिंह पुत्र किशनजी सिरकी निवासी देवली आँवा	थाना खारची	अभियोग सं० ४४ दि० १-१०-६८	धारा १४७।१४८ ता० हि० ।	तफतीश चालू है । अभियुक्तगण दूसरे स्थानों को चले गये)
६.	श्री हस्तीमल सरपंच निवासी बिथूरा	थाना ,,	अभियोग सं० ४९ दि० १३-१०-६८	धारा ४२५।३८०। ३८४ ता० हि०	,, ,, ,,
७.	श्री प्रभुजी पुत्र चम्पाजी राईका निवासी देवन थाना केरला ।	थाना ,,	अभियोग सं० ५१ दि० २७-१०-६८	धारा ३०७।१४७। १४८।१४९ ता० हि०	,, ,, ,, ,, ,, ,,
८.	श्री मानसिंह पुत्र सुलतानसिंह सिख निवासी सोजत ।	थाना सोजत	अभियोग सं० ९७ दि० ११-१०-६८ ।	धारा ४४७।४२७ ता० हि० ।	चालान हुआ ।

परिशिष्ट ७

(अ० प्र० सं० २५६ की सूची)

EXPRESS STATE TELEGRAM

ASSISTANT MINING ENGINEER
BIKANER

Renewal application BGL for Gypsum in Jamsar and Lunkaransar under consideration (.) Company's working be allowed to continue.

COMRAJ

Not to be telegraphed :—
No. F. 3 (V) (22) Ind/B/67
Dated 30.10.67

Assistant Secretary to Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Industries (B) Department

No. F. 3 (V) (22) Ind/B/67. Dated 30th Oct., 1967.

Copy forwarded to the :—

1. Director of Mines & Geology, Rajasthan Udaipur.
2. Mining Engineer, Jodhpur.
3. Assistant Mining Engineer, Bikaner in confirmation.
4. M/s Bikaner Gypsum Ltd., Bikaner.

Assistant Secretary to Govt.

परिशिष्ट ८
(अ० प्र० सं० १७३ की सूची)

१९६०-६१	६३१६	सोलाना मरम्मत
१९६१-६२	७३३४	,,
१९६२-६३	१५८१८	,,
१९६३-६४	१४२५४	,,
१९६४-६५	२१५५२	,,
१९६५-६६	२८५३४	,,
१९६६-६७	३०८८०	,,
१९६७-६८	२४२१६	,,

परिशिष्ट ६

सूची (अ) अतारांकित प्रश्न सं० १७५ की सूची

१ जोधपुर नागौर रोड़
२ नागौर डीडवाना रोड मील ८४ से ११६
३ नागौर नौखा रोड
४ ईसर बोलिया रोड
५ गोगलाना मन्डो रोड
६ नागौर से खाजवाना रोड
७ आसोपा से रोल वाया मुण्डवा
८ शाखवास से कुचेरा
९ रोल से आयल वाया मगनोद
१० नागौर से खुरलियां वापा
११ यादू से बड़ी घाटी
१२ डेगाना से बरुन्डा
१३ डेगाना से निम्बी
१४ कुचेरा से खाटू
१५ डेगाना से तरनाऊ
१६ डेगाना से लिनपोलीयां
१७ पुनछोटा मीरोसी
१८ डेगाना से चन्दराउ
१९ मेड़ता सटी से पादू
२० मेड़ता सीटी से पपार
२१ मेड़ता सोटी से कुचेरा
२२ मेड़ता सीटी से सजवाना
२३ असावरी से धनाया
२४ मेड़ता शहर से गोटन
२५ पादू से आलनियावास

शुद्धि-पत्र

बुद्धवार, दिनांक १६ मार्च, १६६६

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
२	६	वार्य	कार्य
,,	अन्तिम लाइन	का	के
,,	अन्तिम से ५	स्वीकृत	स्वीकृती
८	४	भूम	भूमि
११	१७	स्टे आर्डर	स्टे-आर्डर
१३	१४	कमेटी को जुरिस्डिक्शन	कमेटी अपने-को-जुरिस्डिक्शन
१६	अन्तिम से ६	कर्मच रियों	कर्मचारियों
१८	८	अध क्ष	अध्यक्ष
,,	अन्तिम से ८	का	को
२५	अन्तिम से २	स्वीकार	स्वीकार
२८	१	रोउ	रोड
,,	६	निश्चि	निश्चित
३०	१६	वायम	कायम
३६	अन्तिम से ६	नियमानुनार	नियमानुसार
४४	२०	या	थी

१	२	३	४
४५	१	श्री नाथूराम करोल	श्री नाथूलाल करोल
४६	अन्तिम से ८	का	का
५०	अन्तिम से ४	इफर्ट्स	एफर्ट्स
५३	अन्तिम से ७	( )	(३)
५४	अन्तिम से ६	मा नीय	माननीय
५५	६	है राज्य सरकार	है कि राज्य सरकार
,,	७	राज्य सरकार को	+ । +
५८	८	पलब्ध	उपलब्ध
,,	१२	य	यह
५६	१४	श्री नथीसिंह	श्री नत्थीसिंह
,,	८	मन्त्र	मन्त्री
६०	७	उपमत्री श्री भ घोसिंह	उप मंत्री श्री माधोसिंह
६१	४	रिकुइजीशन	रिक्वीजीशन
,,	अन्तिम लाइन	तक आमदनी	तक जमीन
६३	अन्तिम से २	ुगनान	भुगतान
६४	१६	क्या	—
६५	६	फामौ	फार्मो
६८	१०	छूंगा	पूछूंगा
७१	अन्तिम से १०	उ ोग	उद्योग
७२	६	डाफ्ट	ड्राफ्ट
७३	४	अतिम	अन्तिम

१	२	३	४
,,	६	होने कारण	होने के कारण
७५	१	—	अतारांकित प्रश्नोतर
७६	अन्तिम से ६	मुजर	गुजर
,,	अन्तिम से ७	बाधून्दा	बालून्दा
,,	अन्तिम से ६	सोनेलखा गिमालिवा	सोनेलखा मिमालिया
८८	८	एक्जीक्यूटिव के अफसर	एक्जीक्यूटिव अफसर के
९७	१७	अकेक्षण	अंकेक्षण
१०२	१२	सावंजनिक	सार्वजनिक
१०८	अन्तिम से २	श्री रामचन्द आर्य	श्री रामचन्द आर्य के
१०९	अन्तिम से ५ व ६	उद्विग्न	उद्विग्न
११२	शीर्षक	श सकीय	शासकीय
,,	३	सह यता	सहायता
,,	६	उप य	उपाय
११३	७	उ को	उनको
११४	१९	अ पने	आपने
,,	अन्तिम से ७	श्री सत शचन्द	श्री सतीशचन्द्र
,,	अन्तिम से ३	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
११५	१४	।रपोर्ट	रिपोर्ट
११८	५	अधिक री	अधिकारी
११९	अन्तिम से १५	इन्फोरेमेशन	इन्फोरमेशन
,,	अन्तिम से ८	वी	की

१	२	३	४
,,	५	उत्तेरजित	उत्तेजित
१२०	३	डेथ्स	डेथ्तस
१२१	अन्तिम से ४	ही	हो
१२२	अन्तिम से ६	म	में
१२३	१५	ल शें	लाशें
,,	,,	सक ा	सकता
१२४	७	मैं	—
,,	८	जिस में	जिसमें
,,	१८	तो	को
१२५	१३	चि कत्सा	चिकित्सा
,,	शीर्षक	१९ मार्च, १ ६९	१९ मार्च, १९६९
१२६	अन्तिम से १४	फसला	फैसला
,,	६	का	की
,,	४	मन्त्रा	मन्त्री
,,	४	चपरासा	चपरासी
१२७	६	मन्त्रा	मन्त्री
,,	८	ईरिगेशन	इर्रिगेशन
१२९	४	पर से	पर
१३१	११	नथीसिंह	नत्थीसिंह
१३३	शीर्षक	शासकाय	शासकीय
,,	१६	म ोदय	महोदय

१	२	३	४
१३३	१७	सामा	समिति
,,	१८	आपात	आपत्ति
१३४	८	ईसलिये	इसलिये
१३५	अन्तिम से १०	रखखी	रक्खी
,,	अंन्तिम से १३	उककी	उसकी
१३७	अन्तिम से १०	की	को
१३९	६	सुराखरसी	सुरागरसी
१४०	१	सुराखरसी	सुरागरसी
,,	१६	महोदेय	महोदय
१४१	अन्तिम से ७	सी, अ ई	सी. आई
१४४	अन्तिम से १२	रिपार्ट	रिपोर्ट
१४५	१७	एस, पा	एस पी
१४७	३	जार्यवाही	कार्यवाही
,,	४	प्रासीजर	प्रोसीजर
१४८	४	इन ाक्यरी	इन्क्वायरी
,,	१०	इन्स्ट्रक्शन	इन्स्ट्रक्शन्स
,,	११	वापूज	वाएज
,,	१८	से	द्वारा
१४९	३	रेज से रोज	रोज से रोज
,,	६	फीलो	फॉलो
,,	८	ज य	जाय

१	२	३	४
१४६	अन्तिम से ६	में नही	उनकी बात
१५०	६	पोलिाटकल	पोलिटिकल
,,	१०	क्लेक्टिव	कलेक्टिव
,,	अन्तिम से २	म ोदय	महोदय
,,	अन्तिम लाइन	स स्य	सदस्य
१५१	अन्तिम से १०	उसका	उसकी
१५२	अन्तिम से ३	कान्स्टीट्यूसी	कान्स्टीट्यु्एन्सी
१५३	अन्तिम से ६	इनीसियेटिव	इनिशियेटिव
१५४	५	मा नीय	माननीय
१५५	८	जब	तब
१५७	अन्तिम से ६	एसेंस	एक्शन्स
१५८	अन्तिम से १०	एडवाइज	एडवाइस
१५६	१०	करने	कराने
,,	११	करना	कराना
,,	अन्तिम लाइन	ल गू	लागू
१६२	३	मत्रा	मंत्री
,,	१०	िया	किया
१६३	१६	कुछ	कल
१६५	६	plats	plots
,,	११	००	१००
,,	अन्तिम से ११	अनुमोदन	अननुमोदन

१	२	३	४
१६६	शीर्षक	विमश	विमर्श
,,	अन्तिम से १३	चारगाहों	चरागाहों
१६७	२	शीर्षक	शीर्षक
१७४	अन्तिम से.२	कर दिया जाय....	(सामुदायिक विकास योजनाओं की प्रगति न होकर दुर्गति हो रही है इस सम्बध सरकारी नीति का अननुमोदन)।
१७५	१	श्री यशवन्तसिह	श्री यशवन्तसिह नाहर
,,	६	अनुमोदव	अननुमोदन
१७६	४	बीडों	बांधो
,,	११	अनुमोदन	अननुमोदन
,,	१७	विटठल प्रसाद शर्मा	विट्ठलप्रसान शर्मा
१७७	२	अलोटमेन्ट	एलॉटमेन्ट
१७९	१२	श्री कल्याणमल मिणा	श्री कल्याणमल मीणा
१८५	६	(सामुदायिक विकास योजनाओं की प्रगति न होकर दुर्गति हो रही है इस सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन)	—
,,	अन्तिम से ४	मुख्य शीर्षक ८	मुख्य शीर्षक ९
१८७	११	खाना	खाता
,,	अन्तिम से २	सिवाव कुर्की	सिवाय चक
१८८	अन्तिम से २	से	में
१८९	२	क	के
,,	७	से	में

१	२	३	४
१६१	१६	पसायनेदाशन	पसायतेरादान
१६७	४	पट्टी	पट्टों
२०३	८	दिया	किया
२०४	५	तहसील	तहसीलदार
,,	अन्तिम से ६	अघुरे	अधुरे
२०७	१२	ज ने	जाने
२०६	११	दिल ने	दिलाने
२१०	अन्तिम से ३	मुख्य शर्षक १ भू-रजस्व	मुख्य शीर्षक ६-भू राजस्व
२१४	१७	पंचयत	पंचायत
,,	अन्तिम लाइन	८ह	यह
२१७	१०	श र्षक	शीर्षक
२२४	१२	किशनलाल शर्मा	श्री किशनलाल शर्मा
२४६	३	सीलिय	सीलिंग
२५१	८	स घली	साघली
२५३	१२	षी०के० चौधरी	श्री पी के चौधरी
,,	१६	लॉग	लॉज
,,	अन्तिम से ४	वलों	वालों
२५४	अन्तिम से ५	लगर्ती	लगाती
२५५	१	श्रो नत्थीसिह	श्री नत्थीसिंह
२६४	अन्तिम से ८	क्या कि	क्योंकि
२७१ से २७४ तक	शीर्णक	विचार-विमार्श	विचर-विमर्श

१	२	३	४
२७२	अन्तिम से १०	इसफा	इसका
२७७	अन्तिम से २	बँहेटवारे	बंटबारे
,,	अन्तिम लाइन	किसी अ । चन्य	चाहे किसी अन्य
२७८	अन्तिम लाइन	सराकार	सरकार
२८०	अन्तिम से ४	मूतर्व	भूतपूर्व
२८२	१८	हूंबला	डूंगला
२८८	अन्तिम से २	युफसल	मुफस्सिल
,,	५	कागजन	कागजात
२९९	१०	पर्ली	पाली
३००	अन्तिम से १३	खातेदार	खातेदारी
३०४	अन्तिम से १०	इण्ट्रीगेशन	इन्ट्रीग्रेशन
३०५	१६	पीडेंगें	पड़ेंगे
३०६	अन्तिम से ३	सकान	मकान
,,	,,	बेदख कल	बेदखल
३२१	१४	एस्टोमेट	एस्टीमेट
,,	२२	मेजुरी	मंजुरी
३२२	६	मिटिंग	मीटिंग
३३६	३	स्थापना गई	स्थापना की गई
३३९	अन्तिम से ३	ओर	चारों ओर
३४३	१८	Thous and	thousand
३५०	१	मंडल के	मंडल के लिये

१	२	३	४
३६७	१४	सकतो	सकती
३७६	८	कंशतकार	काँश्तकार
३८६	नाम	रामनन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
३९०	अन्तिम लाइन	मिनिस्ठर	मिनिस्टर
३९७	३	उदारता ूर्वक	उदारतापूर्वक
,,	अन्तिम से ११	श्री भाणिक्यलाल जी	श्री माणिक्यलालजी
३९८	५	शिड्पूल्ड	शिड्यूल्ड
४०५	१३	जनना	जनता
४११	२	रहा तो	रहा है तो
४२३	१	रिणघरी	सिण्धरी
,,	२	वायतू वी	वायतू को दी